

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन**

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार
(प्रत्यक्ष कर)
2000 की संख्या 12**

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		vi
विहंगावलोकन		vii

अध्याय 1 : प्रस्तावना

सामान्य	1.1	1
सांविधिक लेखापरीक्षा	1.2	1
विद्यमान प्रतिवेदन	1.3	2
ड्राफ्ट पैराग्राफों पर बोर्ड की टिप्पणियाँ प्राप्त न होना	1.4	3
स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1.5	3
(i) नमूना लेखापरीक्षा के सामान्य परिणाम		
(ii) बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ		
(iii) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान हेतु किए गए उपाय		
(iv) कालबाधित उपचारी कार्रवाई		
आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.6	8
(i) आन्तरिक लेखापरीक्षा की बकाया अभ्युक्तियाँ		
(ii) आन्तरिक लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों पर कार्रवाई		

अध्याय 2 : प्रत्यक्ष करों का प्रशासन

प्रत्यक्ष करों का प्रशासन	2.1	13
राजस्व विभाग की व्यापक कार्यात्मक रूपरेखा	2.2	14
विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	2.3	15
संग्रहण की प्रवृत्ति	2.4	16
प्रत्यक्ष कर - स घ उ अनुपात	2.5	17
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर	2.6	23
संग्रहण का विश्लेषण	2.7	24
संग्रहण की लागत	2.8	26
बकाया निर्धारण	2.9	26
बकाया मांगें	2.10	28
कर वसूली मशीनरी	2.11	31
अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं और रिटें	2.12	33
प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज	2.13	34
निपटान आयोग द्वारा निपटाए गए मामले	2.14	35
शास्तियां	2.15	36
तलाशियां और जब्तियां	2.16	38
सर्वेक्षण	2.17	39
हस्तांतरण के कतिपय मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों की खरीद	2.18	39

विभाग द्वारा बट्टे खाते डाली गई राजस्व मांगें	2.19	40
---	------	----

अध्याय 3 : क - प्रणाली मूल्यांकन

आयकर अधिनियम, 1961 (ब्लाक निर्धारण) के अंतर्गत 1.7.1995 को या उसके बाद किए गए तलाशी मामलों का निर्धारण	3.1	54
आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण	3.2	86

ख- अधिसूचनाओं/परिपत्रों की लेखापरीक्षा विदेशी टेलीविजन प्रसारण चैनल - परिपत्र संख्या 742 और 765 के माध्यम से - कराधान	3.3	125
---	-----	-----

ग- विशेष अध्ययन

लाभांश आय पर कर का समापन	3.4	133
--------------------------	-----	-----

अध्याय 4 : निगम कर

कम्पनियों की संख्या	4.1	143
निर्धारितियों की संख्या	4.2	143
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.3	143
निर्धारणों की प्रास्थिति	4.4	143
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.5	143
आय व कर की संगणना में परिहार्य गलतियां	4.6	144
- आय और कर का अधिक निर्धारण		
- आय और कर का अवनिर्धारण		
कर की गलत दर लागू करना	4.7	145
गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना	4.8	146
पूंजी व्यय की गलत अनुमति	4.9	147
बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की गलत अनुमति	4.10	149
बैंकिंग कम्पनियों के मामले में अशोध्य ऋणों की गलत अनुमति	4.11	149
प्रावधानों की गलत अनुमति	4.12	151
देयता की गलत अनुमति	4.13	153
चाय कारबार से आय की गलत संगणना	4.14	154
ब्याज कर निर्धारण के साथ गैर सह-सम्बद्ध	4.15	155
पूर्वावधि व्यय आदि की गलत अनुमति	4.16	156
आरम्भिक खर्च	4.17	157
भारत के बाहर भुगतान	4.18	158
वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की अनियमित अनुमति	4.19	158

जानकारी पर व्यय की गलत अनुमति	4.20	160
अन्तःस्टाक का गलत मूल्यांकन	4.21	160
अननुमोदित निधि को अंशदान की गलत अनुमति	4.22	162
वित्तीय निगम की आय की गलत संगणना	4.23	162
मूल्यहास की अनियमित अनुमति	4.24	163
अवलेखित मूल्य का गलत अपनाना	4.25	165
मूल्यहास की दरों का गलत अनुप्रयोग	4.26	165
निवेश मोक की गलत अनुमति	4.27	167
अनवशोषित मूल्यहास/ निवेश मोक का गलत अग्रेनयन	4.28	167
पूँजीगत अभिलाभों की गलत संगणना	4.29	169
निर्धारण से छूट गई आय	4.30	170
हानियों का गलत अग्रेनीत/मुजरा करना	4.31	172
अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारणों में गलतियां	4.32	175
अध्याय VI ए के अधीन कटौती अनुमत करने में गलती	4.33	176
विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त लाभों की कटौती की अनुमति में गलती	4.34	177
कतिपय मामलों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति	4.35	177
धारा 80 झ के अंतर्गत लाभों की गलत संगणना	4.36	178
निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की गलत अनुमति	4.37	179
नये औद्योगिक उपक्रम जिसने 1 अप्रैल 1991 के बाद कार्य शुरू किया से लाभों के संबंध में गलत कटौती	4.38	182
विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कारबार आय की गलत संगणना	4.39	183
कतिपय अन्तर्निगमित लाभांशों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति	4.40	184
विवरणी विलम्ब से दाखिल करने के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण	4.41	185
अग्रिम कर के कम भुगतान के लिए ब्याज का कम उद्ग्रहण	4.42	185
कर मांग के भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज का अनुद्ग्रहण	4.43	186
सरकार द्वारा निर्धारिती को ब्याज का अनियमित प्रदान करना	4.44	187
अधिक/अनियमित प्रदाय	4.45	187
ध्यान देने योग्य अन्य विषय	4.46	188
- कर का कम उद्ग्रहण		
- अतिरिक्त आयकर का अनुद्ग्रहण		
- निर्धारण में संशोधन करने की चूक		
- स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट की गलत मंजूरी		
सामान्य	4.47	190
अधिकर का निर्धारण करने में चूक	4.48	191

अध्याय 5 : आयकर

सामान्य	5.1	192
आयकर से प्राप्तियां	5.2	192
निर्धारितियों की संख्या	5.3	192

निर्धारणों की प्रास्थिति	5.4	192
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.5	192
आय एवं कर की संगणना में परिहार्य गलतियां	5.6	192
कारबार आय की संगणना में गलतियां	5.7	194
देयता की गलत अनुमति	5.8	195
अन्तस्टॉक के मूल्यांकन में गलतियां	5.9	195
मूल्यहास की गलत दर का लागू करना	5.10	196
अनवशोषित मूल्यहास का गलत समंजन	5.11	197
निवेश मोक का गलत अनुमत करना	5.12	197
पूँजीगत अभिलाभों की संगणना में गलत छूटें	5.13	198
फर्मों और भागीदारों के निर्धारण में गलतियां	5.14	198
भागीदारों की आय के निर्धारण में गलती	5.15	199
निर्धारण से बचे हुए पूँजीगत अभिलाभ	5.16	200
अनिर्धारित आय	5.17	200
हानियों का गलत अग्रेनीत और समंजन	5.18	202
अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते हुए निर्धारण में गलती	5.19	203
अध्याय VI ए के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति	5.20	204
निर्यात लाभों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति	5.21	204
31 मार्च 1981 के बाद स्थापित नव औद्योगिक उपक्रम को कटौती की गलत अनुमति	5.22	206
सहकारी समिति की आय के संबंध में कटौती की अनियमित अनुमति	5.23	206
विवरणी प्रस्तुत न करने/विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए ब्याज का कम उद्ग्रहण	5.24	207
- अग्रिम कर का कम भुगतान/भुगतान न करना		
- कर मांग के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज		
चलचित्रण फिल्मों पर व्यय की गलत अनुमति	5.25	210
सामान्य	5.26	211

अध्याय 6 : अन्य प्रत्यक्ष कर
क - धनकर

धनकर से राजस्व	6.1	212
निर्धारितियों की संख्या	6.2	212
निर्धारणों की प्रास्थिति	6.3	212
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.4	212
अनिर्धारित धन	6.5	213
धन कर की संगणना में परिहार्य गलती	6.6	215
निवल धन की गलत संगणना	6.7	216
उद्धृत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन	6.8	217
अउद्धृत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन	6.9	218
छूट की अनियमित मंजूरी	6.10	218
विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	6.11	219

कर मांग के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण	6.12	219
---	------	-----

ख - दानकर


दानकर से राजस्व	6.13	221
निर्धारितियों की संख्या	6.14	221
निर्धारणों की प्रास्थिति	6.15	221
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.16	221
माने गए दान का अवमूल्यांकन	6.17	221
दान/माने गए दान पर कर का अनुद्ग्रहण	6.18	222
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	6.19	223
कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण	6.20	224
दान का गलत मूल्यांकन	6.21	224

ग- ब्याज कर

ब्याज कर से राजस्व	6.22	226
निर्धारितियों की संख्या	6.23	226
निर्धारणों की प्रास्थिति	6.24	226
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.25	226
ब्याज आय निर्धारित नहीं की गई	6.26	227
ब्याज का अनुद्ग्रहण	6.27	227
ब्याज का गलत भुगतान	6.28	228
आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति पर कार्रवाई करने में चूक	6.29	229

घ- व्यय कर

प्रभार्य व्यय की संगणना में गलती	6.30	230
----------------------------------	------	-----




प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्ति - प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों, जिनमें निगम कर, आयकर, धनकर, दानकर आदि शामिल हैं, के अंतर्गत प्राप्ति के लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया गया है:-

- (i) अध्याय 1 में प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा व्यवस्था पर सूचना शामिल की गई है और उसके परिणामों का उल्लेख है ;
- (ii) अध्याय 2 में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन पर महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सूचना शामिल की गई है ;
- (iii) अध्याय 3 में चार विषयों - आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 1.7.1995 को या इसके बाद किए गए तलाशी मामलों के निर्धारण, (ब्लाक निर्धारण) आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण, परिपत्र संख्या 742 और 765 के माध्यम से विदेशी टेलीकास्टिंग चैनलों के कराधान और लाभांश आय पर कर के समाप्त किए जाने पर प्रणाली मूल्यांकन शामिल हैं ;
- (iv) अध्याय 4 और 5 में क्रमशः निगम कर और आयकर की लेखापरीक्षा के परिणामी मुद्दों का उल्लेख है ;
- (v) अध्याय 6 में धनकर, दानकर, ब्याज कर और व्यय कर की लेखापरीक्षा के परिणामों का विशेष उल्लेख है ;
- (vi) इस प्रतिवेदन में शामिल की गयी अभ्युक्तियां उन अभ्युक्तियों में से हैं जो 1998-99 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखी गयी थीं और वे भी जो पहले के वर्षों में देखी गई थी परन्तु जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था।



विहंगावलोकन

प्रत्यक्ष करों की
लेखापरीक्षा और
लेखापरीक्षा के
परिणाम

1. प्रत्यक्ष करों से संघ सरकार के राजस्व की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इस लेखापरीक्षा, जो आयकर विभाग द्वारा रखे गए निर्धारण और अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की जाती है, का दोहरा उद्देश्य होता है - प्रथमतः यह आश्वासन प्राप्त करना कि विभाग द्वारा कर प्रशासन के क्रान्तिक क्षेत्रों में निर्धारित प्रणालियां और क्रियाविधियां यौक्तिक रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं और दूसरा, विभिन्न निर्धारितियों का निर्धारण करने, उनसे कर राजस्व की मांग और वसूली करने में कर विधियों, नियमों और न्यायिक उद्घोषणाओं के अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करना।

2. 1998-99 में की गई स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा के दौरान विभाग को निगम कर, आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों पर 3416.02 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले अवनिर्धारण पर 16,792 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और 28.40 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 76 मामले सूचित किए गए हैं। इन अभ्युक्तियों में से निगम कर/आयकर से सम्बन्धित बड़ी संख्या में 5844 मामले, जिनमें 2302.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, कारबार आय की गलत संगणना, निर्धारण से छूट गयी आय और हानियों के अनियमित समंजन से सम्बन्धित थे। 16792 अभ्युक्तियों में से 873.86 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 870 मामले अलग-अलग ड्राफ्ट पैराग्राफों के रूप में मंत्रालय को जारी किए गए हैं जिस में से 836.64 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 836 मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। इन में से 298.64 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव वाले 352 मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।

अलग-अलग निर्धारणों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अलावा इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित विषयों पर चार प्रकरणों, जिनमें 144.15 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, जहां कहीं उसका प्रमात्रीकरण किया जा सका, पर प्रणाली मूल्यांकन भी शामिल किए गए हैं :

- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 1.7.1995 को या उसके बाद किए गए तलाशी मामलों का निर्धारण (ब्लाक निर्धारण),
- आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण,
- परिपत्र संख्या 742 और 765 के माध्यम से विदेशी टेलीकास्टिंग चैनल - कराधान और
- लाभांश आय पर कर का समाप्त करना

3(क) यह प्रतिवेदन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर वित्त मंत्रालय के उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए हैं, को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस वर्ष अलग-अलग ड्राफ्ट पैराग्राफ मामलों में उत्तर की प्राप्ति गत वर्ष 59 प्रतिशत के प्रति 51 प्रतिशत रही है।

(ख) इस खण्ड के अनुवर्ती पैराग्राफों में प्रत्येक अध्याय से चुनिंदा मामलों का संक्षिप्त विवरण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संक्षेप में बोध कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अलग-अलग किस्म के ध्यान देने योग्य बहुत से अन्य मामले इस प्रतिवेदन के विभिन्न अध्यायों में दिए गए हैं।

प्रत्यक्ष करों से
राजस्व और
प्रत्यक्ष करों का
प्रशासन

4. प्रत्यक्ष करों का संग्रहण 1997-98 में 48,280.40 करोड़ रुपये से घटकर 1998-99 में 46,600.07 करोड़ रुपये हो जाने से 3.48 प्रतिशत की कमी हुई थी। सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का अनुपात 2.9 प्रतिशत था। 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष करों की कर उत्प्लावकता (-)0.26 थी और गैर कृषि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भी कर उत्प्लावकता (-)0.33 थी।

[पैरा 2.3(i), 2.5(i), (ii) और (iii)]

जबकि प्रत्यक्षकरों का संग्रहण 3.48 प्रतिशत कम हो गया, प्रत्यक्ष करों का संचित बकाया 1997-98 में 41230.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 44,142.72 करोड़ रुपये हो गया जो 7.06 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। तथापि, प्रत्यक्ष करों का निवल बकाया 1997-98 में 5,821.28 करोड़ रुपये से घटकर 1998-99 में 4,244.41 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् पूर्व वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत की कमी हुई। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1999 को बकाया निवल शेषों का 60.55 प्रतिशत 10 लाख रुपये और उससे अधिक के उच्च मांग वाले मामलों से बना था।

[पैरा 2.10(i)(क) और (ड)]

5. 1998-99 के दौरान सभी प्रत्यक्ष करों के संग्रहण (46,600.07 करोड़ रुपये) पर किया गया 925.62 करोड़ रुपये का व्यय कुल संग्रहण का 1.98 प्रतिशत था। औसत आधार पर 1996-97 से 1998-99 के दौरान निर्धारण पूर्व स्तर पर 83.5 प्रतिशत संग्रहणों की उगाही की गयी।

[पैरा 2.8 और 2.7(i)]

6. वर्ष के दौरान निर्धारितियों की संख्या में 40,53,981 की वृद्धि हुई और 31 मार्च 1999 को 1,75,21,227 निर्धारित थी। निर्धारणों का लम्बित रहना चिन्ता का एक क्षेत्र बना रहा क्योंकि संवीक्षा और संक्षिप्त निर्धारणों के लिए लम्बित मामलों की प्रतिशतता क्रमशः 66.25 और 53.16 प्रतिशत पर ऊंची बनी रही।

[पैरा 2.1 और 2.9.1(i)]

विभाग निर्धारणों के अपने कुल कार्यभार का केवल 1.09 प्रतिशत संवीक्षा के बाद निपटा सका और इस प्रकार कार्यभार का प्रचुर भाग संक्षिप्त निर्धारण योजना के अंतर्गत पूरा किया गया था। तथापि मामलों की उच्च आय श्रेणी में संवीक्षा के बाद

निपटान कम्पनी मामलों में 68.97 प्रतिशत और गैर कम्पनी मामलों में 39.98 प्रतिशत था।

[पैरा 2.9.1(i)]

7. अपीलीय प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत मामलों का प्रत्यक्ष करों के निर्धारणों और संग्रहण पर सुस्पष्ट प्रभाव होता है। 31 मार्च 1999 को आयुक्तों (अपील) के पास 2,14,996 मामले अनिर्णीत थे। आयुक्तों (अपील) के पास अनिर्णीत 29,135 (13.55 प्रतिशत) मामले उच्च मांग मामले थे। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और आयकर अपीलीय अधिकरणों के पास 1,66,042 मामले अनिर्णीत थे।

[पैरा 2.12]

अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक प्रदान करने या/आस्थगित रखने के फलस्वरूप 31 मार्च 1999 को असंगृहीत पड़े प्रत्यक्ष करों का बकाया 25,717.31 करोड़ रुपये था।

[पैरा 2.10 (i) (क)]

प्रणाली
मूल्यांकन

8.(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 1.7.1995 को या इसके बाद किए गए तलाशी मामलों का निर्धारण (ब्लाक निर्धारण)

‘ब्लाक निर्धारण’ की कार्यविधि कालेधन का पता लगाने और तेजी से उसपर कर लगाने के विचार से तलाशी मामलों के दक्ष और लागत प्रभावी निर्धारण करने के लिए वित्त अधिनियम, 1995 के माध्यम से 1 जुलाई 1995 से समाविष्ट की गयी।

आय और कर की संगणना में विभिन्न गलतियों, कटौतियों की गलत अनुमति, पूंजीगत अभिलाभों, धनकर और दानकर के छूट जाने के परिणामस्वरूप कुल 3900.03 लाख रुपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

निर्धारणों के विलम्ब से पूरा करने, अनुबद्ध अवधि के अन्दर ब्लाक निर्धारणों को पूरा न करने और अप्रभावी तलाशी तथा दोषपूर्ण निर्धारणों के कारण कुल 606.94 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

जबकि 6251.19 लाख रुपए की राशि के अधिभार, ब्याज, शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया या कम उद्ग्रहण किया गया वहीं उनका 129.71 लाख रुपए की सीमा तक अधिक उद्ग्रहण किया गया।

(ख) आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण

कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, जो 1994 में शुरू हुआ, में अग्रिम योजना का अभाव रहा। साफ्टवेयर डिजायन दस्तावेज के तैयार करने से ठीक पहले हार्डवेयर की अधिप्राप्ति की गयी जिसके कारण अनुचित हार्डवेयर साईज बना। इसके अतिरिक्त बाधाओं जैसेकि स्थलों/टर्मिनल बैंकों का तैयार न होना, साफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रणाली के

कार्यान्वयन में विलम्ब और लीज़ड लाइनों के विलम्बित अधिग्रहण, जिस के कारण क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों/राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के पास पर्सनल कम्प्यूटरों की असंयोजकता रही, ने कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समग्र कमी में योगदान किया। जबकि दो अनुप्रयोग प्रणालियों (कर लेखांकन प्रणाली और स्थायी लेखा संख्याओं के आवंटन में) के कार्यान्वयन में कुछ प्रगति हुई वहीं अन्य सात अनुप्रयोग प्रणालियों में इसके लिए मौजूद हार्डवेयर और साफ्टवेयर सुविधाओं के बावजूद प्रगति ने जोर नहीं पकड़ा। इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि बीतने और 104.55 करोड़ रूपए का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं।

यह पाया गया था कि मैसर्ज टी आई एस एल की निविदा में विपणन व्ययों, उपरिव्यय और स्थानीय सेवाओं के रूप में शामिल की गयी 208.64 लाख की राशि विभाग द्वारा सरकारी प्रतिमानों के उल्लंघन में स्वीकार की गयी। हार्डवेयर, साफ्टवेयर और नेटवर्किंग मदों की अधिप्राप्ति पर 226.19 लाख रूपये के परिहार्य व्यय के अन्य मामले भी अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

(ग) परिपत्र संख्या 742 दिनांक 2.5.1996 और 765 दिनांक 15.4.1998 के माध्यम से विदेशी टेलीकास्टिंग चैनल - कराधान

सचिव (राजस्व) द्वारा प्रतिबंध के बावजूद परिपत्र संख्या 742 दिनांक 2.5.1996 भारत में विदेशी टेलीकास्टिंग चैनलों के कुल अर्जन के 10 प्रतिशत पर आनुमानिक कर निर्धारित करते हुए इस आश्वासन के साथ जारी किया गया कि लाभ की दर की उचितता की स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा। तथापि कोई पुनर्विचार/अध्ययन नहीं किया गया और इसलिए दिशानिर्देश अध्यक्ष, के प्र क बोर्ड द्वारा अन्य परिपत्र संख्या 765 दिनांक 15.4.1998 जारी करके अनिश्चित रूप से लागू किए गए थे।

‘पे चैनल्स’ के लिए रायल्टी आय और ‘डिकाडर्स’ के किराए से पट्टा आय और विज्ञापन राजस्व की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखे बिना परिपत्र जारी किए गए थे। अनिवासियों की आय, जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कराधान के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट रूप से अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, के प्राक्कलन के लिए विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए परिपत्र जारी करने और बाद में उसे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे विशेष संविधि के अंतर्गत एफ टी सी में सामान्य निर्धारण कार्यविधियों की कड़ाई का परिहार किया गया।

इस प्रकार वास्तव में परिपत्र, जो अपर्याप्त आंकड़ों पर और कार्रवाई के परिणाम का पर्याप्त अध्ययन किए बिना तैयार परिकल्पनाओं पर आधारित था, अवैध था तथा इसे वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

(घ) लाभांश आय पर कर का समाप्त करना

शेयर होल्डरों के हाथों में लाभांशों पर कर समाप्त करने और वितरित लाभों पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण का निर्णय स्पष्टतया अपर्याप्त तथ्यों और गलत परिकल्पनाओं के आधार पर लिया गया था।

- विकल्पों का विश्लेषण गलत परिकल्पनाओं पर आधारित था और उपयुक्त आंकड़ों की सुसंगतता समझे बिना था।
- गत वर्षों में कम्पनियों द्वारा लाभांश भुगतानों की प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया गया।
- गत वर्षों में कम्पनियों के रोके गए अर्जन में प्रतिशतता वृद्धि पर विचार नहीं किया गया।
- अंतिम निर्णय में कारपोरेट्स तथा शेयर होल्डरों के हाथों में दो बार लाभांश पर कराधान करने की विश्वव्यापी पद्धति के साथ अन्तर है।

मौजूदा राजकोषीय प्रतिबंध और छूटों/राहतों के साथ चलने वाली कम की गयी निगमित कर दरों के वर्तमान परिदृश्य के होते हुए उपाय के अभिप्रेत नीति उद्देश्य राजस्व पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव से भिन्न प्रतीत होते हैं।

निगम कर

9. निगम कर वर्ष 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहणों का लगभग 53 प्रतिशत बनता था। निगम कर निर्धारणों में विभिन्न अनियमितताओं/चूकों/गलतियों पर 828.30 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाली 584 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणी हेतु भेजी गई थीं।

[पैरा 4.3 और 4.5]

(i) 18 मामलों में निर्धारणों में गलतियों के परिणामस्वरूप आ.आ.के विभिन्न प्रभागों में 269.42 लाख रुपये के कर का अधिक प्रभार हुआ।

[पैरा 4.6.1]

(ii) आंकड़ों के गलत अपनाने, अंकगणितीय गलतियों, कर की गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 60 मामलों में 10192.87 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.6.2 और 4.7]

(iii) आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 50 मामलों में गैर कारोबार व्यय, पूंजीगत व्यय और प्रावधानों की गलत अनुमति के कारण 5978.76 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.9 और 4.12]

(iv) आ.आ. के विभिन्न प्रभागों में 53 मामलों में देयताओं की गलत अनुमति और चाय काराबार से आय की गलत संगणना के कारण कारबार आय की संगणना में अन्य गलतियों, व्याज कर निर्धारणों के साथ असहसम्बद्धता, पूर्वावधि खर्चों/प्रारंभिक खर्चों/भारत से बाहर भुगतानों की गलत अनुमति, वैज्ञानिक

अनुसंधान और जानकारी पर व्यय के कारण 7043.71 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.13 से 4.20]

- (v) अंतःस्टाक के गलत मूल्यांकन के कारण आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 14 मामलों में कुल 8,807.65 लाख रुपये के कर के कम उद्ग्रहण का पता चला।

[पैरा 4.21]

- (vi) वित्तीय निगमों की आय की गलत संगणना और इसके अशोध्य ऋणों की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप बिहार, केरल और तमिलनाडु प्रभागों में 5 मामलों में कुल 8354.82 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.23]

- (vii) आंध्रप्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में मूल्यहास की अनियमित/अधिक अनुमति और मूल्यहास की अनुमति के लिए गलत दरों को लागू करने से 56 मामलों में कुल 17175.31 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.24 से 4.26]

- (viii) निवेश मोक की अनुमति में गलतियों से आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु प्रभागों में 3 मामलों में 69.28 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.27]

- (ix) अनवशोषित मूल्यहास और निवेश मोक के अधिक/अनियमित और गलत अग्रेशन और मुजरा करने के परिणामस्वरूप आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 26 मामलों में 1812.46 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.28]

- (x) पूंजीगत अभिलाभों के निर्धारण में चूक और पूंजीगत अभिलाभों की गलत संगणना के परिणामस्वरूप तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 8 मामलों में 315.56 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.29]

- (xi) आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 26 मामलों में आय के निर्धारणों में हुई

गलतियों जैसे राजस्व प्राप्तियों को अनियमित रूप से पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में लेना, निर्धारितियों द्वारा नियमित रूप से अपनाई गयी लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्राप्तियों को हिसाब में लेने में विफलता के कारण कुल 4643.76 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.30]

(xii) हानियों के गलत अग्रेनयन और मुजरा और पूंजीगत हानि के गलत मुजरा के परिणामस्वरूप हरियाणा, चंडीगढ़ (सं रा क्षे), हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 49 मामलों में कुल 6892.16 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.31]

(xiii) अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारणों में हुई गलतियों के परिणामस्वरूप असम, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 13 मामलों में कुल 197.23 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.32]

(xiv) हरियाणा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 6 मामलों में इस तथ्य के बावजूद कि सकल कुल आय पर हानि आकलित हुई अथवा सकल कुल आय की अनियमित संगणना के कारण अध्याय VI ए की कटौतियों की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप कुल 285.34 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.33]

(xv) 31 मार्च 1981 के बाद स्थापित नवऔद्योगिक उपक्रमों के लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौतियों की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 19 मामलों में कुल 392.56 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.36]

(xvi) असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 41 मामलों में अनुमत किए गए निर्यात लाभ के संबंध में अनियमित/गलत कटौती के परिणामस्वरूप कुल 1794.05 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.37]

(xvii) बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 11 मामलों में 31 मार्च 1991 के बाद स्थापित नवऔद्योगिक उपक्रमों के लाभों

और अभिलाभों के संबंध में कटौती की अनियमित/गलत अनुमति के परिणामस्वरूप कुल 248.14 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.38]

(xviii) मुम्बई प्रभार में निम्नतम विकल्प कर का उद्ग्रहण करने के लिए विशेष प्रावधानों को लागू करने की विफलता और बही लाभों की संगणना में गलती के परिणामस्वरूप 6 मामलों में कुल 355.32 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.39]

(xix) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 6 मामलों में अन्तर्निगमित लाभांशों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप कुल 623.05 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.40]

(xx) आ.आ. के विभिन्न प्रभारों में 38 मामलों में विवरणी दाखिल करने में विलम्ब, अग्रिम कर के कम भुगतान/आस्थगन के लिए और कर मांग के भुगतान आदि में विलम्ब के लिए ब्याज के उद्ग्रहण में हुई गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 1910.93 लाख रुपए के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.41 ये 4.43]

(xxi) मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभारों में ब्याज की अनुमति हालांकि प्रतिदाय अवधारित कर के 10 प्रतिशत से कम था तथापि इसके कारण और अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप 8 मामलों में कुल 352.61 लाख रुपए के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ और कर कम प्रभारित किया गया।

[पैरा 4.44]

(xxii) गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 3 मामलों में प्रतिदायों की राशियों के अवधारण करने में हुई गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 432.82 लाख रुपये का अधिक प्रतिदाय रहा।

[पैरा 4.45]

(xxiii) शिलांग, असम प्रभार में संक्षिप्त निर्धारण के सुधार करने पर अवधारित प्रतिदाय का संवीक्षा निर्धारण के प्रति समायोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 358 लाख रुपये के कर की कम मांग की गयी।

[पैरा 4.46(क)]

(xxiv) अतिरिक्त कर के अनुद्ग्रहण के कारण गलतियों, संशोधित निर्धारणों की चूक, स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट के अनियमित प्रदान किए जाने, बिक्री कर अभिलेखों के साथ अभिलेखों के सहसम्बद्ध न होने, स्रोत पर काटे

गए कर को जमा करने की विफलता के लिए ब्याज के अनुद्ग्रहण आदि के परिणामस्वरूप असम, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 12 मामलों में 629.75 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.46(ख) से (ड.)]

(xxv) अन्य गलतियों जैसेकि गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना, बैंकों के संबंध में प्रावधानों आदि की गलत अनुमति, आय और कर की गलत संगणना, कटौतियों की गलत/अनियमित अनुमति आदि के परिणामस्वरूप आ.आ. के विभिन्न प्रभागों के अंतर्गत 30 मामलों में कुल 785.42 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 4.8, 4.10, 4.11, 4.22, 4.34, 4.35 और 4.47]

आय कर

10(i) वर्ष 1998-99 के दौरान आयकर प्रत्यक्षकरों से कुल संग्रहणों का लगभग 43 प्रतिशत बनता था। आयकर निर्धारणों में विभिन्न अनियमितताओं/गलतियों/चूकों पर 172 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, जिनमें 37.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए वर्ष के दौरान जारी की गईं।

[पैरा 5.2 और 5.5]

(ii) गलत आंकड़ों के अपनाने, अधिभार के न लगाने, कर की गलत दरों के लागू करने आदि जैसी परिहार्य गलतियों के कारण आ.आ.के. विभिन्न प्रभागों में 26 मामलों में 464.14 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ और 9 मामलों में 151.41 लाख रूपए का कर अधिक लगाया गया।

[पैरा 5.6]

(iii) कारबार आय की गलत संगणना, पूंजीगत व्यय और प्रावधानों की गलत अनुमति, अन्तर्स्टाक के गलत मूल्यांकन और बिक्री के अवनिर्धारण आदि के परिणामस्वरूप आ.आ. के. विभिन्न प्रभागों में 19 मामलों में कुल 302.02 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.7 से 5.9]

(iv) गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र प्रभागों में 6 मामलों में मूल्यहास की दर के गलत लागू करने और अनवशोषित मूल्यहास के अनियमित मुजरा करने के कारण कुल 51.51 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.10 और 5.11]

(v) गुजरात प्रभाग में निवेश मोक की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 29.63 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.12]

- (vi) पूंजीगत अभिलाभों की गलत संगणना और संगणना में छूट के परिणामस्वरूप गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 5 मामलों में कुल 40.10 लाख रुपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.13]

- (vii) गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रभागों में 9 मामलों में फर्मों और भागीदारों के निर्धारण में गलतियों के परिणामस्वरूप 171.05 लाख रुपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.14 और 5.15]

- (viii) आय के निर्धारण में हुई गलतियों जैसे कि कारबार कार्यकलाप से आय, निर्धारिती द्वारा अपनायी गयी लेखांकन पद्धति के अनुसार प्राप्तियों आदि पर कर लगाने की विफलता और पूंजीगत अभिलाभों पर कर लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रभागों में 11 मामलों में कुल 572.72 लाख रुपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.16 और 5.17]

- (ix) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 5 मामलों में हानियों के गलत अग्रेनयन तथा मुजरा के परिणामस्वरूप 129.79 लाख रुपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.18]

- (x) अनवशोषित मूल्यहास और निवेश मोक का मुजरा किए बिना अध्याय VI ए के अंतर्गत कटौतियों की गलत अनुमति, केन्द्रीय उत्पादशुल्क के वापस करने, सकल कुल आय से लायी गयी हानियों के परिणामस्वरूप बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रभागों में 3 मामलों में कुल 75.52 लाख रुपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.20]

- (xi) गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र प्रभागों में 9 मामलों में निर्यात लाभों के संबंध में कटौतियों के गलत प्रदान किए जाने के कारण 143.86 लाख रुपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.21]

- (xii) महाराष्ट्र प्रभाग में 31 मार्च 1981 के बाद स्थापित एक औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 155.34 लाख रुपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.22]

(xiii) एक सहकारी समिति की आय के संबंध में कटौती की गलत अनुमति के कारण गुजरात प्रभार में 17.02 लाख रुपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.23]

(xiv) आ.आ. के विभिन्न प्रभारों में 21 मामलों में विवरणी के प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए ब्याज का कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण की चूक/गलत उद्ग्रहण, अग्रिम कर का कम भुगतान/भुगतान न करना, कर मांग के भुगतान में विलम्ब 349.90 लाख रुपए बनता था।

[पैरा 5.24]

(xv) अन्य गलतियों जैसेकि अपीलीय आदेशों को लागू करते समय हुई गलतियों, व्यय की गलत अनुमति, आय और कर, ब्याज/शास्ति की गलत संगणना आदि के परिणामस्वरूप आ.आ. के विभिन्न प्रभारों में 33 मामलों में 244.43 लाख रुपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 5.19, 5.25 और 5.26]

धन कर

11(i) किराया आय, मोटरकारों/एयरक्राफ्टों जैसी अपने अधिकार वाली निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों को आयकर के लिए निर्धारितियों द्वारा स्वयं घोषित अचल सम्पत्तियों को शामिल करने की चूक के परिणामस्वरूप 39 मामलों में 161.88 लाख रुपए के धन कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

[पैरा 6.5]

(ii) तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल प्रभारों में 6 व्यष्टियों के उद्धृत/अनुद्धृत इक्विटी शेयरों के गलत मूल्यांकन के कारण 11.37 लाख रुपए के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ कुल 498.40 लाख रुपए के निवल धन का अवनिर्धारण हुआ।

[पैरा 6.8 और 6.9]

(iii) 6 मामलों में धन की विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण कुल 39.29 लाख रुपए था।

[पैरा 6.11]

दान कर

12(i) 16 मामलों में आयकर के लिए निर्धारितियों द्वारा घोषित दान/माने गए दान पर कर के उद्ग्रहण की चूक कुल 110.97 लाख रुपए बनती थी।

[पैरा 6.18]

(ii) एक कम्पनी के मामले में दानकर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण कुल 22.60 लाख रुपए बनता था।

[पैरा 6.20]

ब्याज कर

13(i) प्रभार्य ब्याज और छूट प्राप्त आय के निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप 221.67 लाख रुपए के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 18 मामलों में ब्याज कर निर्धारण से 4369.17 लाख रुपए छूट गए।

[पैरा 6.26]

(ii) अग्रिम में ब्याज कर के भुगतान में दोष के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण बैंकिंग कम्पनी के 7 मामलों में कुल 47.85 लाख रुपए बनता था।

[पैरा 6.27]

(iii) एक बैंकिंग कम्पनी के मामले में प्रतिदाय पर ब्याज का गलत भुगतान 86.09 लाख रुपए बनता था।

[पैरा 6.28]

व्यय कर

14 5 मामलों में प्रभार्य व्यय पर कर की दर का अनुद्ग्रहण/गलत उद्ग्रहण कुल 39.99 लाख रुपए बनता था।

[पैरा 6.30]

अध्याय 1 : प्रस्तावना

सामान्य

- 1.1 संसद द्वारा उद्गृहीत करों में शामिल हैं :
- निगम कर (कम्पनियों, निगमों आदि द्वारा प्रदत्त आय पर कर)
 - आयकर
 - धनकर
 - दान कर
 - ब्याज कर
 - व्यय कर

प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित विधियाँ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (इससे आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा) द्वारा प्रशासित होती हैं। बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के समग्र नियंत्रणाधीन है। 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष करों से राजस्व 46,600.07 करोड़ रूपए था। विभिन्न प्रत्यक्ष करों से राजस्व के समयानुक्रम आंकड़े और कर प्रशासन पर सूचना सहित अन्य सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचना अध्याय 2 में दी गई हैं।

सांविधिक
लेखापरीक्षा

1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा विभाग के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में रखे गए निर्धारणों और अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से की जाती है। नीति विषयक मुद्दों की जाँच, आयकर अधिनियम के विशिष्ट संशोधनों को लागू करने या परिपत्र, अनुदेश जारी करने के पीछे सापेक्ष महत्व और खास मामलों में लिए गए निर्णयों की जाँच करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अभिलेखों की जाँच भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा की जाती है। विभिन्न जाँचों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है कि क्या निर्धारितियों से प्राप्य कर विधि के उपबन्धों के अनुसार परिकलित किये गये हैं। अपीलीय अधिकरणों सहित न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा यथानिर्वचित विधि पर आस्था रखी गई है। सांविधिक लेखापरीक्षा का प्रतिबल यह अभिनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि क्या विभाग में प्रचलित प्रणालियाँ और क्रियाविधियाँ प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए संतोषजनक हैं। इस लक्ष्य

को ध्यान में रखते हुए चुने गए विषयों पर प्रतिवर्ष 'प्रणाली मूल्यांकन' किया जाता है। हमारे निष्कर्ष महालेखाकारों/प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से क्षेत्रीय आयकर आयुक्तों की जानकारी में लाए जाते हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मुख्यालय में एक गहन समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों हेतु जारी किया जाता है।

विद्यमान प्रतिवेदन

1.3 इस प्रतिवेदन की व्यवस्था का उल्लेख प्रस्तावनात्मक अभ्युक्तियों में किया गया है। प्रत्येक मामले में मंत्रालय का उत्तर, जहां प्रस्तुत किया गया है, दर्शाया गया है। जहां मंत्रालय का उत्तर अस्वीकार्य पाया गया है वहां मंत्रालय के उत्तर के साथ उसके कारणों का उल्लेख किया गया है।

वर्तमान प्रतिवेदन में ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के रूप में वित्त मंत्रालय को भेजी गयी 870 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 836 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है :

(करोड़ रूपये में)

कर की श्रेणी	ड्राफ्ट पैराग्राफों की संख्या	कर प्रभाव
निगम कर	564	800.03
आयकर	159	28.78
धनकर	60	2.31
दानकर	21	1.41
ब्याज कर	27	3.71
व्यय कर	05	0.40
जोड़	836	836.64

प्रतिवेदन में निम्नलिखित समीक्षाएं भी दी गई हैं जिसमें 144.15 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। इस प्रकार इस प्रतिवेदन में कुल राजस्व प्रभाव 980.79 करोड़ रूपए बनता है। इसके अतिरिक्त कतिपय तकनीकी समीक्षाओं में बहुत अधिक कर संभाव्यता के साथ काफी लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं परन्तु कर प्रभाव तत्काल प्रमात्रीकरण योग्य नहीं है।

प्रणाली समीक्षाएं

1. आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 1.7.1995 को या उसके बाद किए गए तलाशी मामलों (ब्लॉक निर्धारण) का निर्धारण।
2. आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण

अधिसूचनाओं/परिपत्रों की लेखापरीक्षा

3. विदेशी टेलीकास्टिंग चैनल - परिपत्र संख्या 742 और 765 के माध्यम से कराधान

विशेष अध्ययन

4. लाभांश आय पर कर का समापन

ड्राफ्ट पैराग्राफों पर बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त न होना

1.4 पर्याप्त कर प्रभाव वाले मामले 'ड्राफ्ट पैराग्राफों' के रूप में आयकर विभाग और मंत्रालय की जानकारी में लाये जाते हैं। तत्पश्चात् उन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है जिससे कि इन पर इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले विचार किया जा सके। तथापि बोर्ड के अनुदेशों कि सभी 'ड्राफ्ट पैराग्राफ' मामलों पर तुरन्त कार्रवाई के लिए आयकर आयुक्तों को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, के बावजूद विभागीय उत्तरों की प्राप्ति में अत्यधिक विलम्ब होना जारी रहा जैसाकि पूर्ववर्ती पांच प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में नीचे दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के समय मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों की स्थिति:-

प्रतिवेदन का वर्ष	जारी किए गए ड्राफ्ट पैराग्राफों की संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले प्राप्त उत्तर	उन मामलों की प्रतिशतता जिनमें उत्तर प्राप्त हुए थे	मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की प्रतिशतता जिन्हें मंत्रालय ने स्वीकार किया
1994-95	796	668	84	549	82.2
1995-96	831	673	81	565	84
1996-97	685	405	59	295	73
1997-98	918	474	52	339	72
1998-99	870	441	51	352	80

स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.5 क्षेत्रीय कार्यालयों में, प्रत्येक निर्धारण यूनिट की लेखापरीक्षा के समापन के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग को सूचित की जाती हैं। महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों के मामले में तथ्यों की एक विवरणी विभाग को तथ्यों की जांच और अभ्युक्ति पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए जारी की जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के सामान्य परिणाम

1.5.1 आयकर विभाग द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों की 1 अप्रैल 1998 और 31 मार्च 1999 के बीच की गयी नमूना लेखापरीक्षा में 3,416.02 करोड़ रूपए के कुल राजस्व प्रभाव वाले अवनिर्धारण के 16,792 मामलों और 28.40 करोड़ रूपए के कुल राजस्व प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 76 मामलों का पता चला जो विभाग को भेजे गए थे। विभाग ने अब तक 98.46 करोड़ रूपए के कर प्रभाव वाले 2877 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है। पायी गई कमियों का सारांश नीचे दिया गया है :

निगम कर और आयकर

(i) प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान 3375.48 करोड़ रूपए के कर प्रभाव वाले 16,039 मामले विभाग को भेजे गए थे। इन मामलों में से 2164.87 करोड़ रूपए के कर के कम उद्ग्रहण वाले 8,451 मामलों में मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की गई थीं। शेष 7,588 मामलों में 1210.61 करोड़ रूपए के कर का अवनिर्धारण हुआ था।

3,375.48 करोड़ रूपए (सम्भाव्य कर सहित) के कर के अवनिर्धारण के कारणों को निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है :

(करोड़ रु. में)

	मामलों की संख्या	राशि
1. आय और कर की संगणना में परिहार्य गलतियाँ	1,567	216.63
2. वित्त अधिनियमों के उपबंधों का पालन करने में विफलता	566	103.28
3. निर्धारणों में अपनाई गई गलत प्रास्थिति	97	5.14
4. वेतन आय की गलत संगणना	595	16.75
5. गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना	239	9.76
6. कारोबार आय की गलत संगणना	3,933	1,045.76
7. मूल्यहास, निवेश मोक और विकास रिबेट अनुमत करने में अनियमितताएं	1,469	288.45
8. पूंजी अभिलाभों की अनियमित संगणना	403	21.55
9. फर्म और भागीदारों के निर्धारणों में गलतियाँ	253	17.57
10. पति अथवा पत्नी/अव्यस्क बच्चे आदि की आय को शामिल करने में चूक	105	16.52
11. निर्धारण न की गई आय	1,248	431.89
12. हानियों का अनियमित मुजरा	663	824.94
13. अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	196	60.76
14. दी गई अनियमित छूटें तथा अधिक राहतें	1,246	149.97
15. अधिक या अनियमित प्रतिदाय	329	9.80
16. विवरणियों को प्रस्तुत करने में विलम्ब, कर आदि के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण/गलत उद्ग्रहण	1,773	76.96
17. सरकार द्वारा ब्याज की परिहार्य या गलत अदायगी	100	10.09
18. शास्ति के उद्ग्रहण में चूक/कम उद्ग्रहण	504	14.41
19. ध्यान देने योग्य अन्य बातें (विविध मामले)	691	38.88
20. अतिकर का अवनिर्धारण	62	16.37
जोड़	16,039	3,375.48

धनकर

(ii) धनकर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किए गए निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 514 मामले, जिनमें 19.57 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण बनता था, विभाग को भेजे गए थे।

चूकें/अनियमितताएं और गलतियाँ निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत की जा सकती हैं :

(करोड़ रु. में)

	मामलों की संख्या	राशि
1. निर्धारण न किया गया धन	315	15.99
2. परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन	34	0.40
3. निवल धन की संगणना में गलतियाँ	35	0.20
4. निर्धारणों में अपनाई गई गलत प्रास्थिति	6	0.01
5. अनियमित/अधिक मोक और छूटें	8	0.04
6. कर की संगणना में गलतियाँ	23	0.12
7. अतिरिक्त धन कर का अनुद्ग्रहण या गलत उद्ग्रहण	10	0.33
8. शास्ति का अनुद्ग्रहण या गलत उद्ग्रहण और ब्याज का अनुद्ग्रहण	69	2.38
9. विविध	14	0.10
जोड़	514	19.57

दान कर

(iii) न कर निर्धारणों की नमूना जांच के दौरान 128 मामले, जिनमें 11.97 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्निहित था, विभाग को भेजे गए थे।

ब्याज कर

(iv) ब्याज कर निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 107 मामलों में 8.52 करोड़ रूपए के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

व्यय कर

(v) व्यय कर निर्धारणों की नमूना जांच के दौरान 0.48 करोड़ रूपए के कर के कम उद्ग्रहण वाले 4 मामले विभाग को भेजे गए थे।

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

1.5.2 विभागीय अनुदेशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर छह सप्ताह की अवधि के भीतर देना होता है। लोक लेखा समिति (नौवीं लोक सभा) ने

अपनी 20 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व विभाग पर होता है और यह मात्र लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर भेज कर संतुष्ट नहीं हो सकता। वित्त मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया था कि वे यह देखने का प्रयास करेंगे कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। तथापि, 1998-99 और पूर्ववर्ती वर्षों में की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की एक बड़ी संख्या का अभी भी निपटान किया जाना है। इनके ब्यौरे निम्नवत् हैं :

(क) 31 मार्च 1999 को 7686.57 करोड़ रूपए की राजस्व प्रभाव वाली 66,658 अभ्युक्तियाँ अन्तिम कार्रवाई के लिए लम्बित थीं। इसमें 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 के दौरान सूचित की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल नहीं हैं। लम्बित रहने के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत् हैं :

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	आयकर		अन्य प्रत्यक्षकर (धन कर, दान कर, ब्याज कर, व्यय कर और सम्पदा शुल्क)		जोड़	
	मर्दे	राजस्व प्रभाव	मर्दे	राजस्व प्रभाव	मर्दे	राजस्व प्रभाव
1995-96 व पूर्ववर्ती वर्ष	40,743	3,246.45	6,318	68.82	47,061	3,315.27
1996-97	7,955	1,558.97	518	10.60	8,473	1,569.57
1997-98	10,506	2,751.03	618	50.70	11,124	2,801.73
जोड़	59,204	7,556.45	7,454	130.12	66,658	7,686.57

(ख) 31 मार्च 1999 को 6,645.24 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव वाली 4577 लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (पूर्ववर्ती वर्ष में 4,594.91 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव वाले 3,937 मामलों की तुलना में) थीं जहां प्रत्येक अलग-अलग मामले में आयकर 10 लाख रूपए से अधिक था। कुछ प्रभारों, जहां बकाया मर्दों की संख्या 50 अथवा इससे अधिक है, के सम्बन्ध में ऐसे मामलों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	प्रभार का नाम	मर्दे	राशि
1.	असम	107	189.93
2.	दिल्ली	545	672.23
3.	गुजरात	231	308.11
4.	केरल	176	94.57
5.	कर्नाटक	152	166.02
6.	आंध्र प्रदेश	79	25.65
7.	महाराष्ट्र	1,234	2,479.72
8.	उड़ीसा	70	35.47

9.	पंजाब	149	168.38
10.	राजस्थान	115	53.70
11.	तमिलनाडु	651	953.16
12.	उत्तर प्रदेश	210	251.28
13.	पश्चिम बंगाल	805	1,231.58

(ग) लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों, जहां प्रत्येक मामले में अन्तनिर्हित कर 5 लाख रू. से अधिक था, निम्नवत् हैं :-

क्रम संख्या	कर की श्रेणी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
1.	धनकर	171	37.44
2.	दानकर	84	19.03
3.	ब्याज कर	30	11.72
4.	व्यय कर	1	0.10
5.	सम्पदा शुल्क	11	7.38

7686.57 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव वाले 66,658 लम्बित मामलों में से उच्च कर प्रभाव वाले 4,874 मामलों (7.31 प्रतिशत) में 6,720.91 करोड़ रूपए (87.43 प्रतिशत) बनते थे। इससे इस आवश्यकता को बल मिलता है कि उच्च धन मूल्य वाली अभ्युक्तियों के निपटान को प्राथमिकता दी जाए।

1.5.3 1998-99 के लिए विभाग की कार्य योजना में सभी लम्बित प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के 100 प्रतिशत निपटान की व्यवस्था थी। 31 दिसम्बर 1998 (अर्थात् रिपोर्ट की अवधि 1998-99 होने पर) तक सांविधिक लेखापरीक्षा की चालू अभ्युक्तियों के सम्बन्ध में 64 प्रतिशत मामलों में उत्तर भेजे जाने हैं।

कार्य योजना के अनुसार वर्ष 1998-99 के लिए प्रमुख सांविधिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नवत् थीं :-

लेखापरीक्षा
अभ्युक्तियों के
निपटान हेतु किए
गए उपाय

	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ				
	निपटान के लिए (करोड़ रु. में)	नियत लक्ष्यानुसार निपटान के लिए	निपटाए गए (करोड़ रु. में)	उपलब्धि (प्रतिशतता में)	
				लक्ष्य	प्राप्त किए गए
चालू	12,819 (3,054.97)	8,143 (64%)	3,803 (866.90)	64	30
बकाया	22,699 (5,089.00.09)	22,699 (100%)	5,303 (1411.22)	100	23

अतः उपलब्धियाँ लक्ष्यों से काफी कम थीं।

कालबाधित उपचारी कार्रवाई

1.5.4 बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय से कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट अनुदेश जारी किए हैं जिससे मामलों को कालातीत होने, जिसके कारण राजस्व की हानि होती है, से बचाया जा सके। लोक लेखा समिति (150 वीं रिपोर्ट-आठवीं लोक सभा) ने भी सिफारिश की है कि बोर्ड लेखापरीक्षा के सहयोग से पुरानी बकाया अभ्युक्तियों की समीक्षा करे।

वर्ष 1998-99 के दौरान समीक्षा किए गए कुछ प्रभारों में 1974-75 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान जारी की गई अनेक लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, जहां उपचारी कार्रवाई कालसीमा द्वारा बाधित हुई थी, देखी गई थीं। इन मामलों के ब्यौरे सम्बन्धित आयुक्तों को भेजे जा चुके हैं। कर प्रभाव सहित ऐसे मामलों की संख्या का नीचे उल्लेख किया गया है:-

क्रम सं.	प्रभार	निगम कर और आयकर		अन्य प्रत्यक्ष कर	
		अभ्युक्तियों की संख्या	राशि (करोड़ रु. में)	अभ्युक्तियों की संख्या	राशि (करोड़ रु. में)
1.	कर्नाटक	1	1.91	-	-
2.	पंजाब	22	108.42	-	-
3.	पश्चिम बंगाल	8	269.70	40	37.66

आन्तरिक लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त विभाग का एक आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग (आ.ले.प.वि.) भी होता है जिससे सभी तत्काल और प्राथमिकता निर्धारण मामलों (सितम्बर 1990 के विभागीय अनुदेशों के अन्तर्गत यथा परिभाषित) की क्रमशः 100 प्रतिशत और 50 प्रतिशत लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके आधार पर विभाग ने 1998-99 के दौरान अपने आ.ले.प.वि. द्वारा लेखापरीक्षणीय मामलों की संख्या

3.88 लाख अवधारित की थी। तथापि 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 की अवधि के दौरान कार्यरत 150 लेखापरीक्षा दलों के आधार पर एक स्तर पर लक्ष्य नियत किया गया था और प्रत्येक दल से प्रतिमाह 110 मामलों की लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा की गई थी। उनके निष्पादन का एक विश्लेषण नीचे दिया जाता है:

कुल लेखापरीक्षणीय मामले	निपटान के लिए लक्ष्य	लेखापरीक्षित कुल मामले	आधिक्य
3,88,234	1,98,000	2,00,523	2,523

आन्तरिक लेखापरीक्षा की बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

1.6.1 विभागीय अनुदेशों के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की अभ्युक्तियों पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा तीन महीने के भीतर कार्रवाई की जानी होती है। तथापि यह नहीं की गई थी। 31 मार्च 1999 को आन्तरिक लेखापरीक्षा के 1,094.43 करोड़ रूपए के कर प्रभाव वाली 39,029 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ निपटान के लिए लम्बित थीं। इसमें 1998-99 के दौरान किए गए 577.47 करोड़ रूपए के मौद्रिक मूल्य वाली 14,781 अभ्युक्तियाँ शामिल थीं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की मुख्य अभ्युक्तियाँ और उनके निपटान के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित हैं :

वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए मामलों की संख्या और राशि (करोड़ रु. में)	निपटाए गए मामलों की संख्या और राशि (करोड़ रु. में)	निपटाए गए कुल मामलों की प्रतिशतता	बकाया मामलों की संख्या और राशि (करोड़ रु. में)
1994-95	18,465 (976.34)	6,357 (261.30)	34	12,108 (715.04)
1995-96	18,990 (1,229.17)	6,286 (250.30)	33	12,704 (978.87)
1996-97	19,881 (1,314.28)	8,080 (363.33)	41	11,801 (950.95)
1997-98	19,097 (1,363.05)	6,235 (251.69)	33	12,862 (1,111.36)
1998-99	21,909 (1,686.06)	6,924 (603.81)	32	14,985 (1,082.25)

आठवीं लोक सभा को अप्रैल 1989 में प्रस्तुत की गई अपनी 150 वीं रिपोर्ट में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि आन्तरिक लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों का उस वर्ष, जिसमें वे की गई थीं, के अलावा निर्धारण के वर्ष के संदर्भ में विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि मामले पुनः खोलने के लिए कालबाधित होने से पहले पूर्ववर्षों से सम्बन्धित अभ्युक्तियों के निपटान पर अधिक ध्यान दिया जा सके। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया था कि निर्धारण का वर्षवार और अवधिवार वर्गीकरण किया जा रहा था ताकि अधिक पुरानी और राजस्व

महत्व की आपत्तियों के निपटान पर अधिक ध्यान दिया जा सके। चूंकि मामलों को पुनः खोलने के लिए उपलब्ध सामान्य अवधि चार वर्ष है इसलिए 1995-96 और उसके पहले के वर्षों से सम्बन्धित सभी अभ्युक्तियाँ मार्च 1999 तक निपटा ली जानी चाहिए थीं। तथापि ऐसा नहीं हुआ जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है जो 1998-99 के अन्त में अनिर्णीत मदों का समयवार विश्लेषण और अन्तर्निहित राजस्व प्रभाव देती है :

(करोड़ रु. में)

अभ्युक्ति का वर्ष	मामलों की संख्या	राजस्व प्रभाव
1995-96 और पूर्ववर्ती वर्ष	20,021	337.24
1996-97	3,838	107.33
1997-98	5,556	230.07
1998-99	9,614	419.78
जोड़	39,029	1,094.42

आन्तरिक
लेखापरीक्षा की
अभ्युक्तियों पर
कार्रवाई

1.6.2 1998-99 के लिए विभाग की कार्य योजना में सभी लम्बित प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के 100 प्रतिशत निपटान की व्यवस्था थी। 31 दिसम्बर 1998 तक (अर्थात् रिपोर्ट की अवधि 1998-99 होने पर) आन्तरिक लेखापरीक्षा की चालू अभ्युक्तियों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत मामलों में उत्तर भेजे जाने थे।

कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य और वर्ष 1998-99 के लिए प्रमुख आन्तरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान में वास्तविक उपलब्धि निम्नवत थीं :

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ					
	निपटानार्थ (करोड़ रु. में)	नियत लक्ष्यों के अनुसार निपटानार्थ	निपटाए गए (करोड़ रु. में)	उपलब्धियां (प्रतिशतता में)	
				लक्ष्य	प्राप्त किए गए
चालू	9,047 (574.71)	9,047 (100%)	2,828 (156.53)	100	31
बकाया	12,862 (1111.36)	12,862 (100%)	4,096 (447.27)	100	32

इस प्रकार उपलब्धियाँ लक्ष्यों से कम थीं।

अध्याय 2 : प्रत्यक्ष करों का प्रशासन

- I. निर्धारितियों की समग्र संख्या 1.35 करोड़ से 1.75 करोड़ तक होने के बावजूद वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण 3.48 प्रतिशत तक कम हो गया चूंकि वर्ष के लिए कुल संग्रहण कर विवाद समाधान योजना, 1998 से 334.55 करोड़ रुपए सहित 46,600.07 करोड़ रुपए था जो 1997-98 में 48,280.40 करोड़ रुपए की तुलना में था।

निगम कर और निगम कर से भिन्न आयकर के संग्रहण में पूर्व वर्ष में क्रमशः 22.55 प्रतिशत तथा 18.36 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

[पैरा संख्या 2.1 और 2.3]

- II. कर उत्प्लावकता, स घ उ में वृद्धि के उत्तर में राजस्व गतिशीलता की दक्षता का एक मुख्य संकेतक, जो वर्ष 1997-98 में ऋणात्मक हो गया था, में वर्ष के दौरान और कमी हुई है।

कर राजस्व औसतन पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 16.2 प्रतिशत की दर पर बढ़ गया।

कृषि आय (कर से छूट प्राप्त) को छोड़ते हुए स घ उ के संदर्भ में कर उत्प्लावकता के विश्लेषण में पिछले तीन वर्षों में निरन्तर कमी दर्शायी गयी जो राजस्व उत्पादन में खराब गतिशील प्रयास का सूचक है।

निर्धारितियों की वृद्धि के विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश नए निर्धारिती, कम्पनी और गैर-कम्पनी, निम्न आय संस्तर से सम्बन्धित थे। नए गैर कम्पनी निर्धारितियों में से लगभग 96 प्रतिशत निम्न आय रेंज से थे और परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रहण में कमी की प्रवृत्ति रही।

[पैरा संख्या 2.5]

- III. निगम कर और निगम कर से भिन्न आयकर के अन्तर्गत संग्रहण बजट अनुमानों से क्रमशः 7.61 प्रतिशत और 3.30 प्रतिशत तक कम रहे हैं।

[पैरा 2.6]

- IV. 1996-97 से 1998-99 के दौरान कुल संग्रहणों के 83.5 प्रतिशत की औसतन निर्धारण पूर्व स्तर पर उगाही की गयी। मात्र 16.5 प्रतिशत संग्रहण नियमित निर्धारणों पर ओर अन्य प्राप्तियों के माध्यम से किए जाते हैं।

[पैरा 2.7]

- V. निगम कर सहित आयकर के अन्तर्गत निर्धारणों के कुल लम्बन में 1997-98 (18.7%) की तुलना में 1998-99 (53.6%) के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है जबकि संवीक्षा द्वारा निपटाए गए मामलों में 14 प्रतिशत (अनुमानित) तक वृद्धि हुई। पूर्ण रूप से निर्धारण मामलों के कुल कार्यभार के 1.1 प्रतिशत का संवीक्षा द्वारा और 45.3 प्रतिशत का संक्षिप्त रीति द्वारा निपटान किया गया।

[पैरा संख्या 2.9 (1)]

VI. आयकर और निगमकर दोनों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1999 को असंगृहीत रही कर की राशि 44,142.72 करोड़ रुपए थी असंगृहीत राशि 2912.69 करोड़ रुपये बढ़ी और पूर्व वर्ष में 7.06 प्रतिशत बनी जो न्यायालयों, अधिकरणों और राजस्व अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा मांगों के आस्थिगित रखे जाने के कारण वृद्धि का एक मुख्य कारण था। असंगृहीत राशि में पूर्व वर्षों की 27,324.68 करोड़ रुपए की बकाया मांग शामिल थी जिसमें 5 वर्ष की अवधि से सम्बन्धित 1,381.36 करोड़ रुपए शामिल थे। 10 लाख रुपए और अधिक के ऊंची मांग के मामले कुल निवल बकाया के 60.5 प्रतिशत थे।

घनकर और दानकर के बकाया काफी अधिक थे चूंकि वे 31 मार्च 1999 को घनकर और दानकर के संग्रहणों का क्रमशः 5.2 और 6.7 गुना थे।

[पैरा संख्या 2.10 (i) और (ii)]

VII. कर वसूली अधिकारी को प्रमाणित कुल मांग की प्रतिशतता के रूप में 1996-97 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान वसूल की गयी मांग में 1997-98 में 19.8 प्रतिशत और 1996-97 में 29.8 प्रतिशत की तुलना में 19.3 प्रतिशत तक कमी हुई है।

[पैरा 2.11 (ii)]

VIII. 1998-99 में प्रतिदाय के लिए कुल 2,04,318 दावों में से 1,07,600 (52.7%) दावों का निपटान किया गया।

[पैरा 2.13]

IX. तीन वर्ष की अवधि में जबकि आयकर से सम्बन्धित औसतन 484 मामले प्रतिवर्ष निपटान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए तथापि मामलों के संचय औसतन 2,090 था। आयोग ने कुल लम्बित मामलों के मात्र 23.8 प्रतिशत का निपटान किया।

[पैरा 2.14]

X. निगम कर सहित आयकर के 2,62,157 शास्ति मामलों में से 1998-99 के दौरान मात्र 60,912 मामले निपटाए गए जिसमें 27,308 मामलों में शास्ति लगाई गई जो निपटाए गए कुल मामलों का 44.1 प्रतिशत था। शास्ति और समझौता धन के रूप में बकाया कुल मांग का शेष निगम कर सहित आयकर के सम्बन्ध में 85.7 प्रतिशत और अन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में 79.7 प्रतिशत था।

[पैरा 2.15]

XI. 1998-99 में 5,746 मामलों में तलाशी और जब्ती की गयी और 300.54 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां जब्त की गयीं। 3112 मामलों में 3,646.92 करोड़ रुपए की आय का अवधारण करते हुए अंतिम निर्धारण पूरे किए गए और 2,135.23 करोड़ रुपए की मांग की गयी।

दोषमुक्त मामलों के 49 प्रतिशत, 81 प्रतिशत और 60 प्रतिशत सिद्ध दोष मामलों जमा प्रशमित मामलों से ज्यादा थे जो 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान क्रमशः 51 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 40 प्रतिशत थे।

[पैरा 2.16]

2.1 प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन में मुख्यतः आयकर, धनकर, दानकर, ब्याजकर और अतिकर शामिल हैं।

आयकर प्रत्येक व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय पर प्रभार्य होता है। शब्द 'व्यक्ति' में व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यष्टियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकारण और कृत्रिम विधिक व्यक्ति शामिल होते हैं।

धनकर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और कम्पनी के निवल धन पर विनिर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत होता है। निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए 15 लाख रुपये से कम निवल धन के सम्बन्ध में कोई धनकर देय नहीं था।

दान कर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति (हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब सहित) और कम्पनी आदि को किए गए चल अथवा अचल सम्पत्तियों के दान के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार उद्गृहीत होता है। निर्धारण वर्ष 1998-99 के दौरान जहाँ कर योग्य दान का मूल्य 30,000 रुपये से कम था वहाँ कोई दानकर देय नहीं था (दानकर वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1 अक्टूबर 1998 से समाप्त कर दिया गया है)।

ब्याज कर क्रेडिट संस्थाओं, जिनमें बैंकिंग के कारबार में लगी सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं, की प्रभार्य ब्याज आय पर उद्ग्राह्य है।


31 मार्च 1998 और 31 मार्च 1999 को विभाग के खातों में आयकर, धनकर और दानकर और ब्याजकर निर्धारितियों की संख्या निम्नवत् थी:

निर्धारितियों की संख्या *	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999
आयकर (निगम कर सहित)	1,31,67,736	1,72,54,211
धनकर	2,44,519	2,24,929
दानकर	48,911	34,253
ब्याजकर	6,080	7,834
जोड़	1,34,67,246	1,75,21,227

आयकर (निगम कर सहित) निर्धारितियों की संख्या पिछले वर्ष में 40,86,475 (31.03 प्रतिशत) तक बढ़ गयी है। इसमें से 39,69,094 (30.14) गैर निगमित निर्धारितियों में 2 लाख से कम आय वाली और 10,616 (0.08) निगमित निर्धारितियों में 5 लाख से कम आय वाली श्रेणी में वृद्धि हुई है।

* प्रास्थितिवार और श्रेणीवार ब्यौरे अनुबन्ध I में देखे जाएं।

राजस्व विभाग
की व्यापक
कार्यात्मक
रूपरेखा



2.2 प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की समग्र जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होती है जो लगभग 60,000 के स्टाफ वाले आयकर विभाग और अपनी शीर्ष संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (बोर्ड) के माध्यम से कार्य करता है।

बोर्ड में एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं और देश भर में उसके अनेक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं। सम्बद्ध कार्यालय तीन आयकर महानिदेशकों यथा महानिदेशक, आयकर (प्रशासन), महानिदेशक, आयकर (छूट) और महानिदेशक, आयकर (प्रशिक्षण) के अधीन कार्य करते हैं। 25 मुख्यायुक्त, आयकर हैं जो क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष करों के निर्धारण और संग्रहण कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त 5 महानिदेशक, अन्वेषण हैं जो क्षेत्रीय आधार पर कर अपवंचन रोकने और काले धन को खोज निकालने के लिए अन्वेषण मशीनरी के समग्र प्रभारी हैं। आयकर मुख्यायुक्त/आयकर महानिदेशक अपने सम्बन्धित प्रभागों में आयकर आयुक्तों/निदेशकों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं और उन्हें आयकर अधिनियम के अधीन खोज, किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने, लेखा बहियों की माँग करने, सूचना मंगाने आदि के बारे में कतिपय शक्तियाँ भी दी गई हैं जिनके द्वारा वे सम्मन जारी कर सकते हैं। उन्हें तलाशी और जब्ती कार्यवाई प्राधिकृत करने की शक्ति भी प्राप्त है।

आयकर आयुक्त/निदेशक उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों/आयकर अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं और अधिनियम के अधीन उनके पास वैसी ही शक्तियाँ हैं जो मुख्यायुक्तों को दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल निर्धारणों/आदेशों को अपास्त करने (धारा 263) और अन्य आदेशों को संशोधित करने (धारा 264) की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। एक अपीलीय मशीनरी है जिसमें आयुक्त (अपील) होते हैं जो अर्द्धन्यायिक स्वरूप के कार्य निष्पादित करते हैं और निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करते हैं।

निपटान आयोग, जो आयकर अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल 1976 से गठित किया था निर्धारिती और विभाग के बीच दीर्घकालिक मुकदमेबाजी का परिहार करने के लिए सांविधिक उपचार मुहैया कराता है। आयोग विभाग द्वारा खोजी गई अप्रकटित आय पर कर अदा करने का इरादा घोषित करने वाले निर्धारितियों द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों पर आयकर और धनकर के मामलों के निपटान की कार्रवाई करता है।

विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ



2.3(i) वर्ष 1998-99 के लिए प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहणों* की राशि 46,600.07 करोड़ रुपये थी जिसमें से 14480.36 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को समनुदेशित की गई थी। 1997-98 और 1998-99 वर्षों के लिए संग्रहण, जो वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए हैं, नीचे दिए जाते हैं :-


(करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	कर की श्रेणी	1997-98	1998-99	पूर्व वर्ष की तुलना में 1998-99 में वृद्धि
0020	निगम कर	20,016.00	24,528.87	4,512.87
0021	निगम कर से भिन्न आय पर कर	17,100.59	20,240.15	3,139.56
0023	होटल प्राप्तियों पर कर	2.21	0.20	(-) 2.01
0024	ब्याज कर	1,205.18	1263.82	58.64
0028	आय और व्यय पर अन्य कर	9,834.06	395.11	(-) 9,438.95
0031	सम्पदा शुल्क	0.25	(-)0.08	(-) 0.33
0032	धन पर कर	113.03	162.04	49.01
0033	दान कर	9.08	9.96	0.88
	सकल प्राप्तियाँ	48,280.40	46,600.07	(-) 1,680.33
	राज्यों को समनुदेशित निवल आगम का शेष घटाएँ:			
	आयकर	13,507.69	14,480.36	
	निवल प्राप्तियाँ	34,772.71	32,119.71	

* प्रत्यक्ष करों के संग्रहणों का राज्य/सं रा क्षेत्र वार ब्योरा अनुबंध II में दिया गया है।

- 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत संग्रहण 1997-98 की तुलना में 3.48 प्रतिशत घटा है। तथापि, यह वी डी आई एस-97 संग्रहणों को छोड़कर पिछले वर्ष के संग्रहणों की तुलना में 20.33 प्रतिशत बढ़ा है। 1998-99 के दौरान संग्रहण में कर विवाद समाधान योजना, 1998 से 334.55 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- निगम कर और आयकर पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 22.55 प्रतिशत और 18.36 प्रतिशत बढ़ा है।
- धनकर से संग्रहण 43.36 प्रतिशत बढ़ा है जबकि दानकर 9.69 प्रतिशत बढ़ा है।
- आय और व्यय पर अन्य करों के अन्तर्गत संग्रहण में गिरावट इस तथ्य के कारण है कि वी डी आई एस-97 के अन्तर्गत 9554.25 करोड़ रुपये का संग्रहण 1997-98 में इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए थे।



(ii) महाराष्ट्र में सर्वाधिक संग्रहण हुआ उसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश थे।




संग्रहण की प्रवृत्ति

2.4 1995-96 से प्रत्यक्ष करों के संग्रहण की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

(आधार वर्ष 1994-95)





प्रत्यक्ष कर -
स घ उ अनुपात

2.5.1(i) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष करों के संग्रहणों में गिरावट आई जैसा कि नीचे दिया गया है :

वर्ष	संग्रहण				घटक लागत (चालू कीमत) पर स घ उ	स घ उ की प्रतिशतता			
	प्रत्यक्ष कर	निगम कर	निगम कर से भिन्न आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर		प्रत्यक्ष कर	निगम कर	निगम कर से भिन्न आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर
1996-97	38,895.08	18,566.69	18,233.99	2,094.40	11,49,215	3.4	1.6	1.6	0.2
1997-98	48,280.40	20,016.00	17,100.59	11,163.81	14,26,670	3.4	1.4	1.2	0.8
1998-99	46,600.07	24,528.87	20,240.15	1,831.05	16,12,383	2.9	1.5	1.3	0.1

(ii) कर उत्प्लावकता, चालू मूल्यों पर स घ उ में हुए प्रतिशतता परिवर्तन का कर राजस्व में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात द्वारा मापित, स घ उ में हुई वृद्धि के परिणाम में राजस्व गतिशीलता की दक्षता की एक मुख्य सूचक है। कर राजस्व की तुलना में स घ उ में सापेक्ष परिवर्तन सम्बन्धी 1989-90 से 1998-99 (जैसा कि नीचे) के दौरान 10 वर्ष के समय श्रेणीवार आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नवत् पता लगा :

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व में परिवर्तन		स घ उ में परिवर्तन		उत्प्लावकता
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1989-90	1,179	13.35	43,419	12.34	1.08
1990-91	1,021	10.20	77,517	19.61	0.52
1991-92	4,313	39.10	69,228	14.64	2.67
1992-93	2,755	17.95	86,025	15.87	1.13
1993-94	2,201	12.16	79,232	12.61	0.96
1994-95	6,673	32.87	1,46,958	20.78	1.58
1995-96	6,588	24.43	1,31,684	15.41	1.58
1996-97	5,336	15.90	1,63,428	16.57	0.95
1997-98	-169**	-0.43	2,77,455	24.14	-0.01
1998-99	-1,680***	-3.48	1,85,713	13.01	-0.26

* राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय संगठन, योजना मंत्रालय से संगृहीत स घ उ आंकड़े। आंकड़े उनके अनुमानों के अनुसार हैं।

** सकल राजस्व संग्रहण आंकड़ों में वी डी आई एस-97 के संग्रहण शामिल नहीं है।

*** 1997-98 के कुल संग्रहण के आधार पर अंतर आंका गया है।

- 10 वर्ष की अवधि के दौरान 1997-98 के अपवाद सहित वी डी आई एस-97 संग्रहण और 1998-99 को छोड़कर प्रतिवर्ष 16.2 प्रतिशत दर पर औसत वृद्धि पर कर राजस्व पर ऋणात्मक आय थी।
- समग्र कर उत्प्लावकता में गिरावट आई 1997-98 और 1998-99 के दौरान ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। कर कानूनों के प्रशासन और गत तीन वर्षों के दौरान उसके अनुपालन में शिथिलता दर्शाती है।

(iii) चालू कीमतों पर घटक लागत पर गैर कृषि स घ उ के संदर्भ में राजस्व की कर उत्प्लावकता में अर्थात् कृषि आय को छोड़कर जो आयकर से मुक्त होती है, विगत 5 वर्षों की अवधि में उत्तरोत्तर गिरावट दृष्टिगोचर हुई है, जो राजस्व उत्पादन में अपर्याप्त गतिशील प्रयासों को दर्शाती है।

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में परिवर्तन		पिछले वर्ष की तुलना में गैर कृषि स घ उ में परिवर्तन		उत्प्लावकता
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1994-95	6,673	32.87	95,426	19.36	1.69
1995-96	6,588	24.43	1,22,846	20.88	1.17
1996-97	5,336	15.90	1,28,036	18.00	0.88
1997-98	(-)169	(-)0.43	1,95,465	23.29	(-) 0.01
1998-99	(-)1,680	(-)3.48	1,08,507	10.48	(-) 0.33

(iv) आयकर (निगम कर को शामिल करते हुए) निर्धारिती रूपरेखा का विश्लेषण

निम्न तालिका से 1994-95 से 1998-99 तक विगत 5 वर्षों की अवधि के दौरान विशिष्ट आय श्रेणियों* के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्धारितियों की संख्या में हुई वृद्धि का पता चलता है:

(आंकड़े लाख में)

	31.3.95 को	31.3.99 को	वृद्धि	क	ख (निम्न आय)	ख (उच्च आय)	ग	घ
व्यष्टि	84.49	151.36	66.87	64.53 (96.50)	1.09 (1.63)	1.02 (1.53)	0.23 (0.34)	-
हि अ कु	4.05	4.70	0.65	0.50 (76.92)	0.02 (3.08)	0.09 (13.85)	0.02 (3.08)	0.02 (3.07)
फर्म	11.73	12.28	0.55	0.58 (105.45)	(-)0.01 (-1.82)	0.13 (23.64)	0.05 (9.09)	(-)0.20 (-36.36)
कम्पनियाँ	1.76	2.95	1.19	0.80 (67.23)	0.09 (7.56)	0.20 (16.81)	0.10 (8.40)	-
अन्य (न्यासों सहित)	0.81	1.25	0.44	0.46 (104.54)	(-)0.02 (-4.54)	0.01 (2.27)	-	(-)0.01 (-2.27)
जोड़	102.84	172.54	69.70	66.87 (95.94)	1.17 (1.68)	1.45 (2.08)	0.40 (0.57)	(-)0.19 (-) 0.27

(कोष्ठों में आंकड़े विशिष्ट आय श्रेणियों की प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं)

* 1994-95 से 1998-99 तक अवधि के लिए वर्षवार और श्रेणीवार निर्धारिती की प्रास्थिति अनुबंध III में दर्शायी गयी है।

यह स्पष्ट है कि लगभग 96 प्रतिशत गैर कम्पनी निर्धारितियों में से नए निर्धारिती 2 लाख रुपये तक की निम्न आय श्रेणी में रखे गए जबकि निगमित निर्धारितियों के मामले में लगभग 75 प्रतिशत 5 लाख रुपये से कम आय श्रेणी में थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्व अंशदान का बल्क निर्धारितियों के निम्न आय श्रेणी द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त सम्भावना की 1994-95* से पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रहण की प्रवृत्तियों से भी पुष्टि होती है।

वर्ष	राजस्व करोड़ में	निर्धारिती	प्रति व्यक्ति (लाख में)
1994-95	कम्पनी 13,820.96 (37.38)	1,76,594 (9.63)	7.82 (25.32)
	गैर कम्पनी 12,030.12 (31.87)	1,01,08,012 (7.35)	0.12 (33.35)
1995-96	कम्पनी 16,487.13 (19.29)	1,87,574 (6.21)	8.79 (12.40)
	गैर कम्पनी 15,587.17 (29.56)	1,04,76,940 (3.64)	0.15 (33.33)
1996-97	कम्पनी 18,566.69 (12.61)	2,27,228 (21.14)	8.17 (-7.05)
	गैर कम्पनी 18,233.99 (16.98)	1,14,16,315 (8.96)	0.16 (6.66)
1997-98	कम्पनी 20,016.00 (7.80)	2,74,319 (20.72)	7.29 (-10.77)
	गैर कम्पनी 17,100.59 (-6.21)	1,28,93,417 (12.93)	0.13 (-18.75)
1998-99	कम्पनी 24,528.87 (22.55)	2,95,327 (7.66)	8.30 (13.85)
	गैर कम्पनी 20,240.15 (18.36)	1,69,58,884 (31.53)	0.12 (-7.69)

(कोष्ठ में आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़ों में वृद्धि की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

कम्पनी निर्धारिती : 1997-98 की तुलना में राजस्व संग्रहण में प्रति व्यक्ति बढ़ोतरी में वृद्धि हुई है। इस तथ्य के कारण ऐसा है कि कम्पनी निर्धारिती की संख्या मात्र 7.66 प्रतिशत तक बढ़ी हैं जबकि निगमित कर से राजस्व 1997-98 की तुलना में 22.55 प्रतिशत बढ़ा है।

गैर कम्पनी निर्धारिती: प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रहण 1997-98 की तुलना में घटा है जो गैर कम्पनी निर्धारितियों में उचित रूप से पर्याप्त वृद्धि के कारण हो सकी। गैर निगमित निर्धारितियों से राजस्व संग्रहण 18.36 प्रतिशत बढ़ा है किन्तु निर्धारिती 31.53 प्रतिशत बढ़े हैं।

* 1993-94 राजस्व संग्रहण- कम्पनी 10,060.06 गैर कम्पनी 9,122.62
(करोड़ रुपये में)
निर्धारिती - कम्पनी 1,61,075 गैर कम्पनी 94,15,102
प्रति व्यक्ति (लाख में) कम्पनी 6.24 गैर कम्पनी 0.09

(v) निर्धारितियों द्वारा वहन किया गया अनुपालन स्तर और कर प्रभाव

नैशनल काउन्सिल आफ एप्लायड इकोनोमिक्स एण्ड रिसर्च (एन सी ई ए आर) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1996-97 में लगभग 16.66 करोड़ परिवार (4.74 करोड़ शहरी और 11.92 करोड़ ग्रामीण) थे। अध्ययन में एन सी ई ए आर ने इन परिवारों को विभिन्न आय ग्रुपों में विभाजित किया। शहरी और ग्रामीण परिवारों और उनके प्रयोज्य आय को भी दर्शाते हुए अध्ययन वर्ष 1996-97 के लिए अध्ययन में सुसंगत सांख्यिकी* का प्रावधान है। इन आंकड़ों के विश्लेषण हाल के (आयकर निदेशालय, आर एस पी एण्ड पी आर-आयकर विभाग द्वारा प्रकाशित) अखिल भारतीय आयकर सांख्यिकी** निर्धारण वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित के साथ जोड़कर किए गए थे। आयकर सांख्यिकी में आंकड़े वित्त वर्ष 1996-97 में निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए दाखिल आयकर विवरणियों पर आधारित है (वित्तीय वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ के निर्धारण वर्षों के लिए दाखिल विवरणियाँ हिसाब में नहीं ली गई हैं)।

हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि एन सी ई ए आर आंकड़ों के आधार पर स घ उ में ग्रामीण परिवार के आय का हिस्सा लगभग 56 प्रतिशत है। विचार करते हुए कि स घ उ में कृषि का हिस्सा 25-26 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, ग्रामीण परिवारों की आय के आधे से अधिक को कृषि आय होने के कारण से प्रत्यक्ष करों से छूट प्राप्त नहीं है। इस प्रकार, कर योग्य सीमा से अधिक आय के साथ ग्रामीण परिवारों में से करीब आधे परिवार कर के अध्ययधीन हो सकते हैं। इस तर्क पर आधारित ग्रामीण परिवारों के करीब 50 प्रतिशत को कृषक के रूप में माना जा सका और कृषि के रूप में ली गई उनकी आय को कर से छूट प्राप्त है।

विभिन्न आय ग्रुपों में परिवारों की संख्या दाखिल की गई आयकर विवरणियों की संख्या, दिखायी गई सकल आय, दावा की गई कुल कटौती और प्रदत्त कर के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

* अनुबंध IV में ब्यौरे

** अनुबंध V में ब्यौरे

एन सी ई ए आर आंकड़े ¹				आयकर विभाग के आंकड़े	एन सी ई ए आर आंकड़े (कुल प्रयोज्य आय करोड़ में)			आयकर विभाग के आंकड़े ² (करोड़ रुपये में)			
आय घुम (रुपये)	शहरी परिवार	ग्रामीण परिवार (कुल के 50%)#	कुल परिवार	कुल विवरणियाँ (कुल परिवारों के सम्बन्ध में %)	शहरी आय	ग्रामीण आय (कुल के 50 %)	कुल प्रयोज्य आय	सकल आय (एन सी ई ए आर कुल आय के सम्बन्ध में सकल आय %)	कुल कटौती (अभ्याग वी आई ए इ/वॉटि)	निघल आय	प्रदान कर (एन सी ई ए आर कुल आय की सम्बन्ध में %)
10 लाख से अधिक	55000	5500 (11000)	60500	व्यक्ति 10265 हि अ कु. 495 फने 4695 अन्य 1416	15900	1500 (3000)	17400	9165 93 2019 750	177 8 190 86	8988 85 1829 664	2516 29 610 221
जोड़	55000	5500	60500	16871 (27.8)	15900	1500	17400	12027 (69.1)	461	11560	3376 (19.4)
5 लाख से 10 लाख	138000	21000 (42000)	159000	व्यक्ति 21414 हि अ कु. 1029 फने 6802 अन्य 512	10000	1100 (2200)	11100	1691 85 808 40	117 4 137 2	1574 81 671 38	480 23 240 13
जोड़	138000	21000	159000	29,757 (18.7)	10000	1100	11100	2624 (23.6)	260	2364	756 (6.8)
2 लाख से 5 लाख	777000	302000 (604000)	1079000	व्यक्ति 100958 हि अ कु. 3932 फने 17122 अन्य 1268	19700	8500 (17000)	28200	3145 143 861 42	214 4 173 1	2931 139 688 41	824 38 251 14
जोड़	777000	302000	1079000	123280 (11.4)	19700	8500	28200	4191 (14.8)	392	3799	1127 (3.9)
1 लाख से 2 लाख	5436000	1871500 (3743000)	7307500	व्यक्ति 785741 हि अ कु. 18262 फने 44329 अन्य 4020	67100	23150 (46300)	90250	11137 299 1969 63	481 11 955 7	10656 288 1014 56	2211 69 34 19
जोड़	5436000	1871500	7307500	852352 (11.6)	67100	23150	90250	13468 (14.9)	1454	12014	2333 (2.5)
50,000 से 1 लाख	12946000	6991000 (13982000)	19937000	व्यक्ति 2545653 हि अ कु. 60612 फने 127284 अन्य 9260	96300	50350 (100700) 50%	146650	27843 646 2131 98	7873 30 110 15	19970 616 2021 83	2413 100 637 26
जोड़	12946000	6991000	19937000	2742809 (13.7)	96300	50350	146650	30718 (20.9)	8028	22690	3176 (2.1)
कुल जोड़	19352000	9191000	28543000	3765069 (13.2)	209000	84550	293600	63028 (21.4)	10595	52433	10768 (3.6)
50,000 तक	28022000	50454000 (100908000)	78476000	व्यक्ति 3893517 हि अ कु. 190880 फने 489483 अन्य 85508	90300	126950 (253900)	217250	17602 1233 3043 272	911 32 158 37	16691 1201 2885 235	789 131 851 47
जोड़	28022000	50454000	78476000	4659388 (5.9)	90300	126950	217250	22150 (10.1)	1138	21012	1808 (0.3)
कुल जोड़	47374000	50645000 (119290000)	107019000 (166665000)	8424457 (7.8)	299300	211500 (423000)	510800	85178 (16.6)	11733	73445	12576 (2.5)

(कोष्ठों में आंकड़े - कुल ग्रामीण परिवार और कुल ग्रामीण आय दर्शाते हैं)

उपरोक्त आंकड़ों को यह मानकर कि प्रत्येक परिवार में एक आय करने वाले को 50,000 रुपये से अधिक आय होने पर कर विवरणी दाखिल करनी चाहिए विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला था:

- ◆ आय की विवरणियों की संख्या विवरणियाँ दाखिल करने के लिए दायी परिवारों की संख्या से काफी कम की प्रतिशतता के रूप में कुल के मात्र 13.2 थी।
- ◆ परिवार जिनकी आय 10 लाख रुपये से अधिक है कर के लिए दायी है 60,500 थे। तथापि, मात्र 16,871 अथवा 27.8 प्रतिशत ने निर्धारण वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित विवरणियाँ दाखिल की थी।
- ◆ 10 लाख रुपये से अधिक आय के प्रत्येक परिवार ने 12,027 करोड़ रुपये के कुल सकल आय विवरणी में दिखाई थी किन्तु विभिन्न कटौतियों को विचार करने के बाद 19.4 प्रतिशत की प्रभावी दर पर कर का भुगतान किया।

¹ अनुबंध-IV में दिए गए एन सी ई ए आर आंकड़े

² अनुबंध V में आयकर विभाग के आंकड़े दिए गए हैं।

* वैचारिक अंतरों के कारण एन.सी.ई.ए.आर. द्वारा कुल प्रयोज्य आय का लेखांकन स घ उ के लगभग सत्तर प्रतिशत था।

- ◆ उसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है जब आकड़ों का विश्लेषण अन्य आय ग्रुपों के लिए किया जाता है। 50000 रुपये से अधिक आय वाले ग्रुपों के लिए अनुमानित प्रभावी कर दर उनकी आय के 2.1 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच थी।

इसमें देखा जाता है कि आय के सभी श्रेणियों में आयकर विवरणियों को भरने और उनके द्वारा वहन किए गए कर प्रभाव के सम्बन्ध में अनुपालन का स्तर बहुत कम है और नये निर्धारितियों का पता लगाने और जोड़ने के लिए और राजस्व बढ़ाने के लिए काफी सम्भावना है। यह भी देखा गया है कि 31.3.1996 को विभाग के अभिलेखों में 1,04,57,449 गैर निगम निर्धारितियों में से वित्त वर्ष 1996-97 में निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए 84,24,457 निर्धारितियों ने विवरणी दाखिल की है। इस प्रकार 20,52,992 निर्धारितियों की बड़ी संख्या ने निर्धारित तारीख को विवरणी नहीं दाखिल की है अतः स्पष्ट है कि नये निर्धारितियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाते हैं और विद्यमान निर्धारितियों द्वारा उपयुक्त अनुपालन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त 1.4.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग के रजिस्ट्रों में 9.34 लाख नये गैर निगम कर दाता की वृद्धि हुई है। इन नये निर्धारितियों में से 7.90 लाख निर्धारित जो नये निर्धारितियों का 84.5 प्रतिशत बनते हैं 2 लाख रुपये से नीचे आय वाले निम्न आय ग्रुप में आते हैं; 2 लाख परन्तु 5 लाख से कम आय ग्रुप के बीच में 1.31 लाख निर्धारितियों की वृद्धि हुई है जो नये निर्धारितियों का 14 प्रतिशत बनते हैं। 5 लाख परन्तु 10 लाख से कम के बीच आयु वर्ग में वृद्धि 0.06 लाख की है जो नये निर्धारितियों का 0.06 प्रतिशत बनते हैं और 10 लाख से ऊपर उच्चतम आय वर्ग में गैर निगम निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि 0.08 लाख की है जो कुल नये निर्धारितियों का 0.9 प्रतिशत बनते हैं। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं।

(आंकड़े लाख में)

प्रास्थिति	निर्धारित*		31.3.1996 से 31.3.1997 के बीच वृद्धि	31.3.1996 से 31.3.1997 के बीच विभिन्न आय श्रेणियों में वृद्धि			
	31-3-1996 को	31.3.1997 को		2 लाख से कम	2 लाख किन्तु 5 लाख से कम	5 लाख किन्तु 10 लाख से कम	10 लाख से अधिक
व्यष्टि	87.84	97.44	9.60	8.34 (86.7)	1.16 (12.1)	0.05 (0.06)	0.05 (0.06)
हि.अ.कु.	4.05	4.10	0.05	(-) 0.01 (-20.0)	0.04 (80.0)	0.01 (20.0)	0.01 (20.0)
फर्म	11.88	11.54	(-) 0.34	(-) 0.44 (-129.0)	0.09 (26.5)	-	0.01 (2.5)
अन्य (न्यासों सहित)	0.80	0.84	0.04	0.01 (25.0)	0.02 (50.0)	-	0.01 (25.0)
जोड़	104.57	113.92	9.34	7.90 (84.5)	1.31 (14.0)	0.06 (0.06)	0.08 (0.09)

(* तलाशियों एवं जक्तियों के मामलों को छोड़कर)

इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98 के लिए एन सी ई ए आर से प्राप्त आंकड़े विभिन्न आय गुणों में परिवारों की संख्या और 1996-97 से प्रतिशतता की वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थिति दर्शाते हैं।

(करोड़ रुपये में)

आय गुण	परिवार			1996-97 की तुलना में वृद्धि (%)	कुल आय			1996-97 की तुलना में वृद्धि (%)
	शहरी	ग्रामीण (कुल परिवारों का 50%)	जोड़		शहरी	ग्रामीण (कुल आय का 50%)	जोड़	
10 लाख से अधिक	77,000	20,000 (40,000)	97,000	36,500 (60.3)	25,043	4,319 (8,639)	29,362	11,962 (68.7)
5 लाख से 10 लाख तक	1,45,000	66,500 (1,33,000)	2,11,500	52,500 (33.0)	9,393	4,207 (8,414)	13,600	2,500 (22.5)
2 लाख से 5 लाख	16,13,000	2,84,000 (5,68,000)	18,97,000	8,18,000 (75.8)	43,870	7,997 (15,994)	51,867	23,667 (83.9)

आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न आय श्रेणियों में निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि विभिन्न आय गुणों में परिवारों की वृद्धि के साथ तुलनीय नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि नये निर्धारितियों को जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने हैं, विशेष रूप से उच्चतर आय गुणों में और आय कानूनों का अनुपालन कराने के लिए भी प्रयास किए जाने हैं।

धनकर और दानकर निर्धारित

2.5.2 पिछले 5 वर्षों में धनकर और दानकर निर्धारितियों की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	धनकर	दानकर
1994-95	5,44,801	63,261
1995-96	3,90,589	49,947
1996-97	2,99,908	47,364
1997-98	2,44,519	48,911
1998-99	2,24,929	34,253

1994-95 के बाद से धनकर की छूट सीमा 15 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी। धनकर की परिधि भी शेयरों, डिबेंचरों, पूंजी निवेश बांडों आदि को निकाल देने से कम कर दी गई थी। चूँकि तब से कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए पिछले 5 वर्षों की अवधि में धनकर निर्धारितियों की संख्या में आई उत्तरोत्तर गिरावट धनकर के छिपाव के उच्चतर प्रभाव और विभाग द्वारा कार्यवाहियों को शुरू करने की विफलता को उचित रूप से अभिनिश्चित किया जा सकता था।

बजट अनुमानों तथा वास्तविक के प्राप्तियों बीच अंतर

2.6 निगम कर और निगम कर से भिन्न आयकर बजट अनुमानों से कम हो गए हैं। अन्य प्रत्यक्षकर विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों से बढ़ गये हैं।

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों के प्रति वास्तविक प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति* निम्नलिखित है :

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)	वास्तविक	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
0020- निगम कर				
1996-97	18,688.00	18,566.69	(-)121.31	(-) 0.64
1997-98	21,860.00	20,016.00	(-)1,844.00	(-) 8.43
1998-99	26,550.00	24,528.87	(-)2,021.13	(-) 7.61
0021- निगम कर से भिन्न आय पर कर				
1996-97	17,843.00	18,233.99	390.99	2.19
1997-98	21,700.00	17,100.59	(-)4,599.41	(-) 21.19
1998-99	20,930.00	20,240.15	(-) 689.85	(-) 3.30
0024- ब्याज कर				
1996-97	1250.00	1712.39	462.39	36.99
1997-98	2400.00	1205.18	(-) 1194.82	(-) 49.78
1998-99	920.00	1263.82	343.82	37.37
0028- आय एवं व्यय पर अन्य कर				
1996-97	190.00	293.23	103.23	54.33
1997-98	210.00	9,834.06	9,624.06	4,582.88
1998-99	300.00	395.11	95.11	31.70
0031- सम्पदा शुल्क				
1996-97	1.00	0.06	(-) 0.94	(-) 94.00
1997-98	1.00	0.25	(-) 0.75	(-) 75.00
1998-99	1.00	(-) 0.08	(-) 1.08	(-) 108.00
0032- धन कर				
1996-97	110.00	77.44	(-) 32.56	(-) 29.60
1997-98	130.00	113.03	(-) 16.97	(-) 13.05
1998-99	145.00	162.04	17.04	11.755
0033- दान कर				
1996-97	10.00	10.30	0.30	3.00
1997-98	10.00	9.08	(-) 0.92	(-) 9.20
1998-99	10.00	9.96	(-) 0.04	(-) 0.40

संग्रहण का विश्लेषण

2.7 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिक वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर पूर्व वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में प्रभाय होता है। अधिनियम में स्रोत पर कर की कटौती, अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण पर कर की अदायगी के रूप में निर्धारण पूर्व संग्रहण किए जाने की व्यवस्था है। निर्धारणोत्तर संग्रहण निर्धारण के बाद उद्भूत हुई अतिरिक्त माँग का होता है।

(i) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए निर्धारण से पूर्व और निर्धारण के पश्चात कम्पनियों और गैर कम्पनियों के कुल आयकर संग्रहणों का उपशीर्षवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

* वर्ष 1998-99 के लिए प्रमुख शीर्ष 0020 और 0021 के अधीनस्थ शीर्षों के अन्तर्गत अंतर के ब्यौरा अनुबंध VI में दिए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

कर संग्रहण								
वर्ष	स्रोत पर काटा गया कर	अग्रिम कर	स्वतः निर्धारण	नियमित निर्धारण	अन्य प्राप्तियाँ	कुल संग्रहण	प्रतिदाय (कुल संग्रहण की प्रतिशतता)	निवल संग्रहण
कम्पनी								
1996-97	5,138.94	14,206.80	1,260.57	4,234.06	1,480.31	26,320.68	7,753.99 (29.45)	18,566.69
1997-98	3,984.32	16,416.67	1,927.13	3,469.94	616.73	26,414.79	6,398.79 (24.22)	20,016.00
1998-99	4,505.06	19,077.46	2,386.64	5,255.02	1,388.22	32,612.40	8,083.53 (24.78)	24,528.87
गैर कम्पनी								
1996-97	10,195.39	5,472.08	2,028.43	1,298.37	1,048.21	20,042.48	1,808.49 (9.02)	18,233.99
1997-98	9,803.23	4,644.10	2,317.72	1,484.41	1,020.73	19,270.19	2,169.60 (11.25)	17,100.59
1998-99	11,752.80	5,287.15	2,349.31	1,570.06	1,452.66	22,411.98	2,171.83 (9.69)	20,240.15

- 1996-97 से 1998-99 के दौरान निर्धारण पूर्व चरण पर संग्रहणों की 83.5 प्रतिशत औसतन उगाही की गई थी।
- 1998-99 के दौरान गैर कम्पनी निर्धारितियों के साथ-साथ कम्पनी से सकल संग्रहण बढ़ा है।

(ii) 1997-98 की तुलना में 1998-99 वर्ष के दौरान मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत स्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

	1997-98	1998-99 (करोड़ रुपये में)
वेतन	5,797.38	6,440.76
प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,136.75	1,276.79
लाभांश	470.02	443.41
ब्याज	2,344.37	2,767.33
लाटरी या वर्ग पहलियों से जीत का रुपया	64.38	69.76
घुडदौड़ों से जीत का रुपया	26.18	43.30
टेकेदारों और उपटेकेदारों को भुगतान	2,467.66	3,779.84
बीमा कमीशन	134.25	135.43
अनिवासियों और अन्य को भुगतान	1,346.56	1,301.24
जोड़	13,787.55	16,257.86

(iii) वर्ष 1998-99 के लिए स्रोत पर काटे गए कर के विवरणों के निम्नलिखित ब्यौरे कर काटने वालों से प्राप्त विवरणियों में कमी इंगित करते हैं :

1.	1 अप्रैल 1998 को कर काटने वालों की संख्या	7,01,975
2.	31 मार्च 1999 तक समायोजन/प्रगामी वृद्धि	80,403
3.	प्रभावी कर काटने वाले (1+2)	7,82,378
4.	3 पर कर काटने वालों द्वारा दाखिल की जाने वाली अपेक्षित विवरणियों की संख्या	7,82,378
5.	31 मार्च 1999 तक प्राप्त हुई विवरणियाँ	6,32,591
6.	शेष 4-5	1,49,787

उपरोक्त ब्यौरा दर्शाते हैं कि 20 प्रतिशत प्रभावी कर काटने वालों ने अपनी विवरणियाँ दर्ज नहीं की हैं।

संग्रहण की लागत

2.8 वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष करों को संगृहीत करने के लिए किया गया वर्षवार कुल व्यय निम्नवत् था :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संग्रहण	व्यय	प्रतिशतता
1996-97	38,895.08	494.15	1.27
1997-98	48,280.40	799.36	1.65
1998-99	46,600.07	925.62	1.98

बकाया निर्धारण

2.9 वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए निर्धारण/गैर निर्धारण ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी क्षमता निम्नवत् थी :

पदों का स्वरूप	1996-97		1997-98		1998-99	
	निर्धारण कार्य	गैर निर्धारण कार्य	निर्धारण कार्य	गैर निर्धारण कार्य	निर्धारण कार्य	गैर निर्धारण कार्य
अतिरिक्त आयुक्त/ उपायुक्त	213	225	195	221	244	313
सहायक आयुक्त	922	128	863	125	1,020	161
आयकर अधिकारी	2,034	408	1,899	379	2,142	560
जोड़	3,169	761	2,957	725	3,406	1,034

आयकर (निगम कर सहित)

2.9.1(i) आयकर, धनकर और दानकर के मामले में निर्धारण पूरा करने की परिसीमा दो वर्ष की है।

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या निम्नवत् थी :

वित्त वर्ष	निपटान के लिए देय निर्धारण			पूरे किए गए निर्धारण (प्रतिशतता)			लम्बित निर्धारण प्रतिशतता		
	संवीक्षा	संक्षिप्त	जोड़	संवीक्षा	संक्षिप्त	जोड़	संवीक्षा	संक्षिप्त	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1996-97	5,28,154	1,15,83,285	1,21,11,439	3,66,329 (69.36)	1,00,82,930 (87.05)	1,04,49,259 (86.27)	1,61,825 (30.64)	15,00,355 (12.95)	16,62,180 (13.73)
1997-98	11,08,764	1,27,51,169	1,38,59,933	9,20,701 (83.04)	1,03,54,926 (81.21)	1,12,75,627 (81.35)	1,88,063 (16.96)	23,96,243 (18.79)	25,84,306 (18.65)
1998-99	5,98,076	1,78,32,219	1,84,30,295	2,01,849 (33.75)	83,52,299 (46.84)	85,54,148 (46.41)	3,96,227 (66.25)	94,79,920 (53.16)	98,76,147 (53.59)

- संक्षिप्त और संवीक्षा दोनों निर्धारणों के तीव्र निपटान को प्राथमिकता देने के बोर्ड के अनुदेशों के बावजूद 1998-99 के दौरान संक्षिप्त और संवीक्षा दोनों निर्धारणों की कुल अनिर्णीतता में पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। वास्तव में, निर्धारण पूरा करने में विभाग के निष्पादन में पूर्वीवर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान तेजी से गिरावट आयी।
- कुल मिलाकर विभाग ने निर्धारण मामलों के अपने कुल कार्यभार का 1.09 प्रतिशत संवीक्षा द्वारा और 45.32 प्रतिशत संक्षिप्त द्वारा निपटान किया।
- संवीक्षा द्वारा उच्च आय वर्ग के निर्धारण का निपटान (जैसा अनुबन्ध VII में दिया गया है) कम्पनी मामलों में मात्र 68.97 प्रतिशत और गैर कम्पनी मामलों में 39.98 प्रतिशत था।

2.9.1(ii) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान पूरे किए गए कम्पनी और गैर कम्पनी निर्धारणों का ब्यौरा* निम्नवत् था :

निर्धारण	1996-97	1997-98	1998-99
कम्पनी	2,35,385	2,71,481	2,14,922
गैर कम्पनी	1,02,13,874	1,10,04,146	83,39,226
जोड़	1,04,49,259	1,12,75,627	85,54,148

2.9.1(iii) 31 मार्च 1999 को बकाया आयकर निर्धारणों का प्रास्थितिवार और वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् था :

प्रास्थिति	1996-97 तक	1997-98	1998-99	जोड़
कम्पनी निर्धारण				
(i) नियमित	1,786	55,490	1,50,770	2,08,046
(ii) पुनः खोले गए/अपास्त	1,625	953	821	3,399
गैर कम्पनी निर्धारण				
(i) नियमित	1,34,081	13,08,952	81,50,093	95,93,126
(ii) पुनः खोले गए/अपास्त	8,810	16,745	46,021	71,576

31 मार्च 1998 को 25,84,306 और 31 मार्च 1997 को 16,62,180 की तुलना में 31 मार्च 1999 को बकाया निर्धारणों की संख्या 98,76,147 थी।

धनकर और दानकर

2.9.2 1997-98 की तुलना में 1998-99 के दौरान धनकर और दानकर निर्धारणों के निपटान की प्रतिशतता में गिरावट आई थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

* प्रास्थितिवार और श्रेणीवार ब्यौरे के लिए अनुबंध VII देखें।

धनकर

वर्ष	निपटान हेतु निर्धारण			पूरे किए गए निर्धारण (प्रतिशतता)			लम्बित निर्धारण (प्रतिशतता)		
	कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़	कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़	कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़
1996-97	9,516	1,44,145	1,53,661	3,930 (41.30)	70,793 (49.12)	74,723 (48.63)	5,586 (58.70)	73,352 (50.88)	78,938 (51.37)
1997-98	7,618	98,503	1,06,121	4,618 (60.62)	75,633 (76.79)	80,251 (75.62)	3,000 (39.38)	22,870 (23.21)	25,870 (24.38)
1998-99	8,722	1,10,755	1,19,477	5,108 (58.56)	76,279 (68.87)	81,387 (68.12)	3,614 (41.44)	34,476 (31.13)	38,090 (31.88)

दानकर

वर्ष	निपटान हेतु निर्धारण			पूरे किए गए निर्धारण (प्रतिशतता)			लम्बित निर्धारण (प्रतिशतता)		
	कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़	कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़	कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़
1996-97	159	32,334	32,493	60 (37.74)	27,630 (85.45)	27,690 (85.22)	99 (62.26)	4,704 (14.55)	4,803 (14.78)
1997-98	82	31,364	31,446	33 (40.25)	25,861 (82.45)	25,894 (82.55)	49 (59.75)	5,503 (17.55)	5,552 (17.65)
1998-99	149	22,204	22,353	99 (66.44)	15,809 (71.20)	15,908 (71.17)	50 (33.56)	6,395 (28.80)	6,445 (28.83)

**अतिकर और
ब्याज कर**

2.9.3 1997-98 में अतिकर निर्धारणों के निपटान में 69.70 प्रतिशत की तुलना में 15.51 प्रतिशत तक गिरावट आयी है जबकि ब्याज कर निर्धारणों के मामले में सीमांत सुधार था जैसा कि नीचे दिया गया है :

वर्ष	निपटान हेतु निर्धारण		पूरे किए गए निर्धारण (प्रतिशतता)		लम्बित निर्धारण (प्रतिशतता)	
	अतिकर	ब्याजकर	अतिकर	ब्याजकर	अतिकर	ब्याजकर
1996-97	984	12,378	68 (9.94)	5,374 (43.42)	616 (90.06)	7,004 (56.58)
1997-98	297	13,971	207 (69.70)	4756 (34.04)	90 (30.30)	9,215 (66.96)
1998-99	187	16,581	29 (15.51)	6,539 (39.44)	158 (84.49)	10,042 (60.56)


बकाया मांगें

2.10 आयकर अधिनियम, 1961 में यह व्यवस्था है कि जब कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि अधिनियम के अंतर्गत पारित किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप देय हो तो निर्धारिती को एक माँग नोटिस जारी करना होगा। जब तक निर्धारिती द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान की अवधि बढ़ाई नहीं जाती तब तक माँग नोटिस में देय के रूप में विनिर्दिष्ट राशि का 30 दिन के अन्दर भुगतान करना होता है। अधिनियम को 1 अक्टूबर 1975 से संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि एक निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक नहीं की जा सकती जब तक विवरणी के अनुसार कर का स्वीकृत भाग अपील दायर करने से पहले अदा न किया जा चुका हो।

(i) (क) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए असंगृहीत कर के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :

	(करोड़ रुपये में)		
	1996-97	1997-98	1998-99
31 मार्च को असंगृहीत कर की कुल राशि	33,585.12	41,230.03	44,142.72
बकाया जो 31 मार्च को देय नहीं हुए थे	9,365.96	9,973.37	10,809.31
सत्यापन के लिए लम्बित राशि जिसके अदा किए जाने का दावा किया गया	2,054.98	2,346.10	2,834.78
रोक दी गई/आस्थगित रखी गई राशि	15,798.52	22,515.41	25,717.31
राशि जिसके लिए किश्तें मंजूर की गई थीं	309.96	573.87	536.91

- इस प्रकार, असंगृहीत शेष राशि में 2912.69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो पूर्व वर्ष में 7.06 प्रतिशत बनी।
- बकायों में वृद्धि का मुख्य कारण न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/राजस्व अपीलीय अधिकरणों द्वारा एक बड़ी राशि का रोक दिया जाना/आस्थगित रखा जाना था। इसमें धारा 220(2) और धारा 271 के अधीन ब्याज और शास्तियाँ भी शामिल थीं




(ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कम्पनी और गैर कम्पनी मामलों में असंगृहीत पड़े बकायों की वर्षवार स्थिति नीचे दी जाती है :

	(करोड़ रुपये में)		
	1996-97	1997-98	1998-99
कम्पनियाँ	15,432.64	20,062.46	21,953.84
गैर कम्पनियाँ	18,152.48	21,167.57	22,188.88
जोड़	33,585.12	41,230.03	44,142.72

इस प्रकार बकाया माँग को कम करने की प्राथमिकता देने के बोर्ड के निर्देश के बावजूद निगम कर और आयकर दोनों का बकाया निरंतर बढ़ा था।

(ग) वर्ष के दौरान सकल बकाया पिछले वर्ष की तुलना में 7.06 प्रतिशत तक बढ़ गया है जबकि राजस्व संग्रहण (- 3.48 प्रतिशत) और निवल बकाया* (-27.08 प्रतिशत) में ऋणात्मक वृद्धि थी।



(घ) 31मार्च 1999 को असंगृहीत 44142.72 करोड़ रुपये की कुल बकाया माँग में पूर्ववर्ती वर्षों की 27,324.68 करोड़ रुपये की बकाया माँग शामिल थी। 27,324.68 करोड़ रुपये की बकाया माँग का कालवार विश्लेषण नीचे दिया जाता है :

(करोड़ रुपये में)

	निगम कर	आयकर	ब्याज	अन्य	जोड़
1. 1 वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	4,108.67	4,926.71	7,323.99	528.58	16,887.95
2. 2 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	1,571.06	4,114.20	3,089.31	280.80	9,055.37
3. 5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	219.76	291.15	324.15	91.36	926.42
4. 10 वर्ष से अधिक	106.66	151.99	137.61	58.68	454.94
जोड़	6,006.15	9,484.05	10,875.06	959.42	27,324.68

* निवल बकाया में बकाया जो देय नहीं है को घटा कर बकाया, सत्यापन लम्बित रहने पर राशि को अदा करने के लिए किए गए दावे की राशि, राशि जिसके लिए किरस्तें दी गई हैं और स्थगन में रखी गई राशि शामिल है।

(ड) निम्न तालिका में आय के कतिपय स्लैबों द्वारा बकाया के ब्यौरे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

	कम्पनी मामले			गैर कम्पनी मामले			जोड़		
	मामलों की संख्या	सकल बकाया	निवल बकाया	मामलों की संख्या	सकल बकाया	निवल बकाया	मामलों की संख्या	सकल बकाया	निवल बकाया
प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक	1,46,758	3,134.83	454.53	47,23,042	3,038.50	660.02	48,69,800	6,173.33	1,114.55
प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक परन्तु 10 लाख रुपये तक	19,885	1,911.74	231.63	85,319	1,459.96	328.40	1,05,204	3,371.70	560.03
प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1 करोड़ रुपये तक	5,309	2,352.48	346.35	7,353	2,052.57	392.14	12,662	4,405.05	738.49
प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक	1,778	14,554.79	1,301.04	1,236	15,637.85	530.30	3,014	30,192.64	1,831.34
जोड़	1,73,730	21,953.84	2,333.55	48,16,950	22,188.88	1,910.86	49,90,680	44,142.72	4,244.41

इस प्रकार 31 मार्च 1999 को 4244.41 करोड़ रुपये के कुल निवल बकाया का 60.55 प्रतिशत 10 लाख रुपये और उससे अधिक के उच्च माँग मामलों से बना था। इन बकायों की वसूली करने के लिए विभाग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

अन्य प्रत्यक्ष कर

(ii) 31 मार्च 1999 को धनकर, दानकर और ब्याज कर के अन्तर्गत माँगों के वर्षवार बकाये नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

	धनकर	दानकर	ब्याजकर
एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	445.60	38.89	384.29
दो वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	289.03	19.73	287.80
पाँच वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	74.93	6.17	0.01
दस वर्ष से अधिक	32.04	2.31	3.24
जोड़	841.60	67.10	675.34

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि धनकर और दानकर का बकाया बहुत अधिक है क्योंकि वे 31 मार्च 1999 को धनकर और दानकर के संग्रहणों का क्रमशः 5.2 और 6.7 गुणा थे।

कर वसूली मशीनरी

2.11 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन देय कर, ब्याज, शास्ति अथवा जुर्माने की हर एक माँग माँग नोटिस तामील होने के तीस दिन के भीतर अदा की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी निर्धारिती के व्यतिक्रम पर निर्धारण अधिकारी माँग की वसूली के लिए बकाया की माँग का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है। कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को पन्द्रह

दिनों के भीतर माँग अदा करने के लिए उसे नोटिस देगा। यदि नोटिस में उल्लिखित राशि उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसे और समय, जो कर वसूली अधिकारी अपने विवेक से मंजूर करे, के भीतर अदा नहीं की जाती है तो वह वसूली की तारीख तक बकायों पर प्रति महीने या महीने के भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ राशि की उगाही के लिए निम्नलिखित तरीकों में से एक या एक से अधिक द्वारा कार्रवाई करेगा।

- (क) व्यतिक्रमी की चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा;
- (ख) व्यतिक्रमी की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा;
- (ग) व्यतिक्रमी को गिरफ्तार और उसे जेल में बंद करके;
- (घ) व्यतिक्रमी की चल और अचल सम्पत्तियों के प्रबन्धन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति करके।

(i) 1996-97 से 1998-99 के दौरान कर वसूली कार्य में लगे कर वसूली अधिकारियों की संख्या निम्नवत् थी:

वर्ष	संस्वीकृत क्षमता	कार्यरत क्षमता
1996-97	163	139
1997-98	212	153
1998-99	202	168

(ii) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान कर वसूली अधिकारी को प्रमाणित कर माँगे और वसूली की प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान प्रमाणित माँग	जोड़	वर्ष के दौरान वसूल की गई माँग	वर्ष के अंत में शेष
1996-97	1,394.84	1,098.60	2,493.44	742.60 (29.78)	1,750.84
1997-98	1,750.84	2,714.87	4,465.71	884.41 (19.80)	3,581.30
1998-99	3,581.80	2,490.08	6,071.88	1,173.66 (19.33)	4,898.22*

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रमाणित कुल माँग की प्रतिशतता के रूप में वसूल की गई माँग को दर्शाते हैं।)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान प्रमाणित कुल माँग की प्रतिशतता के रूप में वसूल की गई माँग में 19.33 प्रतिशत से 29.78 प्रतिशत तक अन्तर रहा।

* लम्बित प्रमाणपत्रों के वर्षवार, करवार और राशिवार विश्लेषण अनुबंध VIII में दिए गए हैं।

(iii) कुर्क सम्पत्ति के निपटान और लम्बित रहने के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :

ब्यौरे	चल सम्पत्ति			अचल सम्पत्ति		
	मामलों की संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	लगभग मूल्य (करोड़ रुपये में)	मामलों की संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	लगभग मूल्य (करोड़ रुपये में)
कुर्क की गई सम्पत्तियाँ	2,560	-	300.49	3,555	6,744	797.30
की गई बिक्री	10	5	0.37	14	27	0.75
बिक्री नहीं की गई						
(i) 6 महीने से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम	159	-	15.36	-	-	-
(ii) 1 वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	-	-	-	1,220	1,677	150.43
(iii) तीन वर्षों से अधिक	-	-	-	921	1,395	213.65

	संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
मामले जिसमें रिसीवर नियुक्त किए गए	28	7.51
चूककर्ता जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी कार्रवाई शुरू की गई	220	40.69

अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएँ और रिटें

2.12 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत यदि कोई निर्धारिती किसी निर्धारण, प्रतिदाय आदेश आदि से संतुष्ट नहीं होता तो वह आयुक्त (अपील) को अपील दायर कर सकता है।

दूसरी अपील आयकर अपीलीय अधिकरण को की जा सकती है। अधिकरण के निर्णय के बाद विधि के मुद्दे पर अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय को अपील ग्राह्य होती है। निर्धारिती संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।

एक कर दाता एक निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश में संशोधन करने के लिए ऐसे आदेशों की तारीख से एक वर्ष के भीतर आयकर आयुक्त के पास जा सकता है। आयुक्त भी किसी आदेश को पुनरीक्षण के लिए ले सकता है जो उसकी राय में राजस्व के हित के प्रतिकूल है।

1 अक्टूबर 1998 से पहले अपीलीय मशीनरी में उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) सम्मिलित थे। 1 अक्टूबर 1998 से सभी अपीलें आयुक्त (अपील) को की जानी अपेक्षित हैं और उपायुक्त (अपील) के पास उस सन्दर्भ में लम्बित सभी मामले आयकर आयुक्त (अपील) को हस्तांतरित किए गए हैं।

1998-99 के दौरान आयुक्तों (अपील) की संख्या, अपीलों के निपटान और अनिर्णय की स्थिति निम्नवत् थी:

(i) आयुक्तों (अपील) के पास अनिर्णीत अपीलें

आयुक्तों (अपील) की कुल संख्या	207
-------------------------------	-----

	कुल अपीलें	उच्च माँग अपीलें*	10 लाख रु की मांग वाली	25 लाख रु से ऊपर मांग वाली
निपटानार्थ अपीलें	2,98,837	54,225	6,749	7,938
पूरी की गई	83,841	25,090	3,731	4,424
अनिर्णीत	2,14,996	29,135	3,018	3,514

(ii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और आयकर अपीलीय अधिकरण के पास अनिर्णीत अपीलें :

	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	आयकर अपीलीय अधिकरण
निपटानार्थ अपीलें, निर्देश और रिटें	8,031	49,250	1,22,247
पूरी की गई	92	1,259	12,135
अनिर्णीत	7,939	47,991	1,10,112

प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज

2.13 जहाँ भुगतान किए गए कर की राशि देय कर की राशि से अधिक होती हैं, वहाँ निर्धारित अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार होता है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित को निर्धारित दर पर कानून के अनुसार साधारण ब्याज देय हो जाता है किसी राशि का प्रतिदाय जो उस सम्बन्ध में निर्धारित द्वारा कोई दावा किए बिना अपील अथवा अन्य कार्यवाहियों में पारित किसी आदेश के फलस्वरूप उसे देय हो जाता है, भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में भी निर्धारित को निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देय है।

(i) सीधे प्रतिदाय जिनपर दावे वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान किए गए थे, के मामलों के ब्यौरे निम्नवत् थे :

वित्त वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	जोड़	निपटाए गए दावों की संख्या	बकाया शेष
1996-97	34,952	1,22,760	1,57,712	1,07,782	49,930
1997-98	49,930	1,65,616	2,15,546	1,41,877	73,669
1998-99	73,669	1,30,649	2,04,318	1,07,600	96,718

* एक अपील जिसमें अन्तर्ग्रस्त कर 1 लाख रुपए से अधिक है।

(ii) 31 मार्च 1999 को अपीलीय आदेश और पुनरीक्षण आदेशों आदि के फलस्वरूप प्रतिदाय में परिणत मामलों के ब्यौरे निम्नवत् थे :

वित्त वर्ष	अथशेष	वृद्धि	जोड़	निपटान	अन्तशेष
1996-97	3,280	37,924	41,204	37,031	4,173
1997-98	4,173	27,015	31,188	27,363	3,825
1998-99	3,825	23,623	27,448	24,590	2,858**

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की कतिपय सुसंगत धाराओं के अधीन सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए प्रतिदायों पर प्रदत्त ब्याज से सम्बन्धित ब्यौरे निम्नवत् थे :

(करोड़ रुपये में)

धारा जिसके अधीन ब्याज अदा किया गया	1996-97		1997-98		1998-99	
	निर्धारणों की संख्या	राशि	निर्धारणों की संख्या	राशि	निर्धारणों की संख्या	राशि
214	20,864	7.42	123	14.09	131	52.53
243	9	0.01	-	-	-	-
244	1,66,629	100.41	2,17,720	9.97	2,05,274	74.49
244 ए	15,31,464	622.13	17,14,828	878.87	13,02,282	1,727.12
जोड़	17,18,966	729.97	19,32,671	902.93	15,07,687	1,854.14

प्रतिदाय की तारीख तक प्रति महीने 1 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित ब्याज की राशि का उच्च प्रभाव उन वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। 1998-99 के दौरान यह विगत वर्ष के आंकड़ों से 105.34 प्रतिशत बढ़ गया है।

निपटान आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

2.14 आयकर अधिनियम, 1961 और धनकर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कोई निर्धारिती उससे संबंधित मामले के किसी चरण में मामला निपटान के लिए निपटान आयोग को आवेदन कर सकता है। निपटान आयोग को आवेदन करते समय निर्धारिती अपनी आय (जो निर्धारण अधिकारी के सामने प्रकट नहीं की गई है) और ऐसी आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि की पूर्णरूपेण और सही-सही घोषणा करेगा। निपटान आयोग आयुक्त से रिपोर्ट मंगाने के बाद आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है।

(i) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान निपटान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नवत् थी :

** अन्तस्ताक के वर्षवार विश्लेषण के लिए अनुबंध IX देखें

वर्ष	अथशेष	वृद्धि	निपटानार्थ कुल मामले	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता	अनिर्णीत मामलों की संख्या
आयकर						
1996-97	2,146	471	2,617	472	18.03	2,145
1997-98	2,145	362	2,507	526	20.98	1,981
1998-99	1,981	619	2,600	840	32.30	1,760
धनकर						
1996-97	258	49	307	109	35.50	198
1997-98	198	16	214	26	12.14	188
1998-99	188	15	203	71	34.97	132

(ii) 31 मार्च 1999 को निपटान आयोग के समक्ष स्वीकृति के लिए अनिर्णीत/अवरूद्ध मामलों की संख्या निम्नवत् थी :

निपटान आयोग के समक्ष स्वीकृति हेतु अनिर्णीत मामले	211
विभाग की टिप्पणियों के अभाव में निपटान आयोग के पास अवरूद्ध मामले	143

(iii) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान निपटान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों में प्रदत्त/देय अतिरिक्त कर और की गई अन्तिम मांग (ब्याज व शास्ति सहित) की वर्षवार स्थिति निम्नवत् थी :

वित्तीय वर्ष	आयकर		धनकर	
	(लाख रुपये में)			
	आवेदनों की स्वीकृति पर प्रदत्त/देय अतिरिक्त कर	निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में सृजित सकल मांग	आवेदनों की स्वीकृति पर प्रदत्त/देय अतिरिक्त कर	निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में सृजित सकल मांग
1996-97	4,245.36	5,179.99	30.68	122.54
1997-98	3,284.36	8,509.12	16.90	203.27
1998-99	2,734.33	7,824.74	4.04	279.53

शास्तियाँ

2.15 आय/धन/दान की विवरणी दाखिल करने में विफलता अथवा गलत विवरणी दाखिल करने पर सुसंगत कर कानून के अधीन शास्तियाँ लगती हैं। इससे एक अपराध भी बनता है जिसके लिए करदाता पर अभियोग लगाया जा सकता है। कर कानून में लेखाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता, कर की कटौती अथवा भुगतान में विफलता आदि के लिए शास्ति लगाने और अभियोजन की व्यवस्था भी है।

आयकर (निगम कर सहित)

(i) (क) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए आरम्भ की गई, निपटाई गई और अनिर्णीत शास्ति कार्यवाहियां निम्नवत् थीं :

वर्ष	अथशेष	वृद्धि	जोड़	निपटान	अन्तशेष
1996-97	2,15,447	75,335	2,90,782	67,720	2,23,062
1997-98	2,23,062	52,237	2,75,299	71,811	2,03,488
1998-99	2,03,488	58,669	2,62,157	60,912	2,01,245

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए अपराधों के स्वरूप और लगाई गई शास्तियों के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

शास्ति का स्वरूप	मामलों की संख्या	निपटान	शेष	6 महीने से कम शेष	6 महीने से अधिक शेष
छिपाव के लिए	1,40,157	23,126	1,17,031	32,065	84,966
छिपाव से भिन्न	1,22,000	37,786	84,214	19,199	65,015
जोड़	2,62,157	60,912	2,01,245	51,264	1,49,981

लगाई गई शास्तियाँ (करोड़ रुपये में)

विवरण	मामलों की संख्या	राशि
छिपाव के लिए	9,131	324.12
अन्य	18,197	66.42

60,912 मामलों में से 27,328 मामलों में शास्तियाँ लगाई गई थीं जो निपटाए गए कुल मामलों की 44.86 प्रतिशत थीं।

(ग) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए उद्गृहीत, संगृहीत और अनिर्णीत शास्तियों और समझौता धन के ब्यौरे निम्नवत् थे :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अथशेष		वर्ष के दौरान उद्गृहीत		वर्ष के दौरान संगृहीत		बकाया शेष	
	शास्ति	समझौता धन	शास्ति	समझौता धन	शास्ति	समझौता धन	शास्ति	समझौता धन
1996-97	434.73	197.84	110.32	117.74	112.99	67.78	432.06	247.80
1997-98	432.06	247.80	133.27	29.04	58.44	36.07	506.89	240.77
1998-99	506.89	240.77	245.80	150.50	116.32	47.22	636.37	344.05

अन्य प्रत्यक्ष कर (घनकर, दानकर)

(ii) (क) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए आरम्भ की गई, निपटाई गई और अनिर्णीत शास्ति की कार्यवाहियाँ नीचे दी गई हैं :

वर्ष	अथशेष	वृद्धि	जोड़	निपटान	अन्तशेष
1996-97	38,799	2,662	41,441	9,126	32,335
1997-98	32,335	4143	36,478	5,839	30,639
1998-99	30,639	2,435	33,074	5,021	28,053

(ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए लगाई गई, संगृहीत और अनिर्णीत शास्ति और समझौता धन के अनिर्णय के ब्यौरे निम्नवत् थे :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अथशेष		वर्ष के दौरान उद्गृहीत		वर्ष के दौरान संगृहीत		बकाया शेष	
	शास्ति	समझौता धन	शास्ति	समझौता धन	शास्ति	समझौता धन	शास्ति	समझौता धन
1996-97	15.69	2.91	0.66	1.98	1.02	0.99	15.33	3.90
1997-98	15.33	3.90	3.95	6.93	1.24	2.03	18.04	8.80
1998-99	18.04	8.80	3.06	0.05	5.34	0.72	15.76	8.13

आयकर (निगम कर सहित) के सम्बन्ध में शास्ति और समझौता धन के रूप में बकाया कुल माँग का शेष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आयकर (निगम कर

सहित) के सम्बन्ध में क्रमशः 79 प्रतिशत, 88.8 प्रतिशत और 85.7 प्रतिशत तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में 90.5 प्रतिशत, 89.1 प्रतिशत और 79.7 प्रतिशत बनता था।

तलाशियाँ और जब्तियाँ

2.16 आयकर अधिनियम के अध्याय XIV ख द्वारा तलाशी मामलों के निर्धारण शासित होते हैं। लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेज, जब तक आयुक्त अधिक अवधि के लिए उनको रखने के लिए अनुमोदन नहीं करता, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्ती की तारीख से 180 दिन से अधिक नहीं रखे जा सकते हैं।

(i) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान की गई तलाशियों और जब्तियों के मामले निम्नवत् थे :

वर्ष	की गई तलाशियों और जब्तियों की संख्या	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996-97	4,299	405.63
1997-98	3,653	306.85
1998-99	5,746	300.54

(ii) वर्ष 1998-99 के लिए अवधारित आय, उद्गृहीत कर, अंतिम निर्धारण पर प्रतिधारित परिसम्पत्ति के मूल्य के समायोजन के बाद बकाया पड़े शेष कर के ब्यौरे निम्नवत् थे :

मामलों की संख्या जहाँ अंतिम निर्धारण पूरे किए गए	अवधारित आय	की गई माँग			प्रतिधारित परिसम्पत्तियों से समायोजित माँग	शेष बकाया वसूली		
		कर	शास्ति	जोड़		कर	शास्ति	जोड़
3,112	3,646.92	2,128.02	7.21	2,135.23	104.50	2,023.65	7.08	2,030.73

(iii) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए शुरू किए गए अभियोजन, सिद्ध दोष, प्रशमित और दोषमुक्त मामलों की संख्या निम्नवत् थी :

वर्ष	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या			मामलों का निपटान				लम्बित मामले शेष
	अथशेष	वृद्धि	जोड़	सिद्ध दोष मामले	प्रशमित मामले	दोषमुक्त मामले	जोड़	
1996-97	15,951	393	16,344	20	643	637	1,300	15,044
1997-98	15,044	801	15,845	93	143	1,003	1,239	14,606
1998-99	14,606	184	14,790	77	184	407	668	14,122

सिद्ध दोष मामलों से प्रशमित मामले अधिक थे। दोष मुक्त मामलों में 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान सिद्ध दोष मामलों तथा प्रशमित मामलों की प्रतिशतता क्रमशः 51, 19, और 40 की तुलना में 49, 81 और 60 थी।

(iv) वर्ष 1998-99 के लिए वापिस की गई परिसम्पत्तियों, प्रदत्त ब्याज और अनिर्णीत मामलों के ब्यौरे निम्नवत् थे :

मामले जिनमें परिसम्पत्तियाँ वापिस की जानी थी			मामले जहाँ परिसम्पत्तियाँ वापिस की गईं	मामले जहाँ वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान किया गया	अनिर्णीत शेष मामले
अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़ी गईं	जोड़			
8,199	716	8,915	268	57	8,647

सर्वेक्षण

2.17(i) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए के मामले निम्नवत् थे जिनमें सर्वेक्षण शक्तियाँ (आडम्बर पर व्यय के अलावा) प्रयोग की गई थीं :

वर्ष	सर्वेक्षित परिसरों की संख्या	
	धारा 133 क के अन्तर्गत	धारा 133 ख के अन्तर्गत
1996-97	9,073	8,09,523
1997-98	7,632	4,51,871
1998-99	7,466	1,87,545

(ii) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए उन मामलों की संख्या जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 क (5) के अन्तर्गत आडम्बरपूर्ण व्यय के साक्ष्य एकत्रित किए गए निम्नवत् थी :

वर्ष	मामलों की संख्या
1996-97	386
1997-98	238
1998-99	125

हस्तांतरण के कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों की खरीद

2.18 कर अपवंचन और अचल सम्पदा संव्यवहारों में काले धन के प्रसार को रोकने के विचार से हस्तान्तरण के कतिपय मामलों में अचल सम्पत्तियों की खरीद के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करते हुए 1 अक्टूबर 1986 से आयकर अधिनियम, 1961 में एक नया अध्याय XX- ग अन्तर्विष्ट किया गया था।

(i) 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियों के ब्यौरे निम्नवत् थे :

	मुम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	चेन्नई	बेंगलूर	अहमदाबाद	लखनऊ	जोड़
(i) फार्म 37-झ में प्राप्त हुए विवरणों की संख्या	542	181	665	308	451	446	262	2855
(ii) खरीदी गई सम्पत्तियों की संख्या	1	-	1	-	3	1	1	7
(iii) खरीदी गई सम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपये में)	2.67	-	0.65	-	1.52	0.90	0.50	6.24
(iv) 50 लाख रुपये से अधिक प्रतिफल वाली सम्पत्तियों की संख्या	1	-	1	-	2	1	1	6

(ii) 1998-99 के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बेची गई और जिनकी बिक्री की जानी है ऐसी सम्पत्तियों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :

(करोड़ रुपये में)

बेची गई सम्पत्तियों की संख्या	विक्री मूल्य	निपटाई जाने वाली सम्पत्तियाँ	राशि
10	8.74	192	186.80

विभाग द्वारा बट्टे खाते डाली गयी राजस्व मांगें

2.19(i) वित्त मंत्रालय द्वारा यथा प्रेषित वर्ष 1998-99 के लिए बट्टे खाते डाली गई राशि से सम्बन्धित ब्यौरे निम्नवत् हैं :

(रुपये 000 में)

10,000 रुपये और उससे कम की बकाया माँग वाले पता लगाये गये मामलों की सं. जहाँ वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए थे			वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए मामले			शेष		
निर्धारितियों की संख्या	प्रविष्टियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त कुल राशि	निर्धारितियों की संख्या	प्रविष्टियों की संख्या	बट्टे खाते डाली गई कुल राशि	निर्धारितियों की संख्या	प्रविष्टियों की संख्या	राशि
94,946	1,03,319	4,73,921	76,606	79,955	4,40,659	18,340	23,364	33,262

10,000 रु तक बकाया की कुल राशि जिसके लिए कर वसूली अधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, 169.10 करोड़ रु बनती थी जिसमें 5,29,780 निर्धारितियों/मामले अन्तर्ग्रस्त थे। इनमें से विभाग ने 47.39 करोड़ रु के संभव बट्टे खाते के लिए 94,946 निर्धारितियों/मामले पता लगाए थे और इसमें से विभाग ने 76,606 निर्धारितियों/मामलों के सम्बन्ध में 44.06 करोड़ रु की राशि बट्टे खाते डाली थी।

(ii) 1998-99 के दौरान विभाग द्वारा बट्टे खाते डाली गई राजस्व माँगों के श्रेणीवार ब्यौरे निम्नवत् थे :

आयकर (निगम कर सहित)

(करोड़ रुपये में)

श्रेणी	कम्पनी मामले		गैर कम्पनी मामले		जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) ऐसे निर्धारितियों जो अपने पीछे कोई परिसम्पत्ति छोड़े बिना मर चुके हैं/दिवालिया हो चुके हैं/परिसमाप्त हो चुके हैं/मृत हैं।	6	0.41	1,080	1.97	1,086	2.38
(ख) लापता निर्धारितियों	262	0.01	33,015	2.30	33,277	2.31
(ग) भारत छोड़ चुके निर्धारितियों	-	-	2,910	0.11	2,910	0.11
(घ) ऐसे निर्धारितियों जो जीवित हैं परन्तु जिनके पास माँग में कमी किए जाने के फलस्वरूप कोई कुर्की योग्य परिसम्पत्ति नहीं है/छोटी-छोटी राशियाँ हैं/बट्टे खाते डाल दी गई है।	127	0.01	74,102	42.61	74,229	42.62
(ङ) ऐसी राशि जो इक्विटी के आधार पर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य के दृष्टिगत बट्टे खाते डाल दी गई है अथवा जहाँ वसूली की कानूनी कार्यवाही में अन्तर्निहित समय, श्रम और खर्च वसूली के अनुपात में नहीं माने गये हैं।	-	-	1,570	0.30	1,570	0.30
कुल जोड़ :	395	0.43	1,12,677	47.29	1,13,072	47.72

अन्य प्रत्यक्ष कर

(लाख रुपये में)

	धनकर		दानकर	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
निर्धारितियों के लापता होने के कारण बट्टे खाते डाली गई राशि	1,310	54.40	296	17.30

अनुबन्ध I

(देखें : पैरा 2.1)

(i) 31 मार्च 1998 और 31 मार्च 1999 को आयकर (निगमकर सहित) निर्धारितियों का प्रास्थितिवार ब्यौरा :

	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999
व्यक्ति	1,11,94,953	1,51,35,956
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	4,37,251	4,69,730
फर्म	11,72,647	12,28,023
कम्पनियाँ	2,74,319	2,95,327
न्यास	51,865	83,847
अन्य	36,701	41,328
जोड़	1,31,67,736	1,72,54,211

(ii) 31 मार्च 1999 को आयकर (निगम कर सहित) निर्धारितियों का आयवार ब्यौरा :

श्रेणी	व्यक्ति	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	फर्म	कम्पनियाँ	अन्य (न्यास सहित)	जोड़
श्रेणी 'क' [*]	1,46,43,551	4,38,199	11,40,744	1,73,251	1,16,692	1,65,12,437
श्रेणी 'ख' (निम्न) ³	3,05,352	11,935	44,729	53,001	4,352	4,19,369
श्रेणी 'ख' (उच्च) ⁴	1,38,433	11,854	26,732	37,711	2,213	2,16,943
श्रेणी 'ग' ⁵	33,031	2,884	10,393	29,676	1,688	77,672
श्रेणी 'घ' ⁶	15,589	4,858	5,425	1,688	230	27,790
जोड़	1,51,35,956	4,69,730	12,28,023	2,95,327	1,25,175	1,72,54,211

* श्रेणी 'क' निर्धारिती - 50,000 रुपए से कम आय/हानि वाले कम्पनी निर्धारण और 2 लाख रुपए से कम आय/हानि वाले गैर कम्पनी निर्धारण

³ श्रेणी 'ख' निर्धारिती (निम्न आय वर्ग)-50,000 रुपए और अधिक परन्तु 5 लाख रुपए से कम आय/हानि वाले कम्पनी निर्धारण और 2 लाख रुपए और अधिक परन्तु 5 लाख रुपए से कम आय/हानि वाले गैर कम्पनी निर्धारण

⁴ श्रेणी 'ख' निर्धारिती (उच्च आय वर्ग)-5 लाख रुपए और अधिक परन्तु 10 लाख रुपए से कम आय/हानि वाले कम्पनी और गैर कम्पनी निर्धारण

⁵ श्रेणी 'ग' निर्धारिती-10 लाख रुपए और अधिक आय/ हानि वाले कम्पनी और गैर कम्पनी निर्धारण

⁶ श्रेणी 'घ' निर्धारिती-तलाशी और अभिग्रहण निर्धारण

(iii) 31 मार्च 1998 और 31 मार्च 1999 को धनकर निर्धारितियों का प्रास्थितिवार ब्यौरा :

	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999
व्यष्टि	2,08,266	1,91,802
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	28,494	25,933
कम्पनियाँ	7,759	7,194
जोड़	2,44,519	2,24,929

(iv) 31 मार्च 1998 और 31 मार्च 1999 को दानकर निर्धारितियों का प्रास्थितिवार ब्यौरा :

	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999
व्यष्टि	47,431	33,165
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	731	487
कम्पनियाँ	128	208
फर्म	19	11
अन्य	602	382
जोड़	48,911	34,253

(v) 31 मार्च 1998 और 31 मार्च 1999 को ब्याज कर निर्धारिती निम्नवत् थे :

31 मार्च 1998	31 मार्च 1999
6,080	7,834

अनुबन्ध II

[देखें : पैरा 2.3(i)]

प्रत्यक्ष करों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

राज्य	0020	0021	0023	0024	0028	0031	0032	0033	जोड़
	निगम कर	आयकर	होटल प्राप्ति कर	ब्याज कर	व्यय कर	संपदा शुल्क	धनकर	दानकर	
(करोड़ रुपये में)									
आन्ध्र प्रदेश	568.43	783.01	0.00	8.06	14.46	-0.23	0.10	-1.45	1372.38
अरुणाचल प्रदेश	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
असम	105.68	148.99	0.00	0.04	0.02	0.00	0.81	0.04	255.58
बिहार	28.13	330.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.52	0.06	358.78
गोवा	67.39	89.65	0.00	1.30	0.13	0.00	1.32	0.03	159.82
गुजरात	632.75	1336.87	0.03	7.80	11.96	0.00	4.67	0.60	1994.68
हरियाणा	69.99	297.39	0.00	0.27	0.34	0.00	0.54	0.04	368.57
हिमाचल प्रदेश	13.94	68.83	0.00	1.49	0.11	0.00	0.07	0.01	84.45
जम्मू एवं शमीर	33.32	44.36	0.00	5.28	0.11	0.00	0.71	0.01	83.79
कर्नाटक	637.70	1229.78	0.00	22.72	19.34	0.15	7.59	0.43	1917.71
केरल	276.58	420.70	0.15	38.24	7.35	0.00	2.51	0.06	745.59
मध्यप्रदेश	815.39	476.02	0.00	5.99	0.41	0.03	1.41	0.05	1299.30
महाराष्ट्र	11902.06	6077.27	0.00	739.38	167.64	(-0.07)	72.30	1.33	18959.91
मणिपुर	0.10	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	5.75
मेघालय	2.31	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	15.05
मिजोरम	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
नागालैंड	0.03	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	6.36
नई दिल्ली	4734.94	3344.57	0.00	252.25	72.34	0.01	25.10	1.08	8430.29
उड़ीसा	332.74	155.59	0.00	0.81	0.79	0.00	0.25	0.10	490.28
पंजाब	186.57	462.57	0.00	5.09	0.93	-0.01	5.23	0.51	660.89
राजस्थान	199.31	444.92	0.00	14.84	9.06	0.01	1.13	0.12	669.39
सिक्किम	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
तमिलनाडु	1433.81	1618.69	0.00	103.44	24.32	0.01	15.60	6.39	3202.26
त्रिपुरा	0.24	8.10	0.00	0.00	3.28	0.00	0.06	0.01	8.41
उत्तरप्रदेश	1288.66	872.54	0.02	7.50	2.26	0.01	4.64	0.10	2175.71
पश्चिम बंगाल	1046.59	1077.11	0.00	48.99	63.48	0.01	16.87	0.43	2253.48
संघ राज्य क्षेत्र									
अण्डमान निकोबार	3.10	1.57	0.00	0.01	0.06	0.00	0.01	0.00	4.75
चण्डीगढ़	110.01	89.06	0.00	0.21	0.00	0.00	0.34	0.01	199.63
दमन	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
दीव	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पाण्डिचेरी	4.05	22.95	0.00	0.08	0.00	0.00	0.13	0.02	27.21
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिलवासा	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
जोड़	24493.86	19429.96	0.20	1263.82	395.11	0.08	162.04	9.96	45754.87
स्रोत पर काटा गया केन्द्रीय कर (अनन्तिम)	35.01	810.19	-	-	-	-	-	-	845.20
सकल जोड़	24528.87	20240.15	0.20	1263.82	395.11	-0.08	162.04	9.96	46600.07

अनुबंध-III
[देखें : पैरा 2.5(iv)]

1994-95 से 1998-99 की वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारिती की प्रास्थिति

व्यक्ति

श्रेणी	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
क	81,90,186	86,09,612	94,43,293	1,07,84,480	1,46,43,551
ख(निम्न)	1,96,492	1,24,437	2,40,262	2,35,298	3,05,352
ख(उच्च)	36,049	35,650	40,964	1,33,720	1,38,433
ग	10,012	14,535	19,149	27,796	33,031
घ	16,383	13,978	17,758	13,659	15,589
जोड़	84,49,122	87,98,212	97,61,426	1,11,94,953	1,51,35,956

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब

क	3,88,478	3,93,649	3,92,243	4,15,738	4,38,199
ख(निम्न)	9,630	8,181	12,162	11,692	11,935
ख(उच्च)	2,579	2,145	3,696	6,122	11,854
ग	924	1,011	2,321	2,117	2,884
घ	3,302	1,470	2,048	1,582	4,858
जोड़	4,04,913	4,06,456	4,12,470	4,37,251	4,69,730

फर्म

क	10,82,892	11,35,823	10,91,502	10,91,366	11,40,744
ख(निम्न)	45,508	33,504	41,946	40,459	44,729
ख(उच्च)	13,228	12,345	12,474	27,502	26,732
ग	5,529	6,683	7,860	9,359	10,393
घ	25,598	3,838	4,537	3,961	5,425
जोड़	11,72,755	11,92,193	11,58,319	11,72,647	12,28,023

कम्पनियों

क	93,478	1,11,218	1,28,137	1,60,961	1,73,251
ख(निम्न)	43,590	39,908	43,622	54,675	53,001
ख(उच्च)	18,090	15,354	25,277	31,514	37,711
ग	19,166	19,797	26,951	25,465	29,676
घ	2,270	1,297	3,241	1,704	1,688
जोड़	1,76,594	1,87,574	2,27,228	2,74,319	2,95,327

अन्य (न्यासों सहित)

क	70,536	73,385	74,953	78,508	1,16,692
ख(निम्न)	6,720	4,438	6,545	3,907	4,352
ख(उच्च)	1,189	601	813	4,386	2,213
ग	1,867	1,450	1,645	1,498	1,688
घ	910	205	144	267	230
जोड़	81,222	80,079	84,100	88,566	1,25,175

अनुबन्ध IV
(देखें पैरा 2.5(v))

आय के संदर्भ में परिवारों का वितरण : 1996-97

आय वर्ग (रु)	परिवार(000)			कुल आय (बिलियन में)			औसत आय (रु में)		
	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़
<= 27,500	11,589	62,990	74,580	223	1,076	1,299	19,248	17,077	17,415
27,501-55,000	16,433	37,918	54,351	680	1,463	2,143	41,397	38,574	39,428
55,001-85,000	9,616	11,023	20,639	660	739	1,399	68,601	67,033	67,764
85,001-1,00,000	3,330	2,959	6,289	303	268	572	91,043	90,694	90,879
1,00,001-2,00,000	5,436	3,743	9,179	671	463	1,134	123,463	123,610	123,523
2,00,001-5,00,000	777	604	1,381	197	170	366	253,456	280,894	265,457
5,00,001-10,00,000	138	42	180	100	22	122	722,596	525,253	676,927
Over 10,00,000	55	11	66	159	30	189	2,868,900	2,796,908	2,857,367
जोड़	47,375	119,290	166,665	2,993	4,230	7,223	63,178	35,456	43,336

आय के संदर्भ में परिवारों का वितरण : 1997-98

आय वर्ग (रु)	परिवार(000)			कुल आय (मिलियन में)			औसत आय (रु में)		
	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़	शहरी	ग्रामीण	जोड़
<= 30,000	10,534	61,362	71,896	2,26,957	10,85,055	13,12,012	21,545	17,683	18,249
30,001-60,000	16,576	40,156	56,732	7,90,363	17,70,410	25,60,773	47,681	44,088	45,138
60,001-90,000	10,650	11,944	22,594	8,07,762	8,83,671	16,91,433	75,846	73,984	74,862
90,001-1,25,000	5,439	4,373	9,812	5,71,708	4,53,673	10,25,381	1,05,113	1,03,744	1,04,503
1,25,001-2,00,000	3,127	2,470	5,597	4,74,369	3,62,715	8,37,084	1,51,722	1,46,849	14,95,571
2,00,001-5,00,000	1,613	568	2,181	4,38,709	1,59,947	5,98,656	2,71,968	2,81,495	2,74,450
5,00,001-10,00,000	145	133	278	93,931	84,146	1,78,078	6,49,091	6,31,900	6,40,853
Over 10,00,000	77	40	116	2,50,432	86,390	3,36,822	3,28,118	21,79,378	28,96,930
जोड़	48,160	1,21,046	1,69,206	36,54,232	48,86,007	85,40,239	75,877	40,365	50,472

अनुबंध V

(देखें पैरा 2.5(v))

निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए प्रास्थिति और विवरणी में दी गई आय के संदर्भ में विवरणियों की संख्या, सकल आय, समंजित स्वीकार्य अग्रेनीत हानियां आदि, कटौतियां और कुल कर

प्रास्थिति : व्यष्टि

(000 रु.)

विवरणी में दी गई आय रेंज	विवरणियों की संख्या	सकल आय	संमंजित अग्रेनीत हानियां आदि	अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां	विवरणी में दी गई आय	देय कर
0- 40	1098256	39164793	503900	1018973	37641920	1240390
40- 50	2795261	136861139	367136	7219484	129274519	6649543
50- 100	2545653	278437719	1124713	77608480	199704526	24130882
100- 200	785741	111375216	480306	4336196	1065587714	22114953
200- 300	60236	15708946	75428	1436453	14197065	3914614
300- 400	25418	8879362	37385	423249	8418728	2451766
400- 500	15304	6858837	17080	152153	6689604	1889405
500- 1000	21414	16911559	56388	1109463	15745708	4807246
1000+	10265	91654165	62417	1707968	89883780	25166938
जोड़	7357548	705851736	2724753	95012419	608114564	92365737

प्रास्थिति : हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब

(000 रु.)

विवरणी में दी गई आय रेंज	विवरणियों की संख्या	सकल आय	संमंजित अग्रेनीत हानियां आदि	अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां	विवरणी में दी गई आय	देय कर
0- 40	61966	2863902	7172	90308	2766422	277628
40- 50	128914	9469197	11079	212290	9245828	1035559
50- 100	60612	6465794	6111	298940	6160743	1005571
100- 200	18262	2989463	8681	102302	2878480	694812
200- 300	2453	757681	8740	30319	718622	204814
300- 400	1042	432020	3827	3431	424762	119482
400- 500	437	251145	1633	1255	248257	74142
500- 1000	1029	846218	2897	32377	810944	236546
1000+	495	936844	21646	65011	850187	291359
जोड़	275210	25012264	71786	836233	24104245	3939913

प्रास्थिति : पंजीकृत फर्म
(000 रु.)

विवरणी में दी गई आय रेंज	विवरणियों की संख्या	सकल आय	संमजित अग्रेनीत हानियां आदि	अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां	विवरणी में दी गई आय	देय कर
0- 40	135953	2599707	45018	284396	2270293	706423
40- 50	353530	27827906	203020	1045984	26578902	7804033
50- 100	127284	21314811	164817	938839	20211155	6379424
100- 200	44329	19689914	355844	9192445	10141625	346555
200- 300	8409	3085165	15288	457779	2612098	948666
300- 400	5317	3262832	15750	992546	2254536	830626
400- 500	3396	2277512	19337	239155	2019020	740917
500- 1000	6802	8088842	54665	1323495	6710682	2406210
1000+	4695	20193224	45771	1852111	18295342	6109947
जोड़	689715	108339913	919510	16326750	91093653	26272801

प्रास्थिति : कम्पनी
(000 रु.)

विवरणी में दी गई आय रेंज	विवरणियों की संख्या	सकल आय	संमजित अग्रेनीत हानियां आदि	अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां	विवरणी में दी गई आय	देय कर
0- 40	54336	2131198	354214	1014359	762625	306806
40- 50	50405	4087982	1063429	1039962	1984591	750376
50- 100	17707	3647032	350564	1417948	1878520	724098
100- 200	12386	3249110	308049	732927	2208134	896606
200- 300	8699	5081859	452470	1914899	2714490	1087029
300- 400	5892	6563406	127793	1257789	5177824	2023696
400- 500	4713	7541684	69325	2146703	5325656	2073227
500- 1000	11712	54588986	877010	4896147	48815829	19303085
1000+	15733	287878566	5325054	50412776	232140736	80030653
जोड़	181583	374769823	8927908	64833510	301008405	10719557

6

प्रास्थिति : अन्य
(000 रु.)

विवरणी में दी गई आय रेंज	विवरणियों की संख्या	सकल आय	संमजित अग्रेनीत हानियां आदि	अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां	विवरणी में दी गई आय	देय कर
0- 40	55297	1387847	12795	341243	1033809	350109
40- 50	30211	1340900	5476	15560	1319864	374842
50- 100	9260	987859	4990	153240	829629	261192
100- 200	4020	635326	5357	64350	565619	191096
200- 300	582	152890	478	5437	146975	51699
300- 400	397	140224	416	4265	135543	51199
400- 500	289	127035	222	414	126399	46047
500- 1000	512	399025	1360	11786	385625	138350
1000+	1416	7503756	67244	788766	6647746	2213284
जोड़	101984	12674862	98338	1385061	11191209	3677818

सभी प्रास्थिति

(000 रु.)

विवरणी में दी गई आय रेंज	विवरणियों की संख्या	सकल आय	संमजित अग्रेनीत हानियां आदि	अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां	विवरणी में दी गई आय	देय कर
0- 40	1405808	48147447	923099	2749279	44475069	2881356
40- 50	3358321	179587124	1650140	9533280	168403704	166144353
50- 100	2760516	310853215	1651195	80417447	228784573	32501167
100- 200	864738	137939029	1158237	14428220	122352572	24244022
200- 300	80379	24786541	552404	3844887	20389250	6206822
300- 400	38066	19277844	185171	2681280	16411393	5476769
400- 500	24139	17056213	107597	2539680	14408936	4823738
500- 1000	41469	80834630	992320	7373268	72468788	26891437
1000+	32604	408166555	5522132	54826632	347817791	113812181
जोड़	8606040	1226648598	12742295	178393973	1035512076	233451845

* स्रोत: आयकर विभाग के अखिल भारतीय आय कर सांख्यिकी निर्धारण वर्ष 1996-97

अनुबंध VI

(देखें : पैरा 2.6)

वर्ष 1998-99 के लिए मुख्य शीर्ष 0020 और 0021 के अधीनस्थ शीर्षों के अन्तर्गत अंतर के ब्यौरे :

राजस्व का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अंतर	अंतर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपये में)				
0020- निगम कर				
(i) कम्पनियों पर आयकर	24,492.68	23,784.93	(-) 707.75	(-) 2.89
(ii) अतिकर	0.30	0.02	(-) 0.28	(-) 93.33
(iii) अधिभार	1,793.92	36.53	(-) 1,757.39	(-) 97.96
(iv) अन्य प्राप्तियाँ	263.10	707.39*	444.29	109.95
जोड़	26,550.00	24,528.87	(-) 2,021.13	(-) 7.61
0021 - आय पर निगम कर से भिन्न कर				
(i) आयकर	19,995.12	19,875.12	(-) 120.00	(-) 0.60
(ii) अधिभार	398.67	11.03	(-) 387.64	(-) 97.23
(iii) अन्य प्राप्तियाँ	536.21	354.00**	(-) 182.21	(-) 33.98
(iv) जोड़	20,930.00	20,240.15	(-) 689.85	(-) 3.30
(v) घटाएँ राज्यों को समनुदेशित प्राप्तियों का हिस्सा	14,695.47	14,480.36	(-) 215.11	(-) 1.46
निवल संग्रहण	6,234.53	5,759.79	(-) 474.74	(-) 7.61

* के वी एस एस, 98 के कारण 155.02 करोड़ रुपए शामिल हैं

** के वी एस एस, 98 के कारण 179.53 करोड़ रुपए शामिल हैं

अनुबंध VII
[देखें : पैरा 2.9.1(ii)]

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान पूरे किए गए आयकर (निगम कर सहित)
निर्धारणों का प्रास्थितिवार ब्यौरा

		1996-97	1997-98	1998-99
(क)	व्यष्टि	88,26,523	96,60,004	73,12,213
(ख)	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	3,63,574	3,54,407	2,76,718
(ग)	फर्म	9,56,127	9,26,451	6,67,834
(घ)	कम्पनियाँ	2,35,385	2,71,481	2,14,922
(ङ)	अन्य	67,650	63,284	82,551
	जोड़	1,04,49,259	1,12,75,627	85,54,148

(ii) 31 मार्च 1999 को कार्यभार, निर्धारणों के निपटान और बकाया निर्धारणों के प्रास्थितिवार और श्रेणीवार ब्यौरे :

			कार्यभार		निपटान		शेष	
			संवीक्षा	गैर संवीक्षा	संवीक्षा	गैर संवीक्षा	संवीक्षा	गैर संवीक्षा
1.	श्रेणी 'क' निर्धारण	कम्पनी	35,259	1,84,369	9,522	1,00,677	25,737	83,692
		गैर कम्पनी	3,95,890	1,67,78,700	1,16,338	78,21,174	2,79,552	89,57,526
2.	श्रेणी 'क' (निम्न) निर्धारण	कम्पनी	23,651	62,603	10,689	35,498	12,962	27,105
		गैर कम्पनी	34,451	2,85,875	18,649	1,40,058	15,802	1,45,817
3.	श्रेणी 'ख' (उच्च) निर्धारण	कम्पनी	14,252	33,655	6,529	17,132	7,723	16,523
		गैर कम्पनी	23,429	1,92,004	10,282	1,04,792	13,147	87,212
4.	श्रेणी 'ग' निर्धारण	कम्पनी	28,939	40,077	13,983	19,488	14,956	20,589
		गैर कम्पनी	20,114	51,859	9,683	26,468	10,431	25,391
5.	श्रेणी 'घ' निर्धारण	कम्पनी	2,127	1,435	746	658	1,381	777
		गैर कम्पनी	19,964	2,01,642	5,428	86,354	14,536	1,15,288
6.	जोड़	कम्पनी	1,04,228	3,22,139	41,469	1,73,453	62,759	1,48,686
		गैर कम्पनी	4,93,848	1,75,10,080	1,60,380	81,78,846	3,33,468	93,31,234

अनुबंध VIII
[देखें : पैरा 2.11(ii)]

(i) 31 मार्च 1999 को लम्बित प्रमाणपत्रों और माँग की राशि के वर्षवार ब्यौरे :

वर्ष	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1994-95 और पूर्ववर्ती वर्ष	6,02,492	833.24
1995-96	13,878	337.33
1996-97	15,046	634.31
1997-98	13,705	1,023.65
1998-99	16,706	2,069.69
जोड़	6,61,827	4,898.22

लम्बित प्रमाणपत्रों का करवार और राशिवार विश्लेषण :

(करोड़ रुपये में)							
	माँग की सीमा	निगम कर		आयकर		धनकर	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क)	10,000 रुपये तक	15,203	4.20	4,35,503	156.70	61,581	6.30
(ख)	10,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये से कम	7,694	14.65	79,017	86.27	8,602	7.67
(ग)	1 लाख रुपये से अधिक 5 लाख रुपये तक	1610	27.16	13,743	171.84	1,645	6.79
(घ)	5 लाख रुपये से अधिक से 10 लाख रुपये तक	643	28.50	3,326	171.24	102	4.93
(ङ)	10 लाख रुपये से अधिक	1,047	792.70	4,996	3,374.31	89	34.74
	जोड़	26,197	867.21	5,36,585	3,960.36	72,019	60.43

(करोड़ रुपये में)									
	माँग की सीमा	दानकर		अतिकर		अन्य		जोड़	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क)	10,000 रुपये तक	14,259	1.64	45	0.03	3,189	0.23	5,29,780	169.10
(ख)	10,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये से कम	2,530	1.00	35	0.07	1,894	0.20	99,772	109.86
(ग)	1 लाख रुपये से अधिक 5 लाख रुपये तक	2,954	0.55	29	0.43	1,988	0.01	21,969	206.78
(घ)	5 लाख रुपये से अधिक से 10 लाख रुपये तक	2	0.12	17	0.39	-	-	4,090	205.18
(ङ)	10 लाख रुपये से अधिक	13	2.59	65	1.53	6	1.43	6,216	4,207.30
	जोड़	19,758	5.90	191	2.45	7,077	1.87	6,61,827	4,898.22

अनुबंध IX
[देखें : पैरा 2.13(ii)]

अन्तशेष का वर्षवार विश्लेषण निम्नवत् था :

वित्तीय वर्ष जिसमें आवेदन किया गया	लम्बित मामलों की संख्या
1994-95	191
1995-96	81
1996-97	123
1997-98	487
1998-99	1,976
जोड़	2858

अध्याय 3 : क-प्रणाली मूल्यांकन

3.1 आयकर अधिनियम 1961 (ब्लाक निर्धारण) के अन्तर्गत 1 जुलाई 1995 को या उसके बाद किए गए तलाशी मामलों के निर्धारण की समीक्षा।

प्रस्तावनात्मक

3.1.1 कालेधन का पता लगाने तथा कर के अपवंचन को रोकने के लिए आयकर प्राधिकारियों को तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न उपाय आयकर विधि में विद्यमान हैं। 30 जून 1995 तक प्रारंभ किए गए तलाशी के मामलों की विद्यमान कार्यविधि बहुत कठिन और अधिक समय लेने वाली पायी गई क्योंकि विभिन्न निर्धारण वर्षों से पता न लगाई गई आय का सम्बन्ध स्थापित करने में बहुतमूल्य समय नष्ट होता था और दीर्घकालिक कानूनी लड़ाई भी होती थी।

इन कठिनाईयों को दूर करने तथा तलाशी मामलों के निर्धारण की कार्यविधि को कालेधन का पता लगाने के प्रयोजन से मूल्य प्रभावी कुशल व अर्थपूर्ण बनाने के लिए तथा शीघ्रता से इस पर टैक्स लगाने के लिए वित्त अधिनियम 1995 में अधिनियम का अध्याय XIV- ख (धारा 158 बी से 158 बी एच) शामिल किया गया ताकि 1 जुलाई 1995 को या उसके बाद तलाशी के निर्धारण के लिए विशेष कार्यविधि प्रारंभ की जा सके। इस प्रकार के निर्धारण को 'ब्लाक निर्धारण' के रूप में जाना जाता है। निर्धारण के 'ब्लाक अवधि' की संकल्पना में 1 अप्रैल से तलाशी की तारीख तक और दस अनुवर्ती पूर्व वर्ष की चालू अवधि (जो बाद में निर्धारण वर्ष में संशोधित कर दिया गया) शामिल है। अप्रकटित आय किसी धन, मूल्यवान वस्तु अथवा अनुरक्षित लेखाओं की बहियों या अन्य दस्तावेजों में प्रविष्टियों अथवा कोई आय या सम्पत्ति जो पूर्णतः अथवा अंशतः लेन-देन का द्योतक है, जो तलाशी के अलावा प्रकट नहीं की गई हैं या होगी के आधार पर अवधारित आय होगी।


विधि और कार्यविधि

3.1.2.1 कालेधन का पता लगाने के लिए तलाशी और जब्ती की पद्धति आयकर विभाग द्वारा केवल उन मामलों में अपनाई जाती है जहां यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि संबंधित व्यक्ति सामान्यतः अपनी आय का सही चित्र प्रकट नहीं करता है।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी और जब्ती की शक्ति जांच विंग में निहित है। तलाशी और जब्ती के बाद जब्त दस्तावेजों की प्रारंभिक संवीक्षा के आधार पर जांच विंग द्वारा एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें अन्य के साथ तलाशी के कारण सूचना का सार, जब्त परिसम्पत्तियों के ब्यौरे, आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत किए गए अभ्यर्पण मामलों की तलाशी और छिपाव के परिणाम शामिल होते हैं। जब्त सामग्री के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट तलाशी की तारीख के 60 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारण अधिकारी को भेजनी होती है।

मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ब्लाक अवधि के लिए निर्धारण आदेश उस माह जिसमें अंतिम तलाशी वारंट निष्पादित हुए थे के अन्त से एक वर्ष के भीतर (1 जनवरी 1997 को या उसके बाद निष्पादित तलाशी के मामलों में दो वर्ष) पारित किए जाने अपेक्षित हैं। ब्लाक निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा में वह अवधि शामिल नहीं होती है जिसमें निर्धारण कार्यवाहियां आदेश या किसी न्यायालय के व्यादेश द्वारा स्थागित की गयी है। ऐसा निर्धारण सामान्य नियमित निर्धारण के अलावा होगा और सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त अथवा सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक से निम्न रैंक के अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

धारा 158-बी डी के अंतर्गत जहां जब्ती परिसम्पत्तियों या लेखाओं की बहियों और दस्तावेज ऐसे व्यक्ति से अलावा सम्बन्धित हों जिसके विरुद्ध तलाशी की गई है तो परिसम्पत्तियां, बहियां और दस्तावेज ऐसे निर्धारण अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा अन्य व्यक्ति आता है को सौंप दी जानी होती है और अनुवर्ती कार्यवाहियां उसके द्वारा की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में भी निर्धारण ब्लाक अवधि के लिए किया जाएगा। जांच विंग द्वारा तलाशी प्रचालनों से लेकर और निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्लाक निर्धारण के पूरा करने की पराकाष्ठा तक अन्तर्गत विभिन्न प्रचालनात्मक कार्यविधियों का फ्लोचार्ट नीचे दिया गया है:



ब्लाक निर्धारण की कार्यविधि

3.1.2.2 निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 158 बी सी (ए) के अन्तर्गत एक नोटिस जारी करेगा जिसमें ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय सहित निर्धारिती की कुल आय नियत करते हुए निर्धारित प्रपत्र 2 ख में एक विवरणी विनिर्दिष्ट समय (15से कम

ने हो परन्तु 45 दिन से अधिक न हो) के भीतर भेजने की अपेक्षा होगी। धारा 158 बी बी के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी आयकर अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय अवधारित करने हेतु कार्यवाही करेगा। धारा 68,69,69ए, 69बी और 69सी के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। अप्रकटित आय की संगणना वर्ष जिसके सम्बन्ध में अप्रकटित आय पाई गई है तक सीमित होगी। ऐसा प्रयोग ब्लाक अवधि में शामिल सभी दस वर्षों के लिए नहीं लिया जाएगा। ब्लाक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय पर धारा 113 के अन्तर्गत 60 प्रतिशत की एक दर (और देशी कम्पनी के मामले में आयकर अधिभार) प्रभारित की जाएगी। धारा 234 ए, 234बी, 234सी के अंतर्गत कोई ब्याज या धारा 271(1)(सी) या 271(ए) या 271(बी) के अन्तर्गत कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी। तथापि 1 जनवरी 1997 को या उसके बाद निष्पादित तलाशी के मामलों में यानि धारा 158 बी, सी(ए) के अन्तर्गत नोटिस में यथापेक्षित आय की विवरणी ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद भेजी जाती है या नहीं भेजी जाती है निर्धारित नोटिस में उल्लिखित विनिर्दिष्ट अवधि के अन्त से विवरणी के दाखिल करने की तारीख तक और विवरणी के न दाखिल करने के मामले में ब्लाक निर्धारण आदेश की तारीख तक प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 2 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त नियत समय में उक्त विवरणी में अपनी इच्छा से न भेजने के लिए 100 प्रतिशत की शास्ति परन्तु अप्रकटित आय पर उद्ग्राह्य कर के 300 प्रतिशत से अनधिक अदा करने के लिए दायी होगा।

समीक्षा का उद्देश्य

3.1.3 समीक्षा में तलाशी के बाद विभाग के निष्पादन विशेष कर सामयिकता निर्णयात्मकता और ब्लाक निर्धारण की नई कार्यविधि के अंतर्गत किए गए निर्धारणों की उत्पादकता तथा उनके द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों में यथापरिलक्षित जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच की गुणवत्ता की जांच करने का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है।

समीक्षा का कवरेज

3.1.4 समीक्षा में 1 जुलाई 1995 से 31 दिसम्बर 1998 की अवधि शामिल है। 50 लाख रुपये और उससे ऊपर की अप्रकटित आय वाले सभी मामले तथा अधिकार क्षेत्र में तलाशी प्रचालन/ब्लाक निर्धारण के प्रमाण पर आधारित अन्य मामले के 20 से 30 प्रतिशत लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुने गए थे कुल 8482 मामलों की समीक्षा की गई थी।

बाधाएं

3.1.5 मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विभागीय प्राधिकारियों की ओर से परिहार्य अनिच्छा के बावजूद समीक्षा संचालित की गई थीं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राजस्व लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट सहित सभी अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए 29 नवम्बर 1994 के पत्र सं. 246/14/92 ए पी ए सी I के अन्तर्गत अनुदेश जारी किए थे ये अनुदेश बाद में उप महालेखाकार और ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ही जब्त सामग्री के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित सी वी डी टी अनुदेश सं. 414/41/95-आ.क.(आई एन वी-I) दिनांक 27 नवम्बर 1998 के अनुसार प्रवर्धित कर दिए गए थे। विभाग ने

अनुदेशों की गलत व्याख्या की और यह रूख लिया कि मूल्यांकन रिपोर्ट भी उप-महालेखाकार तथा ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ही प्रस्तुत किए जाएंगे।

महाराष्ट्र में आयकर आयुक्त सेंद्रल-III मुम्बई के अंतर्गत दो निर्धारण प्रभारों और आयकर आयुक्त कोल्हापुर के अंतर्गत सभी निर्धारण प्रभारों ने लेखापरीक्षा दलों को मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

गुजरात में तलाशी के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों/ग्रुपों के नाम से सम्बन्धित मूल सूचना नहीं दी गई थी और बहुत से निर्धारण अधिकारियों द्वारा शून्य निर्धारण मामले सूचित नहीं किए गए थे। आयकर संयुक्त आयुक्त द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई थीं।

केरल में 50 लाख रू. और उससे अधिक की निर्धारित आय वाले 16 मामले प्रस्तुत नहीं किए जा सके क्योंकि फाइलें आयकर अपीलीय अधिकरण या सेटलमेंट कमीशन के पास थीं।

राजस्थान में आयकर सहायक आयुक्त भीलवाडा मंडल ने मूल्यांकन रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराईं यद्यपि निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 8.12.1997 को सी सी आई टी जयपुर को अनुदेश दिए थे कि मूल्यांकन रिपोर्टें लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ही दिखाई जा सकेंगी।

पश्चिम बंगाल में लम्बा पत्र व्यवहार निष्फल सिद्ध हुआ। उपनिदेशक के स्तर से नीचे के अधिकारियों को कोई मूल्यांकन रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई थीं। इसलिए केवल 10 मूल्यांकन रिपोर्टें की जांच की जा सकी।

कर्नाटक में मूल्यांकन रिपोर्टें केवल जून 1999 में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थीं। मांग की गई 865 फाइलों में से 92 फाइलें समीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थीं। प्रस्तुत की गई 773 फाइलों में से 22 निर्धारणों के सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

मुख्य-मुख्य बातें

3.1.6 मूल्यांकन रिपोर्ट में जाँच अधिकारी द्वारा दर्शायी गई अप्रकटित आय के ब्यौरे और राशि की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान वास्तव में पुष्टि नहीं हुई थीं। अधिकांश मामलों में मूल्यांकन रिपोर्टों में उल्लिखित राशि को शामिल न करने के कारण विद्यमान अनुदेशों के बावजूद निर्धारण आदेशों में अभिलिखित नहीं किए गए थे। इस प्रकार विभाग लोक लेखा समिति द्वारा जैसाकि आदेश दिया गया था विभागीय अधिकारियों के सहयोग के कारण क्या कोई चूक तो नहीं हुई थी का पता लगाने के लिए जबाब देही नियत करने की स्थिति में नहीं होगा।

(पैरा 3.1.8.1 और 3.1.8.2)

- निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारण पूरा करने में विलम्ब और ब्लाक निर्धारण को पूरा न करने के परिणामस्वरूप 272.21 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।
(पैरा 3.1.8.3 और 3.1.8.6 (छ))
- आय और कर की संगणना में विभिन्न गलतियों के परिणामस्वरूप 2909.82 लाख रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 3.1.8.4. और 3.1.8.5(क))
- अधिभार के अनुद्ग्रहण/कमउद्ग्रहण/अधिकउद्ग्रहण के परिणामस्वरूप क्रमशः 3996.04 लाख रू. और 19.90 लाख रू. के कर का अवप्रभार और अधिप्रभार हुआ।
(पैरा 3.1.8.5(ख))
- निर्धारिती को दिए गए अनभिप्रेत लाभ और धारा 158 बी बी(1) (सी) के अंतर्गत अप्रकटित आय की गलत संगणना के परिणामस्वरूप 1944.84 लाख रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 3.1.8.6 (क) और (ख))
- अध्याय VI -क कटौतियों की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 753.42 लाख रू. का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 3.1.8.6(ड))
- धारा 158 बी डी के प्रावधानों का आश्रय नहीं लिया गया था। जिसमें 398.21 लाख रू. का राजस्व प्रभाव था।
(पैरा 3.1.8.6(च))
- 2254.71 लाख रू. तक ब्याज और शास्तियां नहीं लगाई गई थीं और 109.81 लाख रू. की अधिक लगाई गई थी।
(पैरा 3.1.8.7(क)(ख) और (ग))
- अप्रभावी तलाशी और दोषपूर्ण निर्धारणों से 334.73 लाख रू. के राजस्व की हानि का पता चला।
(पैरा 3.1.8.8(क) और 3.1.8.8(घ))
- पूंजी अभिलाभ, धनकर और दानकर निर्धारण से रह गया जिससे 236.94 लाख रू. के कर का परिणामी अनुद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 3.1.11 से 3.1.13)
- अधिनियम मे एक महत्वपूर्ण कमी थी कि ऐसे मामलों में जहां 31.12.96 तक तलाशी संचालित की गई थी निर्धारिती से सभी शास्तियों और ब्याज सहित 60


प्रतिशत की एक दर पर कर प्रभारित किया गया था जबकि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज और शास्ति के साथ कर की राशि काफी अधिक बनती है। इस प्रकार तलाशी निर्धारिती को सापेक्षतःलाभप्रद स्थिति में रख सकती है। इस स्थिति का सुधार आयकर (संशोधन) अधिनियम 1997 द्वारा खोजा गया परन्तु सुधार करने वाले अधिनियम से भी समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं होता है।

(पैरा 3.1.18)

- अधिनियम में विभिन्न कमी अभी भी हैं।

(पैरा 3.1.19)

3.1.7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संचालित तलाशी और की गई जब्ती के अखिल भारतीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं-



लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.8 अपनी दूसरी रिपोर्ट 1996-97 (ग्यारहवीं लोक सभा) के पैरा 1.11 में लोक लेखा समिति ने बताया है कि "चूंकि विभाग को प्रदत्त तलाशी और जब्ती की शक्ति असाधारण और अपवादात्मक हैं इसलिए समिति ने आदेश दिया है कि अधिसंख्य मामलों में छिपाई गई आय का पता न लगने के परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्रालय को विशेष उपाय करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तलाशी और जब्ती प्रचालन करने के पहले गहन आधार तैयार किया गया है और यह पता लगाने के लिए प्रत्येक उपर्युक्त मामले की अधिक विस्तृत जांच की गई है कि क्या विभागीय अधिकारियों के सहयोग के कारण कोई चूक हुई थी। समिति के विचार में यह पूर्णतः आवश्यक है ताकि तलाशी और जब्ती प्रचालनों की दक्षता सुधारने हेतु सफलता दर में वृद्धि हो सके।"

यह अवधारित करने के लिए कि क्या लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर ठोस उपाय अब किए गए हैं, लेखापरीक्षा जांच कुछ मामलों में मूल्यांकन रिपोर्टों के न प्रस्तुत करने

और जब्त किए गए दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण गहन रूप से नहीं की जा सकीं। तथापि ब्लाक निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में देखी गई गलतियों की समग्र स्थिति नीचे दी गई हैं-

तालिका संख्या- I
ब्लाक निर्धारण मामलों में ध्यान में आई चूक/अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	मामलों की कुल संख्या जिनमें ब्लाक निर्धारण पूरा किया गया			लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए मामलों की संख्या			ध्यान में आई गलतियाँ		
	मामलों की संख्या	कुल अप्रकटित आय (लाख रु में)	कर प्रभाव (लाख रु में)	मामलों की संख्या	कुल अप्रकटित आय (लाख रु में)	कर प्रभाव (लाख रु में)	मामलों की संख्या	कुल अप्रकटित आय (लाख रु में)	कर प्रभाव (लाख रु में)
1995-96 (1.7.95 से)	52	641.18	385.72	49	629.67	376.93	6	8.89	5.34
1996-97	4950	248487.43	147515.55	3768	229376.48	133689.43	524	13222.50	9167.99
1997-98	4912	360419.01	226380.78	4002	329892.90	201887.97	557	49248.83	37937.24
1998-99 से दिसम्बर 1998	852	29573.11	18096.34	663	26722.61	15913.09	68	1644.61	1302.41

मूल्यांकन रिपोर्टों में दर्शित और ब्लाक निर्धारणों में अपनाए गये आंकड़ों के बीच अन्तर जानकारी में आए।

3.1.8.1 समीक्षा का एक उद्देश्य जांच विंग द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों की गुणवत्ता और निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए ब्लाक निर्धारणों की पूर्णता और शुद्धता की जांच करना एक मूल्यांकन रिपोर्ट तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई सामग्री और दस्तावेजों के आधार पर तैयार की जाती है और ऐसी अप्रकटित आय का अनुमान शामिल होता है जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी ब्लाक निर्धारण करने हेतु कार्यवाही करता है। निर्धारण अधिकारी का निर्धारण आदेश अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य पर विधि की जांच हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है जबकि मूल्यांकन रिपोर्ट के पहले ऐसी चुनौती नहीं होती है। तथापि, जबकि यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा दर्शाई गई अप्रकटित आय के ब्यौरे और राशि की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान वास्तविक रूप से पुष्टि न हो, नमूना जांच से पता चला कि नीचे दिखाए गए मामलों में जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल अप्रकटित आय और ब्लाक निर्धारण में निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित आय के बीच भारी अन्तर थे। यह जांच विंग द्वारा अनुचित और अपर्याप्त अनुमान या निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण पर अपर्याप्त ध्यान परिलक्षित करता है। समीक्षा के दौरान जानकारी में आये कुछ ऐसे मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(i) महाराष्ट्र में आयकर आयुक्त XII प्रभार में मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख था कि एक निर्धारिती ने सप्रेटा दुग्ध पाउडर और घी में समस्त व्यापारिक कारोबार नकद में किया जो लेखा बहियों में अभिलिखित नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय की संगणना करते समय केवल निवल लाभ को अप्रकटित आय माना। तथापि अप्रकटित कारोबार में लिए गए 961 लाख रु. के प्रारंभिक निवेश पर विचार नहीं किया गया। चूंकि अप्रकटित कारोबार की समस्त खरीद और बिक्री नकदी में की गई थी और लेखा बहियों से अलग रखी गई थी इसलिए प्रारंभिक निवेश को लाभ में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्योंकि व्यापार का समस्त कारोबार नकद में किया गया था इसलिए धारा 40 ए (3) के प्रावधानों को निर्धारण करते समय लागू किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।

आयकर आयुक्त पुणे प्रभार में एक निर्धारिती के विरुद्ध किए गए तलाशी प्रचालनों के दौरान साक्ष्य पाए गए थे जिसमें पुणे में भूमि सौदों में अघोषित नकद भुगतान परिलक्षित होता था। मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख था कि निर्धारिती ने 1100 लाख रू. के दस्तावेज से सिद्ध प्रतिफल के लिए सम्पत्ति की खरीद हेतु करार किया है और तलाशी के दौरान जब्त किए गए फैंक्स संदेश से पता चला कि 217 लाख रूपए का व्यय निर्वाधन प्रमाण पत्र पाने हेतु एक मध्यस्थ के माध्यम से व्यय किया था। इसके अतिरिक्त ग्रुप के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि कोई भी व्यय लेखाबहियों में नहीं दर्शाए गए हैं और यह कि 142 लाख रू. की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया गया है और खर्च की जा चुकी है। इसलिए जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि 217 लाख रू. को अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में माना जाए। तथापि निर्धारण अधिकारी ने इस सुझाव की अनदेखी की और मध्यस्थ व्यक्ति के शपथ पत्र पर यह कहते हुए भरोसा किया कि राशि का भुगतान नहीं किया गया था बल्कि भुगतान के लिए प्रस्ताव किया गया था और तदनुसार अधिकत्व नहीं किया गया था।

(ii) तमिलनाडु में एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निर्धारिती ने 38.16 करोड़ रू. के कारोबार व्यय का दावा किया था। जांच विंग द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में अप्रकटित आय के प्रारंभिक युक्ति युक्त अनुमान में यह सुझाव दिया गया था कि 11.45 करोड़ रू. के व्यय का 30 प्रतिशत निर्धारिती के कारोबार के प्रयोजन के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से खर्च में लगाया गया अथवा खर्च किया हुआ नहीं माना जाएगा और इसलिए अननुमति के लिए माना जाना चाहिए। तथापि 28.2.1997 को पूरे किए गए ब्लाक निर्धारण में इस पहलू पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया था।

(iii) केरल में, आयकर आयुक्त कोची प्रभार में जनवरी 1997 और मार्च 1997 के बीच निर्धारित 8 निर्धारितियों के मामले में ब्लाक निर्धारण में निर्धारित अप्रकट आय केवल 254.94 लाख रू. थी यद्यपि मूल्यांकन रिपोर्ट में 802.31 लाख रू. का अनुमान था। निर्धारिती ने धारा 132(4) के अन्तर्गत 677.78 लाख रू. की आय का अभ्यर्पण कर दिया था। फिर भी यदि यह राशि मानी जाती है तो शेष पर कर का अवप्रभार 253.66 लाख रू. तक होगा। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 132(4) के अन्तर्गत ऐसे साक्ष्य की वैधता का समर्थन* किया था यदि यह दबाव या धमकी के अन्तर्गत किए जाने के रूप में विवादित नहीं है।

(iv) उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त कानपुर प्रभार में एक ग्रुप के 41 तलाशी मामलों में जांच विंग द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट में अप्रकटित आय का अनुमान 13.18 करोड़ रू. लगाया गया था परन्तु केवल 3.02 करोड़ रू. की अप्रकटित आय के लिए निर्धारण पूरा किया जा सका। आयकर आयुक्त कानपुर प्रभार में एक निर्धारिती के मामले में उदाहरणार्थ कथा इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठापन के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश का

* (219 आई टी आर 235)

मूल्यांकन रिपोर्ट में 300 लाख रु. का अनुमान लगाया गया था जबकि मूल्यांकन सेल को किए गए पत्र व्यवहार में इसके मूल्य का अनुमान 28 लाख रु. लगाया गया। इस प्रकार मूल्यांकन रिपोर्ट में अनुमानित और गैर सांविधिक पत्र व्यवहार के अन्तर्गत मूल्यांकन सेल द्वारा अनुमानित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच काफी अन्तर था।

(v) कर्नाटक के आयकर हुबली प्रभार में रियलइस्टेट कारोबार में लगे 12 निर्धारितियों के ग्रुप पर संचालित तलाशी से पता चला कि कम से कम 8 निर्धारितियों के पास मूल्यांकन रिपोर्ट में 96.20 लाख रु. की अप्रकटित आय थी। निर्धारण अधिकारी ने सभी 12 निर्धारितियों को नोटिस जारी किए। तथापि, एक निर्धारिती जहां 0.073 लाख रु. पर आय निर्धारित की गई थी के मामले को छोड़कर अन्य सभी शून्य आय पर निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार ग्रुप के प्रति निर्धारित आय मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रमात्रित आय का केवल 0.08 प्रतिशत बनी।

(vi) हरियाणा में 1.4.86 से 24.12.96 तक की ब्लाक अवधि के लिए एक मालिकाना प्रतिष्ठान का ब्लाक निर्धारण 26.2.98 को पूरा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जब्त कागजातों के आधार पर निर्धारिती की अप्रकट आय निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए 36.50 लाख रु. पर अनुमानित थी और पूर्व वर्षों की अप्रकट आय प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत कटौती अनुमत करके अनुमानित की जानी थी। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1997-98 के लिए अप्रकट आय का अनुमान 25.62 लाख रु. लगाया था जबकि मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 139.87 लाख रु. परिकलित की गई थी।

अन्तर का कारण अभिलिखित न करना

3.1.8.2 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जुलाई 1991 में अनुदेश जारी किया कि ब्लाक निर्धारण आदेशों और मूल्यांकन रिपोर्टों के बीच अप्रकटित आय की प्रमात्रा में किसी अन्तर के कारण निर्धारण आदेश में स्पष्टतः अभिलिखित किए जाने हैं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिकतर मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित राशि के अन्तर के लिए कारणों को निर्धारण आदेशों में अभिलिखित नहीं किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में विभाग जबाब देही और या उपचारी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसे मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

(i) महाराष्ट्र में 6 आयकर आयुक्त प्रभारों में मूल्यांकन रिपोर्ट में 3281.58 लाख रु. की अप्रकटित आय के 7 निर्धारितियों के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था और अन्तर के कारणों को भी अभिलिखित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आयकर आयुक्त सेंद्रल-1, मुम्बई प्रभार में 22 मामलों में जिसमें 15238.01 लाख रु. की राशि अन्तर्ग्रस्त थी, में जांच अधिकारी द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच का परिणाम निर्धारण अधिकारी ने अभिलिखित नहीं किया इनमें से 17 मामलों में केवल यह उल्लेख कर दिया गया था कि मुख्य मुद्दों की जांच कर ली गई थी।

उदाहरणस्वरूप एक मामले में मूल्यांकन रिपोर्ट में एक शेयर दलाल के साथ निर्धारिती द्वारा किए गए 1092.25 लाख रू. के लेन-देन का भिन्न रूप से उल्लेख किया गया था और निर्धारण अधिकारी से यह सत्यापित करने के लिए कहा गया था क्या निर्धारिती द्वारा लाभ/अभिलाभ लेखाबद्ध किया गया था। तथापि, न तो ऐसा सत्यापन किया गया और न ही निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा न करने के कारण को अभिलिखित किया गया था।

(ii) दिल्ली प्रभार में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 94.50 लाख रू. की राशि निर्धारिती के बैंक खाते में नकदी में जमा की गई थी। निर्धारिती को आय के स्रोत को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त अवसर दिया गया था। तथापि न तो राशि का निर्धारण अस्पष्टीकृत नकदी के रूप में किया गया था न ही इस राशि को शामिल न करने के कारण का उल्लेख किया गया था।

(iii) उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त वाराणसी प्रभार में वाराणसी के नर्सिंग होम के कारोबार परिसर में 14.9.96 को तलाशी संचालित की गई थी। 248.55 लाख रू. की राशि का वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1996-97 के लिए अप्रकटित आय के जांच विंग द्वारा पता लगाया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 1986-87 से 1996-97 के लिए निर्धारिती की व्यवसायिक आय 138 लाख रू. अनुमानित की गई थी। उपर्युक्त अनुमानित अप्रकटित आय के प्रति ब्लाक अवधि के अन्दर आने वाले वर्षों के लिए प्रस्तुत विवरणी में निर्धारिती ने केवल 5 लाख रू. दर्शाये। निर्धारण अधिकारी को अंतिम निर्धारण तैयार करते समय 133 लाख रू. की व्यवसायिक प्राप्ति के छिपाव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए निदेशक जांच द्वारा सलाह दी गई थी। तथापि निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने न तो 133 लाख रू. की व्यवसायिक प्राप्ति के छिपाव के मुद्दे पर चर्चा की न ही निर्धारिती की अप्रकटित आय में इस सम्बन्ध में कोई अधिकत्व किया।

(iv) असम में, सितम्बर 1995 और नवम्बर 1995 में निर्धारितियों के दो गुप्तों के कारोबार और आवासीय भवनों में संचालित तलाशी के दौरान जांच विंग ने बेनामी लेन देनों, नकद प्राप्तियों, नकद भुगतानों, ब्याज सहित अप्रकटित कर्जों और दो फर्मों तथा चार व्यक्ति निर्धारितियों के संबंध में अप्रकटित बिक्री सहित भूमि और भवन में 111.62 लाख रू. के अप्रकटित निवेश और 305.66 लाख रू. की अप्रकटित आय का साक्ष्य पाया। इसको मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाया गया था। ब्लाक निर्धारण जो क्रमशः सितम्बर 1996 और नवम्बर 1996 में पूरा किया गया था में 111.62 लाख रू. और 305.66 लाख रू. की अप्रकटित आय पर निर्धारण के लिए न तो विचार किया गया था न ही निर्धारण आदेश में विचार न करने के कारणों को अभिलिखित किया गया था।

(v) उड़ीसा में आयकर आयुक्त भुवनेश्वर प्रभार में एक निर्धारिती व्यक्ति के मामले में मूल्यांकन रिपोर्ट से यह देखा गया था कि निर्धारिती ने जमीन का एक भूखण्ड खरीदा था और तलाशी की तारीख तक छत तक भवन का निर्माण किया था। जांच विंग ने

मूल्यांकन रिपोर्ट में यह दर्शाया कि वे महसूस करते हैं कि इस सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा यथाप्रकटित 11.30 लाख रु. की राशि भूमि और भवन की उत्कृष्ट स्थिति की दृष्टि से कम बताई गई थी। तथापि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा यथापरिलक्षित भूमि और भवन के मूल्यांकन को स्वीकार किया। इस प्रकार न तो विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को मामला भेजा गया था न ही निर्धारण आदेश में मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

**निर्धारण को
विलम्ब से पूरा
करना**

3.1.8.3 वित्त विधेयक 1995 में प्रावधानों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन में अध्याय XIV बी को लागू करने के उद्देश्य को निम्नवत स्पष्ट किया गया:-

‘कालेधन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा संचालित तलाशियां एक महत्वपूर्ण साधन है तथापि वर्तमान योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों की अप्रकटित आय से संबंध स्थापित करने के प्रयास में बहुमूल्य समय नष्ट होता है। सामान्यतः कर अपवंचक कार्य विधिक और विधिक मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाने की व्यवस्था कर लेते हैं और प्रायः अप्रकटित आय को स्पष्ट करने के लिए नए साक्ष्य ढूँढ लेते हैं। उस समय तक तलाशी से संबंधित निर्धारण पूरे हो जाते हैं, तलाशी का प्रभाव पर्याप्त रूप से कम हो जाता है। यह निर्णय करने के लिए बहुत वर्षों तक कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन सी आय निर्धार्य है और किस वर्ष में निर्धारण होना है। कोई निर्णय नहीं हो पाता है तथा जब्त की गई परिसम्पत्तियां लम्बे समय तक विभाग के पास पड़ी रहती हैं।’

महीना जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित था उसके अन्त में एक वर्ष की समय सीमा नियमित निर्धारण के मामले में दो वर्ष की समय सीमा काफी लम्बी मानकर ब्लाक निर्धारण के पूरा करने के लिए निर्धारित की गई थी, तथापि आयकर अध्यादेश 1996 (दूसरा संशोधन) में एक वर्ष से दो वर्ष तक की समय सीमा में वृद्धि करने सहित आयकर अधिनियम के अध्याय XIV ख में यथा निर्धारित तलाशी मामलों के निर्धारण के लिए कार्यविधि में कई संशोधन किए गए। तथापि इस विस्तार से तलाशी से सम्बन्धित निर्धारणों में विलम्ब होगा और बदले में तलाशी के प्रभाव को पर्याप्त रूप से कम कर देगा, जिससे आयकर अधिनियम में अध्याय XIV-ख के लागू करने का मुख्य उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।

समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि निर्धारणों को पूरा करने में विलम्ब हुआ था, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

(i) राजस्थान में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 1996 में तीन निर्धारितियों को (धारा 158 बी डी में यथा परिभाषित अन्य व्यक्ति होने के नाते) धारा 158 बी सी के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे। धारा 158 बी इ के प्रावधानों के अनुसार ब्लाक निर्धारणों का 30.4.1997 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। तथापि निर्धारण अप्रैल 1998 /मई 1998 में पूरे किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए

जाने पर यह उत्तर दिया गया कि धारा 158 बी डी के अन्तर्गत दूसरा नोटिस जारी किया गया था और निर्धारणों को समय सीमा के भीतर पूरा किया गया था तथा इसके अतिरिक्त निर्धारितियों ने भी नोटिस जारी करने की सीमा/निर्धारणों के अंतिम रूप देने के सम्बन्ध में अपील में कोई आधार नहीं लिया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नोटिस अप्रैल 1996 में जारी किए गए थे और दो निर्धारितियों ने दिसम्बर 1996 (तीसरे निर्धारितियों ने विवरणी दाखिल नहीं किया) में विवरणियां दाखिल की। इसलिए निर्धारण अप्रैल 1997 तक पूरे किए जाने थे। अप्रैल/मई 1997 में दूसरे नोटिस के जारी करने का आश्रय लेकर निर्धारण अधिकारी ने केवल निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय का लाभ लिया। ऐसे नोटिस का जारी करना विधि की दृष्टि से अच्छा नहीं है और 93.03 लाख रू. के राजस्व की हानि हो सकती है।

(ii) पंजाब मंडल में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 45 निर्धारितियों के सम्बन्ध में सूचना आगे की कार्यवाही के लिए अन्य निर्धारण अधिकारी को भेजे जाने थे। 11.95 लाख रू. के कर प्रभाव वाले 19.91 लाख रू. की राशि से अंतर्ग्रस्त 9 मामलों के संबंध में सूचना दिसम्बर 1996 में संबंधित निर्धारण अधिकारियों को भेजी गई थी परन्तु समीक्षा की तारीख (जनवरी 1999) तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। शेष 36 निर्धारितियों की सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारियों को नहीं भेजी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 51.55 लाख रू. की अप्रकटित आय बिना निर्धारण के पड़ी रह गई।

(iii) जुलाई 1995 के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुदेश के अनुसार सहायक निदेशक आयकर को तलाशी होने के 60 दिन के भीतर संबंधित आयकर आयुक्त और निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट अग्रेषित करनी अपेक्षित है। यदि समय में वृद्धि करनी है तो महानिदेशक की लिखित अनुमति प्राप्त की जानी थी।

उत्तर प्रदेश में यह पाया गया कि उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में तीन आयकर आयुक्त प्रभार (आगरा, कानपुर, इलाहाबाद) के अन्तर्गत संचालित तलाशी और पूरे किए गए निर्धारणों के 13 मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट अग्रेषित करने में 239 दिनों का विलम्ब हुआ था। समय के अभाव के कारण निर्धारण कार्यविधि भी प्रभावित हुई। मूल्यांकन रिपोर्ट के विलम्बित प्रस्तुतिकरण के लिए महानिदेशक की अनुमति भी नहीं ली गई थी।

आयकर आयुक्त इलाहाबाद प्रभार में एक मामले में 5.7.96 को फतेहपुर में तलाशी संचालित की गई थी। परन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट 29.4.97 को प्रस्तुत की गई थी परिणामतः 239 दिनों का विलम्ब हुआ। इससे नोटिस जारी करने में विलम्ब हुआ। शीघ्रता में 15.7.97 को निर्धारण पूरा किया गया क्योंकि यह 31.7.97 को कालबाधित हो रहा था। समयभाव के कारण निर्धारण अधिकारी मामले की गहराई से जांच नहीं करा सका। फ़ैक्टरी परिसर में संयंत्र और मशीनरी के मूल्यांकन के लिए जुलाई 1997 में विभागीय मूल्यांकन सेल को पत्र भेजा गया परन्तु वह प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस तथ्य को निर्धारण आदेश दिनांक 31.7.97 में संलग्न कार्यालय टिप्पणी में निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था जो निम्नवत है:

चूंकि थोड़ा समय रह गया मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सका और आदेश 31.7.97 अर्थात् समय सीमा की समाप्ति तक पारित किए जाने थे। इसे नियमित निर्धारण के अन्तर्गत शामिल किया जाना है। इस प्रकार जांच अधिकारी और निर्धारण अधिकारी दोनों की ओर से विलम्ब के कारण निर्धारिती को नियमित निर्धारण में कर की निम्नतर दर (30-40 प्रतिशत) का लाभ होगा जिससे तलाशी का परिणाम व्यर्थ हो गया।

अप्रकटित आयकर अवनिर्धारण

3.1.8.4 लेखापरीक्षा में ज्ञात हुए नियमों के गलत लागू करने/संगणना में गलतियों की विभिन्न अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:-

(i) मुम्बई में आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-I प्रभार में वास्तविक उत्पादन का छिपाव दर्शाने वाले साक्ष्य तलाशी प्रचालन के दौरान पाए गए जिसमें साइफनिंग की बिक्री आय, आय में नहीं ली गई थी। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया था कि लेखे में न लिए गए कतिपय व्यय दर्शाने वाले साक्ष्य पाए गए तथा निर्धारण अधिकारी से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे व्यय की अनुमति की जांच करने के लिए कहा गया था। निर्धारिती द्वारा ब्लाक अवधि के लिए 829.75 लाख रु. लेखे में न ली गई बिक्री के रूप में घोषित किए गए तथा अप्रकटित आय के रूप में 228.94 लाख रु. के निवल लाभ का प्रस्ताव किया जो विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि तलाशी के दौरान साक्ष्य पाए गए थे जिसमें लेखे में न लिया गया व्यय भी दर्शाया गया था। चूंकि समस्त व्यय को लेखे में नहीं लिया गया तथा नकद में किया गया था इसलिए उसको 20 प्रतिशत धारा 40(ए)(3) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार अननुमत करना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप 98 लाख रु. की आय का अवनिर्धारण हुआ तथा 67.62 लाख रु. के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) गुजरात में आय के अवनिर्धारण के 27 मामलों में 8751.81 लाख रु. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामले में निर्धारण आदेश तथा मूल्यांकन रिपोर्ट में आंकड़े पौंड और डालर के चिन्हों से चिन्हित थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'लेखे में न ली गई प्राप्तियों का जोड़ निकालते समय इन आंकड़ों को रूपये के रूप में लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 235.73 लाख रु. का अवनिर्धारण हुआ तथा 141.43 लाख रु. के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

(iii) पश्चिम बंगाल में 5 निर्धारितियों के मामलों में 4 व्यष्टियों और 3 फर्मों के सम्बन्ध में चूक या जोड़ के रूप में गलतियां पाई गई थी। परिणामतः 551.22 लाख रू. की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 373.49 लाख रू. का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त था। इसके अतिरिक्त ब्लाक निर्धारण से मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रतिसत्यापन पर 7 मामलों में 261.04 लाख रू. की अप्रकटित आय की संगणना में गलतियां पाई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 172.87 लाख रू. के कर का अवप्रभार हुआ।

उदाहरण स्वरूप एक ग्रुप मामले में मूल्यांकन रिपोर्ट में वर्ष 1995-96 के लिए ग्रुप के चार सदस्यों के नामों में अस्पष्टीकृत नकद उधार का अनुमान लगाया गया था। ब्लाक निर्धारण कार्रवाई के दौरान निर्धारिती कम्पनी ग्रुप के अन्य तीन सदस्यों के नामों में नकद उधारों को बताने में विफल रहा और कम्पनी की रोकड़ बही में उक्त जमा का लेखाकंन न करना स्वीकार किया इस प्रकार निर्धारण अधिकारी ने तीन निर्धारितियों के नामों में निर्धारिती के अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में कुल शीर्ष निवेश के रूप में माना। तथापि, स्वयं निर्धारिती के अस्पष्टीकृत क्रेडिट पर विचार नहीं किया गया था। परिणामतः 26 लाख रू. के कर का अवप्रभार हुआ और 3.91 लाख रू. के अधिभार का अनुद्ग्रहण हुआ।

(iv) इसी प्रकार 86 निर्धारितियों के सम्बन्ध में असम, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़(संघ राज्य क्षेत्र) बिहार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में 2545.22 लाख रू. की आय का अवनिर्धारण था जिसमें 1548.19 लाख रू. के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

अप्रकटित आय
की संगणना में
परिहार्य
गलतियां

3.1.8.5(क) महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु में निर्धारण के दौरान गलतियों और बकाया के दिखाने में गलती और आंकड़ों के अपनाने में गलती से 842.51 लाख रू. की आय के अवनिर्धारण और 606.22 लाख रू. के कर के कम उद्ग्रहण का पता चला।

उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल में आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-II में 1.4.86 से 23.9.96 तक की ब्लाक अवधि के लिए एक देशी कम्पनी को ब्लाक निर्धारण 3904.64 लाख रू. की कर मांग के साथ 6053.70 लाख रू. की कुल अप्रकटित आय पर 31.12.97 को पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए कुल मिलाकर कुल आय 59.28 लाख रू. की बजाय 54.42 लाख रू. संगणित की गई थी जबकि निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए 683.09 लाख रू. की बजाय 350.54 लाख रू. संगणित की गई थी। इसी प्रकार की गलतियों के परिणामस्वरूप इनमें 215.48 लाख रू. के कर प्रभाव के साथ 334.08 लाख रू. की अप्रकटित आय का अवनिर्धारण हुआ।

अधिभार का
अनुद्ग्रहण/
कमउद्ग्रहण/
अधिउद्ग्रहण

(ख) सम्बन्धित वित्त अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार देशी कम्पनी जिनकी कर योग्य आय 75 हजार रूपये से अधिक होती है के मामले में 60 प्रतिशत की दर पर कर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत की दर पर अधिभार लगाया जाना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से 177 मामलों में 3086.09 लाख रू. के अधिभार के अनुद्ग्रहण, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 10 मामलों में 909.95 लाख रू. के कम उद्ग्रहण और महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में 8 मामलों में 19.90 लाख रू. के अधिक उद्ग्रहण का पता चला।

निर्धारितियों को
दिया गया अनभिप्रेत
लाभ

3.1.8.6(क)(I) धारा 158 बी बी(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय तलाशी या लेखाबहियों या दस्तावेजों की मांग और ऐसी अन्य सामग्री या सूचना जो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध है के परिणामस्वरूप पाये गये साक्ष्य के आधार पर संगठित की जानी चाहिए।

तथापि, महाराष्ट्र में तलाशी के दौरान पाये गए साक्ष्य के आधार पर 3 निर्धारितियों के सम्बन्ध में नियमित निर्धारण के समय अधिकत्व किया गया था और ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय अवधारित करते समय उसका संज्ञान नहीं लिया गया था। परिणामतः नियमित निर्धारण में निम्नतर दर होने के नाते निर्धारिती को अनभिप्रेत लाभ मिला। 115.37 लाख रू. के कर प्रभाव के साथ 174.36 लाख रू. का कुल अवनिर्धारण बनता था। ऐसे एक मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तलाशी और अभिग्रहण प्रचालन के दौरान साक्ष्य एकत्र किया गया था कि निर्धारिती के पास लन्दन के बैंक में अप्रकटित बैंक खाता है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक खाते अभिग्रहीत कर दिए गए थे और लेखे में जमा राशि जब्त कर ली गई थीं। अप्रकटित आय की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने केवल 171.03 लाख रू. को अप्रकटित आय के रूप में माना और निर्णय लिया कि शेष पर नियमित निर्धारण के समय विचार किया जायेगा। इस राशि पर विचार न करने के विशिष्ट कारण ब्लाक निर्धारण आदेश में अभिलिखित नहीं किए गए थे इससे निर्धारिती को 113.92 लाख रू. का अनभिप्रेत लाभ मिला।

(II) धारा 158 बी बी(1) के अन्तर्गत ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय अध्याय-iv के प्रावधानों के अनुसार संगठित की जानी है इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 68, 69ए, 69बी, 69सी के प्रावधानों को धारा 158 बी बी (2) के अधीन अप्रकटित आय/निवेश की संगणना करने में लागू किया जाना है। घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए बिना अप्रकटित आय के प्रति अप्रकटित निवेश के मुजरा करने के लिए अध्याय-xiv बी में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। यह पता चला था कि:-

(i) महाराष्ट्र में 7 मामलों में मुजरा अनुमत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 90.69 लाख रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में 3 आयकर आयुक्त प्रभारों में 4 मामलों में मुजरा अनुमत किया गया था जिसमें 86.19 लाख रू. की कम मांग अंतर्ग्रस्त थी।

**धारा 158 बी
बी(1)(सी) के
अंतर्गत अप्रकटित
आय की गलत
संगणना**

3.1.8.6(ख) धारा 158 बी बी(1)(सी) के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहां धारा 139 के अंतर्गत आय की विवरणी दाखिल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है परन्तु आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई है, अप्रकटित आय की संगणना में उस पूर्व वर्ष की प्रकट आय शून्य के रूप में ली जानी है। इस प्रकार कोई भी कटौती अनुमत नहीं है तथा समस्त आय को अप्रकटित आय के रूप में माना जाता है।

(i) महाराष्ट्र में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 5 मामलों में निर्धारण अधिकारी ने उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया परिणामतः अवनिर्धारण हुआ तथा 1508.69 लाख रू. के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) दिल्ली प्रभार में 13 मामलों में इस सम्बन्ध में प्रावधान का अनुपालन न करने के कारण 144.30 लाख रू. की आय का अवनिर्धारण हुआ। जिससे 86.77 लाख रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। यह कहते हुए 5 मामलों में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार नहीं की गई थी कि विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख समाप्त हो गई थी परन्तु निर्धारिती ने बाद में ब्लाक निर्धारण के पूरा होने के पहले विवरणी दाखिल की थी तथा निर्धारिती द्वारा यथा घोषित आय पहले कुल आय में शामिल की गई थी और उसके बाद कम की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों में अपेक्षा है कि पूर्व वर्ष जिसके लिए विवरणी नियत तारीख के पहले दाखिल नहीं की गई है के लिए अप्रकटित आय शून्य के रूप में मानी जानी है। कोई अलग व्याख्या से अप्रकटित और प्रकटित आय के बीच अन्तर खत्म हो जाएगा तथा विधि के प्रावधान विफल हो जाते हैं।

(iii) केरल में आयकर आयुक्त कोची प्रभार में एक निर्धारिती फर्म के मामले में 8.2.96 को तलाशी संचालित की गई थी जब निर्धारण वर्षों 1993-94, 1994-95 और 1995-96 की विवरणियां दाखिल नहीं की गई थी। यद्यपि निर्धारिती ने तलाशी के दौरान 242.71 लाख रू. की अप्रकटित आय को स्वीकार किया परन्तु निर्धारण अधिकारी ने 25.3.97 को 106.07 लाख रू. की अप्रकटित आय का अवधारण किया जो निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए विवरणी में दी गई अप्रकटित आय थी। निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए आय धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा के बाद 17.3.97 को अलग से क्रमशः 69.36 लाख रू. और 86.21 लाख रू. अवधारित की गई थी। चूंकि विवरणियां तलाशी के बाद दाखिल की गई थी इसलिए समस्त अप्रकटित आय को 8.2.96 को समाप्त होने वाली ब्लाक अवधि के लिए ब्लाक निर्धारण वर्ष के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए धारा

143(3) के अंतर्गत निर्धारणों को पूरा करने से 23.65 लाख रू. की निम्नतर कर दर का लाभ निर्धारिती को मिला। उसी ग्रुप के अन्य निर्धारिती के सम्बन्ध में 8.2.96 को समाप्त होने वाली ब्लाक अवधि का भाग न बनने के रूप में निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए अप्रकटित आय मानने में निर्धारण अधिकारी की उसी प्रकार की गलती के परिणामस्वरूप 45.60 लाख रू. की आय निर्धारण से छूट गई जिसमें 6.93 लाख रू. का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(iv) इसी प्रकार मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 111 निर्धारितियों के संबंध में इस उपखंड के प्रावधान का गलत उपयोग करने के परिणामस्वरूप 141.92 लाख रू. के कर का कम निर्धारण हुआ।

अप्रकटित आय की संगणना करने में शामिल न किए गए फर्म के भागीदारों को प्रदत्त वेतन परिलब्धियां और ब्याज

3.1.8.6(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 158 बी बी (i) के नीचे स्पष्टीकरण (ख) के अनुसार ब्लाक अवधि के अन्दर आने वाले प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए फर्म की अप्रकटित आय, विवरणीत आय और निर्धारित कुल आय के अवधारण के प्रयोजन के लिए वह आय होगी जो वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस या किसी भी नाम से कही जाने वाली परिलब्धियों की कटौती अनुमत करने से पूर्व होगी बशर्ते कि इस प्रकार अवधारित फर्म की अप्रकटित आय भागीदारों के पास से चाहे आवंटन या लेखों की वृद्धि में हों, कर के लिए प्रभार्य नहीं होगी।

असम में सितम्बर 1996 और दिसम्बर 1997 के बीच पूरे किए गए ब्लाक निर्धारणों के दौरान 1 अप्रैल 1985 और 17 दिसम्बर 1996 के बीच की ब्लाक अवधि के लिए 6 फर्मों की अप्रकटित आय की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारियों ने पूर्व वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक भागीदारों को प्रदत्त कुल 28.55 लाख रू. के वेतन, ब्याज और परिलब्धियों को शामिल करने में चूक की जो संबंधित पूर्व वर्षों के निर्धारण पूरा करते समय कटौती के रूप में अनुमत किए गए थे। परिणामस्वरूप समान राशि की अप्रकटित आय के अवनिर्धारण के साथ 17.13 लाख रू. के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

हानियों का अनियमित मुजरा

3.1.8.6(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158 बी बी(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्याय-vi के अन्तर्गत पूर्व वर्षों से अग्रणीत हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास का ब्लाक अवधि के लिए अवधारित अप्रकटित आय के प्रति मुजरा नहीं किया जाएगा।

(i) उत्तर प्रदेश में यह पाया गया कि 6 मामलों, जिनमें 43.65 लाख रू. अन्तर्ग्रस्त थे, में अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में विभिन्न निर्धारण वर्षों में दर्शायी गयी हानियां सुसंगत वर्षों की अप्रकटित आय के प्रति समायोजित की गयी थीं। इस प्रकार 43.65 लाख रू. की हानियों के अनियमित समायोजन के परिणामस्वरूप 28.71 लाख रू. (2.53 लाख रू. के अधिभार सहित) की राशि के कर का अवप्रभार हुआ।

(ii) इसी प्रकार उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में 2 मामलों में गलत मुजरा करने के परिणामस्वरूप 4.65 लाख रु. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(iii) असम में ब्लाक अवधि 1985-86 से 13 सितम्बर 1995 के लिए निर्धारितियों के एक ग्रुप की एक देशी कम्पनी का ब्लाक निर्धारण सितम्बर 1996 में पूरा हुआ। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि कुल 22.44 लाख रु. के अनवशोषित मूल्यहास का 1991-92 से 1994-95 तक के पूर्व वर्षों की आय से मुजरा किया गया था तथा 1992-93 से 1995-96 तक के सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारणों में अनुमत किया गया। परन्तु ब्लाक अवधि 1985-86 से 13 सितम्बर 1995 के लिए निर्धारिती कम्पनी की अप्रकटित आय की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने ब्लाक अवधि के लिए अप्रकटित आय के अवधारण के लिए विभिन्न पूर्व वर्षों में निर्धारण में अनुमत अनवशोषित मूल्यहास को शामिल करने से छोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप 22.44 लाख रु. की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 15.48 लाख रु. के कर का कम उद्ग्रहण अंतर्ग्रस्त था।

अध्याय-VI- ए की कटौतियों की गलत अनुमति

3.1.8.6(ड) धारा 158 बी बी की व्याख्या में प्रावधान है कि अप्रकटित आय के अवधारण के लिए कुल आय या हानि अध्याय IV (धारा 14 से 59) के प्रावधानों के अनुसार संगणित की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए अध्याय VI ए के अन्तर्गत कोई कटौतियां अनुमत नहीं की जानी थीं।

(i) मुम्बई में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 5 मामलों में अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियां अनुमत करने के बाद अप्रकटित आय संगणित की गयी जिसके परिणामस्वरूप 1023.77 लाख रु. की अप्रकटित आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 702.31 लाख रु. के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

(ii) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 42 मामलों में अध्याय VI ए की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 76.62 लाख रु. की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 51.11 लाख रु. का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

धारा 158 बी डी के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया

3.1.8.6(च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158 बी डी के प्रावधानों के अनुसार जहां निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई अप्रकटित आय ऐसे व्यक्ति से इतर किसी व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके सम्बन्ध में तलाशी धारा 132 के अन्तर्गत की गयी थी या जहां लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या कोई परिसम्पत्तियां धारा 132ए के अन्तर्गत अपेक्षित थीं तब लेखाबहियां, अभिग्रहीत या मांगे गए अन्य दस्तावेज या परिसम्पत्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और कि निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और अध्याय XIV बी के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

ब्लॉक निर्धारण में इस सम्बन्ध में प्रदान की गयी विशेष शक्ति के उपयोग न करने और राजस्व की परिणामी हानि का नीचे विवरण दिया गया है:-

(i) गुजरात में यह पाया गया कि 11 गुप मामलों में 100 निर्धारितियों, जिनकी आय का 1302.95 लाख रु. (मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) अनुमान लगाया गया, से सम्बन्धित सामग्री, अभी भी अंतरित की जानी थी (जून 1999) हालांकि गुप मामले सितम्बर 1996 से फरवरी 1998 के दौरान पूरे किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप इन मामलों का निर्धारण नहीं हुआ और राजस्व की परिणामी हानि हुई।

(ii) दिल्ली प्रभार में एक व्यष्टि के घर पर तलाशी के दौरान साक्ष्य पाया गया जिससे यह प्रमाणित हुआ कि सम्पत्ति का बिक्री प्रतिफल व्यष्टि की बहियों में दर्ज प्रतिफल से अधिक था और व्यष्टि ने सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए 19.38 लाख रु. का बहियों से बाहर भुगतान स्वयं घोषित किया था। अतिरिक्त आयकर निदेशक (इन्व) ने जून 1996 में निदेश दिया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 158 बी डी के प्रावधानों के अनुसार उन दो व्यष्टियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट मामला बनता था जिन्होंने सम्पत्ति बेची थी। इन मामलों के डी सी स्पेशल रेंज 8 के साथ केन्द्रीयकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि सम्पत्ति के विक्रेताओं के मामले न तो केन्द्रीयकृत किए गए न ही अधिनियम की धारा 158 बी डी के अन्तर्गत कोई कार्रवाई की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि विक्रेताओं के हाथों में 19.38 लाख रु. की अप्रकटित आय, जिसमें 11.63 लाख रु. का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, निर्धारित किए बिना रह गई।

(iii) तमिलनाडु में आ आ के 4 प्रभारों में 4 निर्धारितियों के मामले में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158 बी डी के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि ऐसे मामलों में आय से बचने के विवरण अभिलेखों में उपलब्ध थे जिसके परिणामस्वरूप 201.40 लाख रु. के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। एक अन्य मामले में दिनांक 12.8.96 की मूल्यांकन रिपोर्ट में सहायक निदेशक (इन्क) यूनिट II, कोयम्बटूर ने बताया कि एक व्यक्ति, जिससे भूमि खरीदी गयी थी, के नाम एक अलग रिपोर्ट भेजी जाएगी। मूल्यांकन रिपोर्ट तथा निर्धारण आदेश के आधार पर भूमि का बिक्री मूल्य 179.20 लाख रु. अवधारित किया गया। तथापि पूरक मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रस्तुत न करने के कारण धारा 158 बी डी के अन्तर्गत भूमि के विक्रेता को नोटिस जारी नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप विक्रेता के हाथों में अप्रकटित आय पर कर के अतिरिक्त पूंजीगत अभिलाभ निर्धारण करने से छूट गए।

(iv) हरियाणा, चण्डीगढ़(सं रा क्षे), मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में जुलाई 1996 और मई 1998 के बीच पूरे किए गए 43 व्यक्तियों के ब्लॉक निर्धारणों में अन्य राज्यों में सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों को 80 अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना के न भेजने के परिणामस्वरूप 185.18 लाख रु. के कर प्रभाव वाली 566.93 लाख रु. की आय का अवनिर्धारण हुआ।

**अनुबद्ध अवधि के अन्दर
ब्लाक निर्धारण का पूरा
न करना**

3.1.8.6(छ) धारा 158 बी ई के अनुसार धारा 158 बी सी के अंतर्गत निर्धारण आदेश उस महीने की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर पारित किया जाना चाहिए जिसमें एक निर्धारिती के मामले में धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी के लिए या धारा 132 ए के अन्तर्गत अपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया। 1.1.97 को या इसके बाद किए गए तलाशी के मामलों के लिए उपरोक्त सीमा अवधि 2 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

(i) महाराष्ट्र में एक निर्धारिती गुप के मामले में 12.12.95 से 15.1.96 तक तलाशी ली गयी और तदनुसार निर्धारण 31.1.1997 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। तथापि यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की तारीख (जनवरी 1998) तक निर्धारण पूरा नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्धारण कालबाधित हो गया है और राजस्व की हानि हो सकती है। मामले में अन्तर्ग्रस्त अप्रकटित आय की राशि 182 करोड़ रु. से अधिक है।

लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर विभाग ने बताया कि चूंकि पंचनामा नहीं दिया गया था इसलिए आपत्ति गलत प्रतीत होती है। उत्तर इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि मूल्यांकन रिपोर्ट में यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया था कि निर्धारिती धारा 158 बी ए के अन्तर्गत तलाशी द्वारा कवर किया गया था।

(ii) दिल्ली प्रभार में 2 मामलों में तलाशी 24.8.95 को पूरी की गयी और ब्लाक निर्धारण 31.8.1996 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था जबकि ब्लाक निर्धारण 113.63 लाख रु. की कुल अप्रकटित आय पर 30.9.1996 को पूरे किए गए और 68.18 लाख रु. की मांग की गयी। इस प्रकार निर्धारण सीमाकन द्वारा बाधित हुए।

(iii) चंडीगढ़ सं रा क्षे में एक व्यष्टि के मामले में तलाशी 17 जुलाई 1995 को पूरी हुई और ब्लाक निर्धारण को 31 जुलाई 1996 की अंतिम तारीख के अन्दर पूरा करने की बजाय 28 अक्टूबर 1996 को पूरा किया गया। विलम्बित निर्धारण के परिणामस्वरूप 83.98 लाख रु. की राजस्व हानि होगी चूंकि निर्धारिती ने भी निर्धारण के सीमाकन द्वारा कालबाधित होने पर इसका प्रतिवाद किया था।

(iv) कर्नाटक, आ आ पण्जी प्रभार में एक व्यष्टि तथा उसके परिवार के पांच अन्य सदस्यों के परिसरों में 16.10.96 से 20.10.96 तक एक तलाशी ली गयी। ब्लाक निर्धारण 50.60 लाख रु. के कर प्रभाव के साथ 84.33 लाख रु. की अप्रकटित आय पर 31.12.97 को पूरे किए गए। सभी निर्धारितियों ने कतिपय मुद्दों पर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध आई टी ए टी पुणे बैंच में अपील की जिसमें से एक यह था कि निर्धारण सीमाकन द्वारा बाधित हुए थे चूंकि समापन की अंतिम तारीख 31.10.97 थी। आई टी ए टी ने निर्णय दिया कि समापन के लिए समय सीमा 31.10.97 थी और इसलिए सभी

निर्धारण कालबाधित थे। अधिकरण के आदेशों को प्रभावी बनाया गया और सभी निर्धारणों को रद्द करने के बाद 50.60 लाख रू. की कर मांग में कमी की गई।

(v) इसी प्रकार असम और उड़ीसा में दो कालबाधित मामलों में 32.65 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तलाशी प्रचालनों के प्रभाव को या तो ब्लाक निर्धारण कार्रवाई के विलम्ब से पूरा होने के कारण कम कर दिया गया है या मामलों के कालबाधित होने के कारण पूर्णतया नकार दिया गया है जिससे राजस्व की हानि हुई है।

अनुद्ग्रहीत ब्याज और शास्तियां

3.1.8.7(क) धारा 158 बी एच के प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम के सभी अन्य प्रावधान अध्याय XIV बी के अन्तर्गत किए गए निर्धारणों पर लागू होंगे।

आयकर अधिनियम की धारा 269 एस एस में प्रावधान है कि 30.6.1984 के बाद कोई व्यक्ति एक अकाउन्ट पेई चैक या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट द्वारा अन्यथा कोई कर्ज या जमा किसी अन्य व्यक्ति से नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा यदि ऐसे कर्ज या जमा की राशि बीस हजार रू. या अधिक हो। उचित कारण के बिना इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कर्ज या जमा की राशि के बराबर एक रकम की शास्ति के लिए धारा 271 डी के अन्तर्गत शास्ति लगाए जाने के लिए दायी होता है।

(i) गुजरात में 6 निर्धारितियों के संबंध में 20,000 रू. से अधिक कर्ज हिसाब में न ली गई आय में से नकदी में अदा किया गया/प्राप्त किया गया जिससे उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसलिए निर्धारिती उनके द्वारा प्रदत्त/प्राप्त किए गए कर्ज की बराबर राशि की शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी थे। उद्ग्राह्य शास्ति की कुल राशि 541.90 लाख रू. बनती थी।

(ii) इसी प्रकार पश्चिम बंगाल आ आ VI प्रभार में 2.90 लाख रू. की राशि वाली 2 पार्टियों से नकदी में 20,000/-रू. से अधिक कर्ज की किश्तों प्राप्त करने के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के विरुद्ध न तो निर्धारण अधिकारी ने कोई कार्रवाईयां शुरू कीं न ही उसकी पहल न करने के लिए कोई कारण उसने बताया।

(iii) महाराष्ट्र में आ आ नागपुर प्रभार के अन्तर्गत एक निर्धारिती के मामले में महाराष्ट्र में इसके कारण 20 लाख रू. की शास्ति नहीं लगाई गई।

कर मांग के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज

3.1.8.7(ख) 1 अप्रैल 1989 से यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर के लिए कोई मांग सुसंगत मांग के नोटिस की तामील के 30 दिन के अन्दर एक निर्धारिती द्वारा अदा की जानी चाहिए। ऐसा करने की विफलता के कारण चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 1 अप्रैल 1989 से प्रतिमाह या उसके भाग के लिए डेढ प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। नवम्बर 1974 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने

अनुदेश जारी किए कि कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज परिकलित किया जाना चाहिए और कर मांग के अन्तिम भुगतान की तारीख के एक सप्ताह के अन्दर प्रभारित किया जाना चाहिए। आगामी अनुदेश जून 1991 में जारी किए गए कि ऐसे ब्याज के लिए मांग वर्ष की 31 मार्च को निर्धारिती से देय शेष मांग पर 30 अप्रैल से पहले की जानी चाहिए।

(i) पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में 4 मामलों में 14.91 लाख रू. के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ। 4 मामलों में भी ब्याज परिकलन नहीं किए गए और 30 अप्रैल तक मांग नोटिस जारी नहीं किए गए। अन्तर्ग्रस्त कर प्रभाव 76.10 लाख रू. था।

(ii) उत्तर प्रदेश में 8(आ आ) के प्रभारों में ब्लाक निर्धारण के सम्बन्ध में 1995-96 से 1998-99 तक की अवधि के लिए के.प्र.क.बो. के अनुदेश के अनुसार अप्रकटित आय पर उद्भूत 2897.26 लाख रू. के कर की एक बकाया मांग पर 704.48 लाख रू. के ब्याज का दर्शाया न जाना लेखापरीक्षा में बताया गया। विभाग ने उत्तर दिया कि कर की वसूली के बाद ब्याज प्रभारित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि ब्याज न तो परिकलित/उद्ग्रहीत किया गया था न ही अनुदेशों के अनुसार विभिन्न निर्धारितियों के प्रति मांग की गई।

(iii) इसी प्रकार दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 204 मामलों में इसके कारण ब्याज का अनुद्ग्रहण 909.33 लाख रू. की सीमा तक था।

ब्याज का अधिक उद्ग्रहण

3.1.8.7(ग) धारा 158 बी एफ ए(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार एक निर्धारिती 1 जनवरी 1997 को या इसके बाद की गई तलाशी के सम्बन्ध में अवधारित अप्रकटित आय पर कर के 2 प्रतिशत का साधारण ब्याज चूक की अवधि के लिए प्रतिमाह या एक माह के भाग के लिए अदा करने के लिए दायी होता है जहां विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती या निर्दिष्ट तारीख की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की जाती है।

महाराष्ट्र आ.आ. नागपुर प्रभार में, एक निर्धारिती व्यक्ति के मामले में धारा 158 बी एफ ए (1) के अन्तर्गत 109.81 लाख रू. का ब्याज गलत ढंग से उद्ग्रहीत किया गया हालांकि तलाशी प्रचालन 1 जनवरी 1997 से पहले पूरा किया गया था।

अप्रभावी तलाशी और निर्धारण

3.1.8.8(क) लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निम्नलिखित मामलों में तलाशी प्रचालन पूर्ण रूप से नहीं किए गए थे और निर्धारण भी अप्रभावी थे।

(i) तमिलनाडु में एक निर्धारिती जो उन व्यक्तियों के पति-पत्नी/बहु थी जिनके नामों में तलाशी प्राधिकार जारी किए गए थे, भी उनके साथ रह रहा था निर्धारण अधिकारी द्वारा 23.12.97 को उसके मामले में ब्लाक निर्धारण को पूरा करते समय किसी अप्रकटित आय पर ध्यान नहीं दिया गया था। तथापि, दि. 17.3.98 के एक पत्र में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के अनुसार उसने वी डी आई एस 1997 के

अंतर्गत 33.08 लाख रू. की राशि घोषित की थी, 30 प्रतिशत पर 9.93 लाख रू. का कर अदा किया और आयुक्त त.न. IV, चेन्नई से धारा 68(2) के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इस प्रकार किए गए अप्रभावी तलाशी और अभिग्रहण प्रचालन और पूरे किए गए ब्लाक निर्धारण के परिणामस्वरूप 9.93 लाख रू. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) निर्धारितियों के एक ग्रुप के आवास में 31.8.1995 को धारा 132 के अंतर्गत किए गए तलाशी और अभिग्रहण प्रचालनों के आधार पर अन्य मामलों में ब्लाक निर्धारण परिवार के उन सभी सदस्यों के संबंध में 31.8.1996 को पूरे किए जो वर्तमान में निर्धारित थे, नियमित निर्धारण, निर्धारण वर्ष 1993-94 तक पूरे किए गए थे। निर्धारितियों ने अपनी विवरणियां 1994-95 और 1995-96 निर्धारण वर्षों के लिए विलम्ब से दाखिल की। इसलिए उन सभी विवरणियों पर एक अभियुक्ति लिखी गई कि 'ब्लाक निर्धारण में विचार किए गए' और 1994-95 और 1995-96 निर्धारण वर्षों के लिए आय पर ब्लाक निर्धारण में कर लगाया गया था। सभी निर्धारितियों ने ब्लाक निर्धारणों के विरुद्ध अपीलें की और आई टी ए टी चेन्नई 'बी' बेंच में सभी निर्धारणों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि ब्लाक निर्धारणों को पूरा करने के लिए इन निर्धारितियों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं थे चूंकि प्राधिकार उनके पक्ष में नहीं था। ब्लाक निर्धारण 19.11.1997 को पुनरीक्षण आदेश में रद्द कर दिए गए संदर्भ याचिका भी आई टी ए टी द्वारा अस्वीकार कर दी गई। ब्लाक निर्धारणों के रद्द करने पर नियमित विवरणियां 26.11.1997 और 28.11.1997 को दाखिल की गई। चूंकि ये विवरणियां भी विलम्बित थी तथापि विलम्ब के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। आई टी ए टी द्वारा ब्लाक निर्धारणों के रद्द करने पर सामान्य तौर पर निर्धारणों पर पुनः विचार करने और निर्धारण को पूरा करने की चूक के परिणामस्वरूप 61.98 लाख रू. के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(iii) कर्नाटक में निर्धारितियों के एक ग्रुप जिसमें छः व्यक्ति, तीन फर्मे और एक कम्पनी थे जो कि सभी इमारती लकड़ी के कारबार में लगे हुए थे, के सम्बन्ध में तलाशी और अभिग्रहण प्रचालन शुरू किए गए। तथापि, तलाशी के वारंट मात्र दो व्यक्ति निर्धारितियों के मामले में जारी किए गए थे। जारी किए गए नोटिसों के उत्तर में सभी निर्धारितियों ने शून्य विवरणियां दाखिल की और मार्च 1997 में उसी दिन निर्धारण पूरे किए गए। जांच विंग द्वारा अनुमानित 967.35 लाख रू. कुल अप्रकटित आय के प्रति ब्लाक निर्धारणों में निर्धारित आय मात्र 103.57 लाख रू. के लिए थीं। इन निर्धारणों के विरुद्ध अपील की गई और आई टी ए टी ने कई आधारों पर सभी निर्धारणों को रद्द कर दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल था कि तलाशी के कोई वारंटी जारी नहीं किए गए थे और इसलिए ब्लाक निर्धारणों की मांग नहीं की गई और इसके अतिरिक्त निर्धारण कालबाधित थे। इस प्रकार समस्त तलाशी प्रचालन प्रथमतः निर्धारण अधिकारी के निष्कर्ष कि जांच विंग द्वारा सुझावित अधिकांश बर्धन मान्य नहीं थे के कारण और दूसरे अधिकरण के निर्णय कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार किए गए बर्धन भी अप्राधिकृत थे के कारण निष्फल हो गए।

विवरणियों/विवरणियों
में मदों पर विचार न
करना

3.1.8.8(ख) (i) अधिनियम के प्रावधान के विपरीत उत्तर प्रदेश में 4 तलाशी मामलों में (आ.आ.लखनऊ प्रभार के 19मामले और आ.आ. मेरठ प्रभार में 5) ब्लाक अवधि की परिभाषा का अनुसरण नहीं किया गया। ब्लाक निर्धारण से अपेक्षा की अवधि रेंज 2 वर्ष और 9 वर्ष के बीच थी। यह पाया गया कि ऐसे सभी मामलों में अप्रकटित आय सहित आय के विवरण और निर्धारित/वापस की गई आय निर्धारितियों द्वारा न तो प्रस्तुत की गई थी न ही ब्लाक निर्धारण को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा उसकी मांग की गई और उस पर विचार किया गया। इन विवरणों के अभाव में उपेक्षित अवधि, यदि कोई हो, के लिए अप्रकटित आय निकाली नहीं जा सकी। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर विभाग द्वारा यह बताया गया कि ये अवधियां के.प्र.क.बो. के अगस्त 1995 के परिपत्र सं.717 को ध्यान में रखते हुए उपेक्षित की गई थी। उत्तर सुसंगत नहीं है चूंकि परिपत्र में विवरणियों के प्रस्तुत करने/मांग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ii) आ.आ. आगरा प्रभार में अन्य मामले में यह पाया गया था कि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार धारा 158 बी सी/बी डी के अंतर्गत सम्बन्धित निर्धारितियों को नोटिस जारी किए गए थे। उत्तर में निर्धारितियों के निर्धारित फार्म में अपनी विवरणियों दाखिल की और अपनी अप्रकटित आय घोषित की परन्तु निर्धारण अधिकारी ने विवरणियों और सुसंगत दस्तावेजों की समीक्षा किए बिना 123 मामलों में निर्धारण कार्यवाहियां फाईल कर दी/बन्द कर दी जिनमें से पांच मामले ऐसे थे जिनमें निर्धारितियों ने प्रकटित आय दर्शायी थी। इसके अतिरिक्त कार्रवाइयों को बन्द करने के लिए निर्धारितियों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए थे। उत्तर प्रदेश, आगरा प्रभार में इन पांच मामलों की एक संवीक्षा से निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ी गई 14.26 लाख रुपये की अप्रकटित आय का पता चला जिसमें 8.87 लाख रुपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त था।

पंचनामा पर विचार न
करना

3.1.8.8 (ग) आ.आ. भुवनेश्वर, उड़ीसा, प्रभार में विभिन्न परिसम्पत्तियों अर्थात् बाँडों, शेयरों, यूलिप आदि का मूल्य पंचनामा में 3.44 लाख रुपये निकाला गया था (अभिगृहीत वस्तुओं की सूची)/तथापि न तो जांच अधिकारी ने उनको मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया न ही निर्धारण अधिकारी ने ब्लाक निर्धारण पूरा करने समय अभिगृहीत दस्तावेजों का हवाला दिया। दोनों अवस्थाओं में चूक के परिणामस्वरूप 2.06 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त यद्यपि 9 मदों वाली सोने के आभूषणों की मालसूची की सूची पंचनामा में दर्शाई गई पाई गई और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निषिद्ध आदेशों के अंतर्गत रखी हुई पाई गई तथापि न तो निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी न ही ब्लाक निर्धारण को पूरा करते समय निवेश के स्रोत का निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया।

दोषपूर्ण निर्धारण
जिनमें अपील का
टैस्ट नहीं किया गया

3.1.8.8(घ) (i) मुम्बई, आ.आ. नागपुर प्रभार में जुलाई 1995 में किए गए तलाशी प्रचालन के परिणामस्वरूप निर्धारितियों के एक ग्रुप के मामलों में 438.03 लाख रु. की अप्रकटित आय 31.7.1996 को इकतरफा संगणित की गई थी। निर्धारितियों की अपील पर निर्धारण आई टी ए टी द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि विवरणी दाखिल करने के लिए 15 दिन की निम्नतम सांविधिक अवधि नहीं दी गई थी और सुसंगत अभिगृहीत

लेखावहियों की प्रतियां भी इस परिणाम के साथ उपलब्ध नहीं कराई गई थी कि 262.82 लाख रु. की मांग न की जा सके।

(ii) दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(1) के अंतर्गत एक तलाशी 22.11.1996 को एक निर्धारिती के परिसरों में ली गई। तदनुसार ब्लाक निर्धारण 30.11.1997 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, ब्लाक अवधि की विवरणी दाखिल करने के लिए धारा 158 बी.सी. के अन्तर्गत नोटिस 21.11.1997 को बिलम्ब से जारी किया गया। ब्लाक अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने के लिए अनुभूत सांविधिक समय "15 दिन से कम नहीं" होता है। उसी हैसियत से निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया नोटिस सीमा-केन द्वारा बाधित हुआ और विधि के अनुसार सही नहीं था। इसके अनुसरण में किए गए किसी निर्धारण को अपील में रद्द किए जाने की संभावना थी। "शून्य" अप्रकटित आय पर निर्धारण धारा 158 बी सी के अंतर्गत नोटिस के जारी करने में विलम्ब को कम करने के लिए किया गया था।

आयुक्तों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के गलत लागू करने के कारण अवनिर्माण

3.1.9 धारा 158 बी जी के अनुसार ब्लाक निर्धारण का कोई आदेश आयुक्त (1.1.1997 से पहले) और 1.1.97 से संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निदेशक के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा। जहां धारा 132 के अंतर्गत कारवाई की गई थी, तमिलनाडु में 3 आ.आ. प्रभारों में 8 मामलों में तैयार किए गए ड्राफ्ट निर्धारण आदेशों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदनों की एक समीक्षा से 86.06 लाख रु. के कम उद्ग्रहन का पता चला जो आ.आ. द्वारा गलत दिशा-निर्देशों या निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके गलत लागू करने के कारण रहा।

एक निदर्शी मामले में निर्धारिती की स्वीकृति के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मात्र 50 प्रतिशत बिक्री वहियों में स्वीकार की गई और 20.65 लाख रु. के सोने और चांदी की कमी का वर्धन के लिए प्रस्ताव किया गया। आ.आ. तिस्ची (पूर्व त.न.V) ने निदेश दिया कि घाटा स्टॉक की बिक्री प्राप्तियों का अप्रकटित निवेश के लिए उपयोग किया गया था इसलिए टैलिसकोपिंग मैथड अनुभूत किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चूंकि कमी की लेखा वहियों के संदर्भ में संगणना की गई थी इसलिए हिसाब में न ली गई बिक्री को कुल बिक्री में जोड़ा जाना चाहिए। वर्धन के स्थान पर कम करने के परिणामस्वरूप 24.78 लाख रु. के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलें

3.1.10 अपीलीय कार्रवाईयों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दर्शायी गई है।

अपील मामलों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	ब्लॉक निर्धारण में अवधारित आय की राशि	कर प्रभाव (लाख रुपये में)	उन मामलों की संख्या जिनमें अपील दायर की गई	लम्बित अपीलों की संख्या	अनुमत राहत		वहन की गयी अप्रकटित आय की राशि	कर प्रभाव (लाख रुपए में)
						मामलों की संख्या	राशि		
1995-96 (1.7.1999 से)	50	633.38	379.72	12	12	-	-	-	-
1996-97	4950	248492.43	147515.97	2111	1898	197	8696.81	121395.25	70701.38
1997-98	4969	359646.87	226387.47	2177	2030	139	32261.34	101641.10	62065.68
1998-99 (दिसम्बर 1999 तक)	852	29573.12	18138.74	354	350	4	4.47	2673.61	1871.39

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए 10821 ब्लॉक निर्धारण मामलों की कुल संख्या में से 43 प्रतिशत मामलों में अपीलें प्रस्तुत की गयीं। 7.30 प्रतिशत मामलों में राहत अनुमत की गयी। अपील में राशियों पर अनुमत राहत की प्रतिशतता में 0.17 प्रतिशत से 24.09 प्रतिशत तक अन्तर था। तथापि अपील में मामलों के ऊंचे लम्बन (92.39 प्रतिशत) से अध्याय XIV बी को लागू करने के पीछे मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अर्थात् अप्रकटित आय को तेजी से कर लगाने के लिए बताना विफल हो जाता है।

(i) पश्चिम बंगाल में, समीक्षा किए गए 716 ब्लॉक निर्धारणों की कुल संख्या में से 261 मामलों में अपीलें प्रस्तुत की गयीं जिनमें से 210 मामलों में अपीलें लम्बित थीं। 51 मामलों में 21068.45 लाख रुपए की राहत अनुमत की गयी। अपील में वहन की गयी अप्रकटित आय 37197.22 लाख रुपए बनती थी जिसमें 22318.33 लाख रुपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। तथापि लेखापरीक्षा करते समय यह पाया गया कि छह मामलों में राहत की भारी राशि अपील में अनुमत की गयी और दो मामलों में निर्धारित छिपायी गयी आय की पूरी राशि को कम करके शून्य कर दिया गया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आ आ का प्रभार	निर्धारित अप्रकटित आय	अनुमत राहत	(लाख रुपए में)	
					वहन की गयी राशि पर कर प्रभाव	धारा 220 (2) के अन्तर्गत उद्ग्राह्य ब्याज
1.	1988-99	आ आ (के) II , कलकत्ता	99,52,270	62,45,502	22,24,061	
2.	1996-97	-वही-	8,69,733	8,68,188	930	135
3.	1997-98	-वही-	18,96,291	11,85,821	4,26,282	89,330
4.	1996-97	आ आ प बं VI	3,72,35,940	3,72,34,490	870	52

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

5.	1996-97	आ आ प बं XI	1,08,90,700	1,08,50,766	27,554
6.	1996-97	-वही-	1,00,15,040	95,44,013	2,82,616
7.	1997-98	आ आ (के) II कलकत्ता	14,74,860	14,74,860	शून्य
8.	1997-98	-वही-	9,01,180	9,01,180	शून्य

(ii) 1995-96 से 1998-99 के दौरान मध्य प्रदेश में नमूना जांच किए गए रेंजों/सर्किलों द्वारा किए गए ब्लाक निर्धारण मामलों के सम्बन्ध में अपीलीय कार्रवाईयों के विवरण निम्नानुसार हैं।

(लाख रूपए में)

ब्लाक निर्धारणों की कुल संख्या		उन मामलों की संख्या जिनमें अपीलें दायर की गयीं		अपील में निर्णय लिए गए मामलों की संख्या				
मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	कुल मामले	कुल आय	कम की गयी आय	रद्द की गयी आय	वहन की गयी आय
565	7366.42	415	7202.17	47	586.78	218.73	214.28	153.77

उपरोक्त सूचना में दर्शाया गया है कि 565 मामलों (142 मामले शून्य आय वाले होने के कारण) में निर्धारित 7366.42 लाख रूपए की आय के प्रति 415 मामलों में 7202.17 लाख रूपए (98 प्रतिशत) की आय के प्रति निर्धारितियों ने अपीलें की हैं। इसके अतिरिक्त 47 मामलों, जहां अपीलों का निर्णय किया गया, में 586.78 लाख रूपए की निर्धारित आय में से 37 मामलों में 218.73 लाख रूपए की आय कम कर दी गयी और 10 मामलों में 214.28 लाख रूपए की आय रद्द कर दी गयी। इस प्रकार 37 मामलों में अपील में वहन की गयी आय इन मामलों में 372.50 लाख रूपये की निर्धारित आय के प्रति 153.77 लाख रू. (41 प्रतिशत) थी।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि तलाशी के बाद अप्रकटित आय का अवधारण करते समय निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध लेखाओं, दस्तावेजों, अन्य विवरणों और सूचना की उचित रूप से जांच/संवीक्षा नहीं की गयी थी।

निर्धारित न किए गए पूंजीगत अभिलाभ

3.1.11 आयकर अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत एक पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ कतिपय निर्दिष्ट मामलों में इनको छोड़कर शीर्ष "पूंजीगत अभिलाभ" के अर्न्तगत कर को प्रभाय्य होते हैं।

उल्लेख न किए गए निवेश के अवधारण के निम्नलिखित मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने अन्तरण के परिणामस्वरूप उद्भूत पूंजीगत अभिलाभों के कर पर विचार नहीं किया।

आ.आ. का प्रभार	निर्धारितियों की संख्या	निर्धारण की तारीख	अन्तर्गत राशि	कर प्रभाव (लाख रु.में)	अभ्युक्तियाँ
हरियाणा	2	30 अगस्त 1996 28 जून 1996	3.75 11.52	2.25 6.91	विचार न किए गए अत्यावधि पूंजीगत अभिलाभ विचार न किए गए दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ
आ.आ.कोचि, केरल	1	6 जनवरी 1998	12.82	2.56	60 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत अभिलाभों के कर को प्रभासित करने के आई.टी.ए.टी. के दिशानिर्देश को विचार किए बिना छोड़ दिया गया।

धनकर कार्यवाहियाँ शुरू करने में चूक

3.1.12 कर योग्य धन वाले व्यक्तियों को धन कर विवरणियां दाखिल करनी अपेक्षित होती है और उन पर कर का भुगतान करना होता है। यदि धन कर अधिनियम के अर्न्तगत पूरे किए गए किसी निर्धारण के आधार पर निर्धारिती की धन की स्थिति में वृद्धि होती है तब धन कर के उद्ग्रहण के लिए भी समकालिक कार्रवाई पर विचार किया जाना होता है।

(i) चण्डीगढ़ (सं.रा.से) में यद्यपि एक निर्धारिती की 44.67 लाख रुपये की अचल और चल परिसम्पत्तियां और ब्लॉक निर्धारण जुलाई, 1997 में पूरा किया गया था तथापि कोई धन कर कार्यवाहियाँ शुरू नहीं की गईं हालांकि इस आशय की एक याद टिप्पणी निर्धारण आदेश में दर्ज की गई थी।

(ii) पंजाब में एक निर्धारिती ग्रुप के दो निर्धारितियों ने 1995-96 से 1996-97 के लिए अपनी धन कर विवरणियां दाखिल नहीं की थी यद्यपि उनके संबंधित तुलन पत्रों में 75.00 लाख रुपये और 52.77 लाख रुपये की राशियां पड़ी थी।

(iii) इसी प्रकार तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 30 निर्धारितियों के मामले में धन कर कार्यवाहियाँ यद्यपि धनकर अधिनियम के अर्न्तगत अर्ह परिसंम्पत्तियाँ ब्लाक निर्धारण के लिए अप्रकटित आय के अवधारण में शामिल की गई थी, के शुरू न किए जाने के परिणामस्वरूप 49.28 लाख रुपये की सीमा तक धन कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

दान कर कार्यवाहियाँ शुरू करने में चूक

3.1.13 दान कर अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत दान का अर्थ है धन या धन के मूल्य में स्वेच्छा से और किसी प्रतिफल के बिना किया गया किसी मौजूदा चल या अचल सम्पत्ति का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अन्तरण।

(i) तमिलनाडु में 5 आ.आ. प्रभारों में 16 निर्धारितियों के मामले में ब्लाक निर्धारण मामलों की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि निवेशों पर कर लगाया गया था तथापि दान कर का उद्ग्रहण करने के लिए समकालिक कार्यवाही नहीं की गई थी। चूंकि

निर्धारितियों द्वारा किसी प्रतिफल के बिना भूमिगत सम्पत्तियों और शेयरों में अपने परिवार के सदस्यों और सम्बन्धियों के नामों में निवेश किए गए थे। चूक के परिणामस्वरूप 101.13 लाख रुपये के दान कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(ii) इसी प्रकार कर्नाटक, पंजाब, चण्डीगढ़, (स.रा.क्षे), आंध्र प्रदेश और हरियाणा में 14 मामलों में दान और माने गए दान के प्रति दान कर कार्यवाहियाँ प्रारंभ न करने के परिणामस्वरूप 74.81 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

निर्धारित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना और तिमाही विवरणों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

3.1.14 (i) जुलाई 1995 में के.प्र.क.बो. द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 1927 के अनुसार ब्लाक निर्धारणों पर कार्यवाही करने वाले निर्धारण अधिकारियों को ब्लॉक निर्धारणों के लम्बन और निपटान और उसके सम्बन्ध में की गई और संगृहीत कर मांग से भी सम्बन्धित निर्धारित फार्म में अलग-अलग रजिस्टर (ब्लू बुक और मांग और संग्रहण रजिस्टर) रखना अपेक्षित होता है। तथापि मध्य प्रदेश में यह पाया गया कि नमूना जांच की गई 24 यूनिटों में से 8 यूनिटों द्वारा निर्धारित फार्म में ब्लू बुक और 9 यूनिटों द्वारा निर्धारित फार्म में मांग और संग्रहण रजिस्टर नहीं रखा गया था। ऐसे रजिस्टर आ.आ. भुवनेश्वर और आ.आ. सम्बलपुर प्रभागों में भी उड़ीसा में नहीं रखे जाते हैं।

(ii) अगस्त 1995 में बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निर्धारित फार्म में, "ब्लाक तलाशी निर्धारणों" सम्बन्धी एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऐसे माह की 20 तारीख तक के.प्र.क.बो. को आगे भेजने के लिए सम्बन्धित तिमाही की समाप्ति के बाद वाले माह की 10 तारीख तक आय कर के मुख्य आयुक्तों को ब्लाक निर्धारणों में कार्यवाही करने वाले प्रत्येक निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

मध्य प्रदेश में जून 1996 से मार्च 1999 तक की अवधि से सम्बन्धित 126 तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नमूना जांच से पता चला कि 84 दिनों तक के विलम्बों के साथ निर्धारण अधिकारियों द्वारा 74 रिपोर्टें भेजी गई थी।

विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव

3.1.15 विभागीय अनुदेशों के अनुसार विभाग के जांच विंग और निर्धारण अधिकारियों को अन्य विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों यथा राजस्व आसूचना, प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, बिक्री कर विभाग आदि के साथ समन्वय/सम्पर्क करना चाहिए।

(i) मध्य प्रदेश, भोपाल प्रभाग में एक निर्धारित फार्म का ब्लाक निर्धारण अक्टूबर 1996 में पूरा किया गया और 22.87 लाख रुपये पर आय निर्धारित की गई। ब्लाक निर्धारण को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने ब्लाक अवधि 1985-86 से 25.9.1995 के दौरान इलेक्ट्रिकल माल आदि की हिसाब में न ली गयी बिक्री का 114.34 लाख रूपए होना अनुमान लगाया और इसलिए ऐसी हिसाब में न ली गयी बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर पर सकल लाभ, जो 22.87 लाख रूपए बनता है, ब्लाक अवधि की आय होनी अवधारित की गयी। इस मामले में यह विवक्षित है कि निर्धारित

फर्म में इन हिसाब में न ली गई बिक्री पर बिक्री कर भी अदा नहीं किया होगा। परन्तु यह सूचना राज्य में बिक्री कर प्राधिकारियों को नहीं दी गई।

(ii) महाराष्ट्र में एक मामले में 272.77 लाख रुपये की छिपाई गई बिक्री सम्बन्धी तथ्यों को बिक्री कर प्राधिकारियों को सूचित नहीं किया गया।

अभियोजन का
प्रारंभ न किया
जाना

3.1.16 जबकि ब्लॉक निर्धारण की नई योजना में शास्तियों से उन्मुक्ति का प्रावधान किया गया परन्तु इसमें अभियोजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है।

पंजाब, जालन्धर प्रभार में एक निर्धारिती की तलाशी 10.10.95 को ली गई थी। ब्लाक अवधि 1.4.85 से 10.10.95 के लिए ब्लॉक निर्धारण अक्टूबर 1996 में पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पाता चला कि आ.आ. के दिनांक नवम्बर 1996 के पत्र के अनुसार निर्धारिती के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया जाना था परन्तु निर्धारण अधिकारी ने निदेश का अनुपालन नहीं

ध्यान देने योग्य
अन्य बातें-
राजस्व की
पंरिहार्य हानि

3.1.17 (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (1) के अन्तर्गत यदि प्राधिकृत अधिकार के पास इस बात का विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के अधिकारी में कोई अप्रकटित आय या सम्पत्ति है तो वह ऐसे स्थानों की तलाशी ले सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी मूल्यवान वस्तु या चीज को इसकी प्रमात्रा, भार या अन्य भौतिक विशेषता के कारण या इसका खतरनाक स्वरूप होने के कारण एक सुरक्षित स्थान तक इसका प्रत्यक्ष कब्जा लेना संभव या व्यवहार्य नहीं है वहाँ प्राधिकृत अधिकारी मालिक या व्यक्ति, जिसके तत्काल अधिकार या नियंत्रण में यह हो, को परिसरों से उसे न हटाने के लिए एक आदेश दे सकता है।

उत्तर प्रदेश में आ.आ. बरेली के अन्तर्गत मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर दो रेलवे वैगनों से कतिपय व्यक्तियों के मेवे, ब्रास जाली, स्टील चक्का, प्लास्टिक के माल आदि जैसे हिसाब में न लिए संदिग्ध माल की उतराई की सूचना प्राप्त हुई थी। अधिनियम की धारा 132 (3) के अन्तर्गत रेलवे प्राधिकारियों को उन माल के लिए रोकथाम आदेश जारी किसी गया था। मालसूची 18.9.96 को तैयार की गई थी। व्यक्तियों, जिनसे ये वस्तुएँ सम्बन्धित थी, का पता लगाने के लिए रेलवे और आयकर विभागों द्वारा कार्यवाही की गई थी। परन्तु प्रयोजन में सफलता नहीं मिली। चूंकि रेलवे अभिलेखों में व्यक्तियों के नाम जाली थे। चूंकि इन माल के लिए कोई दावेदार नहीं थे इसलिए इन्हें रेलवे प्राधिकारियों की अभिरक्षा में छोड़ दिया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में इन माल की नीलामी करने के लिए एक सुझाव दिया गया था परन्तु विभाग द्वारा ऐसी कोई नीलामी नहीं कराई जा सकी (अप्रैल 1999)।

इसी बीच 58 निर्धारितियों, जिनके नाम और पते जाली थे, के प्रति धारा 158 बी सी के अन्तर्गत इकतरफा निर्धारण सितम्बर 1997 में पूरे किए गए थे और 33.40 लाख रुपये की कुल मांग की गई थी। रेलवे प्राधिकारियों के अधिकार में माल की नीलामी सम्बन्धी

मामला विभाग के कर वसूली अधिकारी (टी आर ओ) को भेजा गया था। टी आर ओ द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने पर रेलवे प्रधिकारियों ने 4 मार्च 1998 तक 20.36 लाख रुपये की राशि के विलम्ब प्रभार की मांग भी जिसे 31 मार्च 1999 को बढ़ाकर 34.08 लाख रुपये कर दिया गया। परिणामस्वरूप अभिग्रहीत माल रेलवे प्राधिकारियों के पास पड़े थे (अप्रैल 1999) जबकि समय बीतने के साथ विलम्ब शुल्क में वृद्धि हो रही थी और पण्यों की गुणवत्ता और मूल्यों में भी कमी हो रही थी। न तो आयकर विभाग ने मूल्यांकन रिपोर्ट में यथा सुझावित नीलामी सम्बन्धी समय पर कार्यवाही की न ही राजस्व के हित में माल को और खराब होने से बचाने के लिए मामले का निपटान करने के लिए रेलवे विभाग के उच्च प्रधिकारियों के साथ मामला उठाया।

कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण वी डी आई एस 1997 के अन्तर्गत घोषणा

(ii) कर्नाटक में 20.2.97 को सहायक निदेशक आयकर (इन्च) इरोड, तमिलनाडु द्वारा प्रारम्भ की गई एक तलाशी 15.4.97 को पूरी की गई थी। निर्धारितियों का ग्रुप केन्द्रीयकृत था और कर्नाटक में एक निर्धारण अधिकारी के पास क्षेत्राधिकार रखा गया था जैसेकि 27.8.97 को आ.आ. कोयम्बटूर द्वारा अधिसूचित किया गया यद्यपि मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रैल 1997 में तैयार की गई थी तथापि दो निर्धारितियों के मामले में धारा 158 बी सी के अन्तर्गत 14.10.97 को नोटिस जारी किया गया और 4 अन्य निर्धारितियों को धारा 158 बी डी के अन्तर्गत मात्र 16 जनवरी 1998 में नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने इसी बीच दिसम्बर 1997 में वी डी आई एस, 1997 के अन्तर्गत 611 लाख रुपये घोषित किए और कर अदा किए। इसीलिए इन चार निर्धारितियों ने अनुवर्ती कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण 183 लाख रुपये का अनभिप्रेत लाभ अर्जित किया और तलाशी तथा अभिग्रहण के समस्त प्रचालनों को विफल कर दिया। अभिलेखों से किन्ही स्पष्ट कारणों का पता नहीं चलता था कि मामला कर्नाटक में एक प्रभार को क्यों अधिसूचित किया गया था जबकि सभी निर्धारितियों पहले केवल तमिलनाडु में निर्धारित किए गए थे और मूल्यांकन रिपोर्ट में कर्नाटक में किसी व्यक्ति के साथ कोई कारबार सम्बन्ध अथवा अन्य या नहीं दर्शाया गया था।

इसी प्रकार अन्य तीन निर्धारितियों के मामले में 20.8.97 को धारा 158 बी डी के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए थे और निर्धारितियों ने "शून्य" आय विवरणियाँ दाखिल की निर्धारण विवरणी में दर्शायी गई आय को स्वीकार करते हुए मार्च 1998 में पूरे किए गए थे। निर्धारितियों ने दिसम्बर 1997 में वी डी आई एस के अन्तर्गत 43.60 लाख रुपये घोषित किए। वी डी आई एस के अन्तर्गत घोषित आय वित्त अधिनियम 1997 की धारा 64 (2) (ii) के निषिद्ध खण्ड के अन्तर्गत पता लगायी गई। इसके परिणामस्वरूप 13.08 लाख रुपये तक कर के कम उद्ग्रहण के रूप में अनभिप्रेत लाभ हुआ है।

अधिनियम में कमी

3.1.18 (क) अधिनियम के प्रावधानों जैसे कि 1.1.97 तक थे, के अनुसार एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध तलाशी ली गई बी, धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी के अन्तर्गत ब्याज और धारा 271 (1) (सी) के अन्तर्गत शास्ति लगाने से पूर्णतया प्रतिरक्षा का लाभ उठायेगा। अन्य शब्दों में निर्धारितियों पर सभी शास्तियों और ब्याज सहित 60% भी समान

दर पर कर प्रभारित किया जाएगा। इस प्रकार प्रकट न की गई या निर्धारण से छूट गई आय पर कर लगाने के लिए एक निर्धारिती, जिसके मामले में विभाग अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही करता है, की तुलना में एक व्यक्ति जिसके मामले में विभाग ने एक तलाशी ली है सुसंगत रूप से लाभप्रद स्थिति में हो सकता है चूंकि निर्धारण से छूट गई आय के मामले में ब्याज और शास्ति सहित कर देयता तलाशी के मामले में 60% की समान दर पर अप्रकटित आय पर परिकलित कर की राशि से सामान्यतया काफी अधिक बनती है। आय कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा एक नई धारा 158 बी एफ ए (2) समाविष्ट ली गई जिसमें अप्रकटित आय के सम्बन्ध में धारा 271 (1) (सी) के अन्तर्गत शास्ति के उद्ग्रहण के लिए निर्धारण अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई। तथापि इस धारा के परन्तुक के अनुसार धारा 271 (1) (सी) के अन्तर्गत कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी यदि निर्धारिती ने एक विवरणी प्रस्तुत कर दी हो, विवरणी के आधार पर देय कर अदा कर चुका हो विवरणी के साथ प्रदत्त कर का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया हो और आय के उस भाग, तो विवरणी में दर्शाया गया था, के निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर न भी हो। इसीलिए संशोधन अधिनियम के जारी करने के बाद भी यदि एक व्यक्ति ने नोटिस में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर विवरणी दाखिल की थी और उसमें प्रकटित आय को सही ढंग से दर्शाया था और स्वतः निर्धारण कर भी अदा किया था तब एक पारम्परिक मामले में सामान्य उद्ग्रहण की तुलना में उस पर देयता कम होगी। संशोधन में इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

(ख) इसके अतिरिक्त अध्याय XIV- बी के अन्तर्गत कतिपय प्रावधान अधिनियम के उत्तरवर्ती संशोधनों के कारण अस्पष्ट रहे हैं या पुराने हो गए हैं।

- अध्याय XIV बी के प्रावधानों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि क्या एक निर्धारिती दीर्घविधि पूंजीगत अभीलाभों के सम्बन्ध में 60% की दर पर कर के अध्यक्षीन होगा या क्या 20% की दर जैसाकि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्राह्य है, लगेगी।
- अन्य व्यक्तियों की निर्धारण अधिकारी को लेखाबहियां दस्तावेज आदि सौंपने के लिए धारा 158 बी डी के अन्तर्गत कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक निर्धारणों के पूरा करने में या तो विलम्ब होता है या कुल मिलाकर कार्यवाहियाँ प्रारंभ नहीं की जाती हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधान लागू किया जाना चाहिए कि तलाशी प्रचालनों के परिणामों को उचित सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों के निर्धारण भी तेजी से पूरे किए गए हैं।

3.2 आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की समीक्षा


प्रस्तावना

3.2.1 प्रत्यक्षकर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और इसके विभिन्न पहलुओं पर डाटाबेस सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में अनुमोदित किया गया था। कार्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटरीकरण श्री टायर सिस्टम पर आरम्भ किया गया था। शीर्ष स्तर पर यह परिकल्पित था कि डाटाबेस रखने के लिए और विश्वव्यापी प्रवृत्ति का संसाधन कार्य निष्पादित करने के लिए विशाल कम्प्यूटरों वाला एक राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एन सी सी) प्रतिष्ठापित किया जाय। द्वितीय स्तर पर पूरे देश में क्षेत्रीय डाटाबेस का रखरखाव करने और क्षेत्रीय संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े कम्प्यूटरों से सज्जित 36 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आर सी सी) प्रतिष्ठापित किए जाने थे। सभी आर सी सी उच्च गति डाटा संचार लाइनों के माध्यम से एन सी सी से सम्बद्ध किए जाने थे। तीसरे स्तर पर सभी निर्धारण अधिकारियों के कक्षों में कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किए जाने थे और चरणबद्ध तरीके से डाटा/सूचना आदान प्रदान के लिए संबंधित आर सी सी के साथ जोड़े जाने थे। तदनुसार पहला चरण दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई शहरी क्षेत्रों में आरम्भ किया जाना था और इंटरसिटी और इंट्रासिटी संयोजनों के माध्यम से आर सी सी के साथ सम्बद्ध स्टेट-आफ-दी-आर्ट हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर मुहैया कराया जाना था। 3 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों में कम्प्यूटर प्रणालियों को सुदृढ़ करने के बाद दूसरे चरण में देश के शेष भाग को कवर करते हुए 33 अन्य केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण आरम्भ किया गया।

संगठनात्मक ढांचा

3.2.2 आयकर निदेशालय (प्रणाली) {डी आई टी एस} नई दिल्ली को हार्डवेयर/साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास/संस्थापन सहित कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की सम्पूर्ण योजना और कार्यान्वयन के लिए मुख्य नोडल प्राधिकरण बनाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र पर मुख्य आयकर आयुक्त (सी सी आई टी) द्वारा मानीटर और डी आई टी (एस) के साथ समन्वयन अपेक्षित था। उसकी सी आई टी (कम्प्यूटर प्रचालन) द्वारा सहायता की जायेगी जो आर सी सी के कार्यचालन का मानीटर करेगा।

संगठनात्मक ढांचे को आरेखण रूप से नीचे दर्शाया गया है:



कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य

3.2.3 योजनेत्तर व्यय (सी एन ई) की समिति द्वारा यथा अनुमोदित कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे:

- (क) कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करना;
- (ख) सूचना की समय पर उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करना;
- (ग) ईमानदार कर दाताओं पर अनुपालन भार कम करना;
- (घ) आयकर कार्यविधियों द्वारा कर दाताओं को न्यायोचित व्यवहार बढ़ाना;
- (ङ.) कर नियमों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना;
- (च) प्रबन्धन को समय पर विश्वसनीय और यथार्थ सूचना मुहैया कराना ताकि कर आयोजना और विधि निर्माण तथा निर्णय करने में भी उनको सहायता मिल सके;
- (छ) कर आधार को व्यापक बनाना; और
- (ज) प्रशासन की लागत को हर समय स्वीकार्य स्तर पर रखना।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

बजट तथा वित्त

3.2.4 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि के लिए कम्प्यूटरीकरण हेतु बजट आबंटनों और किए गए व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	अन्तिम संशोधित अनुमान	व्यय
1.	1994-95	400	2855.00	2758.15
2.	1995-96	500	694.11	665.26
3.	1996-97	500	1000.00	944.69
4.	1997-98	500	4020.50	4020.50
5.	1998-99	1500	3894.50	2066.28
	जोड़	3400	12464.11	10454.88

यह देखा गया था कि बजट अनुमान सभी वर्षों में संशोधित किए गए थे। अनुमानों को संशोधित करते समय प्रतिशतता वृद्धि 1994-95 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान 39 से 704 के बीच थी। 1994-95 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान किए गए व्यय से बजट अनुमानों में कुल वृद्धि 207 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि अनुमान अवास्तविक थे। इन विभिन्नताओं के लिए विभाग ने कोई औचित्य नहीं बताया था।

समीक्षा का कार्यक्षेत्र

3.2.5 समीक्षा में व्यापक रूप से दो मुख्य पहलू (i) अधिप्राप्ति नीति और (ii) उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शामिल है।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

3.2.6 कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम जिसमें अन्य के साथ-साथ संकल्पनात्मक योजना, हार्डवेयर, साफ्टवेयर और नेटवर्क आकार तथा प्रणाली के संगठनात्मक पहलुओं का अध्ययन शामिल है, के तकनीकी पहलुओं की जांच करने के उद्देश्य से आई आई टी दिल्ली से आई टी पेशेवरों का एक दल मई 1999 में परामर्शदाता के रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लगाया गया था। आयकर निदेशालय (प्रणाली) दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित अप्रैल 1994 से मार्च 1999 तक के अभिलेखों की संवीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ इस प्रतिवेदन में परामर्शदाता के निष्कर्षों को भी सम्मिलित किया गया है।

मुख्य मुख्य बातें

3.2.7 संकल्पनात्मक योजना

आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण के लिए अन्तिम की गयी संकल्पनात्मक योजना डाटाबेस आकार में पूर्णतया कम अनुमानित की गई। योजना ने स्वयं को दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई के तीन प्रमुख शहरों तक सीमित किया और 33 अन्य केन्द्रों तक फैलाव के मुद्दों पर विचार करने में विफल रही। योजना में केन्द्रीकृत पेन डाटाबेस की आवश्यकता को दृष्टिगत नहीं किया गया।

{ पैरा 3.2.8 }

हार्डवेयर मूल्यांकन

हार्डवेयरों की अधिप्राप्ति के लिए आमंत्रित कोई भी निविदादाता वांछित विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं था और कम संरूपी होना पाया गया। यद्यपि हार्डवेयरों की अधिप्राप्ति से पूर्व तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित प्रणाली आवश्यकता विनिर्देशन अन्तिम नहीं किया गया था तथापि विभाग ने पुनः निविदा आमंत्रित किए बिना 1990 लाख रुपये कीमत के हार्डवेयरों की अधिप्राप्ति के लिए टी आई एस एल को जुलाई 1994 में आदेश दिया।

{ पैरा 3.2.9.1(i) }

विपणन खर्च, उपरिखर्च और स्थानीय सेवाओं के रूप में मै. टी आई एस एल द्वारा निविदा में शामिल 208.64 लाख रुपये की एक राशि सरकारी प्रतिमानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी। हार्डवेयर मर्दों की अधिप्राप्ति पर 41.59 लाख रुपये के परिहार्य व्यय के अन्य मामले भी देखे गए थे।

{ पैरा 3.2.9.1(iii) और (v) }

चूंकि अनिवार्य पूर्वापेक्षाओं जैसे प्रतिष्ठापन स्थल और टर्मिनल बैंक तैयारी की स्थिति में नहीं थे इसलिए अधिप्राप्ति हार्डवेयर के प्रतिष्ठापन में 3 से 26 महीनों के बीच विलम्ब हुआ था।

{ पैरा 3.2.9.2 (ii) }

प्रश्न संसाधन 3 से 5 सैकिण्ड की अपेक्षा के प्रति 5 मिनट से 40 मिनट तक के बीच विशिष्ट प्रश्नों के लिए उत्तर समय के साथ धीमा था।

{ पैरा 3.2.9.2 (iv) }

साफ्टवेयर मूल्यांकन

मै. टी सी एस द्वारा विकसित कोई भी अनुप्रयोग साफ्टवेयर बार कोड प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ओ सी आर के माध्यम से प्रग्रहणीत डाटा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इसके परिणामस्वरूप बाह्य विक्रेताओं को लगाकर कराए गए डाटा एन्ट्री कार्य के लिए 82.08 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

{ पैरा 3.2.10.1 (ख) }

छः महीनों के अन्दर पूरी की जाने वाली नौ अनुप्रयोग प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन हेतु फरवरी 1994 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। तथापि अनुप्रयोग प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए 24 महीने अनुमत कर टेका अक्टूबर 1994 में मै. टी सी एस को दिया गया था। इसके अलावा टी ए एस और ए आई एस को छोड़कर सभी अनुप्रयोग प्रणालियाँ 24 महीनों की बढ़ाई गई अवधि के बाद 6 से 14 महीनों के बीच विलम्ब के बाद प्रतिष्ठापित की गई थीं परिणामस्वरूप कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

{ पैरा 3.2.10.1 (च) }

साफ्टवेयर मदों की खरीद में 83.25 लाख रुपये के परिहार्य व्यय के मामले देखने में आए थे।

{ पैरा 3.2.10.1 (छ) }

यद्यपि विशिष्ट पदावली में प्रश्न संसाधन उत्तर समय निविदा में शामिल किया गया था परन्तु मै. टी सी एस द्वारा इसकी अनदेखी की गई थी और विभाग ने विक्रेता का निष्पादन निर्धारित करने में इसे गैर समीक्षात्मक पैरामीटर के रूप में स्वीकार किया। साफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज में प्रस्तुत आकार अनुमान भी अपर्याप्त थे। इसके अलावा एकबार प्रणाली के अपने पूर्ण सम्भाव्य विकसित हो जाने पर हार्डवेयर पूर्णतया अपर्याप्त होगा। यह देखा गया था कि आर सी सी डिस्क स्टोरेज की कमी को पहले ही झेल रहे हैं।

{ पैरा 3.2.10.1(ज) और (झ) }

तीन महानगरों तथा अन्य 33 केन्द्रों में पेन आबंटन और ए आई एस को डाटा स्थानान्तरण के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारी कमी हुई थी। पेन फरियाद/शिकायत मामलों के निपटान में एक वर्ष से भी अधिक का विलम्ब हुआ था। पेन कार्ड सुरक्षा लक्षण वाले डिजाइन नहीं किए गए थे क्योंकि विवरणों का सत्यापन न तो निर्धारित किया गया था और न ही सत्यापित किए गए थे और विवरण स्वसत्यापन के आधार पर स्वीकार किए गए थे।

{ पैरा 3.2.10.2(ख) (i) }

निर्धारिती सूचना प्रणाली (ए आई एस) विभाग के वास्तविक कार्यचालन को ध्यान में रखकर उपयुक्त रूप से डिजाइन नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इसके कार्यान्वयन के दौरान गम्भीर बाधाएं उत्पन्न हुईं।

{ पैरा 3.2.10.2(ख) (ii) }

कर लेखाकरण प्रणाली (टी ए एस) के कार्यान्वयन के बावजूद चालानों के संसाधन में भारी कमी विस्तृत लेखा तैयार करने और सी आई टी द्वारा जैड ए ओ को प्रेषित करने में तथा दैनिक संग्रहण/प्रतिदाय रजिस्टर तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था।

{ पैरा 3.2.10.2(v) }

इरला प्रणाली पूर्णतया प्रचालन में नहीं थी चूंकि अन्य प्रणालियां जैसे पेन, टी ए एस, ए एस टी और टी डी एस स्थिर नहीं थीं। अन्य प्रणालियां जैसे ई आई एस, एम आई एस और आर एन एस भी इस मुख्य कारण कि ए ओ को मुहैया कराए गए व्यक्तिगत कम्प्यूटर आर सी सी/ टी वी के साथ नेटवर्क नहीं किए गए थे, से प्रचालन में नहीं थे।

{ पैरा 3.2.10.2 (vi) से (ix) }

नेटवर्क मूल्यांकन

टर्मिनल बैंक जुलाई 1996 तक चालू नहीं किए जा सके और पट्टा लाइनें, जो मार्च 1995 के अन्त से पहले चालू की जानी थी; 11 महीनों से 32 महीनों तक के बीच विलम्ब के बाद चालू नहीं की जा सकी।

{ पैरा 3.2.11.2(i) }

सम्पूर्ण प्रणाली का नेटवर्क हार्डवेयर की प्राप्ति से दो वर्षों से अधिक समय की अवधि के बाद भी क्रियाशील नहीं बनाया जा सका, परिणामस्वरूप सम्पूर्ण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

{ पैरा 3.2.11.2 (ii) }

यद्यपि पट्टा लाइनें 1996-97 से 1998-99 तक के दौरान कुल समय के 96 प्रतिशत से अधिक समय के लिए लगातार रूप से बन्द थीं परन्तु एम टी एन एल को प्रदत्त किराए से कोई आनुपातिक समायोजन नहीं किया गया था। नेटवर्क मदों की खरीद में 19.27 लाख रुपये के परिहार्य व्यय के मामले भी देखे गए थे।

{ पैरा 3.2.11.2(iv) और (v) }

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

आनलाइन कम्प्यूटिंग के लिए नेटवर्क की स्थिति पर्याप्त नहीं है जैसी कि मूल संकल्पनात्मक दस्तावेज तथा एस आर एस में परिकल्पित थी। या तो इंटरसिटी या इंटर सिटी नेटवर्क की कोई पृथक विनिर्देशन तथा डिजाइन नहीं थी।

{ पैरा 3.2.11.2(vi) }

प्रशिक्षण

3.60 लाख रुपये की लागत पर 1080 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अगस्त 1997 में एक ठेका मै. टाटा आई बी एम को दिया गया था। यद्यपि इन अधिकारियों को आबंटित 890 व्यक्तिगत कम्प्यूटर मई/अगस्त 1997 में प्रतिष्ठापित किए गए थे परन्तु कम नामांकन के कारण जनवरी 1999 तक केवल 541 अधिकारी प्रशिक्षित किए जा सके।

{ पैरा 3.2.12 (क) }

62.45 लाख रुपये की लागत पर 6620 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दो ठेके निविदाएं आमंत्रित किए बिना मार्च 1996 और दिसम्बर 1997 में मै. टी सी एस के साथ तय किए गए थे। यह तथ्य कि दरें अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के 1994 के ठेके पर आधारित थीं न कि कम्प्यूटर से सुपरिचित कराने के प्रशिक्षण आधारित थीं, मंत्रालय/बोर्ड के ध्यान में नहीं लाया गया था।

{ पैरा 3.2.12(ग) }

संकल्पनात्मक योजना का मूल्यांकन

3.2.8 आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण प्रयासों की उत्पत्ति मै. सी एम सी लिमिटेड द्वारा किए गए एक व्यवहार्यता अध्ययन पर आधारित थी। तदनन्तर एक कार्यचालन वर्ग नियुक्त किया गया था जिसकी सिफारिशों को सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संकल्पनात्मक योजना तक बढ़ाया गया।

संकल्पनात्मक योजना के अध्ययन से पता चला कि कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाली प्रक्रियाओं की पहचान करने का प्रयोग और प्रस्तावित समाधान की संरचना सुप्रलेखित और सुविस्तृत है। तथापि संकल्पनात्मक योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां देखी गई थीं :-

- प्रक्षेपित मील पत्थरों में से कोई भी समय पर प्राप्त नहीं किया गया था। मै. टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज (टी सी एस), जिसने 40 सप्ताहों में पूर्ण विकसित और परीक्षित साफ्टवेयर सुपुर्द करने का वादा किया, ने सभी माड्यूल सुपुर्द करने में 104 सप्ताह से अधिक समय लिया।

- ◆ कार्यचालन ग्रुप रिपोर्ट का सम्बन्ध एक निश्चित डाटाबेस आकार से था। इसकी जांच की गई थी और यह देखा गया था कि आकार डाटाबेस अपेक्षाओं के दृष्टिगत पूर्णतया कम आंका गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि कार्याचालन ग्रुप रिपोर्ट में दर्शाया डिस्क स्टोरेज का अनुमान फ्लेट फाइलों में ग्रहण किए जाने के लिए प्रत्याशित वास्तविक डाटा पर आधारित था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि आर डी बी एम एस परिवेश के अंतर्गत डिस्क क्षमता अपेक्षा वास्तविक डाटा आकार के चार गुने के रूप में ली गई थी और वे 50 जी बी मुहैया कराए गए। उन्होंने आगे कहा कि कार्यचालन ग्रुप की रिपोर्ट में दी गई डिस्क स्टोरेज अपेक्षा कम नहीं आंकी गई थी।

मंत्रालय के तर्क का सी ए जी द्वारा नियुक्त तकनीकी परामर्शदाता द्वारा सत्यापन किया गया था जिसने सूचित किया कि हार्डवेयर डिस्क स्टोरेज की वास्तविक स्थिति दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई के लिए 25 जी बी हेतु दिए गए वास्तविक आदेश की तुलना में 20 जी बी होनी पाई गई थी। तदनन्तर चेन्नई में संस्थिति 50 जी बी तक बढ़ाई गई थी।

- ◆ केन्द्रीकृत के प्रति विकेन्द्रीकृत प्रचालनों के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई थी और 36 स्थानों पर नेटवर्क " केन्द्रीकृत " संसाधन को " पूर्णतया विकेन्द्रीकृत " संसाधन से अधिक तरजीह दी गई थी। तथापि संकल्पनात्मक योजना तीन प्रमुख नगरों, दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में कार्यान्वयन तक स्वतः सीमित हो गई। इस पर चर्चा नहीं की गई कि 33 अन्य केन्द्रों तक पहुंच कैसे बढ़ाई जायेगी। संकल्पनात्मक योजना में यह उल्लेख नहीं था कि तीन नगरों से बाहर वृद्धि को परियोजना के निष्पादन के प्रथम चरण में प्राप्त किए गए अनुभव और सीखे गए सबक का उपयोग कर अपनी स्वयं की संकल्पनात्मक योजना की आवश्यकता होगी।
- ◆ संकल्पनात्मक योजना में यथा दृष्टिगोचर राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र की भूमिका अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास, परीक्षण, प्रलेखीकरण और अनुरक्षण की थी। तथापि यह भूमिका डी आई टी (एस) के कार्यालय में प्रचालनों का एकीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका को शामिल करने के लिए विस्तृत की गई थी।
- ◆ न तो कार्याचालन ग्रुप ने और न ही मंत्रालय ने साफ्टवेयर प्रणाली के प्रथम चरण के कार्यान्वयन तक केन्द्रीकृत पेन डाटाबेस की आवश्यकता पर ध्यान दिया। चूंकि केन्द्रीय पेन डाटाबेस का सृजन विभाग द्वारा बाद में कार्यान्वित किया गया था परन्तु डाटाबेस, नेटवर्क अपेक्षाओं सभी के संबंध में आकार उपयुक्त प्रतिक्रिया समय देने के लिए पुनः बढ़ाये नहीं गए हैं।

हार्डवेयर
मूल्यांकन

3.2.9.1 विनिर्देशन, डिजायन तथा अधिप्राप्ति चरण

चरण- I केन्द्र

अवसमनुरूप
हार्डवेयर की
अधिप्राप्ति

(i) हार्डवेयर की अधिप्राप्ति के लिए दिसम्बर 1993 में सरकार द्वारा एक तकनीकी मूल्यांकन तथा अधिप्राप्ति समिति (टी ई पी सी) की स्थापना की गई थी जिसने आगे हार्डवेयर आवश्यकताओं हेतु विनिर्देशन परिकल्पित करने, निविदा दस्तावेजों को अन्तिम करने और तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी उपसमिति (टी एस सी) की स्थापना की। प्रणाली अपेक्षा विनिर्देशन (एस आर एस) हार्डवेयर निविदा आमंत्रित करने और अधिप्राप्त करने से पूर्व अंतिम किए जाने अपेक्षित थे। तथापि एस आर एस अन्तिम करने से पूर्व हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए दिसम्बर 1993 में खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं जिनके प्रति 11 विक्रेताओं से बोलियां प्राप्त हुई थीं जिनमें से चार विक्रेताओं के पांच समाधान आगे मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध किए गए थे।

टी एस सी ने मई-जून 1994 के बीच चार विक्रेताओं के सूचीबद्ध समाधानों पर तकनीकी मूल्यांकन जांच की। मूल्यांकन ओरेकल डाटाबेस के चारों ओर तलचिन्ह कार्यक्रम के एक सेट पर किया गया था और अपेक्षा 25 संव्यवहार प्रति सेकेण्ड और 10 सेकेण्ड के प्रतिक्रिया समय के रूप में अनुमानित की गई थी। कोई भी निविदा वांछित विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थी और अवसमनुरूप पाई गई थी। तथापि टी एस सी ने मै. टाटा इनफार्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड (टी आई एस एल) द्वारा प्रस्तावित (i) ई एस-9000/210 तथा (ii) आर एस-6000/590 नामक दो समाधानों की सिफारिश की। विभाग ने अन्ततः आर एस-6000/590 प्रणाली का चयन किया और आदेश 1990 लाख रूपए के लिए टी आई एस एल को जुलाई 1994 में दिया गया था। अवसमनुरूप प्रणालियों के हार्डवेयरों की अधिप्राप्ति के बजाय एस आर एस को अन्तिम करने के बाद वांछित विनिर्देशन हार्डवेयर की अधिप्राप्ति के लिए निविदाएं पुनः आमंत्रित की जा सकती थीं।

मंत्रालय ने अवसमनुरूप हार्डवेयर की अधिप्राप्ति से संबंधित आपत्ति स्वीकार कर ली है। तथापि उन्होंने बताया कि निविदा पुनः आमंत्रित नहीं की गई थी क्योंकि हार्डवेयर का चयन तकनीकी मूल्यांकन में सूचीबद्ध समाधानों के तुलनात्मक निष्पादनों के आधार पर किया गया था और यह प्रत्याशित था कि इन प्रणालियों में निष्पादन क्लाउट/सर्वर माडल में एक बार समाधान कार्यान्वित हो जाने पर लगभग 30 प्रतिशत तक सुधार होगा।

तथापि उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पुनः निविदा आमंत्रण एस आर एस को अंतिम किए जाने के बाद वांछित विनिर्देशन के हार्डवेयर की अधिप्राप्ति के लिए अनिवार्य था।

विकृत निविदा प्रक्रिया

(ii) बड़े पैमाने पर सूचना प्रणाली का विकास मानक प्रक्रिया के भाग के रूप में अनिवार्यरूप से एस आर एस का सृजन शामिल करना है। टी एस सी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निविदाएं आमंत्रित करने और संस्थिति, जो निविदाओं में बेहतर थी, का चयन करना था। इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण केवल एक निविदादाता का चयन और तकनीकी मूल्यांकन अवस्था पर शेष की अस्वीकृति हुई। चयन करने में विभाग ने तकनीकी मूल्यांकन अवस्था पर अस्वीकृति निविदाओं की वाणिज्यिक बोली न खोलने की सामान्य प्रणाली अपनाई। चूंकि केवल एक विक्रेता (मै. टी आई एस एल लिमि.) की बोली खोली गई थी इसलिए यह बताना मुश्किल है कि क्या विभाग ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कीं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि संशोधित वाणिज्यिक बोलियों का आमंत्रण स्पष्टतया बताता है कि केवल तकनीकी रूप से सूचीबद्ध निविदादाताओं की वाणिज्यिक बोलियां खोली जायेगी इसलिए निविदा प्रक्रिया किसी भी तरह विकृत नहीं थी।

तथापि चूंकि कोई भी बोली निविदा विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थी इसलिए तकनीकी सूचीबद्ध करना अनियमित था।

अस्वीकार्य मर्दें

(iii) आगे यह देखा गया था कि मै. टी आई एस एल की वाणिज्यिक बोली में विपणन खर्च, उपरिव्यय वसूली और स्थानीय सेवा प्रभागों के प्रति 208.64 लाख रूपये की एक राशि शामिल थी। विपणन तथा अन्य उपरि खर्चें सरकारी खरीद के अंतर्गत स्वीकार किए जाने वाली मर्दें नहीं हैं। उच्च तकनीकी खरीदों में भी उपरि खर्चें सामान्यतया शामिल नहीं होते हैं और क्रेता द्वारा अदा किए जाते हैं इसलिए यह परिवर्तन परिहार्य था।

हार्डवेयर खरीद और साफ्टवेयर विकास में तुल्य कालिकता का अभाव

(iv) इसके अलावा हार्डवेयरों की अधिप्राप्ति करने और अनुप्रयोग प्रणालियां विकसित करने में कोई समन्वय नहीं था। ठेके में अक्टूबर 1994 तक हार्डवेयरों की सुपुर्दगी और नवम्बर 1995 तक साफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रणालियों के विकास का प्रावधान था। तथापि यह पाया गया था कि पहली मशीन लगभग अक्टूबर 1994 में सुपुर्द की गई थी और जनवरी 1995 में प्रतिष्ठापित की गई थी जबकि आठ साफ्टवेयर अनुप्रयोग में से पहला मध्य 1995 में स्वीकार और चालू किया गया था। उद्योग में हार्डवेयर की अप्रचलन दर को ध्यान में रखकर अग्रिम में हार्डवेयर की खरीद करने का लिया गया निर्णय विवेकी नहीं था।

परिहार्य व्यय के
मामले

(v) इसके अतिरिक्त 41.59 लाख रुपये के परिहार्य व्यय के निम्नलिखित मामले हार्डवेयर मदों की अधिप्राप्ति पर देखे गए थे:

1. मै. टी आई एस एल ने हार्डवेयर मदों की अधिप्राप्ति पर 35.95 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया। तथापि विभाग ने 30.92 प्रतिशत का लाभ उठाया परिणामस्वरूप 9.35 लाख रुपये की हानि हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।

2. यह पाया गया था कि विभाग ने कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर मदों और हार्डवेयर उपसाधनों को मै. टी आई एस एल के प्रस्ताव से छोड़ दिया और फर्म को दिए आदेश में इन मदों का मूल्य कम कर दिया। तथापि विभाग आदेश के मूल्य में इन मदों की कटौती के कारण आवश्यक आनुपातिक उपरिव्यय/वारंटी प्रभारों को घटाने में विफल रहा परिणामस्वरूप 14.29 लाख रुपये की हानि हुई।

3. दिसम्बर 1997 में अक्टूबर 1994 में अधिप्राप्त 740 पी सी के संबंध में 8 एम बी से 16 एम बी तक स्मरण शक्ति बढ़ाने और 2000 पी सी की अधिप्राप्ति करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। मै. सीमेन्स लिमि. और मै. एच सी एल लिमिटेड बोलियों में निम्नतम पाए गए थे परन्तु उन्होंने स्मरण माड्यूलों की बेमेल जटिलताओं के कारण वृद्धि जाब को स्वीकार नहीं किया और केवल पी सी की आपूर्ति के आदेश स्वीकार किए। तथापि विभाग ने दोनों निम्नतम फर्मों की जोखिम तथा लागत पर कार्य कराए जाने वाले खण्ड का प्रयोग किए बिना वृद्धि जाब के लिए आदेश मै. टाटा आई बी एम, जो बोलियों में तीसरा निम्नतम पाया गया था, को दिया परिणामस्वरूप 5.55 लाख रुपये की हानि हुई।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अनुरक्षण के दृष्टिकोण से मै. टाटा आई बी एम को आदेश देना वांछित था क्योंकि मूल प्रणालियां उन्हीं के द्वारा आपूर्त और प्रतिष्ठापित की गई थीं। तथापि उन्होंने दोनों निम्नतम फर्मों की जोखिम तथा लागत पर जाब कराने के लिए खण्ड का प्रयोग करने में अपनी विफलता का उत्तर नहीं दिया।

4. ओ सी आर इमेज और दो साफ्टवेयरों के साथ-साथ एक ओ सी आर आप्सन फाइल सर्वर पी एस 277 जुलाई 1994 में 5.00 लाख रु. की लागत पर टी आई एस एल से खरीदे गए थे। तथापि ये प्रशिक्षण विशेषज्ञता के अभाव में विभागीय कार्य के लिए लाभदायक नहीं पाया गया था और उपयोग नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि ओ सी आर प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि स्रोत दस्तावेज अर्थात् फॉर्म 49 ए, चालान फार्म और कर विवरणियां आदि में कुछ संशोधन अपेक्षित था और अनुप्रयोग साफ्टवेयर स्टाफ विरोध के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

5. मोडेम एम टी एन एल एण्ड पर पट्टा लाइनों पर प्रतिष्ठापित किए जाने थे। तथापि विभाग ने एक टी एन एल की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बिना जुलाई 1994 में मै. टी आई एस एल से 42 ए एस एम-20 मोडेम की खरीद की। तथापि मोडेम की वास्तविक आवश्यकता जून 1995 में निश्चित की गई थी और जुलाई 1995 में मै. मोटोरोला से 12 मोडेम की और खरीद की गई थी जो पूर्व में खरीद की तुलना में 17620 रुपये प्रति मोडेम तक सरते थे। ये मोडेम दिसम्बर 1995 तक भी उपयोग में नहीं लाए जा सके क्योंकि पट्टा लाइनें तैयार नहीं थीं। इस प्रकार 42 मोडेम की अधिप्राप्ति में जल्दबाजी के परिणामस्वरूप 7.40 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 42 मोडेम प्रतिष्ठापित किए गए थे और उपयोग किए गए थे। एम टी एन एल की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त मोडेम भी अधिप्राप्त किए गए थे और पट्टा लाइनों को चालू करने के लिए आपूर्ति किए गए थे। तथापि मंत्रालय ने प्रतियोगी दरें प्राप्त किए बिना और एम टी एन एल के साथ वास्तविक आवश्यकताओं को अन्तिम रूप दिए बिना 42 मोडेम की अधिप्राप्ति को न्यायोचित नहीं किया।

चरण II केन्द्र

हार्डवेयर की अधिप्राप्ति

(vi) मार्च 1997 में योजनेत्तर व्यय समिति (सी एन ई) ने वर्तमान एस एन-73 प्रणाली के स्थानापन्न द्वारा 33 केन्द्रों के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों और पेरीफेरल की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया। अप्रैल 1997 में खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और पुरानी एस एन-73 कम्प्यूटर प्रणालियों को वापस खरीदने के प्रति 42.86 लाख रूपए की राशि की कटौती को हिसाब में लेने के बाद 748 लाख रूपए की कुल लागत पर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और पेरीफेरल की आपूर्ति तथा प्रशिक्षण के लिए टी ई पी सी द्वारा मै. टाटा आई. बी.एम. की निम्नतम निविदा का चयन किया गया था। सितम्बर 1997 में 729 लाख रूपए के लिए हार्डवेयर की खरीद हेतु डी आई टी (सिस्टमस) द्वारा एक आशय पत्र जारी किया गया था। तथापि यह देखा गया था कि हार्डवेयर की सुपुर्दगी और प्रतिष्ठापन के लिए चार से छः सप्ताहों की लक्ष्य तारीखों के प्रति 33 केन्द्रों में कार्यस्थल तैयारी, टर्मिनल बैंक आदि में विलम्ब के कारण 6 से 33 सप्ताहों तक

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिष्ठापन में विलम्ब हुआ था और ठेकेदार के ऊपर कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी क्योंकि विलम्ब विभाग की ओर से था।

मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

उप आयुक्तों तथा
उनसे उच्च
अधिकारियों के
लिए पी सी की
अधिप्राप्ति

(vii) 3 मार्च 1997 को सी एन ई ने उप आयुक्तों तथा उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए 1077 पी सी प्रदान करने का अनुमोदन इस अनुबद्ध पर किया कि वर्ष 1996-97 में इन अधिकारियों में से 50% को परसनल कम्प्यूटर (पी सी), डाट मैट्रिक्स प्रिंटर (डी एम पी) और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सी वी टी) और शेष को अगले वित्त वर्ष में मुहैया कराए जाय। विभाग ने टाटा आई बी एम और मै. इलेकोन इंजीनियर्स से मार्च 1997 में 525 पी सी/डी एम पी/सी वी टी और जून/जुलाई 1997 में 552 पी सी/डी एम पी/सी वी टी की अधिप्राप्ति की।

यह देखा गया था कि विभाग ने वर्ष 1996-97 के दौरान 1077 पी सी/डी एम पी/सी वी टी की आवश्यकता को अन्तिम रूप दिया था। तथापि 1077 के बजाय केवल 525 पी सी/डी एम पी/सी वी टी के लिए 7.3.1997 को खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। मात्र तीन माह बाद अर्थात् 30 जून और 1 जुलाई 1997 को विभाग ने शेष 552 पी सी/डी एम पी और सी वी टी के लिए पुनः आदेश दिया। ये पुनः आदेश उन्हीं फर्मों को, उन्हीं दरों पर और ताजा कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना दिए गए थे यद्यपि आदेश का मूल्य 500 लाख रूपए से अधिक था और 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा के लिए था जो सरकारी खरीद प्रक्रिया के उल्लंघन में था। इसके अलावा यदि विभाग ने मार्च 1997 में ही 1077 की सम्पूर्ण मात्रा के लिए निविदाएं आमंत्रित की होती तो बेहतर प्रतियोगी दरें प्राप्त की गई होती।

मंत्रालय ने बताया कि पुनः आदेश टाटा आई बी एम को यह अभिनिश्चित करने के बाद दिए गए थे कि मूल्य, करों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सभी पांच तकनीकी रूप से सूचीबद्ध फर्मों, जिन्होंने मार्च 1997 में अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं, से प्रतियोगी मूल्य प्राप्त नहीं किए गए थे और केवल टाटा आई बी एम के साथ पूछताछ करने के बाद 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा के लिए दोबारा आदेश देना सरकारी खरीद प्रक्रिया के प्रतिकूल था।

सहायक
आयुक्तों/आई टी
ओ के लिए पी सी
की अधिप्राप्ति

(viii) विभाग में अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए ए सी/आई टी ओ के लिए 4900 पी सी, डी एम पी और सी वी टी की अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया गया था। अगस्त 1997 में 2640 लाख रूपए की राशि संस्वीकृत की गई थी ताकि 1997-98 के दौरान 2000 अधिकारियों (कुल क्षमता का 40%) को कवर किया जा सके। दिसम्बर 1997 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और टी एस सी ने विभिन्न प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन

के बाद नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इन फर्मों को आदेश देने के लिए मार्च 1998 में सिफारिश की:

(i)	मै. एच सी एल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड	1000 पी सी
(ii)	मै. सीमेन्स निक्सडोर्फ इनफार्मेशन सिस्टमस	500 पी सी
(iii)	मै. विप्रो-इन्फोटेक ग्रुप	500 पी सी

औपचारिक आदेश 15.4.1998 तक पी सी की आपूर्ति के अनुबद्ध के साथ 18.3.1998 को दिए गए थे। तथापि पी सी अप्रैल तथा जून 1998 के बीच वास्तव में प्राप्त हुए थे और अधिकांश पी सी उचित स्थान/विद्युत पाइन्ट आदि न होने के कारण मई-सितम्बर 1998 के बीच प्रतिष्ठापित किए गए थे जिनका उचित आयोजना के द्वारा परिहार किया जा सकता था।

3.2.9.2 प्रतिष्ठापन, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन

चरण I केन्द्र

स्थल तैयारी में विलम्ब

(i) सी एन ई तथा सचिव (व्यय) को विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हार्डवेयर की प्राप्ति से पहले स्थल तैयार होंगे तथा सिस्टम अगस्त 1994 तक तीन क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आर सी सी) में चालू होंगे। यह देखा गया था कि यद्यपि हार्डवेयर सितम्बर से नवम्बर 1994 के बीच अधिप्राप्त किया गया था परन्तु सी बी डी टी ने नवम्बर 1994 तक पूरे किए जाने वाले स्थल तैयारी कार्य के लिए केवल 353 लाख रूपए संस्वीकृत किए (अक्तूबर 1994) और तीन आर सी सी पर स्थल सितम्बर 1995 तक उपकरणों के प्रतिष्ठापन हेतु तैयार नहीं थे। तीन केन्द्रों द्वारा 67 लाख रूपए (दिल्ली के लिए 40.74 लाख रूपए, मद्रास के लिए 18.69 लाख रूपए और बम्बई के लिए 7.57 लाख रूपए) की राशि की अतिरिक्त निधियां नवम्बर 1995 में मांगी गई थीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि स्थल तैयारी के लिए उद्दिष्ट निधियां नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार संस्वीकृति के बिना विपथित और खर्च की गई थीं :

- चेन्नई में यह देखा गया था कि डीजल जेनरेटर सेटों के प्रतिष्ठापन हेतु उद्दिष्ट 11.12 लाख रूपए टर्मिनलों और सेन्ट्रल ट्रेजरी यूनिट कक्षों के तैयारी कार्य को विपथित किए गए थे जो मूल संस्वीकृत योजना में नहीं आता था। इसके अलावा यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किया गया था।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

- 6.52 लाख रू. स्थल तैयारी के अतिरिक्त मदों जैसे कम्प्यूटर स्टेशनरी, वाटर कूलर, फोटोकापियर, स्टाम्प और फर्नीचर आदि पर अनुमोदन के बिना खर्च किए गए थे।
- दिल्ली में अनुमोदित योजना के अंतर्गत आर.के. पुरम कार्यालय भवन की चौथी मंजिल पर केवल 4500 वर्ग फीट स्थल तैयारी शामिल थी। तथापि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसी स्थान पर दूसरी तथा तीसरी मंजिल पर अतिरिक्त 4500 वर्ग फीट स्थान प्राप्त किया गया था परिणामस्वरूप संस्वीकृत निधियों से 40.74 लाख रूपए अधिक खर्च किया गया था।

यह पुष्टि करते हुए कि हार्डवेयर के प्रतिष्ठापन में विलम्ब हुआ था, क्योंकि स्थल समय पर तैयार नहीं किए जा सके, मंत्रालय ने सी पी डब्ल्यू डी, विद्युत प्राधिकारियों, अग्नि निरोध आदि जैसी शामिल अनेक एजेंसियों की ओर से विलम्ब स्पष्ट कर दिया। तथापि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को हार्डवेयर की खरीद के लिए आदेश को अन्तिम करने से काफी पहले सभी घटकों को ध्यान में रखकर स्थल तैयारी के लिए अपेक्षित समय परिकलित कर लेना चाहिए था।

हार्डवेयर के प्रतिष्ठापन में विलम्ब

(ii) हार्डवेयर मदें, जो सितम्बर 1994 तथा नवम्बर 1994 के बीच प्राप्त हुई थीं, वास्तव में जनवरी 1995 से दिसम्बर 1996 के बीच प्रतिष्ठापित की गई थीं। इसलिए 1370 लाख रूपए मूल्य का हार्डवेयर 3 से 26 महीनों के बीच की पर्याप्त अवधि के लिए अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप हार्डवेयर के प्रचलन के अलावा निधियां अवरूद्ध हुईं।

मंत्रालय ने बताया कि अधिकांश हार्डवेयर मदें सभी तीन क्षेत्रीय केन्द्रों में जनवरी-फरवरी 1995 के बीच प्रतिष्ठापित की गई थीं। लेखापरीक्षा में यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह देखा गया था कि पी सी, सी वी टी, यू पी एस और डी एम पी जैसी अनिवार्य मदें जून-दिसम्बर 1996 तक प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी जिनके बिना 1370 लाख रूपए का प्रणाली हार्डवेयर (आर एस 6000-590) अप्रयुक्त रहा।

चरण II केन्द्र

पी सी के प्रतिष्ठापन में विलम्ब

(iii) अधिप्राप्त किए गए 1077 पी सी में से मई/अगस्त 1997 के लक्ष्य के प्रति सितम्बर 1998 तक केवल 890 पी सी प्रतिष्ठापित किए जा सके। शेष पी सी संस्वीकृत विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण मार्च 2000 तक चालू नहीं हुए हैं।

प्रचालन

(iv) निविदा दस्तावेज में उल्लिखित था कि पूछताछ के लिए वांछित प्रतिक्रिया समय 3 से 5 सेकेण्ड होना चाहिए। सी ए जी द्वारा लगाए गए आयकर परामर्शदाता द्वारा यह देखा गया था कि निष्पादन का यह नाजुक पैरामीटर प्रणाली द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि यह विशिष्ट पूछताछ के जवाब के लिए 5 से 40 मिनट लगाता है जिसका अभिप्राय या तो यह है कि हार्डवेयर ऐसी किसी परिचालनात्मक रूपरेखा के लिए अपर्याप्त है या कि डाटाबेस और अपेक्षित अनुप्रयोग भाग की डिजाइन की जाने वाली पूछताछ की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखती है। चूंकि प्रणाली केवल दो अनुप्रयोगों (पेन⁷ एवं टी ए एस⁸) के लिए अभी तक उपयोग की गई है इसलिए ए आई एस⁹ तथा ए एस टी¹⁰ का व्यापक उपयोग प्रणाली को पर्याप्त रूप से मन्द कर देगा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि निविदा दस्तावेज में यथा उल्लिखित प्रतिक्रिया मानदण्ड को सच्ची भावना और दस्तावेज की भावना में जांच करना संभव नहीं था। इसलिए डाटा तथा डाटाबेसेज, जो विभाग के पास आसानी से उपलब्ध थे, पर प्रोटोटाइप तलचिन्ह जांच तैयार करने का चेतन रूप से निर्णय लिया गया था

तथापि मंत्रालय ने न तो ऐसे प्रोटोटाइप तलचिन्ह जांचों और न ही विशिष्ट प्रश्नों के लिए वर्तमान प्रतिक्रिया समय के बारे में उत्तर दिया।

साफ्टवेयर
मूल्यांकन

3.2.10 विनिर्देशन, डिजाइन और अधिप्राप्ति चरण

ओरेकल आर डी
बी एम एस
साफ्टवेयर की
अधिप्राप्ति

3.2.10.1(क) अनुप्रयोग प्रणालियों की अपेक्षाओं के पूरा करने के लिए विभाग ने उपयुक्त रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर (आर डी बी एम एस) की अधिप्राप्ति करने का निर्णय किया। तीन वितरकों/विक्रेताओं से मार्च 1994 में सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और तकनीकी मूल्यांकन के बाद मै. ओरेकल इण्डिया लिमिटेड का निम्नतम प्रस्ताव तकनीकी सहायता और उनके ओरेकल साफ्टवेयर के लिए चार वर्षों हेतु कार्यस्थल सहायता प्रभारों सहित 283.83 लाख रूपए की कुल लागत पर स्वीकार किया गया था। छः सप्ताहों के अन्दर आपूर्त किए जाने वाला आदेश दिसम्बर 1994 में दिया गया था।

ओ सी आर
साफ्टवेयर का
उपयोग न किया
जाना

(ख) अनुप्रयोग साफ्टवेयर के डिजाइन तथा विकास की निविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुप्रयोग प्रणालियों की मुख्य विशेषताएं हस्तलिखित/मुद्रित/टंकित लिखित/बार कोडेड दस्तावेजों से ओ सी आर के माध्यम से डाटा ग्रहण करना थीं। यह भी स्पष्ट किया गया था कि परामर्शदाता द्वारा विकसित अनुप्रयोग ओ सी आर के माध्यम से ग्रहीत डाटा का

⁷ स्थाई लेखा संख्या (पेन)

⁸ कर लेखाकरण प्रणाली (टी ए एस)

⁹ निर्धारिती सूचना प्रणाली (ए आई एस)

¹⁰ निर्धारण सूचना प्रणाली (ए एस टी)

उपयोग करने के योग्य होने चाहिए। साफ्टवेयर परामर्शदाता को ओ सी आर साफ्टवेयर की आपूर्ति और ए एस सी II फारमेट में परिवर्तित करने से पूर्व बुद्धिमानी से स्वीकार वर्ण सांख्यिकीय विशेषताओं तक अनुप्रयोग साफ्टवेयर का विकास करना था।

ओ सी आर और बार कोड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयोजन डाटा एंट्री की किसी आवश्यकता से बचने के लिए था। तथापि यह देखा गया था कि मै. टी सी एस द्वारा विकसित कोई भी अनुप्रयोग साफ्टवेयर बार कोड प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ओ सी आर के माध्यम से ग्रहीत डाटा का उपयोग करने के योग्य नहीं था। इस प्रकार निविदा शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ। इसके अलावा यद्यपि अनुप्रयोग साफ्टवेयर का ठेका सितम्बर 1994 में दिया गया था और अनुप्रयोग मई 1995 से मई 1997 के बीच प्राप्त हुए थे परन्तु ऐसा केवल नवम्बर 1998 में हुआ था कि विभाग ने फर्म से ओ सी आर साफ्टवेयर सुपुर्द करने के लिए कहा। तथापि ओ सी आर साफ्टवेयर निम्नलिखित प्रतिबंधों के कारण इस चरण पर प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

- i) पेन के फार्म ओ सी आर अनुकूलता हेतु डिजाइन नहीं किए गए थे।
- ii) हस्तलिखित प्रतीक की साफ्टवेयर पहचान जटिल थीं और निविदा में अपेक्षा के रूप में सूचीबद्ध नहीं थी।
- iii) भारतीय प्रकार के लिखित फॉन्ट ओ सी आर मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
- iv) ओ सी आर प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु अपेक्षित आवश्यक हार्डवेयर (स्केनर) और साफ्टवेयर खरीदे नहीं गए थे।

यह देखा गया कि अनुप्रयोग साफ्टवेयर को स्वीकार करते समय निविदा दस्तावेज में यथा निर्दिष्ट ओ सी आर आवश्यकता पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया था। पेन के आबंटन हेतु ओ सी आर साफ्टवेयर और बार कोड प्रौद्योगिकी के उपयोग में विफलता के परिणामस्वरूप 1995-96 से नवम्बर 1998 तक के दौरान 82.08 लाख रुपये की परिहार्य लागत पर डाटा एंट्री से संबंधित कार्य बाहर से कराया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि मंद स्वीकृति और स्टाफ विरोध के कारण निर्धारण प्रणाली के कार्यान्वयन के मद्देनजर ओ सी आर समाधान के कार्यान्वयन पर विभाग जानबूझकर धीरे धीरे गया है। यह आगे बताया गया कि विभिन्न फार्मों को भी ओ सी आर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाने और हस्तलिखित और फॉन्ट की भिन्नता के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। पेन डाटा के लिए ओ सी आर साफ्टवेयर का प्रयोग उस चरण पर विभाग द्वारा अभिकल्पित नहीं किया गया था। तथापि पेन फार्मों की डाटा एंट्री के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय ओ सी आर आधारित समाधान प्रस्ताव के लिए निविदादाताओं को विकल्प दिया गया था जिसके लिए किसी भी विक्रेता ने ओ सी आर पर आधारित कोई समाधान नहीं दिया।

**अनुप्रयोग
साफ्टवेयर**

(ग) विभाग ने सभी करदाताओं का नगर/क्षेत्र-वार डाटाबेस बनाने की परिकल्पना की। तदनुसार नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार नौ अनुप्रयोगों की प्रणाली का विकास करने का निर्णय किया गया:

- (i) निर्धारिती सूचना प्रणाली (ए आई एस)
- (ii) निर्धारण सूचना प्रणाली (ए एस टी)
- (iii) टी डी एस सूचना प्रणाली (टी डी एस)
- (iv) कर लेखाकरण प्रणाली (टी ए एस)
- (v) व्यक्तिगत चालू खाता लेखा प्रणाली (इरला)
- (vi) प्रवर्तन सूचना प्रणाली (ई आई एस)
 - (i) तलाशी तथा जब्ती (ii) सर्वेक्षण (iii) कर अपवंचन याचिका और (iv) सी आई बी प्रणाली
- (vii) प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम आई एस)
- (viii) संसाधन प्रबन्धन प्रणाली (आर एम एस)
 - (क) जनशक्ति प्रबंधन प्रणाली (ख) प्रत्यक्ष संसाधन प्रणाली (ग) वित्तीय संसाधन प्रणाली और (घ) वेतन चिटठा प्रणाली
- (ix) न्यायिक अभिदेशन प्रणाली (जे आर एस)

विभाग ने उपर्युक्त सूचीबद्ध अनुप्रयोग प्रणालियों के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर के प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन हेतु एक साफ्टवेयर परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त करने के लिए फरवरी 1994 में निविदाएं आमंत्रित कीं और सितम्बर 1994 में 72.12 लाख रूपए की कुल लागत पर मै. टी सी एस को ठेका दिया। तथापि बाद में न्यायिक अभिदेशन प्रणाली उपर्युक्त ठेका से बाहर निकाल दी गयी थी और एक अन्य फर्म से अधिप्राप्त की गई थी इस प्रकार कुल ठेका मूल्य 67.06 लाख रूपए तक कम कर दिया था। इस संबंध में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नवत् पता चला:

**अनुप्रयोग
साफ्टवेयर
प्रणालियों का
प्राथमिकीकरण**

(घ) विभाग ने सभी करदाताओं के नगर/क्षेत्रवार डाटाबेस बनाने की परिकल्पना की। उसके अनुपालन में 9 अनुप्रयोग प्रणालियां विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। तथापि विभाग ने साफ्टवेयर प्रणाली के समन्वित संघटकों की पहचान और प्रणालियों के प्राथमिकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सभी 8 प्रणालियां (जे आर एस को छोड़कर) एक समय पर कार्यान्वित करने का निर्णय किया। यह उल्लेखनीय है कि 8 अनुप्रयोग साफ्टवेयर प्रणालियों में से 5 प्रणालियों (ए आई एस, ए एस टी, टी डी एस, टी ए एस और इरला) पेन के आबंटन, स्रोत पर काटे गए कर के लिए कर विवरणी डाटाबेस के संसाधन प्राप्त कर भुगतानों और निर्धारिती के व्यापक व्यक्तिगत चालू खाता लेखाओं के

आन लाइन आबंटन से संबंधित हैं। शेष 3 प्रणालियां (ई आई एस, एम आई एस एवं आर एम एस) स्वयं स्वतंत्र हैं। तथापि यह देखा गया था कि मै. टी सी एस को अक्टूबर 1996 तक किसी परस्पर प्राथमिकता के बिना सभी 8 प्रणालियों का पूर्ण विकास, परीक्षण, कार्यान्वयन और स्वीकृति किए जाने थे। आगे यह देखा गया था कि जुलाई-अगस्त 1996 में केवल 2 प्रणालियां, ए आई एस एवं टी ए एस विकसित की गई थीं और 3 प्रणालियों, ई आई एस, एम आई एस और आर एम एस के साथ-साथ अन्य 2 प्रणालियों (ए एस टी एवं इरला) 1997 में विकसित की गई थीं जबकि टी डी एस की प्रणाली मार्च 2000 तक विकसित नहीं की गई है। क्षेत्र अध्ययन से पता चला कि चूंकि सभी अनुप्रयोगों को वही प्राथमिकता दी गई है इसलिए सभी कार्यों को शामिल कर एक नगर/क्षेत्र में भी कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ था। योजनागत प्राथमिकीकरण, विकास और कार्यान्वयन का परिणाम लागत, समय और प्रयासों की बचत और राजस्व विवक्षा के साथ निर्णायक डाटा की यथासमय मानीटरिंग और संसाधन करना होता।

ढेका अनुबंध में विपथन

(ड) ढेका अनुबंध के अनुसार मै. टी सी एस को 67.06 लाख रू. की कुल लागत पर आठ अनुप्रयोग साफ्टवेयर का विकास करना था। तथापि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चूंकि सी बी डी टी ने कम्प्यूटर केन्द्र के उद्घाटन के समय पर कुछ वी आई पी को पेन नम्बर आबंटित करने की इच्छा जाहिर की इसलिए विभाग ने मै. टी सी एस से मूल पेन आबंटन प्रणाली (आई पी ए एन) नामक विकसित एक नया अनुप्रयोग साफ्टवेयर प्राप्त किया जो ढेका अनुबंध में मूल रूप में शामिल नहीं था। इसके प्रति अतिरिक्त कार्य के लिए 3.30 लाख रूपए की राशि का भुगतान मै. टी सी एस को किया गया था। इसके अलावा साफ्टवेयर के विकास के दौरान विभाग द्वारा किए गए विभिन्न परिवर्तनों के कारण 8.70 लाख रूपए की राशि का अतिरिक्त भुगतान भी विक्रेता को किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि आई पी ए एन आरम्भ में परिकल्पित नहीं था। तथापि यह बताया गया था कि आई पी ए एन अनुप्रयोग के अंतर्गत पेन के त्वरित आबंटन हेतु मंहगे हार्डवेयर का उपयोग करने के लिए सभी अनुप्रयोगों के विकास की प्रतीक्षा करने के बजाय सभी तीन केन्द्रों में बेच प्रोसेसिंग सिस्टम माड्यूल रखने का निर्णय लिया था।

साफ्टवेयर के विकास में विलम्ब

(च) साफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय (फरवरी 1994) सम्पूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए परिकल्पित अन्तरिम अवधि छः माह थी। मै. सी एम सी, जिसकी दरें निम्नतम थीं, साढे छः महीने की अवधि के अन्दर सम्पूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सहमत हो गया। विभाग ने उपर्युक्त समय सूची की अनदेखी की और 14 महीनों की अवधि, जो बाद में 18 महीने तक और तदनन्तर 24 महीनों तक बढ़ाई गई थी, अनुमत करते हुए ढेका अक्टूबर 1994 में मै. टी सी एस को दिया। तथापि केवल टी ए एस और ए आई एस को निकालकर शेष साफ्टवेयर बढ़ायी गयी अवधि के

बाद 6 से 14 महीनों के बीच विलम्ब के बाद चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में प्रतिष्ठापित किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि परियोजना को विलम्बित करने वाले अनेक घटकों के बावजूद टी डी एस को छोड़कर लगभग सभी अनुप्रयोग संशोधित समय सूची के लगभग अन्दर पूरे किए गए थे। तथापि उत्तर वास्तविक रूप से गलत होने के कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी पांच साफ्टवेयर अर्थात् इरला, ई आई एस, एम आई एस, आर एम एस और ए एस टी में भी उनको पूरा करने के लिए संशोधित समय अनुसूची को हिसाब में लेने के बाद भी विलम्ब हुआ है।

परिहार्य व्यय के मामले

(छ) 83.25 लाख रुपये की राशि के परिहार्य व्यय के निम्नलिखित मामले नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार साफ्टवेयर मदों की खरीद पर देखे गए थे:

1. मुम्बई और चेन्नई में ओरेकल साफ्टवेयर के प्रतिष्ठापन में 10 महीने का विलम्ब हुआ था। तथापि मै. ओरेकल इण्डिया को स्थल सहायता प्रभारों के लिए किया गया भुगतान क्रमशः केवल 3 से 6 महीनों के लिए समायोजित किया गया था। परिणामस्वरूप 6.60 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।
2. अगस्त 1997 में टी ई पी सी ने ओरेकल साफ्टवेयर के लिए अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि वर्तमान 775 लाइसेंस समवर्ती और पर्याप्त थे। तथापि विभाग ने दिल्ली हेतु 1.27 लाख रुपये की लागत पर अतिरिक्त 13 लाइसेंसों की खरीद की (नवम्बर 1997) थी जहां 227 प्रशिक्षित प्रयोक्ताओं के प्रति 290 लाइसेंस पहले ही विद्यमान थे।
3. विभाग ने 9.58 लाख रुपये की लागत पर मै. आई टी सी से प्रलेखीकरण और मीडिया सेटों के 397 अतिरिक्त सेटों की खरीद की जो परिहार्य था क्योंकि विभाग को 400 लाइसेंसों के साथ-साथ मुफ्त किए गए सेटों के दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
4. मै. ओरेकल इण्डिया के प्रस्ताव के अनुसार 30 दिनों के लिए कार्यस्थल तकनीकी सेवा वार्षिक तकनीकी सहायता में शामिल थी। फर्म द्वारा यह भी परिकल्पित था कि 30 दिनों के बाद कार्यस्थल तकनीकी सेवा की आवश्यकता नहीं होगी और आगे सहायता के लिए किसी आवश्यकता की दशा में मूल्य निर्धारण आपसी सहमति आधार पर होगा। जबकि प्रशिक्षण इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए था कि 30 दिनों की कार्यस्थल सहायता के बाद ओरेकल से किसी और कार्यस्थल सहायता की आवश्यकता नहीं होनी थी परन्तु यह देखा गया था कि ओरेकल

साफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रशिक्षण मै. ओरेकल इण्डिया द्वारा 1995 के अंत में 40 विभागीय व्यक्तियों को दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति आर एस 6000 कम्प्यूटर प्रणाली में पहले ही प्रशिक्षित थे। विभाग ने वार्षिक तकनीकी सहायता फीस के रूप में 48.83 लाख रुपये के भुगतान के अतिरिक्त जनवरी 1995 से जनवरी 1999 तक के पांच वर्षों के लिए कार्यस्थल सहायता प्रभारों हेतु 65.80 लाख रुपये का भुगतान किया जिसे बचाया जा सकता था यदि प्रशिक्षण के लिए अग्रिम योजना बनाई होती और प्रशिक्षित व्यक्ति विभाग में 1996 से उपलब्ध थे।

मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है परन्तु बताया कि विभागीय कार्मिकों के प्रशिक्षण ने 1998-99 तक 1999-2000 के हाल के वर्षों में स्थल सहायता को कम करने में सहायता की है। तथापि 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान स्थल सहायता प्रभारों को कम करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग न करने के लिए कोई औचित्य नहीं बताया गया था।

**प्रणाली अपेक्षा
विनिर्देशन
(एस आर एस)**

(ज) साफ्टवेयर से संबंधित एस आर एस मै. टी सी एस द्वारा तैयार किया गया था और आई ई ई ई* विनिर्देशनों के अनुरूप पाया गया था। तथापि यह देखा गया था कि यद्यपि छः सेकेंड का प्रतिक्रिया समय निविदा में शामिल किया गया था परन्तु मै. टी सी एस द्वारा विकसित एस आर एस में इसको छोड़ दिया गया था। विभाग ने भी एस आर एस में प्रतिक्रिया समय के मुद्दे को करने के लिए मै. टी सी एस पर दबाव नहीं दिया। इस प्रकार विक्रेता के निष्पादन का निर्धारण करने में प्रतिक्रिया समय को गैर नाजुक पैरामीटर के रूप में स्वीकार किया था। यह ध्यान दिया जाय कि साफ्टवेयर अपेक्षा और हार्डवेयर विनिर्देशन निर्दिष्ट प्रतिक्रिया समय प्राप्त करने के अनुरूप होने चाहिए।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि प्रतिक्रिया समय सामान्यतया एस आर एस में नहीं आता है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए समतुल्य होने चाहिए।

**साफ्टवेयर
डिजाइन दस्तावेज
(एस डी एस)**

(झ) व्यापक साफ्टवेयर का विकास पूर्णतया इस पर निर्भर करता है कि एस आर एस से एस डी एस कैसे प्राप्त होता है। उसी हैसियत से एस डी एस से हार्डवेयर आकार के साथ अनुकूल कोड लिखने के लिए पर्याप्त सूचना मुहैया कराना अपेक्षित है। इसलिए हार्डवेयर आकार को निश्चित करने से पूर्व एस डी एस को अन्तिम करना मानक प्रक्रिया है। हार्डवेयर आकार के इस मुद्दे की लेखापरीक्षा द्वारा दो कोणों से जांच की गई थी:

* इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

(क) क्या एस डी एस पर्याप्त सूचना के आधार पर तैयार किया गया था और

(ख) क्या एस डी एस तैयार करने से पूर्व पहले खरीदे गए हार्डवेयर विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त होंगे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एस डी एस में प्रस्तुत आकार प्राक्कलन कुछ कल्पनाओं के आधार पर अपर्याप्त थे। पहले ही खरीदे गए हार्डवेयर की पर्याप्तता के संबंध में यह देखा गया था कि आर सी सी पहले ही डिस्क स्टोरेज की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रणाली के एक बार अपनी पूर्ण सम्भावना पर विकसित हो जाने पर हार्डवेयर पूर्णतया अपर्याप्त होगा।

मंत्रालय ने बताया कि डिस्क स्पेस की कमी का मुख्य कारण फोटोग्राफ और पेन आवेदनों के हस्ताक्षर फाइल द्वारा घेरे गए स्पेस के कारण था और जॉब के पूरा होने के बाद इन्हें प्रणाली से निकाल दिया जायेगा और आफ लाइन मेग्नेटिक पर बेक अप के रूप में रखा जायेगा।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है कि पेन नम्बरों का आवबंटन, उनका संशोधन, सत्यापन के लिए बार-बार उपयोग और अतिरिक्त नए निर्धारित डिस्क स्पेस पर हमेशा बढ़ती मांग बन जाएंगे जो अब पहले ही अपर्याप्त है।

प्रतिष्ठापन,
स्वीकृति तथा
कार्यान्वयन

3.2.10.2 यह देखा गया था कि ओरेकल साफ्टवेयर, जो जनवरी 1995 तक लोड किया जाना था, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में क्रमशः मार्च 1995 से जून 1996, फरवरी 1995 से दिसम्बर 1996 और फरवरी 1995 से सितम्बर 1996 के बीच वास्तव में मुख्य हार्डवेयर (आर एस 6000) पर लोड किया गया था तथा 760 पी सी सर्वरों के साथ जोड़े गए थे।

साफ्टवेयर परीक्षण
तथा स्वीकृति
प्रक्रिया

(क) विभाग ने साफ्टवेयर की स्वीकृति/परीक्षण के लिए स्पष्ट प्रक्रिया परिकल्पित नहीं की और प्रवृत्ति माड्यूलों को परिचालनात्मक बनाये जाने के लिए प्रतीक्षा करने की थी ताकि परीक्षण सजीव किया जा सके। तथापि यह देखा गया था कि जबकि आई पी ए एन, टी ए एस तथा ए आई एस की स्वीकृति और कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रयास और आयोजना समाप्त हो गए परन्तु अन्य माड्यूलों की स्वीकृति पर ऐसा जोर नहीं दिया गया था।

मंत्रालय ने यह कहते हुए कि विभिन्न माड्यूलों की स्वीकृति में विलम्ब डी आई टी (सिस्टम) में तकनीकी कार्मिकों की कमी के कारण था, लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

प्रचालन

(ख) विभिन्न अनुप्रयोग साफ्टवेयर के प्रचालन की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

**स्थाई लेखा
संख्या (पेन)/
प्राथमिक पेन
आबंटन प्रणाली
(आई पी ए एन)**

(i) सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया की जांच के लिए स्थापित कार्यचालन ग्रुप ने सभी करदाताओं को एकमात्र पेन के आबंटन की प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि विभाग में प्रयुक्त विभिन्न साफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच अन्तर प्रणाली संयोजनों के लिए एक की बनाई जा सके। यह भी सिफारिश की गई थी कि दोहरे/बहुलित पेन के आबंटन से बचने के लिए पेन इनबिल्ट सुरक्षित होने चाहिए और किसी निर्धारिती की अद्यतन सूचना (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार सहित) सुनिश्चित होनी चाहिए। रिपोर्ट में एक नया बेजोड़ पहचान नम्बर निर्मित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया जिससे न केवल करदाता की पहचान एकमात्र रूप में हो बल्कि उपयोग के लिए छोटा और सरल होना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर दो भागों वाली पेन की नई श्रेणी विकसित की गई थी, नामतः

(क) ध्वन्यात्मक स्थाई लेखा नम्बर (पी पी ए एन) और
(ख) स्थाई लेखा संख्या (पेन)

मै. टी सी एस को ठेका देते समय परिकल्पित प्रणाली में आई पी ए एन नहीं था। आई पी ए एन अनुप्रयोग साफ्टवेयर (क) दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में एक बार पेन आबंटन के लिए (ख) विवरणियां दाखिल करने की देय तारीख के समय पर व्यस्ततम अवधियों के दौरान और (ग) हर समय के लिए अन्य शहरों और केन्द्रों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ए आई एस साफ्टवेयर का संक्षिप्त रूपान्तर था। अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा से निम्नवत पता चला:

**लक्ष्यों को पूरा
न करना**

(क) वर्ष 1998-99 की केन्द्रीय कार्य योजना के अंतर्गत बोर्ड ने पूर्ण पेन आबंटन, सूचना पत्रों और पेन कार्डों के प्रेषण तथा ए आई एस को डाटा स्थानांतरण के संबंध में 31.10.1998 तक 100 प्रतिशत लक्ष्य और चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई क्षेत्रों के लिए 31.3.1999 तक 1998-99 के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए पेन का 100 प्रतिशत आन लाइन आबंटन तथा 31.3.1999 तक 1998-99 के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए पूर्ण पेन आबंटन, सूचना पत्रों और पेन कार्डों के प्रेषण के लिए 33 केन्द्रों हेतु 70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय किया।

तथापि अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि 33 केन्द्रों में से केवल छः केन्द्रों (नासिक, कोल्हापुर, भुवनेश्वर, रांची, आगरा और जोधपुर) में लक्ष्य पूरे किए गए हैं। चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई और 33 केन्द्रों में से नीचे दिए अनुसार आठ केन्द्र वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके:

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	पेन के लिए प्राप्त फार्मों की कुल संख्या	आबंटित पेन नम्बर की प्रतिशतता (कालम 3 से)	जारी सूचना पत्रों की प्रतिशतता (कालम 4 से)	जारी पेन कार्डों की प्रतिशतता (कालम 4 से)
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	1220402	79	64	60
2.	मुम्बई	1837565	78	77	47
3.	चेन्नई	633188	84	89	85
4.	कोयम्बटूर	138360	45	7	7
5.	जबलपुर	460543	3	24	12
6.	पटना	357624	33	33	66
7.	इलाहाबाद	234417	57	13	13
8.	विशाखापत्तनम	308207	28	2	2
9.	कोचीन	322284	15	16	16
10.	त्रिवेन्द्रम	177946	25	31	24
11.	कलकत्ता	1763632	1	शून्य	शून्य

शेष 19 केन्द्रों में यद्यपि पेन आबंटन लक्ष्य प्राप्त किया गया था परन्तु सूचना पत्रों और पेन कार्डों के प्रेषण के लक्ष्य किसी तरह प्राप्त नहीं किए गए थे। तथ्य यह रहता है कि 36 केन्द्रों में से 30 केन्द्रों में पेन के आबंटन और पेन कार्ड जारी करने के संबंध में वर्ष 1998-99 की केन्द्रीय कार्य योजना के अंतर्गत यथा निश्चित लक्ष्य मार्च 1999 तक प्राप्त नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि 100 प्रतिशत लक्ष्य 31.3.2000 को पेन नम्बरों के आबंटन में प्राप्त नहीं किए जा सके।

शिकायतों के निपटान में विलम्ब

(ख) केन्द्रीय कार्य योजना के अनुसार जुलाई 1998 में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि कोई फरियाद/शिकायत एक महीने से अधिक लम्बित नहीं रखी जानी चाहिए। प्रणाली में पेन पूर्वदर्शन के लिए प्रावधान है, जिसके अंतर्गत निर्धारितियों के ब्यौरे, जो कार्ड पर मुद्रित किए जाने हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाते हैं और उनका फार्म 49 ए में उल्लिखित ब्यौरों के अनुरूप होना अपेक्षित है। तथापि पूर्वदर्शन के प्रावधान के बावजूद करदाताओं को जारी पेन कार्डों में गलत नाम, गलत जन्मतिथि, पिता का गलत नाम के मुद्रण, फोटो तथा हस्ताक्षरों की गड़बड़ से संबंधित अनेक शिकायतें देखी गई थीं जो दर्शाता है कि निर्धारित पूर्वदर्शन जांच नहीं की गई थीं।

आर सी सी, दिल्ली के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि केन्द्र में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या दर्शाने के लिए जुलाई 1998 से पूर्व के उपयुक्त

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

अभिलेख नहीं रखे जा रहे थे। जुलाई 1998 के बाद भी पेन शिकायत मामलों के निपटान में विलम्ब हुआ था और 76378 शिकायत मामलों में से केवल 896 शिकायतें (1 प्रतिशत) निपटाई गई थीं और मई 1999 को 75482 शिकायतें लम्बित थीं। बकाया शिकायतों के और विश्लेषण से पता चला कि जुलाई 1998 के बाद की अवधि से सम्बन्धित 70,139 शिकायतें केवल फरवरी 1999 में सी सी आई टी कार्यालय दिल्ली को प्राप्त हुई थीं।

दोषपूर्ण डिजाइनिंग

(ग) यह पाया गया था कि सम्पूर्ण आयकर प्रणाली प्रचालन के अनुसार अत्यन्त विकेन्द्रीकृत है। तथापि पेन प्रणाली केन्द्रीयकृत किए जाने के लिए अभिकल्पित थी। संकल्पना दस्तावेज में प्रस्तावित प्रणाली संसाधन के लिए केन्द्रीयकृत और डाटा इनपुट तथा आउटपुट के अनुसार विकेन्द्रीकृत के रूप में वर्णित थी। जबकि यह संकल्पना आर सी सी दृष्टिकोण से अधिक व्यवहार्य थी वहां एन सी सी दृष्टिकोण से यह कमजोर पाई गई थी।

सुरक्षा विशेषता की अनुपलब्धता

(घ) "फोनेटिक" मेट्रिंग का उपयोग कर एकमात्र पेन नम्बर उत्पादन करने पर आधारित आई पी ए एन डिजाइन बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी क्योंकि पेन आबंटन के दौरान प्रस्तुतीकरण के लिए आयु आदि के साक्ष्य हेतु कोई समर्थक दस्तावेज अनिवार्य नहीं बनाए गए थे। यह देखा जाए कि विद्यमान प्रक्रियाओं की प्रणाली एक व्यक्ति को अनेक पेन नम्बर जारी करने को प्रभावी रूप से वर्जित नहीं कर सकती। प्रत्यक्षतया पेन कार्ड किसी सुरक्षा विशेषता वाला नहीं था क्योंकि पेन आवेदन फार्म में दिए गए विवरणों का सत्यापन न तो निर्धारित किया गया था और न ही सत्यापित कराया गया था और विवरण स्वयं सत्यापन के आधार पर स्वीकार किए गए थे।

निर्धारिती सूचना प्रणाली (ए आई एस)

(ii) ए आई एस निर्धारण अधिकारी द्वारा पेन का आनलाइन आबंटन अनुमत करता है। कार्य अपेक्षा करता है कि ए ओ का टर्मिनल नेटवर्क पर आर सी सी तथा एन सी सी से जुड़ा होना चाहिए। यह प्रणाली संशोधित फार्म 49 ए में अन्तर्विष्ट सूचना के आधार पर सभी करदाताओं के निर्धारिती सूचना डाटाबेस बनाएगा और नए निर्धारितियों को अद्यतन करने की सुविधा होगी। यह परिकल्पित किया गया था कि ए आई एस कम्प्यूटरीकरण की प्रस्तावित योजना के लिए हब तैयार करेगा क्योंकि पेन अधिकांश अनुप्रयोग प्रणालियों को एकत्रित करने के लिए अभिसूचक कुंजी था। इसे प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि आई पी ए एन के अंतर्गत आबंटित सभी पेन ए आई एस डाटाबेस को स्थानान्तरित किए जाने चाहिए ताकि अन्य प्रणालियों जैसे टी डी एस, टी ए एस, इरला और ए एस टी के साथ एक दूसरे को प्रभावित कर सके।

कार्यान्वयन में विलम्ब

(क) तथापि यह देखा गया था कि ए आई एस दिल्ली में अप्रैल 1996, मुम्बई में सितम्बर 1996 और चेन्नई में अक्टूबर 1996 में प्रतिष्ठापित किया गया था और मार्च 1999 को ए आई एस के अंतर्गत क्रमशः 2.98 लाख, 1.10 लाख एवं 0.12 लाख पेन आबंटित किए गए थे। यद्यपि प्रणाली 33 में से 10 अन्य केन्द्रों में मई 1998 से जनवरी 1999 के

बीच कार्यान्वित की गई थी परन्तु 31.3.1999 को केवल रोहतक के एक केन्द्र में ए आई एस के माध्यम से केवल छः पेन आबंटित किए गए थे।

इसके अलावा जहां तक ए आई एस को पेन डाटा के 100 प्रतिशत स्थानान्तरण का संबंध है, यह देखा गया था कि दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में आबंटित 6.72 लाख, 13.24 लाख तथा 5.21 लाख पेन में से मार्च 1999 को क्रमशः केवल 1.54 लाख (23 प्रतिशत), 0.88 लाख (7 प्रतिशत) और 0.19 लाख (4 प्रतिशत) स्थानान्तरित किए जा सके थे। डाटा के स्थानान्तरण में कमी का कारण यह था कि ए ओ को आई पी ए एन से अपने क्षेत्राधिकारों से संबंधित पेन अभिलेखों का सत्यापन करने और फ्लापी में संबंधित आर सी सी को एक सूची भेजनी थी। केवल सभी ये मामले ए आई एस डाटाबेस में संबंधित ए ओ को स्थानान्तरित किए जा सकेंगे। यद्यपि मूलरूप से विकसित साफ्टवेयर में ए ओ कोड अनिवार्य बनाया गया था परन्तु पेन के आबंटन में तात्कालिकता के कारण आर सी सी, दिल्ली के कहने पर उसे अनिवार्य नहीं बनाया गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि ए ओ, आई पी ए एन से मामलों की पहचान करने में असमर्थ थे। इस प्रकार ए आई एस को पेन डाटा स्थानान्तरित न करने के कारण कम्प्यूटरीकरण का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि ए एस टी, इरला, टी ए एस आदि जैसे अन्य अनुप्रयोगों का मार्च 1999 तक प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि ये बारी से ए आई एस पर निर्भर थे।

मंत्रालय ने बताया कि 31.3.2000 को ए आई एस के माध्यम से पेन के आन लाइन आबंटन की संख्या और आई पी ए एन से ए आई एस को स्थानान्तरित पेन संख्या क्रमशः 6.68 लाख और 100.68 लाख थी। तथापि मंत्रालय ने आई पी ए एन से ए आई एस को स्थानान्तरण के लिए बकाया मदों और प्रणाली में आवश्यक और कोई सुधार, यदि कोई हो, के डाटा नहीं सूचित किए।

ए आई एस
साफ्टवेयर में
देखी गई कमियां

(ख) अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ए आई एस विभाग में कार्यान्वयन की व्यावहारिक स्थिति को ध्यान में रखकर उपयुक्त रूप से अभिकल्पित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इसके कार्यान्वयन के दौरान गम्भीर बाधाएं उत्पन्न हुईं। यद्यपि अनेक संशोधन अपेक्षित थे, जैसाकि विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया, परन्तु नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार ये किए नहीं गए थे:

- (i) ए आई एस में पेन के विलोपन के विकल्प का साफ्टवेयर में प्रावधान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ए ओ द्वारा निर्मित अनेक दोहरे पेन की संख्या को डाटाबेस से दूर नहीं किया जा सका।
- (ii) पेन कार्डों के प्रेषण के लिए लेबलों के मुद्रण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण हस्तचालित प्रक्रियाएं अपनाती पड़ी जिससे प्रेषण में विलम्ब हुआ।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

- (iii) ए ओ हेतु दोहरा/अतिरिक्त प्रभार सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप यदि किसी ए ओ के पास दोहरा प्रभार है तो अतिरिक्त प्रभार के लिए ए आई एस पर पेन आबंटित कर सकेगा परन्तु उसके वास्तविक प्रभार का ए ओ कोड अतिरिक्त प्रभार के ए ओ कोड के बजाय ए आई एस में स्वतः ही बस जायेगा।
- (iv) प्रणाली में प्रावधान है कि केवल सभी प्रकार से पूर्ण अभिलेख आई पी ए एन से ए आई एस को स्थानान्तरित किए जा सकेंगे। यह देखा गया था कि यद्यपि आई पी ए एन अभिलेख कोर फील्डस के संदर्भ में पूर्ण थे परन्तु नान कोर फील्डस के रूप में अपूर्ण थे, स्थानान्तरित नहीं किए जा सके। ए आई एस को अभिलेखों के स्थानान्तरण पर इस प्रतिबंध से आर सी सी में संशोधन के लिए अभिलेख लम्बित रखे गए जबकि नान कोर फील्डस में ऐसे संशोधन बाद में संबंधित ए ओ द्वारा आसानी से किए जा सके थे।
- (v) आई पी ए एन तथा ए आई एस में कोर फील्ड भिन्न थे जिसका परिणाम आई पी ए एन से ए आई एस को अभिलेखों की अस्वीकृति और स्थानान्तरण न होना हुआ।
- (vi) ए ओ की डेस्क पर नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ए आई एस प्रचालन प्राथमिक रूप से सीमित प्रतीत होते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि प्रणाली में आवश्यक संशोधन, जहां कहीं अनिवार्य थे, कर दिए गए हैं और पेन कार्ड मुद्रित किए गए हैं।

निर्धारण सूचना प्रणाली (ए एस टी)

(iii) ए एस टी में दाखिल विवरणियों का कम्प्यूटरीकृत संसाधन परिकल्पित था। इस अनुप्रयोग का मुख्य प्रयोजन कर के परिकलन, संवीक्षा के अंतर्गत प्रभार्य ब्याज, काल बाधन/नियत तारीख जांच, कटौती सीमा वैधताएं और संवीक्षा के लिए नोटिस बनाना, शास्तिक कार्यवाहियां तथा अपील मामलों की मानीटरिंग आदि को सुविधाजनक बनाना था। यद्यपि दोबार प्रणाली में सुधार करने के बाद दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में क्रमशः जून 1997, नवम्बर 1997 तथा दिसम्बर 1997 में ए एस टी प्रतिष्ठापित की गई थी परन्तु नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार इन केन्द्रों में प्रणाली का काफी कम उपयोग किया गया था:

चेन्नई में सभी निर्धारितियों को पेन के आबंटन और ए आई एस को आई पी ए एन के स्थानान्तरण, इरला में बकाया मांग के स्थानान्तरण और लेन के पूरा होने के बाद प्रणाली का कार्यान्वयन केवल दिसम्बर 1998 में आरम्भ किया जा सका।

यद्यपि दिल्ली में प्रणाली जून 1997 से चालू हो गई थी परन्तु मार्च 1999 तक कुल 484 रेंजों/सर्किलों/ वार्डों में से आठ रेंजों/वार्डों में केवल 4526 विवरणियों का संसाधन किया जा सका। इसके अलावा एक विशेष रेंज और तीन सर्किलों में केवल पांच विवरणियां संसाधित की गई थीं जिसने साफ्टवेयर का खराब उपयोग दर्शाया।

मुम्बई में प्रणाली चलाने के लिए 4 विशेष रेंजों की पहचान की गई थी परन्तु मार्च 1999 तक किसी भी डी सी ने ए एस टी का उपयोग नहीं किया। चरण II के अंतर्गत आने वाले 33 केन्द्रों में भी प्रणाली चालू नहीं हुई थी (मार्च 1999)।

इस प्रकार ए एस टी माड्यूल का केवल सामान्य परीक्षण हुआ है और उपयोग नहीं किया गया है हालांकि यह दो वर्ष से अधिक समय से उपलब्ध था।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार कर ली कि प्रणाली में स्टाफ विरोध सहित विभिन्न कारणों से वांछित प्रगति नहीं हुई है। आगे यह बताया गया था कि बोर्ड ने ए एस टी प्रणाली का उपयोग कर वेतन विवरणियों पर कार्रवाई करने के लिए जनवरी 2000 में निर्देश जारी किया है।

स्रोत पर कर
कटौती सूचना
प्रणाली (टी डी
एस)

(iv) टी डी एस का प्रयोजन दो डाटाबेस अर्थात् (i) कर कटौतीकर्ता सूचना डाटाबेस और (ii) टी डी एस डाटाबेस का रखरखाव करना था। इसे प्राप्त करने के लिए कर अदा करने वाले प्रत्येक कटौतीकर्ता को एक कटौती लेखा नम्बर (टी ए एन) आबंटित किया जाना था। एम आई एस रिपोर्ट तैयार करने में हुए विभिन्न कार्यकलापों का निष्पादन करने में ए ओ की सहायता करने के लिए प्रणाली विकसित की गई थी। तथापि यह देखा गया था कि प्रणाली, जो अक्टूबर 1996 में विकसित की जानी थी, को स्रोत दस्तावेजों में पाई गई कमियों के कारण मार्च 2000 तक विकसित नहीं किया जा सका।

कर लेखांकन
प्रणाली (टी ए
एस)

(v) टी ए एस का उद्देश्य विभाग द्वारा प्राप्त कर भुगतानों का क्षेत्रवार डाटाबेस सृजित करना और रखरखाव करना था। करों का चालानों के माध्यम से प्राधिकृत बैंकों में निर्धारितियों द्वारा भुगतान किया जाता है। बैंकों से सेन्ट्रल ट्रेजरी यूनिटे में चालानों/प्रतिदाय वाउचरों की प्राप्ति पर इनका सत्यापन किया जाता है और विभिन्न रिपोर्टें तथा रजिस्ट्रों का निर्माण करने के लिए कम्प्यूटर पर संसाधन किया जाता है। टी ए एस चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में क्रमशः जनवरी 1997, अगस्त 1996 तथा दिसम्बर 1996 और 31 केन्द्रों में मई 1998 से अगस्त 1998 के बीच कार्यान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नवत पता चला:

चालानों के
संसाधन में कमी

(क) अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1998-99 के दौरान जमा किए गए कर के संबंध में 132.74 लाख चालानों की प्राप्ति और बैंकों से प्राप्त 80.92 लाख प्रतिदाय वाउचरों के प्रति सभी 36 केन्द्रों में संसाधित चालानों और प्रतिदायों की संख्या क्रमशः केवल 22.29 लाख (16.79%) और 13.68 लाख (16.92%) थी और तीन केन्द्रों में 75 प्रतिशत से अधिक, नौ केन्द्रों में 50-75 प्रतिशत, दस केन्द्रों में 25-50 प्रतिशत और शेष 14 केन्द्रों में 25 प्रतिशत से कम कमी हुई थी।

ब्यौरेवार लेखा
तैयार करने में
अत्यधिक विलम्ब

(ख) माह के दौरान प्राप्त संग्रहण दर्शाते हुए ब्यौरेवार लेखा मुख्य/लघुशीर्ष-वार अनुवर्ती माह की 14 तारीख तक निर्धारित प्रोफार्मा में जेड ए ओ को पृष्ठांकित भी किया जाना था। तथापि यह देखा गया था कि 31.03.1999 को सी आई टी द्वारा ब्यौरेवार लेखे तैयार करने और जेड ए ओ को प्रेषित करने में 1-3 महीने (7 केन्द्रों), 4-6 महीने (11 केन्द्रों) और छः महीने से अधिक (5 केन्द्रों) के बीच अत्यधिक विलम्ब हुए थे।

दैनिक संग्रहण
रजिस्टर/प्रतिदाय
रजिस्टर के
निर्माण में विलम्ब

(ग) दैनिक संग्रहण रजिस्टर (डी सी आर) और दैनिक प्रतिदाय रजिस्टर निर्धारितियों द्वारा प्रदत्त कर का क्रेडिट देने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से सी टी यू द्वारा निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किए जाने अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सी टी यू कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण के बावजूद दैनिक संग्रहण रजिस्टर तैयार करने में आठ केन्द्रों में 1-3 महीने, 13 केन्द्रों में 4-6 महीने और पांच केन्द्रों में 6 महीने से अधिक के बीच विलम्ब हुए थे। रजिस्ट्रों के प्रेषण में विलम्बों के कारण प्रदत्त करों के लिए क्रेडिट देने में और प्रतिदाय आदेशों को जारी करने में परिणामी विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त कर दाताओं को परिहार्य असुविधा हुई। इस प्रकार टी ए एस साफ्टवेयर को लागू करने के बावजूद डी सी आर के तेजी से निर्माण में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ था।

व्यक्तिगत चालू
खाता लेखा
प्रणाली (इरला)

(vi) इरला का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक निर्धारितियों के लिए व्यापक व्यक्तिगत चालू खाते का निर्माण करना था जिसमें अन्य के साथ-साथ निर्धारणों के ब्यौरे और सभी मांगों, संग्रहणों तथा प्रतिदायों जो, फलित हुए हैं, के वर्षवार अद्यतन सूची बनाने का प्रावधान होगा। इस प्रकार इरला टी ए एस (संग्रहणों के लिए), ए एस टी (मांगों, शास्तियों तथा प्रतिदायों के लिए) और टी डी एस सूचना प्रणाली (टी डी एस भुगतान हेतु) पर निर्भर था। इस प्रणाली की सफलता के लिए पेन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह आवश्यक था कि बकाया मांग तथा संग्रहण रजिस्ट्रों (ए डी सी आर) में प्रत्येक निर्धारितियों की प्रविष्टियों के सामने पेन का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में क्रमशः मई 1997, जून 1997 तथा नवम्बर 1997 में और चरण II के अंतर्गत आने वाले पाँच अन्य केन्द्रों में अप्रैल 1998 से सितम्बर 1998 के बीच इरला प्रणाली प्रतिष्ठापित की गई थी परन्तु प्रणाली पूर्णरूप से चालू नहीं थी क्योंकि अन्य प्रणालियाँ अर्थात् पेन, टी ए एस, ए एस टी और टी डी एस स्थायी नहीं की गई थीं और ए ओ को आपूर्त पी सी नेटवर्क नहीं किए गए थे। कुछ ए ओ द्वारा कम्प्यूटरों पर केवल बकाया मांग का आदान करने से संबंधित कार्य आरम्भ किया गया था। विभाग के पास केन्द्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। तथापि 24 केन्द्रों, जिनकी सूचना संकलित की गई थी, के संबंध में 1850 ए ओ प्रभारों, जहाँ कार्य आरम्भ किया गया था, में से केवल 1286 प्रभारों में कार्य पूरा किया गया था और 24 केन्द्रों में से 9 में कमी की प्रतिशतता 50 से अधिक थी।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि सभी 36 केन्द्रों में प्रणाली प्रतिष्ठापित की गई है और हालांकि सीमित पैमाने पर 20 केन्द्रों में उपयोग में है।

प्रवर्तन सूचना
प्रणाली
(ई आई एस)

(vii) अधिक प्रभावी नियंत्रण के साथ जांच कार्य में तेजी लाने के लिए जांच शाखा की सहायता के उद्देश्य से ई आई एस विकसित की गई थी ताकि विश्वसनीय, यथार्थ और शीघ्र रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके। ई आई एस के अंतर्गत चार परिचालन क्षेत्र यथा (i) तलाशी तथा जब्ती, (ii) कर अपवंचन याचिकाएं, (iii) सर्वेक्षण तथा (iv) सी आई बी सूचना कम्प्यूटरीकरण के लिए पहचाने गए थे।

यद्यपि (i) से (iii) के लिए साफ्टवेयर अप्रैल 1997 में दिल्ली में और मई 1997 में चेन्नई तथा मुंबई में प्रतिष्ठापित किया गया बताया गया था परन्तु प्रणाली चालू नहीं थी (मार्च 1999) क्योंकि जांच सर्किलों/सी आई बी सर्किलों में अधिकारियों को प्रदान किए गए पी सी का नेटवर्क पूरा नहीं किया गया था। जहां तक सी आई बी प्रणाली का संबंध है यह अभी भी परीक्षण अवस्था में है (अगस्त 1999)।

प्रबन्धन सूचना
प्रणाली (एम आई
एस)

(viii) एम आई एस का उद्देश्य प्रबन्धन को किसी भी समय विश्वसनीय, यथार्थ और उपयोगी सूचना मुहैया कराना था। यद्यपि प्रणाली चेन्नई, दिल्ली तथा मुंबई में मई 1997 में प्रतिष्ठापित की गई थी परन्तु आर सी सी/टी बी के साथ निर्धारण अधिकारियों को प्रदान किए गए पी सी के नेटवर्क न होने के कारण यह किसी भी केन्द्र में चालू नहीं हुई थी (मार्च 1999)।

संसाधन प्रबंधन
प्रणाली (आर एम
एस)

(ix) यद्यपि साफ्टवेयर दिल्ली में अप्रैल 1997 में और चेन्नई तथा मुंबई में मई 1997 में प्रतिष्ठापित किया गया था परन्तु श्रमबल प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत 30 केन्द्रों, जिनकी सूचना उपलब्ध की गई थी, के संबंध में केवल कर्मचारी कोड का आबंटन कार्यान्वित किया गया था और मार्च 2000 तक 55054 कर्मचारियों में से केवल 28422 (51%) को कोड आबंटित किए जा सके थे।

3.2.11 विनिर्देशन, डिजाइन और अधिप्राप्ति चरण

नेटवर्क मूल्यांकन

(1) कम्प्यूटरीकरण योजना 64 के बी पी एस समर्पित लाइनों के माध्यम से कम्प्यूटर केन्द्रों के इंटरसिटी तथा इंट्रासिटी नेटवर्क के लिए मुहैया की गई। इंटर सिटी अथवा इंट्रासिटी का कोई पृथक विनिर्देशन और डिजाइन नहीं था। अनुप्रयोगों की अपेक्षाओं की तुलना में नेटवर्क आकार का प्रयोग औपचारिक रूप से नहीं किया गया था। वी एस ए टी आधारित विकल्प निकाल दिया गया था क्योंकि सेवा संभरक पर्याप्त बैंड विस्तार की उपलब्धता प्रदर्शित नहीं कर सका। निर्णय अनपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि समाधान

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

अवास्तविक निविदा विनिर्देशन, जो विक्रेता से बोली देने के समय पर अपने संसाधनों में अप्रयुक्त क्षमता का आधा ट्रांसपॉन्डर दर्शाने की अपेक्षा करता है, के अनुसार मूल्यांकित किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 1994 में कोई भी निविदादाता प्रस्तावित समाधान की अपेक्षा के अनुसार वी एस ए टी आधारित समाधान के लिए उद्धरण देने की स्थिति में नहीं था। उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है कि निविदादाता द्वारा फालतू बेंड विड्यु के रूप में "आधे ट्रांसपॉन्डर" की निविदा शर्त अनुचित थी और इंटर/इंट्रासिटी नेटवर्क तथा अनुप्रयोग यातायात विश्लेषण मुहैया करने की किसी औपचारिक रूपरेखा पर आधारित था।

पट्टा लाइनों का प्रयोजन त्रुटि मुक्त डाटा स्थानान्तरण के लिए और 100 प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित और द्रुत पहुंच को सुगम करना था। कुल मिलाकर तीन इंटरसिटी और 17 इंट्रासिटी (5 दिल्ली, 8 मुंबई तथा 4 चेन्नई) पट्टा लाइनें अगस्त 1994 में संस्वीकृत की गई थीं और नवम्बर 1994 में इस प्रयोजन हेतु मंत्रालय द्वारा 75.90 लाख रु. की निधियां संस्वीकृत की गई थीं।

3.2.11.2 प्रतिष्ठापन, स्वीकृति और कार्यान्वयन

टर्मिनल बैंक
(टी बी) की स्थापना
में विलम्ब

(i) विकेन्द्रीकृत इनपुट/आउटपुट को सुगम बनाने और विभिन्न अनुप्रयोग प्रणालियों पर कार्य करने के लिए प्रयोक्ताओं को समर्थ बनाने के उद्देश्य से आर सी सी/ एन सी सी के साथ विभिन्न आयकर भवनों को जोड़ने के लिए 23 भवनों (दिल्ली में 6, मुंबई में 13 और चेन्नई में 4) में 36 टर्मिनल बैंकों (टी बी) की स्थापना परिकल्पित की गई थी। इस प्रयोजन हेतु नवम्बर 1994 में सी एन ई द्वारा 2.00 करोड़ रूपए का एक अनुमान संस्वीकृत किया गया था। कार्यान्वयन समय सूची के अनुसार दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम 1994-95 के दौरान चालू किया जाना था। तथापि यह पाया गया था कि 36 टी बी (दिल्ली-12, मुंबई-20 और चेन्नई-4) में से केवल 25 (चेन्नई-2, दिल्ली-4 तथा मुंबई 19) जुलाई 1996 तक चालू किए जा सके। मुंबई में मातृ मंदिर में एक टी बी अगस्त 1999 तक भी किंचित स्थापित नहीं किया गया था।

स्थानीय क्षेत्र
नेटवर्क में विलम्ब

(ii) जुलाई 1994 के ठेका अनुबंध के अनुसार मै. टी आई एस एल को सम्पूर्ण प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन और नेटवर्क प्रस्तुत करना था जिसमें तीन महीनों की अवधि के अन्दर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल ए एन) और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) के माध्यम से 760 पी सी टर्मिनल शामिल थे। तथापि सम्पूर्ण प्रणाली का नेटवर्क 2 वर्ष से अधिक अवधि के बाद भी चालू नहीं किया जा सका था परिणामस्वरूप सम्पूर्ण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। इसके अलावा कार्यक्रम में यथा परिकल्पित विभिन्न अनुप्रयोग

प्रणालियों पर कार्य करने के लिए प्रयोक्ताओं को शामिल करने के लिए मुख्य प्रणालियों के साथ आनलाइन कार्यकलाप का वांछित प्रयोजन भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

पट्टा लाइनों की प्राप्ति में विलम्ब

(iii) मार्च 1995 की समाप्ति से पहले पट्टा लाइनों को चालू बनाया जाना परिकल्पित था और इस प्रयोजन हेतु 72.41 लाख रूपए की राशि के दिसम्बर 1994 से मार्च 1995 के बीच और सितम्बर 1996 में आर के पुरम-विकास भवन के लिए 3 इंटरसिटी और 16 इंटरसिटी पट्टा लाइनें प्राप्त करने के लिए एम टी एन एल को अग्रिम भुगतान किए गए थे। तथापि यह देखा गया था कि पट्टा लाइनें 11 महीनें से 32 महीनों के बीच विलम्ब के बाद वास्तव में चालू की गई थीं। इसके अलावा मुम्बई आर सी सी से मातृ मन्दिर तक एक पट्टा लाइन मार्च 1999 तक प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित स्थल तैयार नहीं था। पट्टा लाइनों के प्रतिष्ठापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप यथा परिकल्पित विभिन्न केन्द्रों के बीच आनलाइन समन्वय की उपलब्धता नहीं हुई।

पट्टा लाइनें किराए पर लेना

(iv) समर्पित पट्टा लाइनें प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य 100% अपटाइम सुनिश्चित करना था ताकि प्रत्येक कार्यालय में अविरल आनलाइन सेवा मुहैया की जा सके। विभाग ने मार्च 1999 तक पट्टा लाइनों के लिए अग्रिम किराए के रूप में 1994-95 के दौरान 72.41 लाख रूपए और वार्षिक किराए के रूप में 142.20 लाख रूपए का भुगतान किया। तथापि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 100% अपटाइम, जिसके लिए भुगतान किया गया था, के प्रति पट्टा लाइनें नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार पूर्णतया प्रायः डाउन थी:

(क) इंटरसिटी (3 लाइनें) डाउन टाइम की सम्पूर्ण प्रतिशतता नीचे दी गई है:

के बीच पट्टा लाइन	डाउन टाइम की प्रतिशतता (घंटों में)		
	1996-97	1997-98	1998-99
दिल्ली आर सी सी- मुम्बई आर सी सी	42.1	21	13.4
दिल्ली आर सी सी- चेन्नई आर सी सी	55	23.9	10.3
मुम्बई आर सी सी - चेन्नई आर सी सी	71.6	25.98	31

(ख) इन्द्रा सिटी (16 लाइनें):

में पट्टा लाइनें	डाउन टाइम की प्रतिशतता (घंटों में)		
	1996-97	1997-98	1998-99
दिल्ली	37 से 85	11 से 31	9 से 29
चेन्नई	34 से 69	18 से 51	10 से 86
मुम्बई	47 से 93	44 से 96	23 से 82

भारी डाउन टाईम को ध्यान में रखकर, जो किसी समय कुल घंटों के 96 प्रतिशत से अधिक था, विभाग को परवर्ती भुगतानों से आनुपातिक समायोजन करना चाहिए था क्योंकि अविस्त आनलाइन सेवा के लिए अपेक्षित 100 प्रतिशत अपटाईम पाने का अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

**परिहार्य व्यय
के मामले**

(v) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 19.27 लाख रुपये के परिहार्य व्यय की राशि के निम्नलिखित मामले जानकारी में आए:-

1. मुम्बई क्षेत्र में, मार्च 1996 में 22 कांसटैंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर सी सी को आपूर्त किए गए थे, जिसमें से 7 प्रतिष्ठापित किए गए थे और 3.84 लाख रुपये की लागत के 15 सी वी टी निष्क्रिय पड़े थे। ये सी वी टी अधिक पाए गए थे क्योंकि प्रत्येक टर्मिनल बैंक यू पी एस सिस्टम से जोड़े गए थे।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

2. मुम्बई में मातृ मन्दिर में टर्मिनल बैंक स्थापित करने के लिए कार्यस्थल तैयार करने पर अप्रैल 1997 में 5.42 लाख रुपये का व्यय किया गया था। मातृ मंदिर में स्थापित ढांचा ढहाया जाना था क्योंकि इससे वायुसंचार और प्रकाश अवरुद्ध होता था जिससे 5.49 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

3. विभाग को पट्टा लाइनें अधिप्राप्त करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. को अग्रिम किराया अदा करना था और किराए का समायोजन उस तारीख से किया जाना था जब से लाइनें उपलब्ध कराई गई थीं। यह देखा गया कि 10 सर्किटों के संबंध में यद्यपि तारीखों जब पट्टा लाइनें उपलब्ध कराई गई थीं और तारीख जब किराया प्रभारित किया गया था के बीच अन्तर था। तथापि विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को प्रदत्त किराए में समायोजन नहीं किया परिणामतः 9.94 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पट्टा लाइनों के भुगतान के प्रति समायोजन प्राप्त करने के लिए नियमित प्रयास किए गए हैं।

प्रचालन

(vi) जैसाकि पहले बताया गया नेटवर्क, जो विद्यमान है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए बृहद क्षेत्र नेटवर्क और इंटरनेट लेन हेतु पट्टा लाइन तथा डायलअप परिपथों का एक संयोजन है। प्रायः सभी साफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन उच्च गति विश्वसनीय 64 के बी पी एस व्यापक क्षेत्र नेटवर्क की विद्यमानता की उनके प्रमुख पूर्वानुमानों में से एक को प्रदर्शित करते हैं। तथापि यह पाया गया था कि नेटवर्क की स्थिति आनलाइन कम्प्यूटिंग के लिए पर्याप्त नहीं है जैसाकि मूल संकल्पना दस्तावेज में तथा आयकर सूचना प्रणालियों के आनलाइन संघटक के लिए एस आर एस में भी परिकल्पित था।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं की तुलना में नेटवर्क का विस्तार करने का प्रयोग औपचारिक रूप से किया गया प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि नेटवर्क संयोजन विकल्प जिस समय अभिकल्प तैयार किए गए थे, सीमित थे परन्तु अधिकांश साफ्टवेयरों हेतु संगत नेटवर्क उपलब्धता के अनुमान से साधरण परन्तु आवश्यक प्रचालन जैसे पी ए एन से ए आई एस के स्थानान्तरण में विलम्ब हुआ। इस पहलू की वर्तमान उपलब्धता विकल्पों और डिजाइन विनिर्देशन में नेटवर्क अपटाइम के घटकों को भी ध्यान में रखकर जांच करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नेटवर्क ट्रेफिक का कोई औपचारिक विश्लेषण नहीं किया गया था।

प्रशिक्षण

3.2.12 विभाग ने बाह्य विक्रेताओं को लगाकर कम्प्यूटर उपयोग से उन्हें सुपरिचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अपने कर्मचारियों (तकनीकी, गैरतकनीकी दोनों) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न का पता चला:

**उप आयुक्त
(डी सी आई
टी) तथा उच्च
स्तर के
अधिकारियों
को प्रशिक्षण**

(क) डी सी आई टी और ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए 1077 पेंटियम पी सी की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन हेतु मै. टाटा आई बी एम लिमिटेड को दिए ठेके के भाग के रूप में फर्म से 3.60 लाख रूपए की लागत पर कार्यालय स्वचलन साफ्टवेयर तथा द्विभाषी साफ्टवेयर को कवर करते हुए 1080 कर्मचारियों के लिए एक पांच दिवसीय पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित था। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) लक्ष्यों का पूरा न किया जाना

विभाग ने 1080 कर्मचारियों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए लक्ष्य तारीख निर्धारित नहीं की। यह देखा गया था कि जनवरी 1999 तक केवल 541 (50 प्रतिशत) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण में प्रमुख कमी दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, चण्डीगढ़ तथा अहमदाबाद में देखी गई थी जहां प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या केवल 26 (22 प्रतिशत), 44 (31 प्रतिशत), 52 (53 प्रतिशत), 6 (9 प्रतिशत) तथा 54 (56 प्रतिशत) थी।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

मंत्रालय ने बताया कि प्रशिक्षण को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। तथापि लक्ष्यों को पूरा न करने के कारण और इस संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित और कदम उनके द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

(ii) स्लॉट की हानि

20-25 कर्मचारी प्रति बैच वाले 52 बैचों में प्रशिक्षण देने पर सहमति हुई थी। तथापि यह देखा गया था कि केवल 13 कर्मचारी प्रति बैच के औसत पर 41 बैचों में केवल 541 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए थे और नौ बैचों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या केवल पांच से नौ थी, परिणामस्वरूप स्लॉटों की हानि हुई।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार कर ली कि पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर मुख्य आयकर आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं।

(ख) बोर्ड ने कम्प्यूटर प्रचालनों में लगभग 5000 ए सी आई टी/आई टी ओ के प्रशिक्षण के लिए अगस्त 1997 में 87.50 लाख रूपए इस अनुबंध के साथ संस्वीकृत किए कि प्रशिक्षण दिसम्बर 1997 तक पूरा हो जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नवत् पता चला:

(i) उपठेका दिया जाना

यद्यपि निविदा का मूल्य 87 लाख रूपए से अधिक था परन्तु तात्कालिकता के आधार पर कोई खुली निविदा प्रणाली नहीं अपनाई गई थी। विभाग ने अगस्त 1997 में तीन फर्मों से सीमित तकनीकी/ वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित कीं जिनमें से केवल दो फर्मों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। यद्यपि मै. एन आई आई टी लिमिटेड की दर पांच दिनों के लिए 1600 रूपए प्रति भागीदार प्रति बैच पर निम्नतम थी परन्तु विभाग ने मै. एन आई आई टी की दरों के बराबर दर करने के लिए मै. टी सी एस को कहने के बाद आदेश मै. एन आई आई टी लिमिटेड और मै. टी सी एस लिमिटेड के बीच बांट दिया। अक्टूबर 1997 में 1648 कर्मचारियों के लिए बेंगलूर, चेन्नई, हैदराबाद और मुम्बई में प्रशिक्षण का कार्य मै. टी सी एस लिमिटेड को और अन्य स्टेशनों पर 3224 कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मै. एन आई आई टी लिमिटेड को सौंपा गया था। तथापि यह देखा गया था कि मै. टी सी एस लिमिटेड ने ठेका करार के उल्लंघन में सभी शहरों में प्रशिक्षण का ठेका दो अन्य एजेंसियों को सबलेट किया था। तथापि विभाग ने ठेका शर्तों के उल्लंघन के लिए फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय 21.94 लाख रूपये का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया।

ए सी आई
टी/आई टी ओ
का प्रशिक्षण

मंत्रालय ने बताया कि वाणिज्यिक बोली में एक शर्त शामिल थी कि "यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए टी सी एस प्रख्यात तीसरी पार्टी संघ के संकाय का उपयोग कर सकता है। टी सी एस यह सुनिश्चित करेगा कि ये कार्यक्रम उसके अपने युक्तियुक्त विशेष उपायों को भी पूरा करेंगे।"

तथापि यह देखा गया था कि आदेश देते समय मंत्रालय ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि चाहे कुछ हो ठेकेदार को किसी प्रकार या किसी प्रकृति में किसी अन्य पार्टी को या किसी व्यक्ति को जाब का उपटेका अनुमत न किया जाय।

(ii) लक्ष्यों का पूरा न किया जाना

यद्यपि प्रशिक्षण दिसम्बर 1997 तक पूरा किया जाना था परन्तु यह देखा गया था कि दिसम्बर 1997 तक केवल 1138 कर्मचारी (23 प्रतिशत) और मार्च 1998 तक केवल 3577 कर्मचारी (73 प्रतिशत) प्रशिक्षित किए जा सके और मार्च 1999 तक 638 कर्मचारी अप्रशिक्षित छोड़कर 1998-99 के दौरान अन्य 657 कर्मचारियों (13 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था।

(ग) अनुप्रयोग प्रणाली वातावरण के संदर्भ में कम्प्यूटर सुपरिचन पाठ्यक्रम में दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में अधिकारियों तथा स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय ने मार्च 1996 तथा दिसम्बर 1997 में क्रमशः 3640 तथा 2980 कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदन किया और मार्च 1996/ दिसम्बर 1997 में बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु 32.65 लाख रूपए तथा 29.80 लाख रूपए संस्वीकृत किये गये थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न का पता चला:

(i) निविदाएं आमंत्रित किए बिना ठेका सौंपना

विभाग ने सितम्बर 1994 में अनुमोदित दरों के आधार पर 4000 रूपए प्रतिदिन प्रति बैच की दर पर 3640 कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मै. टी सी एस को मार्च 1996 में ठेका दिया था जो अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास के लिए था न कि कम्प्यूटर सुपरिचन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए। उस निविदा में केवल 100 कर्मचारियों (20 वरिष्ठ कार्यकारी और 80 तकनीकी व्यक्ति) को 3.16 लाख रूपए की लागत पर अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास में प्रशिक्षण दिया जाना था। 29.80 लाख रूपए की लागत पर अतिरिक्त 2980 कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अन्य आदेश भी उन्हीं दरों पर नवम्बर 1997 में मै. टी सी एस को दिया गया था।

इस प्रकार 62.45 लाख रूपए की लागत पर 6620 कर्मचारियों को प्रशिक्षण निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित किए बिना दिया गया था और इसके अलावा यह तथ्य कि मै.

स्टाफ सदस्यों को
प्रशिक्षण

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

टी सी एस का पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम कम्प्यूटरीकरण के भिन्न पहलू के लिए था, संस्वीकृति प्राप्त करते समय मंत्रालय/बोर्ड को सूचित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि उपरोक्त प्रशिक्षण केवल कम्प्यूटर सुपरिचन तक सीमित नहीं था परन्तु यह अनुप्रयोग साफ्टवेयर के लिए भी था और मै. टी सी एस को आदेश उन दरों पर दिया गया था जो 1998 में अंतिम की गई बाढ़ की निविदा में प्राप्त दरों की अपेक्षा निम्न थीं। आगे यह बताया गया था कि प्रशिक्षण के ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए थे।

दो भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना करने वाला मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। पूर्व प्रशिक्षण सितम्बर 1994 के हार्डवेयर ठेके के आधार पर दिया गया था और केवल 100 कार्मिकों की भिन्न श्रेणियों को 1-4 सप्ताहों के अन्तर पर 19 सप्ताहों की अवधि के लिए डिजाइन, अनुसंधान और प्रचालन पहलुओं सहित अनुप्रयोग प्रणालयों के प्रचालन की जानकारी के लिए था। दूसरी ओर बाढ़ का प्रशिक्षण कार्यक्रम 6620 कार्मिकों के लिए था जिसमें कम्प्यूटर जानकारी और अनुप्रयोग प्रणालियों की व्यवस्था से सुपरिचन के लिए प्रति 20 प्रतिभागियों को 4 दिनों की अवधि शामिल थी। इस प्रकार बाढ़ के प्रशिक्षण ठेके के साथ दरों की तुलना उचित नहीं थी।

अन्य
महत्वपूर्ण
विषय

वातानुकूलकों
को चालू
करने में
विलम्ब

3.2.13.1 पी सी के सुगम कार्यचालन के लिए उचित वातानुकूलित और धूल मुक्त पर्यावरण मुहैया कराने के लिए ए सी की अधिप्राप्ति परिकल्पित की गई थी। मार्च 1998 में ए सी तथा कम्प्यूटर फर्नीचर की खरीद के लिए मुम्बई क्षेत्र के लिए डी आई टी (प्रणाली) को 1.78 करोड़ रूपए मुहैया कराए गए। इसमें से 445 ए सी की खरीद के लिए मार्च 1998 में 1.18 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया था। तथापि विभिन्न भवनों में प्रतिष्ठापित ए सी जनवरी 1999 तक विद्युत आपूर्ति में वृद्धि न होने के कारण चालू नहीं किए जा सके।

कलकत्ता केन्द्र में 55.45 लाख रूपए की लागत पर मार्च 1998 में खरीदे गए 209 ए सी लो टेंशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण मार्च 1999 तक चालू नहीं किए गए थे। जबकि पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के अभाव में 209 ए सी अभी तक चालू किए जाने की प्रतीक्षा में थे। आगे यह देखा गया था कि विभाग ने बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से मार्च 1999 में 126.19 लाख रूपए की लागत पर 466 और ए सी खरीदे।

बेंगलूर केन्द्र में 42.42 लाख रूपए की राशि 139 ए सी की खरीद तथा प्रतिष्ठापन पर खर्च की गई थी। तथापि विद्युत की कमी के कारण केवल 28 ए सी चालू थे (फरवरी 1999)। लेखापरीक्षा आपत्ति, कि बिना ए सी के पी सी कैसे काम कर रहे थे, के उत्तर में

विभाग ने बताया कि अधिकारियों को आपूर्त किए गए सभी पी सी उचित रूप से काम कर रहे थे और कि पी सी बिना ए सी के प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। इस प्रकार 42.42 लाख रूपए की लागत पर ए सी की खरीद उचित नहीं थी।

परिहार्य व्यय

3.2.13.2 यह देखा गया था कि सी सी आई टी, दिल्ली कार्यालय ने 18.58 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत पर जाड़े के दौरान कमरे के अन्दर गर्म वायु प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिकूल वाल्व तापन सुविधा वाले मार्च 1998 के दौरान 426 ए सी और मार्च 1999 में 44 ए सी खरीदे जो पी सी मशीनों के लिए बाधक हो सकते थे।

सरकारी धन का अनियमित आहरण

3.2.13.3 केन्द्र सरकारी लेखा प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली के अनुसार कोई धन सरकारी खाते से तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह शीघ्र संवितरण के लिए अपेक्षित न हो। मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए सरकारी खाते से धन आहरित करना अनुज्ञेय नहीं है। इसके अलावा वित्त वर्षों के आखिर में भारी व्यय का परिहार किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विभाग ने 23 मामलों के संबंध में 2462.76 लाख रूपए की राशि के अग्रिम में चैक आहरित किए। इसके अलावा शिलांग तथा गुवाहाटी केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जांच से भी पता चला कि निदेशालय ने 1998-99 के दौरान कम्प्यूटरीकरण की अन्य संबंधित खरीदों के लिए मार्च 1999 में 20.80 लाख रूपए की निधियां संस्वीकृत कीं। संस्वीकृति के व्यपगत होने से बचने के लिए वातानुकूलकों के प्रतिष्ठापन और कम्प्यूटर फर्नीचर की खरीद के लिए प्रोफार्मा बिलों के प्रति चैक आहरित करने के द्वारा राशियां खर्च की गई दर्शाई गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर यह बताया गया था कि ए सी के लिए राशि प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नए पी सी, जिनके लिए डी आई टी (एस) ने पहले ही मार्च 1998 में आदेश दे दिए थे, की प्रत्याशा में संस्वीकृत की गई थी। तथापि पी सी मई/जून 1999 तक प्राप्त नहीं हुए थे और ए सी तथा फर्नीचर भी सुपुर्द नहीं किये गये थे।

मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

3.2.14 यद्यपि कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया 1994 के दौरान आरम्भ की गई थी तथापि यह जांच करने कि क्या अभिप्रेत लाभ उद्देश्यों के संदर्भ में प्राप्त कर लिए गए हैं, के उद्देश्य से स्वयं विभाग द्वारा या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कोई स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया था।

उपसंहार

3.2.15 कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, जो 1994 के दौरान आरम्भ हुआ, में उचित आयोजना की कमी थी। कार्यक्रम में समय-समय पर किए गए तदर्थ परिवर्तनों के कारण कोई भी अनुमानित मील का पत्थर प्राप्त नहीं किया जा सका था जिसका एक उदाहरण आई पी ए

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

एन प्रणाली सृजित करने का निर्णय था। परिणामस्वरूप छः वर्षों के बाद भी कम्प्यूटरीकरण तदर्थ, अपूर्ण है और उप प्रणालियां सम्पूर्ण कार्यक्रम से मेल नहीं खाती हैं।

पारम्परिक प्रतिमानों के प्रति साफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज का खाका बनाने से काफी पहले हार्डवेयर खरीदा गया था। जिसके कारण हार्डवेयर का आकार अनुचित हो गया। इसके अलावा स्थल/टर्मिनल बैंकों के तैयार न होने, साफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रणालियां के कार्यान्वयन में विलम्ब और पट्टा लाइनों की विलम्बित अधिप्राप्ति, जिसके कारण आर सी सी/एन सी सी के साथ पी सी नहीं जोड़े गए, जैसी बाधाओं ने कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को पूर्णतया मन्द कर दिया।

यद्यपि मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में भारत के उच्चतम न्यायालय को एक वचन दिया कि पेन जारी करने सहित कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जायेगी परन्तु मार्च 1999 तक कुछ भी साकार नहीं हुआ था। जबकि टी ए एस के कार्यान्वयन और पेन आबंटन में कुछ प्रगति हुई थी परन्तु ए आई एस, ए एस टी, इरला, टी डी एस, एम आई एस, ई आई एस और आर एम एस आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रगति में इसके लिए हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सुविधाओं के बावजूद गति नहीं मिल पाई। इस प्रकार पांच वर्षों की अवधि और 104.55 करोड़ रुपये के खर्च के बाद भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुए।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अनुप्रयोगों के निष्पादन के आशवादी होने के उद्देश्य से औ- उपयुक्त आकार तथा क्षमता आयोजना के भी दृष्टिकोण से एक ग्रुप, जिसमें टी सी एस आई बी एम, ओरेकल और विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस संबंध में मामले की जांच व लिए गठित किया गया है।

ख – अधिसूचनाओं / परिपत्रों की लेखापरीक्षा

3.3 विदेशी टेलीविजन प्रसारण चैनल-परिपत्र संख्या 742 एवं 765 के माध्यम से कराधान

3.3.1 प्रस्तावना

टेलीविजन चैनलों के प्रसारण में लगीं विदेशी टेलीविजन प्रसारण कम्पनियों (एफ टी सी) अनिवासी हस्तियां हैं। एफ टी सी के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत विज्ञापनों से है। एफ टी सी ने अपनी बावत विज्ञापन राजस्व एकत्र करने के लिए भारत में अपने एजेंट/प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। ये एजेंट/प्रतिनिधि भारतीय हस्तियां हैं।

मंत्रालय की फाइलों की जांच से पता चला कि बोर्ड को उनकी कर देयता और आय की सीमा, जिसे भारतीय प्रचालनों से उनको उपचित या उत्पन्न कहा जा सकता था, से सम्बन्धित एफ टी सी से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। बोर्ड ने यह अनुभव किया कि यह वाणिज्यिक क्रियाकलाप का एक नया क्षेत्र था और इन कम्पनियों की आय की संगणना करने में निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई एक समान आधार नहीं अपनाया जा रहा था। इसलिए बोर्ड ने विदेशी टेलीविजन प्रसारण कम्पनियों के उपयुक्त और सफल निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने का निर्णय किया। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर बोर्ड ने परिपत्र संख्या 742 दिनांक 2.5.1996 जारी किया जो एफ टी सी की और कराधेयता के निर्धारण पर मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करता है।

3.3.2 परिपत्र में किए गए अनुमान

- विज्ञापन एजेंसियों ने एफ टी सी द्वारा प्रस्तुत बिलों की सकल राशि का 15 प्रतिशत रख लिया।
- एफ टी सी के भारतीय एजेंटों ने सकल बिलों का 15 प्रतिशत रख लिया।
- लगभग 70 प्रतिशत की बकाया राशि एफ टी सी को विदेशों में प्रेषित की गई थी।
- एफ टी सी ने भारत में एक शाखा कार्यालय या स्थाई स्थापना नहीं बनाते हैं
- एफ टी सी देशवार लेखे नहीं बनाते हैं/बना नहीं सकते हैं।
- विज्ञापन राजस्व की सकल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत (30 प्रतिशत या एफ टी सी की विज्ञापन एजेंसियों और भारतीय एजेंटों द्वारा रखे गये ऐसे प्रतिशत को छोड़कर) एफ टी सी का स्पष्ट तथा उचित लाभ होगा।

इन अनुमानों के आधार पर बोर्ड ने विदेश में प्रेषित की जाने वाली सकल प्राप्तियों अथवा विवरणित आय, जो भी अधिक हो, के 10 प्रतिशत का अनुमानित लाभ निर्धारित किया। यह अनुमानित आय लागू सामान्य कर दर के अध्यक्षीन होगी। निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के लिए कराधान की दर 55s थी, यह निर्धारण वर्ष 1998-99 से 48s की घटी दर पर था। इस प्रकार प्रभावी दर एफ टी सी के विज्ञापन राजस्वों पर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के लिए 3.8 प्रतिशत और निर्धारण वर्ष 1998-99 से 3.36 प्रतिशत बनती है।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ये मार्गदर्शी सिद्धान्त 31.3.1998 तक सभी लम्बित मामलों को लागू होंगे जिसके बाद इस अवधि के लिए उपलब्ध सूचना/ आंकड़े पर आधारित ऐसी कम्पनियों की लाभ की दर की उपयुक्तता से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा की जायगी।

3.3.3 परिपत्र के जारी होने और जारी रहने के परिणाम

- बोर्ड द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी जहाँ एफ टी सी के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि एफ टी ने विश्वव्यापी प्रचालनों में हानि उठाई है और कि वे केवल 3-4 वर्षों के बाद पर्याप्त लाभ कमाएंगे और कि देशवार लेखे रखना सम्भव नहीं था। आयकर विवरणी दाखिल करने में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई।
- बोर्ड ने कर के प्रयोजन के लिए विदेश में प्रेषित राशि के 10 प्रतिशत की दर अपनाएने के लिए निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी करने का निर्णय किया (07.02.1996)। निर्धारण वर्ष का ध्यान किए बिना सभी लम्बित मामलों को ये मानदण्ड लागू करने का भी निर्णय किया गया था और ऐसे निर्धारणों पर शास्ति का अधित्याग भी अनुमत किया।
- सचिव(राजस्व) ने ऐसा परिपत्र जारी करने के लिए बोर्ड के प्राधिकारी के रूप में विशेषाधिकार जताया और बताया कि इससे अधिनियम का उल्लंघन होगा।
- सचिव (राजस्व) को अध्यक्ष सी बी डी टी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रयोग के परिणामों पर निगरानी रखी जायगी और एक या दो वर्ष में धारा 44 बी या 44 बी बी, 44 ए डी या 44 ए ई के सदृश एक धारा लागू की जायगी।
- सचिव (राजस्व) और उसके बाद वित्त मंत्री ने क्रमशः 04.04.1996 और 16.04.1996 को परिपत्र अनुमोदित किया।

3.3.4 बाद की घटनाएं

- परिपत्र संख्या 742 केवल 31.3.1998 तक वैध था। संयुक्त सचिव (एफ टी एण्ड टी आर) की दिनांक 03.04.1998 की फाइल टिप्पणी परिपत्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विस्तार की तत्काल आवश्यकता बताती है। अध्यक्ष सी बी डी टी प्रस्ताव से सहमत था। परिपत्र संख्या 765 दिनांक 15.04.1998 की जारी किया गया था और अगले आदेशों तक प्रभावी बनाया गया था। इसमें निर्धारण वर्ष, जिस तक इसके प्रावधान लागू किए गए थे, का कोई संदर्भ नहीं दिया गया।
- पूर्व परिपत्र में बताया कि ऐसी कम्पनियों के लाभों की दर की उपयुक्तता से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा की जायगी। ऐसी कोई समीक्षा/पुनर्निर्धारण नहीं किया गया था।
- परिपत्र संख्या 765 बोर्ड, सचिव (राजस्व) या वित्त मंत्री के अनुमोदन के बिना अध्यक्ष, सी टी डी टी द्वारा जारी किया गया था।

3.3.5 परिपत्र की वैधता

क. परिपत्र संख्या 742 दिनांक 2.5.1996

1. आयकर अधिनियम अनिवासियों की आय, जो कराधान प्रयोजनों के लिए निश्चित रूप से अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, के अनुमान के लिए कार्यविधि तथा पद्धतियों का उल्लेख करते हुए नियम बनाने के लिए धारा 295(3) के अन्तर्गत प्रावधान करता है। ऐसे नियम अधिनियम की धारा 296 के अन्तर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने भी अपेक्षित हैं। इसलिए परिपत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एफ टी सी ने निर्धारणों में एकरूपता कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी।
2. बोर्ड ने परिपत्र संख्या 742 दोहरा कराधान परिवर्जन अनुबन्धों (डी टी ए ए), जो एफ टी सी को लागू किए जा सकते हैं, की विद्यमानता के संदर्भ के बिना जारी किया। यद्यपि आयकर अधिनियम की धारा 119 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम के निष्पादन में निर्धारण अधिकारियों और नियुक्त कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा परन्तु कोई परिपत्र आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं जा सकता है। परिपत्र ने डी टी ए ए, जो विधि का बल रखता है, के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

ख. परिपत्र संख्या 765 दिनांक 15.4.1998

3. बोर्ड, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री को बताए बिना अध्यक्ष सी बी डी टी ने परिपत्र संख्या 765 जारी किया और पूर्व परिपत्र संख्या 742 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनिश्चित समय तक लागू किया।

3.3.6 परिपत्रों में त्रुटियां/कमियां

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि बोर्ड ने परिपत्र जारी करने और फिर इसे अनिश्चित काल तक लागू करने के समय निम्नलिखित पहलुओं/घटकों पर विचार नहीं किया था।

1. परिपत्र संख्या 742 अनिवासी एफ टी सी को लागू होता है। भारतीय प्रचालनों से उनकी आय पर उन देशों, जहाँ के एफ टी सी निवासी थे, में डी टी ए के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जायगा। भारत में उनकी आय पर कर तभी लग सकता है यदि उनकी भारत में स्थाई स्थापना हो। सी बी डी टी ने यह मान लिया है कि एफ टी सी भारत में स्थाई स्थापना नहीं रखते हैं। इसलिए परिपत्र स्वाभाविक अन्तर्विरोध से पीड़ित है। करार करने वाले राज्य के अनिवासी उपक्रम की ओर से स्थाई स्थापना का अभाव स्वतः डी टी ए के प्रावधानों के अनुसार अन्य करार करने वाले राज्य में इसकी आय पर कर न लगाने का कारण बनता है।
2. एफ टी सी ने एजेन्ट नियुक्त किए हैं जो भारतीय हस्ती हैं और उनके साथ करार किया है। इन करारों को आर बी आई का अनुमोदन आवश्यक है। भारतीय एजेंट एयर टाइम के विपणन, स्थानीय विज्ञापन दाताओं से सम्पर्क, व्यापार का प्रचार, भुगतानों का संग्रहण करने और आर बी आई कार्यविधियों में सहायता करने के लिए एकमात्र एकल प्रमुख से सम्बन्धित दिखाई देते हैं। ये कार्य और यह तथ्य, कि वे एकमात्र रूप से एफ टी सी के बावत कार्य कर रहे थे, के कारण ये एजेंट एफ टी सी के स्वतन्त्र एजेंट की हैसियत खो रहे हैं। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सी बी डी टी का अनुमान कि एफ टी सी भारत में कोई शाखा/स्थाई स्थापना नहीं रखते हैं, सही नहीं था। इस प्रकार डी टी ए के अनुसार अपनी स्थाई स्थापना को आरोप्य विदेशी उपक्रम की सम्पूर्ण आय उचित दरों पर कर योग्य होगी और न कि कुछ अनुमानित दर पर। डी टी ए में इन विशिष्ट परन्तुकों के अलावा एक एजेंट की तुलना में इसके प्रमुख की हैसियत निर्धारित करने के लिए विभिन्न अन्य जांच विद्यमान थीं जिनकी बोर्ड द्वारा अनदेखी की गई थी।
3. टेलीविजन प्रसारण चैनलों के लाभप्रदता पहलुओं को अभिनिश्चित करने के लिए सन टी वी, उदय, राज टी वी आदि जैसे भारत स्थित चैनलों की तुलना करने का सी बी डी टी द्वारा प्रयास नहीं किया गया था। इसलिए उपयुक्त लाभ के रूप में

10 प्रतिशत का अनुमान उस समय उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने की कमी दर्शाता था।

4. यह भी देखा गया था कि कुछ एफ टी सी ने स्मै चैनलों- का प्रचालन किया जिससे उन्होंने रायल्टी अर्जित की। इसके अलावा डीकोडर को पट्टे पर देकर एफ टी सी द्वारा पट्टा किराया भी अर्जित किया गया था। एफ टी सी के अनुमानित कराधान की योजना बनाते समय बोर्ड द्वारा एफ टी सी की आय के इन स्रोतों की भी अनदेखी की गई थी।
5. परिपत्र संख्या 742 जारी करते समय तत्कालीन सी बी डी टी अध्यक्ष ने सचिव (राजस्व) को यह आश्वासन दिया था कि इस प्रयोग के परिणामों पर निगरानी रखी जाएगी और एक या दो वर्षों में 44 बी या 44 बी बी, 44 ए डी या 44 ए ई के सदृश धारा अधिनियम में लागू की जायगी। तथापि यह देखा गया था कि वित्त बिल 1999 में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।
6. यह देखा गया था कि परिपत्र 742 को 765 दिनांक 15.4.1998 द्वारा व्यापक बनाते समय सी बी डी टी आयकर अधिनियम की धारा 245 क्यू के अन्तर्गत अथारिटी फार एडवांस रूलिंग (ए ए आर) के सामक्ष एक मामले (सी आई टी बनाम टी वी एम लिमिटेड) में एक आदेश से अवगत थी। ए ए आर ने अन्य बातों के साथ साथ यह माना कि परिपत्र संख्या 742 के मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकृति में सामान्य थे और इसे अपनाने के लिए निर्धारिती स्वतन्त्र था यदि यह उसको लाभदायक है। इसके अलावा इसने विचार प्रकट किया कि परिपत्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विस्तार का अर्थ उन मामलों, जहाँ एफ टी सी भारत में स्थाई स्थापना नहीं रखते, में अनुमानित लाभप्रदता को इसकी अनुप्रयोज्यता से है इसलिए उन्हें विधि की सही स्थिति निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता।
ए ए आर ने यह निष्कर्ष निकाला कि जहाँ आकृति पर वास्तविकता अविभावी है वहाँ स्थाई स्थापना को विद्यमान माना जाना है। यद्यपि ए ए आर व्यवस्था बोर्ड को बाध्यकारी नहीं है परन्तु ए ए आर ने एफ टी सी की लाभ प्रदता और कराधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया था और परिपत्र संख्या 742 में कमी का भी उल्लेख किया था। इसके बावजूद अध्यक्ष, सी बी डी टी ने परिपत्र संख्या 742 को व्यापक बनाते हुए परिपत्र संख्या 765 जारी किया।
7. इन परिपत्रों के अन्तर्गत एफ टी सी को अपनी कुल प्राप्तियों से लगभग 30 प्रतिशत कटौतियाँ अनुमत की गई थीं। यह एक प्रमुख रियायत थी जो अनुमानित कराधान के अन्तर्गत अब तक उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण एफ टी सी को अनुचित लाभ हुआ। विद्यमान धाराएं जैसे 44 बी (अनिवासी जहाजरानी कारोबार), 44 बी बी (तेल खोज का अनिवासी कारोबार), 44 बी बी ए (विमान प्रचालनों का अनिवासी कारोबार), और 44 बी बी बी (कुछ टर्न की विद्युत परियोजनाओं में सिविल निर्माण आदि के कारोबार में विदेशी कम्पनियों) में भी अनुमानित लाभों के

कराधान के लिए प्रावधान है। तथापि धाराओं 28 से 43 सी तक के अन्तर्गत कटौतियों सहित अर्जित राजस्वों से कटौतियाँ इन निर्धारितियों को उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरणार्थ धारा 44 ए डी (सिविल निर्माण का कारोबार) और 44 ए ई (माल वाहकों को चलाना, किराए पर लेना आदि का कारोबार) निवासी निर्धारितियों के मामले में भी आय का अनुमान 28 से 43 तक की धाराओं के अन्तर्गत उपलब्ध कटौतियों के लाभ के बिना अनुमानित लाभों पर कर लगाकर किया जाता है।

3.3.7 निर्धारणों की लेखापरीक्षा

यह देखा गया था कि आर बी आई ने नौ एफ टी सी और दस भारतीय एजेंटों के बीच दस करारों का अनुमोदन किया था।

विदेशी टेलीविजन प्रसारण कम्पनी (चैनल)	भारतीय एजेंट
1. एशिया टुडे लिमिटेड	1. जी टेलीफिल्स लिमि.
2. सेटलाइट टेलीविजन एशियन रीजन एडवर्टाइजिंग सेल्स बी वी	2. न्यूज टेलीविजन इण्डिया लिमि.
3. सेट सेटलाइट सिंगापुर प्रा.लि.	3. सेट (इण्डिया) लिमि.
4. डिस्कवरी चैनल	4. डिस्कवरी कम्यूनिकेशन इण्डिया
5. एस्पन एशिया (एस) प्रा. लि.	5. डब्ल्यू. डी इण्डिया प्रा. लि.
6. एम. टी. वी.	6. एम.टी. वी. इण्डिया प्रा.लि.
7. टी वी एम लिमि.	7. टी वी इण्डिया लिमि.
8. वही	8. सी एम एयर टाइम प्रमोशन प्रा.लिमि.
9. बी बी सी वर्ल्डवाइड लिमि.	9. बी बी सी वर्ल्डवाइड इण्डिया प्रा. लिमि.
10. टेलीविजन एटीन मारीसस लिमि.	10. एटीन एन्टरटेनमेंट इण्डिया प्रा.लिमि.

- क) नई दिल्ली में केवल तीन भारतीय एजेंटों और मुम्बई में दो एफ टी सी के निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा प्रयोजनों हेतु सुलभ हो सके।
- ख) सेटलाइट टेलीविजन एशियन रीजन एडवर्टाइजिंग सेल्स बी वी एफ टी सी के रूप में निर्धारित किया गया देखा गया था जबकि अभिलेख दर्शाते थे कि यह विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर टेलीविजन विज्ञापन प्रसारण के लिए सेटलाइट टेलीविजन एशियन रीजन लिमिटेड से भारत में विशिष्ट अधिकार रखे हुए था।

ग) भारत से विज्ञापन राजस्वों ने निम्नानुसार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई:

एफ टी सी	नि व 1996-97	नि व 1997-98	नि व 1998-99
1. एशिया टुडे लिमि. (जी)	116.61	144.71	191.35
2. सेटलाइट टी वी एशियन रीजन एडवर टाइजिंग सेल्स बी वी (स्टार)	32.89	69.35	76.15
3. सेट सेटलाइट सिंगापुर प्रा.लि. (सोनी)	2.34	29.27	94.48

घ) एफ टी सी ने स्मै चैनलों- से रायल्टी और डीकोडर्स के किराए से पट्टा आय अर्जित की।

डिस्कवरी कम्यूनिकेशन (इ.) प्रा. लिमि.: ये निर्धारिती मै. डिस्कवरी कम्यूनिकेशन इन्क. यू एस ए का एजेंट है। निर्धारिती ने वित्त वर्ष 1997-98 में अपना चैनल दिखाने के लिए 22.63 करोड़ रु का रूमुविधा शुल्क- अर्जित किया।

ई एस पी एन साफ्टवेयर (आई) प्रा. लिमि.: इस निर्धारिती का भारत में (ई एस पी एन) चैनल पर अधिकार है। निर्धारिती ने अंशदान आय की प्रकृति में वितरण टर्न ओवर अर्जित की है। इसने स्टार और ई एस पी एन चैनल दिखाने के अधिकारों से वितरण आय के रूप में कुल 213 करोड़ रु अर्जित किया। निर्धारिती ने वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान कुल 43.31 करोड़ रु. डीकोडर्स के सम्बन्ध में पट्टा किराया भी अर्जित किया।

3.3.8 लेखापरीक्षा परिणाम

- 1) एफ टी सी ने स्मै चैनलों- के लिए रायल्टियां और डीकोडर्स के किराए से पट्टा आय भी अर्जित की। बोर्ड ने एफ टी सी को उपचित होने वाले राजस्व के इस वहाव पर विचार नहीं किया था।
- 2) विज्ञापन राजस्व की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण इन एफ टी सी को उच्च लाभ प्रदत्ता प्राप्त हुई।

परिपत्र जारी करने और बाद में अनिश्चित काल तक उसका विस्तार करने से पूर्व बोर्ड द्वारा उपर्युक्त दो घटकों पर विचार नहीं किया गया है।

3.3.9 संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1. परिपत्र संख्या 742 को जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी चूंकि आयकर अधिनियम [धारा 296 के साथ पठित धारा 295(3)(क)] में अनिवासियों

की आय, जो कराधान प्रयोजनों हेतु निश्चित रूप से अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, के अनुमान के लिए पहले ही प्रावधान है।

2. बोर्ड ने एफ टी सी का राजस्व और लाभ निर्धारण करने के लिए परिपत्र संख्या 742 जारी किया। तथापि जैसा कि परिपत्र जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व टिप्पणियों में वचन दिया, इन हस्तियों के निर्धारणों को मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली, कार्यविधि या प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रस्तावित नहीं की गई थी।
3. विदेशी टेलीविजन प्रसारण कम्पनियां इस परिपत्र के अन्तर्गत विशेष महत्व लिए हुए थीं जिसके द्वारा वे सामान्य निर्धारण कार्यविधि, जो अब तक भारतीय प्रसारण कम्पनियों को लागू हैं, की कानूनी पाबंदी का परिहार कर सकीं। कुछ निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अधिकांश एफ टी सी ने आय की विवरणी दाखिल नहीं कीं जबकि एफ टी सी के अधिकांश भारतीय एजेंटों ने हानि की विवरणियां दाखिल कीं।
4. परिपत्र संख्या 765 के द्वारा परिपत्र संख्या 742 का विस्तार बोर्ड द्वारा अपना मस्तिष्क लगाए बिना और वित्त मंत्री के प्राधिकार के बिना पूर्णतया एफ टी सी के हित में था।
5. वस्तुतः परिपत्र अवैध है और एफ टी सी के उचित निर्धारण में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए तत्काल वापस लेने की आवश्यकता है।

ग – विशेष अध्ययन

3.4 लाभांश आय पर कर का समापन

प्रस्तावना

3.4.1 हाल तक भारत में लाभांश आय दोहरे कराधान के अधधीन थी अर्थात् एकबार निगमित लाभ के कराधान के रूप में और फिर प्रापक शेयर धारकों के हाथों में व्यक्तिगत आयकर के रूप में 1जून 1997 से भारत सरकार ने घरेलू कम्पनियों के संबंध में शेयरधारकों के हाथों में लाभांशों पर कर का समापन करने और घरेलू कम्पनियों पर प्रभारित सामान्य आयकर के अतिरिक्त वितरित लाभों पर 10% की समान दर पर अतिरिक्त उद्ग्रहण का निर्णय किया। साथ ही 12000 रूपए की सीमा तक लाभांश आय और निर्दिष्ट सीमा तक अन्तरनिगमित लाभांशों के संबंध में उपलब्ध वर्तमान कर छूट भी बन्द कर दी गई थी।

निम्नलिखित अध्ययन उपर्युक्त सरकारी निर्णय और राजस्व पर इसके सम्भावित प्रभाव के नीति विचारों का अविलम्ब मूल्यांकन करने की मांग करता है।

कार्य प्रणाली

3.4.2 इस अध्ययन दस्तावेज को तैयार करने में निम्नलिखित व्यापक कार्यप्रणाली अपनाई गई थी।

- ◆ लाभांश कर के समापन पर मंत्रालय की नीति संबंधी फाइलों की जांच।
- ◆ भारतीय अर्थव्यवस्था मानीटरिंग केन्द्र (सी एम आई ई) द्वारा संकलित डाटा का विश्लेषण।
- ◆ प्रसिद्ध सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञों के साथ परामर्श और मीडिया के कुछ लेखों से संदर्भ।
- ◆ लाभांश कराधान पर विश्वव्यापी पद्धतियों का अध्ययन।
- ◆ कर सुधारों पर चेलय्या समिति की रिपोर्ट।

पृष्ठभूमि

3.4.3 लाभांशों के दोहरे कराधान की वर्तमान योजना 1.6.1997 से पूर्व संस्थापित तर्क द्वारा समर्थित थी कि निगम पृथक कानूनी हस्तियां हैं और कर जो भुगतान करने की उनकी संबंधित सामर्थ्यों के अनुसार (कर की सीमांत दरों द्वारा निश्चित) अलग-अलग शेयरधारकों से उद्ग्रहीत किया जाय, से अलग उनके स्वयं के अधिकार में कर लगाया जाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निगम के कुल लाभ पर अलग कर उद्ग्रहीत किया जाता है और न तो शेयरधारक और न ही कम्पनी को लाभांश, जिस पर शेयरधारकों को दोबारा कर अदा करना पड़ता है, के संबंध में कोई राहत दी जाती है।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

योजना की निम्नवत मुख्य आलोचनाएं हुई हैं :

- 1) कि यह योजना लाभांशों के वितरण को दण्डित करती है। इसलिए यह अर्थव्यवस्था के व्यवहार्य क्षेत्रों में निधियों के मुक्त प्रवाह को रोकती है।
- 2) कि यह योजना ब्याज भुगतानों, जो सकल लाभों से कटौती योग्य हैं और लाभांशों से नहीं हैं, के लिए इक्विटी वित्तपोषण के विरुद्ध ऋण वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है।

तथापि ये दोनों आलोचनाएं निम्नलिखित तरीके में विशिष्ट सिफारिश के साथ चेलय्या समिति रिपोर्ट में पूरी की गई थीं कि वर्तमान प्रणाली इन तथ्यों के मद्देनजर जारी रखी जाय कि:

1. वर्तमान प्रणाली सरलता का गुण रखती है और संचालन करने में सरल है।
2. कर दरों में कटौती के साथ रोके गए/वितरित लाभांश के अनुसार पक्षपात कम होगा।

समिति ने आगे बताया कि यद्यपि निगम कर से वितरित लाभों को मुक्त करने की सरल तथा स्पष्ट विधि के माध्यम से कुछ राहत प्रदान की जा सकती थी परन्तु इसने विशेष रूप से अल्प अवधि में ऐसी राहत की सिफारिश नहीं की। मुख्य कारण यह था कि कर की सीमांत दर को कम करने के साथ लाभांश आय पर कर का कुल भार पूर्व स्तरों से पर्याप्त रूप से कम होगा।

उपर्युक्त सिफारिश के अनुरूप सरकार ने तदनन्तर व्यक्तिगत आय और निगमित कर दरों को वित्त अधिनियम 1997 के माध्यम से क्रमशः 30% और 35% तक कम कर दिया। तथापि लाभांशों पर कर समाप्त करने का हाल का निर्णय कर सुधार समिति की विशिष्ट सिफारिश के प्रतिकूल है।

निर्णय करने की प्रक्रिया

3.4.4 मंत्रालय की नीति संबंधी फाइलों की जांच से पता चला कि सरकार ने लाभांशों के कराधान के विषय पर दो विकल्प बनाए थे। ये निम्नानुसार थे:

विकल्प "क" शेयरधारकों की बाबत कम्पनियों से संग्रहीत किए जाने वाले लाभांशों पर एक स्थाई रूप से रोका हुआ कर (परमानेंट विदहोल्डिंग टैक्स) उद्ग्रहीत किया जाय।

अथवा

विकल्प "ख" घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर एक समान दर पर लाभांश कर उद्ग्रहीत किया जाय।

नोट: उपर्युक्त "क" तथा "ख" दोनों में शेयरधारकों द्वारा प्राप्त वस्तुतः आय उनके हाथों में कर से मुक्त होगी। तथापि यह नोट किया जाय कि कम्पनी को अपनी आय पर कर अदा करना पड़ेगा तथा विकल्प "क" के अंतर्गत शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश के लिए कर काटने वाले के रूप में काम करना पड़ेगा। विकल्प "ख" के अंतर्गत कम्पनी को अपनी आय पर नियमित कर के अलावा वितरित लाभों पर अतिरिक्त कर अदा करना अपेक्षित होगा।

विकल्प "ख" की अपेक्षा विकल्प "क" बेहतर पाया गया

मंत्रालयों की फाइलों से यह देखा गया था कि विकल्प "क" विकल्प "ख" के अधिमान में सरकार द्वारा कानूनी आधारों पर आरम्भ में सुदृढ़ के रूप में माना गया था क्योंकि विकल्प "ख" एक ही आय पर एक ही अस्तित्व के दोहरे कराधान के गुणार्थ रखता था।

कारणों की जांच करना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने स्थाई रूप से रोके हुए कर (परमानेन्ट विदहोल्लिंग टैक्स) को लगाने के विकल्प "क" को विकल्प "ख" से श्रेष्ठ क्यों पाया। ये संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए हैं :

- सरकार ने पाया कि वर्तमान प्रावधानों ने लाभांश आय को पर्याप्त कम सूचित करने को प्रोत्साहित किया क्योंकि 2500 रूपए से कम लाभांश आय के लिए कोई टी डी एस लागू नहीं था।
- एकल पाइंट कर संग्रहण प्रक्रिया को जब समय, लागत और जनशक्ति नियोजन की दृष्टि से देखा गया तो बहुसंख्यक शेयरधारकों के टी डी एस मामलों की संवीक्षा करने के लिए श्रेष्ठ पाया गया।
- यह प्रत्याशित था कि कर का सन्तुलित उद्ग्रहण अघोषित आय के निवेश के माध्यम से पूंजीगत बाजार के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

विकल्प "क" अपनाने से यह भी पूर्वकल्पित था कि लाभांश के संबंध में धारा 80 एल के अंतर्गत वर्तमान छूटों, 12,000 रूपए तक कर छूटों और धारा 80 एम के अंतर्गत अन्तरनिगमित लाभांश बन्द किए जाने थे।

विकल्प "क" के अंतर्गत राजस्व पूर्वानुमान किया जाना

मंत्रालय ने गणना की कि विकल्प "क" (विदहोल्लिंग टैक्स) लाभांशों पर 20% की दर पर 1000 करोड़ रूपए का टी डी एस संग्रहण उत्पन्न करेगा। इक्विटी और छोटे शेयरधारकों के

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

लिए न्यायोचितता के आधार पर दर आगे 15% तक कम की गई थी। इस आधार पर टी डी एस संग्रहण 750 करोड़ रूपए तक निकाला गया था। मंत्रालय की फाइलों से दो महत्वपूर्ण कल्पनाओं का पता चलता है जो लाभांशों से निवल टी डी एस संग्रहण का अनुमान करते समय की गई थीं।

1. कि कम्पनियों द्वारा वितरित कुल लाभांश वर्ष 1995-96 के लिए 12,000-13,000 करोड़ रूपए के बीच थे।
2. कि आयकर अधिनियम के आन्तरिक रचित प्रावधान घोषित कुल लाभांश के मोटे तौर पर 60% की छूटों और कटौतियों का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

3.4.5 इस संबंध में यह अवलोकित किया जाय कि उपर्युक्त कल्पनाओं के आधार पर 750 करोड़ रूपए टी डी एस संग्रहण के अनुमान ऐसा प्रतीत होता है कि गलत निकाले गए थे। इसको निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता था।

- मंत्रालय की फाइलों के अध्ययन से पता चलता है कि वित्त वर्ष 1995-96 के लिए अदा किया जाने वाला अनुमानित लाभांश दो स्रोतों- नामतः मुम्बई का शोध गृह, जिसने 2000 कम्पनियों के डाटा भेजे, जिन्होंने 8215 करोड़ रूपए का लाभांश घोषित किया था और 1604 कम्पनियों, जिन्होंने 4739 करोड़ रूपए का लाभांश घोषित किया, के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था मानीटरिंग केन्द्र (सी एन आई ई) से संग्रहीत डाटा के आधार पर 12,000 से 13,000 करोड़ रूपए के आसपास होना कल्पित किया गया था। इसके आधार पर कुल लाभांश खर्च की गई निकाली गई संख्या 12,000 करोड़ रूपए थी। तथापि यह संभावना है कि कुछ कम्पनियां मंत्रालय द्वारा भरोसा किए गए दोनों स्रोतों के नमूना आकार में चित्रित होंगी और इसलिए 12,000 करोड़ रूपए की संख्या सही होनी नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा 1990-91 से 1996-97 (अनुमान बनाते समय मंत्रालय को उपलब्ध आंकड़े) तक की अवधि के दौरान लाभांशों से टी डी एस संग्रहण ने विशेषकर विचाराधीन वर्ष (1995-96), जब संग्रहण पूर्व वर्ष के संग्रहण से दोगुने से अधिक था, में सुस्पष्ट ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई।

(करोड. रूपए में)

वर्ष	लाभांशों पर टी डी एस
1990-91	276.64
1991-92	391.27
1992-93	366.28
1993-94	408.89
1994-95	577.73
1995-96	1,176.98
1996-97	1,022.72

स्रोत: 1990-91 से 1996-97 तक के वर्षों के लिए प्रत्यक्ष कर पर सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

- लाभांशो की वृद्धि पर घटाए गए निगमित कर दरों का प्रभाव और टी डी एस के अंतर्गत राजस्व संग्रहण पर सम्भावित परिणामी प्रभाव भी हिसाब में नहीं लिया गया था।
- लाभांश आय पर जब प्रापकों (उच्च आय ब्रैकेट में) के हाथों में कर लगाया गया तब 30 प्रतिशत की दर पर कर के अध्ययीन था और उपर्युक्त दर पर घोषित अथवा प्रदत्त लाभांश पर कर का उदग्रहण प्रतिकूल है और राजस्व के हित में हानिकर है। वर्ष 1998-99 में लाभांश पर कर का कुल संग्रहण वर्ष 1996-97 में 1022.72 करोड़ रुपये के टी डी एस के प्रति 269 करोड़ रुपये है।
- वित्त अधिनियम 2000 में लाभांश आय पर कर दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।

अन्तिम निर्णय

3.4.6 भारत सरकार ने लाभांशों पर अन्तिम विदहोल्डिंग कर के विरुद्ध 10 प्रतिशत की दर पर वितरित **लाभों पर अतिरिक्त कर (विकल्प ख)** को 1 जून 1997 से अपनाने का अंत में निर्णय किया। इसमें प्रावधान था कि कर का भार शेयरधारकों पर नहीं डाला जाना था और यह कम्पनी के लाभों पर एक अतिरिक्त उदग्रहण था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए (अर्थात् लाभांश का दोहरा कराधान-एक बार निगमित लाभों के कराधान के रूप में और फिर शेयरधारकों के हाथों में व्यक्तिगत आयकर के रूप में) कर सुधार समिति की विशेष सिफारिश को असल में सरकार द्वारा अस्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण

3.4.7 चूंकि मंत्रालय की फाइलों में इस निर्णय के पक्ष में कोई विशेष कारण दर्ज नहीं पाए गए थे इसलिए नीति निर्णय का विश्लेषण केवल वित्त बिल 1997 में बताए गए कारणों के संदर्भ में किया जा सका। ये निम्नवत थे।

- अत्यधिक लाभांश वितरित करने के लिए कम्पनियों की ओर से प्रवृत्ति की जांच करना और
- घरेलू कम्पनियों के शेयरों में निवेश प्रोत्साहित करना।
- नए निवेश को बढ़ावा देना।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

अत्यधिक लाभांश

3.4.8 इस कल्पना पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि कम्पनियों ने अत्यधिक लाभांश घोषित करने की प्रवृत्ति दर्शाई है। यह कल्पना यह भी अपेक्षा रखती है कि कम्पनियां विकास के लिए अर्जन कम धारण करने की ओर प्रवृत्त हैं। इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित डाटाबेस विश्लेषण किया गया था।

1. 1995-96 के लिए लाभांश दर के आवृत्ति वितरण पर डाटा

अन्तराल (प्रतिशतता)	कम्पनियों की संख्या		प्रतिशत शेयर	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
10 तक	611	12	22.3	8.5
11-20	1176	38	42.8	26.8
21-30	591	34	21.5	23.9
31-40	201	24	7.3	16.9
41-50	89	15	3.2	10.6
51-60	30	4	1.1	2.8
61-70	11	1	0.4	0.7
71-80	9	3	0.3	2.1
81-90	4	1	0.3	0.7
91-100	9	1	0.3	0.7
100 से अधिक	15	9	0.6	6.3
जोड़	2746	142	100.0	100.0

स्रोत: सी एन आई ई फरवरी 1997 अंक

उपर्युक्त तालिका से यह सूचना मिलेगी कि केवल मुट्ठीभर घरेलू कम्पनियों (2746 में से 167) ने 40% तथा अधिक विस्तार में अत्यधिक दरों पर लाभांश घोषित किया जबकि अधिसंख्य ने केवल 11% से 30% तक के विस्तार में लाभांश घोषित किया। यही प्रवृत्ति विदेशी कम्पनियों के मामले में दृष्टिगोचर होती है।

2. लाभांश भुगतान की दरों में वृद्धि

(क) निम्नलिखित तालिका 1991-97 के दौरान विनिर्माण कम्पनियों के संबंध में भारतीय निजी क्षेत्र के लिए लाभांश भुगतानों और धारित अर्जनों की दरों में सुसंगत वृद्धि दर्शाती है।

वर्ष	प्रतिशतता लाभांश भुगतान में वृद्धि	प्रतिशतता धारित अर्जन
1991	23.4	64.3
1992	15.9	3.4
1993	19.2	-9.1
1994	51.4	109.2
1995	43.0	73.6
1996	18.1	10.0
1997	4.7	-41.7

(स्रोत: सी एम आई ई अप्रैल 1998 अंक)

जबकि प्रतिशतता लाभांश भुगतानों और धारित अर्जनों में वृद्धि में पर्याप्त उतार-चढ़ाव थे वहां लाभांश भुगतानों और धारित अर्जनों दोनों ने पूर्व तथा बाद के वर्षों की तुलना में केवल 1994 तथा 1995 के दौरान पर्याप्त वृद्धि प्रवृत्ति दर्ज की गई प्रतीत होती है।

(ख) 1991-97 के दौरान विनिर्माण कम्पनियों के भुगतान किए गए लाभांश तथा धारित अर्जनों में वृद्धि के कालवार वितरण से पता चला कि उतार चढ़ाव सम्भवतया विशेष रूप से 1991 के बाद स्थापित कम्पनियों और जो 1986 तथा 1990 के बीच स्थापित की गईं, द्वारा घोषित अत्यधिक लाभांशों के कारण थे। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है जो गत चार दशकों से लाभांश भुगतान में कालवार वृद्धि दर्शाती है।

निगमीकरण का वर्ष	लाभांश भुगतान में वृद्धि (%)	धारित अर्जन में वृद्धि (%)
1950 से पहले	23.64	19.38
1950 एवं 1971 के बीच	20.50	12.12
1972 एवं 1985 के बीच	25.47	0.00
1986 एवं 1990 के बीच	60.01	32.19
1991 के बाद	119.72	0.00

(स्रोत: सी एम आई ई अप्रैल 1998 अंक, निगमित क्षेत्र)

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

3.4.9 यह देखा जा सकेगा कि कम्पनियों, जो विशेषकर 1991 के बाद स्थापित की गई थीं, के संबंध में धारित अर्जन की प्रतिशतता वृद्धि शून्य थी। इसके विपरीत सुस्थापित कम्पनियों द्वारा लाभांश भुगतान में अधिक अथवा कम स्थिर वृद्धि दर्ज की गई प्रतीत होती है।

उपर्युक्त निष्कर्ष से इस विचार को मजबूती मिलती है कि केवल हाल ही विगत में स्थापित कुछ कम्पनियां काफी अधिक लाभांश भुगतानों के लिए उत्तरदायी थीं। इसलिए यह प्रतीत होता है कि कम्पनी के वितरित लाभों, नामतः अत्यधिक उदार लाभांश भुगतानों, पर अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण लिए दिया गया कारण अधिक उछाला गया प्रतीत होता है।

राजस्व विवक्षा

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

3.4.10 शेयरधारकों तथा कम्पनियों के भी हाथों में लाभांशों के दोहरे कराधान की वर्तमान प्रणाली लाभ धारण को प्रोत्साहित करने के लिए आन्तरिक प्रवृत्ति रखती थी। दूसरी ओर एक ही अस्तित्व पर दोहरा उद्ग्रहण होने के कारण वितरित लाभों पर अतिरिक्त कर का परिणाम लाभांश में वापस कटौती हो सकता था। इसलिए विकल्प "ख" का अपनाया जाना अनावश्यक रूप से अकेले कर राजस्व को सीमित करने की विवक्षा रखता है जिसका पुनः निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

- लाभांश आय अब एक से अधिक बार कर झेलने की असमर्थता के अंतर्गत है। उदाहरणार्थ एक प्रापक शेयरधारी कम्पनी को अपनी आय (लाभांश आय सहित) पर कर और वितरित लाभों, जिसमें लाभांश आय शामिल है, पर एक अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ेगा। यह लाभांश खर्च में क्रमिक कमी को प्रेरित करेगा जो सरकार को लघु राजस्व स्थानान्तरित करने के अलावा दीर्घावधि के लिए पूंजी बाजार की वृद्धि पर भी प्रभाव डाल सकता था।
- वितरित लाभों पर अतिरिक्त कर का झुकाव अनुचित की ओर होना है क्योंकि कर योग्य सीमा से कम होने वाली शेयरधारकों की लाभांश आय भी स्रोत पर कर लगाने से बाहर होगी। इसके अलावा कर प्रभावी निगमित कर दर बढ़ाने का प्रभाव रखता है जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों, जिसकी व्यक्तिगत आयकर दरें निम्न हैं, पर उच्च आय शेयरधारकों की तुलना में असमान रूप से कर लगेगा। इस प्रकार यह मानदण्ड उच्च आय शेयरधारकों को अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाली अन्तर्निहित प्रतिकूल परिस्थिति रखता है।

**अल्पावधि
पूर्वानुमान**

3.4.11 अल्पावधि की अपेक्षा वृद्धि अर्जन करने वाले निगमित कर राजस्व में कमी उचित रूप से निम्नलिखित के कारण प्रत्याशित है:

- 1997-98 के दौरान कम्पनी निर्धारितियों से राजस्व संग्रहण के संबंध में कर उत्प्लावकता 1996-97 के दौरान 12.61% की तुलना में केवल 7.81% तक बढ़ गई। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	निगमित कर संग्रहण	परिवर्तन	कर उत्प्लावकता (प्रतिशतता)
1995-96	16,487.13	--	--
1996-97	18,566.69	2079.56	12.61
1997-98	20,016.00	1449.31	7.81

- 1998-99 के दौरान निगमित करों के कम रहने और 1.6.97 से शेयरधारकों के हाथों में कर के समापन के साथ-साथ वितरित लाभों पर अतिरिक्त कर लगाए जाने का

परिणाम जब तक निगमित लाभों और/या कर अनुवृत्ति सुधारों में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं होती तब तक राजस्व संग्रहण की वृद्धि में तत्काल कमी हो सकती थी।

- लाभांशों पर कर की छूट के एकमात्र विचार पर अघोषित आय निकालने के माध्यम से पूंजी बाजार को प्रशस्त करने की प्रत्याशा विश्वसनीय नहीं है।

दीर्घावधि पूर्वानुमान

3.4.12 नया उपाय इस कारण से पूंजी बाजार के विस्तार को हतोत्साहित कर सकता था कि लाभांश वितरण पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालने के द्वारा लाभांश कर छोटे निवेशक, जिसका पूंजी बाजार में बने रहने का मुख्य प्रयोजन प्रतिफल की एक नियत दर अर्जित करना है, के लिए अनुत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है। इसके विपरीत उच्च आय शेयरधारक पूंजीगत अभिलाभ प्रतिफलों द्वारा सिद्धांतरूप से प्रेरित हैं और लाभांश पृष्ठ कटौती से कम प्रभावित हैं।

विश्वव्यापी पद्धतियां

3.4.13 कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों तथा यू.के. और यू.एस.ए. में प्रचलित पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि सब मिलाकर लाभांश आय कर मुक्त* नहीं है।

- अधिकांश देशों जैसे डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, इण्डोनेशिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका, यू.के., यू.एस.ए., मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और ताइवान में दोहरे कराधान की प्रणाली है अर्थात् लाभांशों पर निगमित लाभों के रूप में और शेयरधारकों के हाथों में कर लगाए जाते हैं।
- देशों, जैसे बेल्जियम, कोरिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, इण्डोनेशिया, जाम्बिया में लाभांशों पर कर का स्थगित करने की प्रणाली है। न्यूजीलैंड और मलेशिया तथा कोरिया के मामले में वितरित लाभों पर निगमित आयकर शेयरधारकों के हाथों में स्थगित के रूप में माना जाता है।
- कुछ देशों, जहां लाभांशों पर निगमित लाभों के रूप में कर लगाया जाता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, यू.के. और सिंगापुर में कर क्रेडिट के आरोपण की प्रणाली विद्यमान है और शेयरधारकों को ऐसे कर भुगतानों के प्रति कर क्रेडिट दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ यू.के. में लाभांशों पर आयकर का स्थगन नहीं है परन्तु लाभांश अदा करने वाली कम्पनी अपनी निगमित कर देयता के प्रति मुजरा किए जाने वाले एक तिहाई लाभांश के बराबर राशि का अग्रिम निगमित कर अदा करने के लिए दायी है। अग्रिम निगमित कर भुगतान लाभांश जमा क्रेडिट पर शेयरधारकों की आयकर देयताओं के प्रति कर क्रेडिट के रूप में उनको आरोपित किया जाता है।

* चेलव्या समिति की रिपोर्ट और लोक वित्त एवं नीति का राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर पर आधारित

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

- अनेक देशों जैसे यू.के., यू.एस.ए., ताइवान, मिश्र, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, डेनमार्क तथा बेल्जियम में अन्तर निगमित लाभांश कुछ निर्दिष्ट सीमाओं तक छूट विषय के रूप में मान्य हैं। कोरिया का एक अपवाद है जहां अन्तर निगमित लाभांश कर योग्य के रूप में माने जाते हैं।
- पाकिस्तान तथा नेपाल में वितरित लाभों पर कोई कर नहीं है और फिलीपाइन्स के मामले में घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश आय व्यक्तिगत आयकर से मुक्त है। मेक्सिको में भी पहले ही कर लगाए गए लाभों से प्रदत्त लाभांश कर मुक्त हैं।

उपर्युक्त से प्रकट हुआ एक प्रबल निष्कर्ष यह है कि अधिकांश देशों में अन्तरनिगमित लाभांशों के संबंध में कराधान से सीमित बचाव है। अधिकतर देश लाभांशों पर अलग-अलग शेयरधारकों के हाथों में कर लगाते हैं अथवा इन्हें कर क्रेडिट/कर राहत की प्रणाली के साथ अथवा के बिना कम्पनियों के पास स्थगित के रूप में माना जाता है।

संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.14 ऐसा प्रतीत होता है कि शेयरधारकों के हाथों में लाभांशों पर कर समापन और वितरित लाभों पर 10% के अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण का निर्णय अपर्याप्त तथ्यों और गलत कल्पनाओं के आधार पर लिया गया था।

- ✓ विकल्पों का विश्लेषण गलत कल्पनाओं (विकल्प "क") और उचित डाटा (विकल्प "ख") की सुसंगतता का मूल्यांकन न करने पर आधारित था।
- ✓ वर्षों से कम्पनियों द्वारा लाभांश भुगतानों की प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया गया था।
- ✓ वर्षों से कम्पनियों के धारित अर्जनों में प्रतिशतता वृद्धि पर विचार नहीं किया गया था।
- ✓ अन्तिम निर्णय निगमों के पास तथा शेयरधारकों के हाथों में लाभांशों पर दो बार कर लगाने की विश्वव्यापी पद्धति के प्रतिकूल है।

अभिभावी वित्तीय दबावों और सहवर्ती छूटों/राहतों के साथ घटाई गई निगमित कर दरों के वर्तमान परिदृश्य की प्रस्तुति से उपाय के अभिप्रेत नीति उद्देश्य राजस्व पर सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव के साथ बेमेल कदम प्रतीत होते हैं।

अध्याय 4 : निगम कर

कम्पनियों की संख्या

4.1 वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के अनुसार 31 मार्च 1999 को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कम्पनियों की संख्या और लिमिटेड कम्पनियों के मामले में प्रदत्त पूंजी नीचे दिए गए के अनुसार रही :

क्रम सं.	श्रेणी	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (रु. करोड़ में)
1.	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 में यथा परिभाषित विदेशी कम्पनियाँ	956	उपलब्ध नहीं
2.	कम्पनियों के रूप में पंजीकृत एसोसिएशनें जो 'लाभार्थ नहीं हैं'	2727	उपलब्ध नहीं
3.	गैर लिमिटेड कम्पनियाँ	427	उपलब्ध नहीं
4.	लिमिटेड कम्पनियाँ		
	क) सरकारी कम्पनियाँ	1,229	94,708.06
	ख) गैर सरकारी कम्पनियाँ -		
	(i) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ	4,40,348	40,413.68
	(ii) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ	70,413	1,15,342.24
	जोड़ :	5,10,761	1,55,755.92 (मात्र क्र.सं.4 हेतु)

निर्धारितियों की संख्या

4.2 आयकर विभाग के अभिलेखों में कम्पनी के निर्धारितियों की संख्या 31 मार्च 1998 को 2,74,319 की तुलना में 31 मार्च 1999 को 2,95,327 थीं।

निगम कर की प्राप्ति

4.3 1997-98 में 20,016.00 करोड़ रुपये की तुलना में 1998-99 के दौरान निगम कर प्राप्ति 24,528.87 करोड़ रुपये थी ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.3 (i) को देखें।

निर्धारणों की प्राप्ति

4.4 निपटान के लिए देय निर्धारणों, पूरे किए गए निर्धारणों और लम्बित निर्धारणों के विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.9 में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा के परिणाम

4.5 825.61 करोड़ रुपए के कर के अवप्रभार वाले कुल 566 ड्राफ्ट पैराग्राफ और 2.69 करोड़ रुपए के कर के अधिक प्रभार वाले 18 ड्राफ्ट पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणी हेतु जारी किए गए हैं। इन मामलों में से 800.03 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 564 मामलों के विवरण आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं। इनमें से मंत्रालय ने 287.08 करोड़ रुपए के कर प्रभाव वाले 224 मामलों में अभ्युक्तियों स्वीकार कर ली हैं। 301 मामलों के सम्बंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

आय व कर की संगणना में परिहार्य गलतियां

4.6 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विवरणी, लेखाओं तथा संलग्न दस्तावेजों में अन्य बातों के साथ-साथ किसी अंकगणितीय गलती का सुधार करने के पश्चात् एक निर्धारण संक्षिप्त रूप से पूरा किया जा सकता है। एक संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का ठीक निर्धारण करना अपेक्षित है और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा उसको प्रतिदेय सही राशि अवधारित करेगा। निर्धारण अधिकारियों की ओर से असावधानी के कारण परिहार्य गलतियों के कारण पर्याप्त राशियों के कर के अवनिर्धारण और अधिक निर्धारण का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में बार-बार उल्लेख किया जाता रहा है। इसके तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद ऐसी गलतियां लगातार हो रही हैं जिसमें बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। विभिन्न प्रकार की गलतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आंकड़ों का गलत अपनाया जाना, अंकगणितीय त्रुटियां, दोहरी अनुमति, अधिभार का अनुद्ग्रहण आदि शामिल था। गत पांच वर्षों के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों की नमूना जांच के दौरान देखी गई ऐसी गलतियों की सीमा निम्नवत् थी :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मदों की संख्या	अवनिर्धारित कर की राशि
1994-95	1,503	35.04
1995-96	1,643	105.81
1996-97	1,450	418.34
1997-98	1,531	192.32
1998-99	1,567	216.63

नमूना जांच में देखे गए प्रत्येक प्रकार के मामले नीचे दिए गए हैं।

4.6.1 आय और कर का अधिक निर्धारण

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज चंदेला ट्रेडिंग कं. (प्रा.) लिमिटेड	1995-96	143(3)	कर की संगणना 40 प्रतिशत की सही दर के प्रति 55 प्रतिशत की दर पर की गयी	54.65
2.	मैसर्ज हरियाणा भांडागारण निगम (पंचकुला, हरियाणा)	1991-92	143(3)	अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज का अधिक उद्ग्रहण किया गया	31.11

आंकड़ों के गलत अपनाने, अंकगणितीय गलतियों आदि सहित ऐसी ही गलतियों के कारण गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 16 मामलों में 183.66 लाख रूपए का अधिक भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 और 2 पर और अन्य 9 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्यन्तियां स्वीकार कर ली हैं।

4.6.2 आय और कर का अवनिर्धारण

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज वी आई एस एल लिमिटेड [कर्नाटक III, बेंगलूर]	1990-91 1991-92	143(3)	सम्बन्धित वर्ष की आय हानि के रूप में गलत ढंग से अवधारित की गयी	7402.93 (पी)
2.	मैसर्ज माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपो. लिमिटेड [प बं XI, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	जोड़ में गलती के कारण हानि की अधिक संगणना की गयी	775.73 (पी)
3.	मैसर्ज यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड [सूरत, गुजरात]	1995-96	143(3)	अननुमत विभेक ब्याज भुगतान को दोबारा शामिल करने के लिए गलती से छोड़ दिया गया	506.43
4.	मैसर्ज कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लिमिटेड [कर्नाटक II, बेंगलूर]	1995-96	143(3)	वास्तव में निर्धारित राशि से कम राशि पर कर का उद्ग्रहण किया गया	491.41
5.	मैसर्ज जर्मन रेमिडीज़ लिमिटेड [सिटी V, मुम्बई]	1995-96	143(3)	राहत को अनुमत किया गया यद्यपि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इसे अननुमत किया गया	119.00
6.	ए बी एस स्पिनिंग उड़ीसा लिमिटेड [भुवनेश्वर, उड़ीसा]	1993-94	144	अननुमत किए गए खर्चों को आय की संगणना करते समय कटौती करने से छोड़ दिया गया	96.92 (पी)
7.	मैसर्ज आई एफ सी आई लिमिटेड [दिल्ली I]	1995-96	143(3)	पट्टा परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास पूर्णतया अननुमत नहीं किया गया	79.78
8.	मैसर्ज कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड [कर्नाटक II, बेंगलूर]	1997-98	143(1) (क)	आय की गलत संगणना की गयी	56.44

गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश प्रभागों में 48 मामलों में आय और कर की संगणना में ऐसी गलतियों के परिणामस्वरूप 612.33 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम संख्या 2 से 6 और 8 तथा अन्य में से 25 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

कर की गलत दर लागू करना

4.7 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुसंगत वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारिती के पूर्व वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आय कर प्रभाय है। जहां कुल कर योग्य

आय में दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ शामिल हों वहां वार्षिक वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ तक कम की गयी कर योग्य आय पर आयकर लगाया जाएगा। दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ एक देशी कम्पनी के मामले में 30 प्रतिशत (निर्धारण वर्ष 1997-98 से 20 प्रतिशत) समान दर पर कर के अधधीन होगा।

गलत दरें लगाने के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज सेंचुरी लेमिनेटिंग कं. लिमिटेड [केन्द्रीय I, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	55 प्रतिशत की लागू दर के प्रति 40 प्रतिशत की दर पर कर उद्गृहीत किया गया	22.36
2.	एडवर्ड केविनेटर (प्रा) लिमिटेड [केन्द्रीय I, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	पूंजीगत अभिलाभों पर 30 प्रतिशत की सही दर की ब्याज 20 प्रतिशत पर कर लगाया गया।	12.52

महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रभागों में गलत दर के लागू करने में ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप दो मामलों में 17.02 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 और 2 और अन्य मामलों में से 1 में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना

4.8 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत गृह सम्पत्ति से आय की संगणना करते समय केवल वे कटौतियां अनुज्ञेय होती हैं जिनका आय के उक्त शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना के लिए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। यदि एक विशेष प्रकार की कटौती का विशेष प्रावधान नहीं किया जाता तब उसका दावा नहीं किया जा सकता।

सिटी IV, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए मैसर्ज एयरलाइन होटल लिमिटेड का निर्धारण 'गृह सम्पत्ति से आय' शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना करते हुए सितम्बर 1997 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया हालांकि उसे आय की इसकी विवरणी में निर्धारिती कम्पनी द्वारा कारबार आय के रूप में माना गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आय की संगणना करते हुए गृह सम्पत्ति से आय से अननुज्ञेय 3.24 लाख रूपए के मूल्यहास और 3.42 लाख रूपए के निवेश जमा के सम्बन्ध में 6.66 लाख रूपए की कटौती अनुमत की गयी। गलती के परिणामस्वरूप 10.93 लाख रूपए के कर (ब्याज सहित) के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ समान राशि तक आय का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

पूँजीगत व्यय
की गलत
अनुमति

- 4.9** आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कारोबार के प्रयोजनार्थ पूर्णतः और अनन्यतः अलग रखा गया या खर्च किया गया कोई व्यय, जो पूँजीगत व्यय के स्वरूप का नहीं है या निर्धारिती के निजी खर्चे शीर्ष “कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” के अन्तर्गत कर को प्रभार्य आय संगणित करने में कटौती के रूप में अनुमत्य हैं। यह न्यायिक रूप से निर्णय दिया गया है* कि संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण और प्रतिष्ठापन के लिए निर्धारिती द्वारा उधार ली गयी राशियों पर उत्पादन के शुरू करने से पहले प्रदत्त ब्याज परिसम्पत्तियों की “वास्तविक लागत” का भाग होता है। यह भी निर्णय दिया गया** कि संयंत्र और मशीनरी के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होने से पहले उसके जांच परीक्षण के लिए किए गए खर्चों को पूँजीकृत किया जाना था और वास्तविक लागत में शामिल किया जाना था।

मामले जहां प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था नीचे दिए गए हैं:

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज इंडियन आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड [पश्चिम बंगाल I, कलकत्ता]	1994-95 1996-97	143(3) 143(1) (क)	हालांकि ब्याज के भुगतान के लिए देयता माफ की गयी तथापि उसे कटौती के रूप में अनुमत किया गया	1742.29 (पी) 179.03
2.	मैसर्ज ईस्सर स्टील लिमिटेड [केन्द्रीय I, चेन्नई]	1993-94	143(3)	एक नई यूनिट के परीक्षण जांच के दौरान देय ब्याज और किए गए अन्य खर्चों को स्वरूप में पूँजीगत व्यय के रूप में उनको मानने की बजाय राजस्व खर्चों के रूप में अनुमत किया गया	996.52
3.	मैसर्ज आशिमा सिन्टैक्स लिमिटेड [केन्द्रीय, अहमदाबाद]	1996-97	143(1) (क)	उत्पादन के शुरू किए जाने से पहले और निर्धारिती द्वारा पूँजीकृत किए गए खर्चों को कटौती के रूप में अनुमत किया गया	635.71

* आयकर आयुक्त केन्द्रीय कलकत्ता बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 98 आई टी आर 167

** आयकर आयुक्त बनाम फूड स्पेशयटीज़ आई टी डी 136 आई टी आर 203 (दिल्ली उच्च न्यायालय)

4.	गोदरेज एंड बोयेस मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड [सिटी II, मुम्बई]	1995-96	143(1) (क)	वर्ष के दौरान उद्भूत न हुई देयता के प्रति प्रावधान को कटौती के रूप में अनुमत किया गया	200.94
5.	मैसर्ज गुजरात सिद्धी सीमेंट लिमिटेड [राजकोट, गुजरात]	1995-96	143(3)	पूँजीगत स्वरूप का व्यय होने के कारण प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए प्रतिद्वंदी डीलर को भुगतान कटौती के रूप में अनुमत किया गया	112.49 (पी)
6.	मैसर्ज सख्ती टैक्सटाईल्स [कोयम्बटूर, त ना]	1991-92 से 1993-94	143(3)	नयी परिसम्पत्तियों की लागत के प्रति पूँजीगत स्वरूप का व्यय कटौती के रूप में अनुमत किया गया	91.36
7.	मैसर्ज उमा परमेश्वरी मिल्स [कोयम्बटूर, त ना]	1994-95	143(3)	पूँजीगत स्वरूप के व्यय पर कटौती अनुमत की गयी	78.46
8.	मैसर्ज मामलूह चेरा सीमेंटस लिमिटेड [पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग]	1994-95	143(3)	पूँजीगत स्वरूप के व्यय पर कटौती अनुमत की गयी	75.09
9.	दि फेडरल बैंक लिमिटेड [कोची, केरल]	1996-97	143(1) (क)	शेयरों के अतिरिक्त निर्गम पर खर्च राजस्व व्यय के रूप में अनुमत किये गए	68.56
10.	मैसर्ज रिफ्रेकटरी स्पेशलिटीज लिमिटेड [धनबाद, बिहार]	1994-95	143(1) (क)	बट्टेखाते डाली गयी स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य राजस्व व्यय के रूप में अनुमत किया गया	45.39 (पी) 9.08 (ए टी)

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली प्रभागों में 16 अन्य मामलों में वैसे ही स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 329.40 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 और 7 और अन्य में से 6 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 4 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति यह कहते हुए स्वीकार नहीं की है कि अन्तर्ग्रस्त मामले पर काफी परिचर्चा की जानी थी क्योंकि दो मतों की संभावना थी।

उत्तर न्यायिक उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय* को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है।

बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की गलत अनुमति

4.10 अप्रैल 1994 से प्रभावी वित्त अधिनियम 1993 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि एक अनुसूचित या गैर अनुसूचित बैंक द्वारा दिए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के सम्बन्ध में इसकी कुल आय (इस उपबंध और अध्याय IV ए अधीन कोई कटौती करने से पहले संगणित) के पांच प्रतिशत से अनधिक राशि और विहित रीति में संगणित ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दी गई कुल औसत पेशगी के दस प्रतिशत से अनधिक राशि निर्धारिती की कारोबार आय संगणित करते समय कटौती के रूप में अनुमत की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ “ग्रामीण शाखा” एक अनुसूचित या एक गैर अनुसूचित बैंक की उस शाखा के रूप में परिभाषित की गई है जो ऐसे स्थान पर स्थित हो जिसकी आबादी पिछली पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन से पहले प्रकाशित किए गए हों, के अनुसार दस हजार से अधिक नहीं है।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश प्रभार में निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए **दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड** का निर्धारण बैंक की अट्ठाईस ग्रामीण शाखाओं के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के सम्बन्ध में किए गए प्रावधान के प्रति 41.54 लाख रूपए की एक कटौती अनुमत करते हुए मार्च 1998 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अट्ठाईस ग्रामीण शाखाओं में से इक्कीस शाखाएं, जिनके लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रति 38.72 लाख रूपए की कटौती अनुमत की गयी, उन स्थानों में स्थित थीं जिनकी आबादी पिछली जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक थी। उसी हैसियत से वे शाखाएं ग्रामीण शाखाओं के अर्थ में नहीं आती थीं तथा उक्त कटौती की हकदार नहीं थीं। कटौती अनुमत करने में गलती के परिणामस्वरूप 38.72 लाख रूपए तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें अधिभार सहित 17.81 लाख रूपए का संभाव्य कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंकिंग कम्पनियों के मामले में अशोध्य ऋणों की गलत अनुमति

4.11 1 अप्रैल 1989 से यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे किसी ऋण की राशि या उसका भाग, जो पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं में गैर वसूली योग्य के रूप में बट्टे धाटे में डाला जाता है तो ‘कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ’ शीर्ष के अन्तर्गत कर को प्रभाय आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमत्य होता है। एक बैंक के उस मामले, जहां अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान स्वीकार्य है, में कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिससे ऐसा ऋण या उसका भाग अधिनियम के अधीन किए गए “अशोध्य और संदिग्ध ऋण लेखा के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष” से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम,

* आ. आ. बनाम राजकुमार मिल्स लिमिटेड: 80 आई टी आर 244 (बम्बई)

1986 द्वारा यथासंशोधित अप्रैल 1987 से एक अनुसूचित या एक गैर अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के सम्बन्ध में इस प्रावधान और अध्याय VIए के अन्तर्गत कोई कटौती करने से पहले संगणित इसकी कुल आय के पांच प्रतिशत से अनधिक राशि निर्धारिती की कारबार आय की संगणना करते हुए अनुमत की जाएगी।

नमूना जांच में देखे गए अशोध्य ऋणों की अनियमित/गलत अनुमति के मामले नीचे दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज तमिलनाडु मरकेन्टाईल बैंक लिमिटेड [मदुरई, तमिलनाडु]	1989-90 1990-91	143(3) 143(3)	अशोध्य ऋणों के लिए दावा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती किए बिना अनुमत किया गया	92.32
2.	दि साऊथ इंडियन कोचीन बैंक लिमिटेड [कोचीन, केरल]	1995-96	143(3)	बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती अनुमत की गयी हालांकि वह अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से अधिक नहीं थी	87.87

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल प्रभागों में 6 मामलों में अशोध्य ऋणों के प्रति कटौती अनुमत करने में अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप 104.64 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 6 मामलों में से 2 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है। मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस आधार पर स्वीकार नहीं की है कि धारा 36 (1) (vii) परन्तुक के अन्तर्गत किसी बैंक के मामले में जिस पर धारा 36 (1) (vii) क) लागू होती है इस प्रकार के किसी भी ऋण या उसके भाग से सम्बंधित कटौती की राशि उस राशि से सीमित होगी जिससे इस प्रकार का ऋण या उसका कोई भाग अशोध्य ऋण राशि के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक है। यह उपरोक्त लेखे में समग्र क्रेडिट शेष है जिस पर विचार किया जाना है न कि चालू वर्ष में किए गए प्रावधान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया। इसके अतिरिक्त धारा 36 (1) (vii) शहरी ऋणों पर लागू होगी और 36 (1) (viii) क) परन्तुक बैंकों से सम्बंधित ग्रामीण ऋणों पर लागू होगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के बैंक प्रावधान का मामला विशेष मामले के रूप में अनुमत किया जाता है। जब वास्तविक अशोध्य ऋण का दावा हो तो दावा अनुमत प्रावधान से समंजित किया जाना चाहिए और यदि उसके बाद भी कोई शेष बचता है तो वह धारा 36 (1) (vii) के परन्तुक के अधीन कटौती के रूप में अनुमत किया जा सकता है।

प्रावधानों की गलत अनुमति

4.12 एक उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में किया गया प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती होता है जबकि किए गए अन्य प्रावधान कटौती के पात्र नहीं होते। यह न्यायिक रूप से निर्णीत है* कि इसलिए कि एक हानि कटौती योग्य हो यह वास्तव में उद्भूत तथा उठायी गयी होनी चाहिए और न कि मात्र प्रत्याशित जिसके भविष्य में होने की निश्चितता हो। इसके अतिरिक्त यह न्यायिक रूप से निर्णीत है** कि जहां एक संविदागत दायित्व से उद्भूत एक देयता में विवाद हो वहां निर्धारिती पूर्व वर्ष, जिसमें विवाद का अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन या निपटारा किया जाता है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष में उस ओर से एक कटौती का दावा करने के लिए हकदार होता है। यह भी न्यायिक रूप से निर्णीत है*** कि कर्मचारियों को देय न तो छुट्टी वेतन न ही छुट्टी नकदीकरण लाभ वर्तमान देयता कहा जा सकता है और एक निर्धारिती ऐसी देयता को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधान की कटौती के लिए हकदार नहीं होता है।

मामले जिनमें उपरोक्त प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था नीचे दिए गए हैं।

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज रतनम जैमस इम्पैक्स लिमिटेड [सिटी II, मुम्बई]	1996-97	143(3)	एक बैंक को देय ब्याज होने के कारण आकस्मिक देयता यद्यपि विवादाधीन थी तथापि कटौती के रूप में गलत ढंग से अनुमत की गयी	481.15 (पी)
2.	मैसर्ज आई.सी.आई. (इंडिया) लिमिटेड [प बं IV, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	कर्मचारियों की बकाया छुट्टी के नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति प्रावधान कटौती के	270.48

* आयकर आयुक्त बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक 151-आई टी आर-446 (मद्रास)

** आयकर आयुक्त बनाम फालटन शूगर वर्कस लिमिटेड 162 आई टी आर 622 (बम्बई)

*** आयकर आयुक्त बनाम भारत जनरल एंड टैक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज 157 आई टी आर 158 (कल)

				रूप में अनुमत किया गया	
3.	मैसर्स पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड [प बं I, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कटौती के रूप में अनुमत किया गया	122.47 (पी) 24.29 (ए टी)
4.	मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड [उदयपुर, राजस्थान]	1993-94	143(3)	लाभांशों के प्रस्तावित भुगतान के लिए प्रावधान कटौती के रूप में अनुमत किया गया	125.25
5.	मैसर्स प्रीसीजन फासनर्स लिमिटेड [सिटी V, मुम्बई]	1995-96	143(1) (क)	देयताएं, जिनके लिए मात्र एक भावी तारीख को भुगतान उद्भूत हुआ, कटौती के रूप में अनुमत की गयीं	63.47 12.69 (ए टी)

पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश प्रभागों में 19 मामलों में ऐसे ही स्वरूप की अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप 314.44 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम संख्या 2 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है और अन्य मामलों में सिर्फ 3 पर भी स्वीकार कर ली है।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 3 पर अभ्युक्ति इस आधार पर स्वीकार नहीं की कि अशुद्ध ऋण की देयता अथवा अदेयता बोर्ड के अनुदेश संख्या 689 के अनुसार समायोजन के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है * कि यदि ऋण को ऋणदाता को डेबिट करके और अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान को क्रेडिट करके निकाल भी दिया जाता है तब भी यह उस ऋण का बट्टेखाते जाना होगा अतः कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि लाभ और हानि लेखे में मात्रा प्रावधान कर लिया गया है अतः यह स्वतः अननुमेय है।

उत्तर इस कारण से मान्य नहीं है कि यद्यपि अशोध्य ऋण की अनुज्ञेयता या अननुज्ञेयता स्वतः समायोजन के दायरे से बाहर है। अतः कतिपय शर्तों के अधधीन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मामले को छोड़कर अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है। निर्धारिती जो तो बैंक अथवा वित्तीय संस्था नहीं है की इस के प्रावधान कारण कटौती कानून में स्वीकार्य है और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के उपरोक्त निर्देशों से कवर होती है। इसके अतिरिक्त उद्धृत न्यायिक निर्णय 20, अगस्त, 1980 को सुपुर्द किया गया था जबकि धारा 36 (1) (vii) के अधीन प्रावधान वर्तमान स्वरूप में 1

* विट्टलदास एच धार जी भाई वरदानवाला बनाम आयकर आयुक्त 130 आई टी आर 95

अप्रैल, 1989 को किया गया था। अतः बाद वाला पहली वाली स्थिति पर हावी होता है।

मंत्रालय ने विवरणी की क्रम संख्या 5 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया है कि मामला परिचर्चा योग्य था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सांविधिक देयता निर्धारण वर्ष 1996-97 के सुसंगत पूर्व वर्ष में ही निश्चित हो गई थी और उसके ब्यौरे स्पष्टतया विवरणी के साथ उपलब्ध थे।

देयता की गलत अनुमति

4.13 निर्धारण वर्ष 1984-85 से यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कतिपय कटौतियां अधिनियम की धारा 43(ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्म के व्यय के वास्तविक भुगतान पर ही अनुज्ञेय होती हैं। 1 अप्रैल 1989 से उपकर फीस या नियोक्ता के रूप में किसी निर्धारिती द्वारा किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिता निधि या उपदान निधि आदि में अंशदान के रूप में देय कोई राशि अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में एक कर्मचारी को देय कोई राशि अथवा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से किसी कर्ज पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि भी वास्तविक भुगतान के आधार पर कटौती योग्य है। तथापि, उक्त निधियों के अंशदान के सम्बन्ध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक ऐसी राशि निधियों को शासित करने वाली सुसंगत संविधि के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अनुबद्ध नियत तारीख से पहले वास्तव में अदा की गई हो। यह न्यायिक रूप से निर्णीत है* कि कारबार के दौरान एक व्यापारी द्वारा संगृहीत बिक्री कर की राशि उसकी व्यापार या कारबार आय बनती है।

देयता की गलत-अनियमित अनुमति के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड [प बं I, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	सरकार को देय बिजली शुल्क और अन्य उद्ग्रहण कटौती के रूप में अनुमत किए गए हालांकि ये निर्धारित तारीखों के अन्दर अदा नहीं किए गए	1893.91 (पी) 378.78 (ए टी)
2.	मैसर्ज राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड [जयपुर, राजस्थान]	1995-96	143(3)	--वही--	1209.77 (पी)

* चौरंगी सेल्स ब्यूरो (प्रा) बनाम आयकर आयुक्त (1973) 87 आई टी आर 542 (एस सी)

3.	मैसर्ज पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड [प बं I, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	अनुबद्ध नियत तारीख के अन्दर उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा न कराए गए भविष्य निधि अंशदान कटौतियों के रूप में अनुमत किए गए	1112.19 (पी)
4.	मैसर्ज माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपो. लिमिटेड [प बं XI, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	सरकार को अदत्त बिक्री कर संग्रहणों को दोबारा नहीं जोड़ा गया	336.43 (पी)
5.	म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड [जबलपुर, म.प्र.]	1995-96	143(1) (क)	भविष्य निधि के प्रति अंशदान को अननुमत नहीं किया गया हालांकि नियत तारीख से पहले अदा नहीं किया गया	237.63 (पी) 47.53 (ए टी)
6.	मैसर्ज फिलिपस कार्बन बलेकस लिमिटेड [प बं II, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	सीमाशुल्क यद्यपि नियत तारीख तक अदत्त रहा तथापि आय में दोबारा नहीं जोड़ा गया	231.87
7.	मैसर्ज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड [विशाखापत्तनम, आं प्र]	1994-95	143(3)	नियत तारीख के अन्दर भारत सरकार को अदत्त गारंटी फीस कटौती के रूप में अनुमत की गयी	142.82 (पी)
8.	मैसर्ज पेन्नार एल्युमिनियम कं. लिमिटेड [केन्द्रीय, बेंगलूर]	1995-96	143(3)	अधिक राशि को 'प्रदत्त और आस्थगित बिक्री कर' के प्रति कटौती के रूप में अनुमत किया गया	106.39 (पी)

पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रभागों में 20 मामलों में वैसी ही प्रकार की गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 226.30 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 और 2 पर और अन्य में से 9 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

चाय कारोबार से आय की गलत संगणना

4.14 आयकर नियमावली, 1962 के अन्तर्गत भारत में एक विक्रेता द्वारा उगाई गई और विनिर्मित चाय से व्युत्पन्न आय का केवल 40 प्रतिशत निर्धारित के विनिर्माण और बिक्री कार्यकलाप से व्युत्पन्न आय मानी जाती है और आयकर के लिए दायी होती है, बाकी 60 प्रतिशत चाय की खेती से सम्बन्धित मानी जाने के नाते जिससे आय कृषि स्वरूप की होती है और इसलिए कर के लिए दायी नहीं होती है। आय के विभाजन से सम्बन्धित यह नियम केवल चाय कारोबार से आय को लागू होता है। यह न्यायिक रूप

से निर्णीत है* कि एक निर्धारिती संयोजित कृषि आय के 60 प्रतिशत से हरी पत्तियों पर उपकर की कटौती के लिए हकदार होता है।

आय की गलत संगणना के कारण आय के अवनिर्धारण के मामले नीचे दिए जाते हैं:

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज ए.एफ.टी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड [केन्द्रीय II, कलकत्ता]	1993-94 1994-95 1995-96	143(3)	निरपवाद रूप से कृषि स्वरूप का होने के कारण हरी पत्ती पर उपकर अननुमत नहीं किया गया	128.14
2.	मैसर्ज जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड [प.व. II, कलकत्ता]	1995-96 1996-97	143(3) 143 (1) (क)	हरी पत्ती पर उपकर पर संयोजित आय के 60 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत कटौती अनुमत की गयी	41.36

पश्चिम बंगाल और असम प्रभागों में दो अन्य मामलों में ऐसे ही स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप 18.46 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने दो मामलों में से एक मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

विवरणी के क्रम में 1 और 2 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ब्याज कर
निर्धारण के
साथ गैर-सह
सम्बद्ध

4.15 ब्याज कर अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत “कारोबार या वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ” शीर्ष के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य एक अनुसूचित बैंक की आय की संगणना करते हुए किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा देय ब्याज कर उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धार्य बैंक के लाभों और अभिलाभों से कटौती योग्य होगा। इसके अतिरिक्त ब्याज कर अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज कर निर्धारण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिसम्बर 1981 में अनुदेश जारी किए कि ब्याज कर निर्धारण, जहां तक संभव हों, आयकर निर्धारणों के साथ पूरे किए जाने चाहिए।

निम्नलिखित 4 मामलों में यद्यपि ब्याज कर देयता में अपीलीय आदेश के अनुसार कमी की गयी तथापि आयकर निर्धारणों को मूल रूप में अनुमत बढ़ायी गयी कटौतियों में कमी करने के लिए संशोधित नहीं किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 221.02 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

* जोरहाट ग्रुप लिमिटेड बनाम कृषि आयकर अधिकारी 226 आई टी आर 622 (गुवाहाटी)

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	कर प्रभाव
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया [सिटी II, मुम्बई]	1993-94	143(3)	186.00
2.	एस.बी.आई. कॅपिटल मार्किट लिमिटेड [सिटी III, मुम्बई]	1993-94	143(3)	19.57
3.	मैसर्ज बैंक आफ बेहरीन एंड कुवैत [सिटी III, मुम्बई]	1993-94	143(3)	11.50
4.	मैसर्ज प्रकाश लीडिंग लिमिटेड [बेंगलूर, कर्नाटक]	1993-94	143(3)	3.95

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 4 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

पूर्वावधि व्यय
आदि की गलत
अनुमति

4.16 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन शीर्ष 'कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' के अन्तर्गत आय निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार संगणित की जाती है। जहां निर्धारिती लेखांकन की वाणिज्यिक पद्धति अपनाता है वहां वार्षिक लाभ प्राप्य या उपचयन आधार पर अर्थात् भी खर्च, जिनके लिए कानूनी देयता उद्भूत हो चुकी है, के लिए प्रावधान करने और सभी प्राप्तियों, जो प्राप्य हो चुकी हैं, की वास्तविक प्राप्ति या भुगतान का विचार किए बिना, क्रेडिट लेने के बाद परिकलित किया जाता है। एक पूर्व वर्ष की आय में से कटौती के रूप में केवल ऐसे खर्च अनुज्ञेय होते हैं जो उस वर्ष से सुसंगत हों।

पूर्वावधि व्यय के गलत छूट के कुछ मामले नीचे दिए जाते हैं:

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेटस लिमिटेड [इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश]	1994-95	143(3)	जमा पर ब्याज और पहले से प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान को आय की संगणना करते समय नहीं लिया गया	39.48

इसके अतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रभारों में 3 मामलों में पूर्वावधि खर्चों आदि की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 61.68 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

आरम्भिक खर्चे

- 4.17** आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कारोबार शुरू होने से पूर्व हुए आरंभिक खर्चे के प्रति या एक औद्योगिक उपक्रम के विस्तार के संबंध में अनुज्ञेय कटौती परियोजना की लागत या निर्धारिती के विकल्प पर नियोजित पूंजी के 2.5 प्रतिशत तक सीमित होती है और दस वर्षों तक समान किशतों में अनुमत की जाती है।

मामले जिनमें उपरोक्त प्रावधान ठीक प्रकार से लागू नहीं किए गए थे नीचे दिए जाते हैं:

(रूपे लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज सूरत इलेक्ट्रिसिटी कं. लिमिटेड [सूरत, गुजरात]	1994-95	143(3)	डिबेंचरों के निर्गम पर व्यय नियोजित पूंजी के 1/10 तक सीमित नहीं किया गया	10.80 (पी)

दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र प्रभागों में 3 अन्य मामलों में ऐसी ही गलतियों के कारण 26.99 लाख रूपे के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 3 मामलों में से एक मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस आधार पर स्वीकार नहीं की है कि अधिनियम की धारा 35-घ -औद्योगिक उपक्रम के विस्तार के संबंध में कारोबार के प्रारम्भ होने से पहले अथवा प्रारम्भ होने के बाद अथवा उसके नए औद्योगिक इकाई शुरू करने के संबंध में दो परिस्थितियों में लागू होती अर्थात् धारा 35 घ केवल तभी लागू होती है यदि दोनों में से कोई भी परिस्थिति विद्यमान हो। यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं होती है तो धारा 35-घ का प्रावधान लागू नहीं हो सकता क्योंकि डिबेंचर कार्यचालन पूंजी को बढ़ाने और सामान्य पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे, अतः यह सामान्य उधार और व्यय का भाग माना जाएगा और इससे राजस्व व्यय होगा और अतः अनुमेय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विस्तार नहीं है। अधिनियम की धारा 35-घ के प्रावधान को लागू करना संभव नहीं होगा और इस प्रकार पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना स्वरूप में राजस्व है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधि का उपयोग गैर-राजस्व प्रयोजन के लिए किया गया था और स्वयं निर्धारिती ने डिबेंचर निर्गम व्यय का एक तिहाई लाभ-हानि लेखे को डेबिट किया था। चूंकि व्यय विद्यमान यूनिट के विस्तार और नई यूनिटों के स्थापित करने के लिए किया गया था अतः धारा 35-घ के प्रावधान आकृष्ट होते हैं।

**भारत के बाहर
भुगतान**

4.18 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जहां किसी वित्तीय वर्ष में एक निर्धारिती ने कोई ब्याज, तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य अन्य राशि अदा की है, जो भारत के बाहर देय है जिस पर कर अदा नहीं किया गया है या काटा नहीं गया है वहां शीर्ष “कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” के अन्तर्गत प्रभार्य आय संगणित करने में ऐसी राशियों (भारत से बाहर देय) की कटौती नहीं की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधानों को अपनाने में चूक के मामले नीचे दिए जाते हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	एवन साइकिलस लिमिटेड [लुधियाना, पंजाब]	1992-93 1995-96	143(3)	स्रोत पर कर की कटौती के बिना भारत से बाहर प्रदत्त कमीशन कटौती के रूप में अनुमत किया गया	189.33
2.	मैसर्स स्टैण्डर्ड बैटरीज लिमिटेड [सिटी II, मुम्बई]	1994-95 1995-96	143(3)	हालांकि कर स्रोत पर नहीं काटा गया था तथापि भारत से बाहर किए गए रायल्टी भुगतानों को कटौती के रूप में अनुमत किया गया	97.35 (पी)
3.	मैसर्स विप्रो सिस्टम लिमिटेड [सिटी I, मुम्बई]	1994-95	143(3)	--वही--	79.67

हरियाणा और पश्चिम बंगाल प्रभागों 2 मामलों में ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 54.18 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

विवरणी के क्रम सं. 2 और 3 की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां मंत्रालय ने स्वीकार कर लीं।

**वैज्ञानिक
अनुसंधान पर
व्यय की गलत
अनुमति**

4.19(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर 31 मार्च 1967 के बाद किए गए एक पूंजीगत स्वरूप का व्यय कारबार आय की संगणना करते हुए एक कटौती के रूप में स्वीकार्य होता है। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि कारबार करने वाले एक निर्धारिती, जिसकी कुल बिक्री पूर्व वर्ष में चालीस लाख रूपए से अधिक हो, को लेखाओं को एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित कराने के बाद कतिपय विवरणों की विवरणी प्रदान करते हुए निर्धारित फार्म में एक कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय शामिल होता है जिसमें पूंजीगत स्वरूप का व्यय अलग से दर्शाया जाता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि इस बात पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक कोई कार्यकलाप वैज्ञानिक अनुसंधान बनता है या बनता था या

किसी परिसम्पत्ति का इसके लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा था तब बोर्ड प्रश्न को निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

पश्चिम बंगाल VI, कलकत्ता प्रभार में निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए **मैसर्स आनन्द वाजार पत्रिका लिमिटेड** का निर्धारण संशोधित विवरणी में निर्धारिती के दावे के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय के प्रति 187.98 लाख रूपए की एक कटौती अनुमत करते हुए जनवरी 1997 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गयी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय शून्य दर्शाया गया और पूंजीगत स्वरूप का कोई व्यय अलग से नहीं दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गयी मूल विवरणी में वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण कटौती के लिए कोई दावा निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया और 187.98 लाख रूपए मूल्य की परिसम्पत्ति को संयंत्र और मशीनरी ब्लाक में वर्धन होने के नाते 321.83 लाख रूपए की राशि में शामिल किया गया और तदनुसार मूल्यह्रास का दावा किया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को इस बात के लिए प्रश्न का बोर्ड को भेजना अपेक्षित था कि क्या परिसम्पत्ति का वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जा रहा था जो बदले में निर्धारित प्राधिकारी यथा महानिदेशक (छूट) को मामला भेजेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान पर किसी प्रकार का व्यय करने सम्बन्धी निर्धारित फार्म में यथा अनुबद्ध कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किसी सूचना के अभाव में और महानिदेशक (छूट) की सहमति प्राप्त करने की विफलता से इसके कारण निर्धारिती को अनुमत 187.98 लाख रूपए की कटौती अनियमित थी। इस गलती के कारण 81.06 लाख रूपए के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 140.98 लाख रूपए की आय का अवनिर्धारण हुआ (मशीनरी पर 25 प्रतिशत की दर पर 47 लाख रूपए का मूल्यह्रास अनुमत करने के बाद)।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कारबार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर लगाया गया या खर्च किया गया पूंजीगत व्यय के स्वरूप का न होने के नाते कोई व्यय या एक वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को प्रदत्त कोई राशि, जिसका अपने उद्देश्य के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान या एक विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्था के उत्तरदायित्व के लिए उपयोग करना होता है, कटौती के रूप में अनुमत की जाएगी बशर्ते कि ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, कालेज या संस्था का सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ फिलहाल अनुमोदन किया गया है।

तमिलनाडु -IV, चेन्नै प्रभार में निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए एक कम्पनी का निर्धारण संवीक्षा के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के प्रति 90.33 लाख रूपये की कटौती अनुमत करके 148.70 लाख रूपये की हानि पर मार्च 1997 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से देखा गया कि आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के अनुसार निर्धारिती द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त 34.50 लाख रूपये के अनुदान की

राशि दावे से अननुमत की जाती थी। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप 34.50 लाख रूपये की हानि की अधिक संगणना हुई जिसमें 19.84 लाख रूपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

**जानकारी पर
व्यय की गलत
अनुमति**

4.20 आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1986 से जहां निर्धारिती ने अपने कारबार के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए किसी जानकारी का अधिग्रहण करने के लिए कोई एकमुश्त प्रतिफल किसी पूर्व वर्ष में अदा किया हो वहां इस प्रकार प्रदत्त राशि के छठे भाग की उस वर्ष के लिए कारबार आय की संगणना करने में कटौती कर दी जाएगी और शेष राशि की पूर्व वर्षों के तत्काल अनुवर्ती पांच वर्षों में से प्रत्येक में बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी।

निम्नलिखित 2 मामलों में पहले मामले में ब्याज के भुगतान के प्रति अधिक कटौती के साथ जानकारी पर कुल व्यय के 1/6 के प्रति अनुज्ञेय कटौती के सीमित न करने के परिणामस्वरूप 50.83 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड [इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश]	1994-95	143(3)	28.74 (पी)
2.	मैसर्ज इंडिया पिस्टनस लिमिटेड [त ना I, चेन्नई]	1993-94	143(3)	22.09

विवरणी के क्रम सं. 2 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है।

**अन्त स्टॉक का
गलत मूल्यांकन**

4.21 यह न्यायिक रूप से निर्णीत है* कि लेखांकन की कोई प्रणाली जो व्यापारगत स्टॉक के मूल्यांकन के लिए कच्चे माल की लागत से भिन्न सभी लागतों को हिसाब में नहीं लेती, के परिणामतः कारबार की प्रभार्य आय की संगणना के प्रयोजनार्थ संभवतया उसकी सही स्थिति का बिगड़ा हुआ रूप सामने लाए। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा सुस्पष्ट लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, उत्पाद शुल्क एक विनिर्माण खर्चा है और स्टॉक मूल्यांकन की लागत का एक घटक है। बोर्ड ने 1981 में स्पष्ट किया कि विनिर्माता/व्यापारी द्वारा देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क, यदि कोई हो, उत्पादन लागत की संगणना में हिसाब में लिए जाएंगे और अन्तःस्टॉक में ऐसी लागत के द्योतक ऐसे शुल्क का अंश शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्टॉक का मूल्यांकन कारबार से कर योग्य आय का अवधारण करने में एक अनिवार्य घटक होता है चूंकि निर्धारिती के सही लाभ तब तक अभिनिश्चित नहीं किए जा सकते जब तक कि अथ तथा

* सी आई टी बनाम ब्रिटिश पेंटस इंडिया लिमिटेड 188 आई टी आर 44 (उच्चतम न्यायालय)

अन्त स्टाक को सही ढंग से मूल्यांकित न किया जाए। यद्यपि स्टाक के मूल्यांकन से निधियां उत्पन्न नहीं होतीं तथापि इससे कारबार की कर योग्य आय पर प्रभाव पड़ता है।

नमूना जांच के दौरान देखे गए मामले जहां अंत स्टाक सही प्रकार से मूल्यांकित नहीं किया गया था, नीचे दिए जाते हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	रिलायंस इंडस्ट्रीज़ [सिटी VI, मुम्बई]	1994-95	143(3)	केन्द्रीय उत्पादशुल्क उपचित आधार पर लाभ और हानि लेखा को डेबिट नहीं किया गया और आय निकालने के लिए वापस जोड़ा गया।	3973.00 (पी)
2.	अपर गेंजेस शूगर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड और 20 अन्य [प बं I, II, IV, केन्द्रीय I, II कलकत्ता]	1991-92 से 1996-97	143(3) 143(1)	अन्त स्टाक का मूल्यांकन करने में तैयार माल पर देय केन्द्रीय उत्पादशुल्क को हिसाब में नहीं लिया गया	2507.81
3.	मैसर्ज अल्फा लावल इंडिया लिमिटेड और 16 अन्य [सिटी I से VI, केन्द्रीय I, मुम्बई, पूना, विदर्भ, महाराष्ट्र]	1993-94 से 1996-97	143(3)	--वही--	1257.41
4.	मैसर्ज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं. लिमिटेड [गुजरात I अहमदाबाद]	1995-96	143(3)	--वही--	603.52
5.	मैसर्ज केपरीहन्स इंडिया लिमिटेड और 2 अन्य [सिटी IV मुम्बई]	1994-95	143(3)	--वही--	181.99
6.	मैसर्ज सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड [गुजरात I अहमदाबाद]	1995-96	143(3)	--वही--	100.09
7.	मैसर्ज एलेमबिक केमिकल वर्कस लिमिटेड [बड़ौदा, गुजरात]	1995-96	143(3)	--वही--	84.91

गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और उड़ीसा प्रभागों में निर्धारितियों के 7 मामलों में वैसे ही स्वरूप की गलतियों और अन्य गलतियों जैसे अन्त-स्टाक के गलत मूल्यांकन/अवमूल्यांकन, अन्त स्टाक के कम लेखे में लिए जाने आदि के परिणामस्वरूप 98.92 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 5 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

**अननुमोदित
निधि के लिए
अंशदान की
गलत अनुमति**

4.22 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किसी निधि, या न्यास, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से इतर या एक अनुमोदित अधिवार्षिता या एक अपरिवर्तनीय न्यास के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के एकमात्र लाभ के लिए एक नियोक्ता द्वारा सृजित एक अनुमोदित उपदान निधि के स्थापित करने या निरूपित करने के प्रति या उनके प्रति अंशदान के रूप में एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा प्रदत्त किसी राशि को कटौती के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा।

कोयम्बटूर, तमिलनाडु प्रभार में निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए **मैसर्ज चेरन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन** का निर्धारण 158.65 लाख रूपए की हानि पर मार्च 1997 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती को उस कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि में की गयी जमाओं पर ब्याज के संचय के प्रति 64.05 लाख रूपए की एक कटौती अनुमत की गयी जो एक अननुमोदित निधि थी और इसलिए वापस ली जानी अपेक्षित थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप 64.05 लाख रूपए तक हानि अधिक बताई गई जिसमें 33.15 लाख रूपए का एक संभाव्य कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

**वित्तीय निगमों
की आय की
गलत संगणना**

4.23(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन भारत में औद्योगिक या कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराने में लगे वित्तीय निगम अपने लाभों में से विशेष आरक्षित निधि लेखे को अन्तरित की गई राशि की एक विशेष कटौती के हकदार होते हैं जो उनकी कुल आय के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। इसी प्रकार सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम द्वारा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान के संबंध में कुल आय के पाँच प्रतिशत से अनधिक राशि स्वीकार्य है। किसी भी मामले में कुल आय वह है जो इस कटौती को अनुमत करने से पहले और अध्याय VI (ए) के अधीन किसी कटौती से पहले संगणित की जाती है।

मामले, जिनमें उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया, नीचे दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज बिहार राज्य वित्त निगम [पटना, बिहार]	1995-96 1996-97	143(1) (क) 143(1) (क)	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में कटौती गलत अनुमत की गयी हालांकि कोई आय नहीं थी	6038.35 (पी) 1207.66 (ए.टी)

2.	मैसर्ज तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपो. लिमिटेड [त ना III, चेन्नई]	1996-97 1997-98	143(1) (क) 143(1) (क)	कुल आय में शामिल की गयी अन्य आय को ध्यान में न रखते हुए कटौती गलत अनुमत की गयी	560.09
3.	केरल फाइनेंशियल कारपोरेशन [त्रिवेन्द्रम, केरल]	1996-97	143(1) (क)	हालांकि कोई विशेष आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी तथापि कटौती अनुमत की गई	327.22
4.	मैसर्ज तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड [त ना III, चेन्नई]	1994-95	143(3)	सृजित आरक्षित निधि की राशि से अधिक कटौती अनुमत की गयी	25.58

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अशोध्य ऋणों की राशि या उसका भाग, जिसे पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं में अशोध्य के रूप में बट्टेखाते डाला गया हो, अनुमत की जाएगी। निर्धारण वर्ष 1992-93 से लागू संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक निर्धारिती, जिसे दिए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के प्रति कटौती अनुज्ञेय है, के मामले में अशोध्य ऋणों या उसके भाग से सम्बन्धी कटौती की राशि उतनी राशि तक सीमित होगी जिस तक ऐसा ऋण या उसका भाग सुसंगत खंड के अन्तर्गत किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋण लेखा के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक हो।

तमिलनाडु III, चेन्नई प्रभार में 1994-95 से 1997-98 तक के निर्धारण वर्षों के लिए मैसर्ज तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के निर्धारण उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए कर्जों पर बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों और अशोध्य ऋणों के लिए सृजित की गयी आरक्षित निधि के प्रति क्रमशः कुल 9959.72 लाख रूपए और 278.61 लाख रूपए की कटौतियां अनुमत करते हुए एक संक्षिप्त तरीके में दिसम्बर 1997 और मार्च 1998 के बीच पूरे किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति 9959.72 लाख रूपए की कटौती अनुमत करते हुए लेखाओं में किए गए 278.61 लाख रूपए के प्रावधान का ऐसा ऋणों के प्रति समायोजन नहीं किया गया। गलतियों के परिणामस्वरूप 195.92 लाख रूपए के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण (ब्याज और अतिरिक्त कर सहित) के साथ 278.61 लाख रूपए की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मूल्यहास की गलत अनुमति

4.24 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक निर्धारिती की कारबार आय की संगणना करते हुए भवनों, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नारों और पोटों पर मूल्यहास के कारण एक कटौती निर्धारित दरों पर स्वीकार्य होती है बशर्ते

कि ये निर्धारिती के अधिकार में हों तथा सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अपने कारखार के प्रयोजनार्थ उपयोग किये गए हों। संयंत्र में पोत, वाहन, बुकस, वैज्ञानिक उपकरण और सर्जिकल उपस्कर शामिल हैं परन्तु चाय की झाडियां या पशुधन शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त तकनीकी जानकारी के अभिग्रहण के लिए किए गए एकमुश्त व्यय पर कोई मूल्यहास अनुमत नहीं किया जाता। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 में प्रावधान किया गया कि निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए कम्पनियों के मामले में परिसम्पत्तियों के किसी ब्लाक पर मूल्यहास अनुमति सामान्य अनुमति की निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित राशि के पचहत्तर प्रतिशत तक सीमित होगी।

नमूना जांच के दौरान देखे गए मूल्यहास की गलत अनुमति के मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज नैशनल एल्युमीनियम कं. लिमिटेड [भुवनेश्वर, उड़ीसा]	1995-96	143(3)	मूल्यहास दो बार अनुमत किया गया	13669.00 (पी)
2.	मैसर्ज मंगलम सीमेंट लिमिटेड [जयपुर, राजस्थान]	1995-96	143(3)	मूल्यहास दो बार अनुमत किया गया	1098.25 (पी)
3.	मैसर्ज तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड [त ना III, चेन्नई]	1997-98	143(1) (क)	किसी प्रावधान के अभाव में मूल्यहास निवेश पर अनुमत किया गया	203.86
4.	मैसर्ज दामोदर घाटी निगम [प बं I, कलकत्ता]	1988-89	143(3)	रोके गए भुगतानों पर देय ब्याज में से अधिगृहीत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास अनुमत किया गया	158.00 (पी)
5.	मैसर्ज पॉडस (इंडिया) लिमिटेड [त ना II, चेन्नई]	1992-93	143(3)	मूल्यहास अनुमत किया गया हालांकि इकाई ने सुसंगत वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू नहीं किया था	80.14

तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब प्रभागों में 16 मामलों में वैसी तथा अन्य स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप 240.83 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 और 4 पर और अन्य मामलों के 9 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली है।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 5 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति यह बताते हुए स्वीकार नहीं की है कि 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई ने दिसम्बर 1991 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और अतः 30 प्रतिशत मूल्यहास ठीक प्रकार से अनुमत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है। 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई की आय एक बार आयकर अधिनियम की धारा 10-ख के अधीन छूट के रूप में दावा कर ली जाती है तो इकाई की परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यहास अनुमत नहीं किया जा सकता।

अवलेखित मूल्य
का गलत
अपनाया जाना

4.25 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1989 को या उसके बाद शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में परिसम्पत्तियों के किसी ब्लाक का अवलेखित मूल्य पूर्व वर्ष के प्रारम्भ में परिसम्पत्तियों के उस ब्लाक का अवलेखित मूल्य होता है जो पूर्व वर्ष के दौरान अभिगृहीत उस ब्लाक के अन्दर आने वाली किसी परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत तक बढ़ा दी जाए और उस ब्लाक के अन्दर आने वाली किसी परिसम्पत्ति, जिसे पूर्व वर्ष के दौरान बेचा या निकाल दिया गया हो या जो नष्ट हो गयी हो, के सम्बन्ध में देय धन तक कम कर दी जाएं।

उपर्युक्त प्रावधानों को गलत लागू किए जाने के मामले नीचे दिए जाते हैं:

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज सावंत फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड [सिटी V, मुम्बई]	1997-98	143(1) (क)	मूल्यहास अनुमत करने के लिए अवलेखित मूल्य के गलत आंकड़े अपनाए गए	108.20
2.	मैसर्ज स्टार आयरन वर्कस (प्रा) लिमिटेड [प बं V, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	अवलेखित मूल्य आयकर अधिनियम की बजाय कम्पनी अधिनियम के अनुसार अनुसूची से अपनाया गया	107.68

तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा कर्नाटक प्रभागों में 6 मामलों में अवलेखित मूल्य को अपनाने में अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप 58.70 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 और 2 पर तथा अन्य मामलों में 3 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

मूल्यहास की
दरों का गलत
अनुप्रयोग

4.26 मूल्यहास आयकर नियमावली, 1962 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के लागत मूल्य अथवा अवलेखित मूल्य पर आकलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां परिसम्पत्तियों के एक ब्लाक के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा कोई परिसम्पत्तियां पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की जाती हैं और कारोबार या वृत्ति के प्रयोजनार्थ 180 दिन से कम

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

अवधि के लिए उस पूर्व वर्ष में प्रयुक्त की जाती हैं तो ऐसी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मूल्यहास के कारण कटौती ऐसी परिसम्पत्ति वाली परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

नमूना जांच के दौरान देखे गए मूल्यहास की दरों के गलत अनुप्रयोग के मामलों के उदाहरण दिए जाते हैं:

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज वीडियोकोन लीजिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड [गुजरात I, अहमदाबाद]	1995-96 1996-97	143(3)	यद्यपि ट्रक अन्य कम्पनी को पट्टे पर दिए गए थे तथापि मूल्यहास की उच्चतर दर अनुमत की गयी	618.52
2.	मैसर्ज बी पी एल रैफ्रीजरेशन लिमिटेड [केन्द्रीय, बंगलूर]	1995-96	143(3)	मशीनरी की एक अस्वीकार्य मद पर मूल्यहास की उच्चतर दर अनुमत की गयी	149.48 (पी)
3.	मैसर्ज रामा पेपर मिल्स लिमिटेड [बरेली, उत्तर प्रदेश]	1995-96	143(3)	मूल्यहास पूर्णरूप में अनुमत किया गया हालांकि संयंत्र और मशीनरी का 180 दिन से कम के लिए उपयोग किया गया	133.63
4.	मैसर्ज पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड [प बं I, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	--वही--	110.73 (पी)
5.	कर्नाटक जैवेलस लिमिटेड [गुजरात I, अहमदाबाद]	1992-93	143(3)	--वही--	2.54 59.96 (पी)
6.	मैसर्ज जिंदल मेन्थाल इंडिया लिमिटेड [दिल्ली I]	1995-96	143(3)	मूल्यहास 25 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत पर अनुमत किया गया	57.97

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश प्रभारों में 21 मामलों में ऐसे ही स्वरूप की गलतियों के कारण 317.53 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 5 पर और अन्य मामलों में 8 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 2 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस आधार पर स्वीकार नहीं की है कि 40 प्रतिशत की उच्चतर दर पर मूल्यहास एक दूसरे मामले में आई टी ए टी के निर्णय के आधार पर अनुमत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयकर नियम इस प्रकार के औजारों और डाइयों पर 25 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास की सामान्य दर ही निर्दिष्ट करते हैं और वही अनुमत किया जाना चाहिए था।

निवेश मोक की गलत अनुमति

4.27 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापित और अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नयी मशीनरी और संयंत्र के सम्बन्ध में निवेश मोक इस शर्त के अधधीन स्वीकार्य है कि इस प्रकार अनुमत राशि के 75 प्रतिशत के बराबर राशि सुसंगत पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को डेबिट तथा एक आरक्षित लेखा को क्रेडिट की गयी है और इस प्रकार क्रेडिट की गयी राशि का निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रयोजनार्थ नये संयंत्र और मशीनरी के अभिग्रहण के लिए दस वर्ष की अवधि के अन्दर उपयोग किया जाता है। उपरोक्त शर्त में निवेश मोक गलत अनुमत किया माना जाता है और निर्धारण अधिकारी सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः संगणना कर सकता है।

निवेश मोक की गलत मंजूरी के मामले नीचे दिए जाते हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज एस सी सेशासी पेपर एण्ड बोर्डस लिमिटेड (कोयम्बटूर, तमिलनाडु)	1994-95	143(3)	मोक आरक्षित निधि के अभाव में अनुमत की गई थी	50.86

आंध्र प्रदेश और हरियाणा प्रभागों में 2 मामलों में निवेश मोक अनियमित रूप से अनुमत किया गया जहां सम्बन्धित मशीनरी 8 वर्ष पहले बेची गयी या आरक्षित निधि का दुरुपयोग किया गया या उच्च दर पर अनुमत की गयी। गलती के परिणामस्वरूप 18.42 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

अनवशोषित मूल्यहास/निवेश मोक का गलत अग्रेनयन

4.28 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनवशोषित मूल्यहास या निवेश मोक या दोनों का सुसंगत वर्ष में किसी अन्य आय के प्रति मुजरा नहीं किया जा सकता है वहां ऐसा अनवशोषित निवेश मोक आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाएगा और उस वर्ष के कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के प्रति उनका मुजरा किया जाएगा और यदि उस वर्ष में भी कोई धनात्मक आय नहीं होती है तो यह उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए इसकी पहली बार

संगणना की गयी, के तत्काल अनुवर्ती अधिकतम आठ निर्धारण वर्ष तक मुजरा के लिए अनुवर्ती वर्ष में अग्रेनीत किया जा सकता है।

मामलों के उदाहरण जिनमें उपर्युक्त प्रावधान ठीक प्रकार से लागू नहीं किए गए थे नीचे दिए जाते हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड [कालीकट, केरल]	1995-96	143(3)	अनवशोषित निवेश मोक आठ वर्ष के बाद अग्रेनीत किया जाना अनुमत किया गया	381.65 (पी)
2.	मैसर्ज यू.बी. लिमिटेड [बेंगलूर केन्द्रीय, कर्नाटक]	1995-96	143(3)	मूल्यहास का अधिक मुजरा किया गया	295.02
3.	पीयरलैस शिपिंग एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज लिमिटेड [प बं I, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	अनवशोषित निवेश मोक यद्यपि उपलब्ध नहीं था तथापि मुजरा अनुमत किया गया	253.86
4.	मैसर्ज मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड [कर्नाटक I, बेंगलूर]	1997-98	143(3)	अनवशोषित निवेश मोक आठ वर्ष के बाद अग्रेनीत किया जाना अनुमत किया गया	248.18 (पी)
5.	मैसर्ज राष्ट्रीय कपड़ा निगम [कर्नाटक III, बेंगलूर]	1992-93	143(3)	अग्रेनीत राशि में कमी के बाद अनुमत किए गए अग्रेनीत मूल्यहास में संशोधन नहीं किया गया	211.20 (पी)
6.	मैसर्ज ब्रिटिश इंडिया स्टील्स लिमिटेड [प बं I, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	निवेश मोक का अग्रेनयन आठ वर्ष के बाद अनुमत किया गया	63.50
7.	मैसर्ज हिन्दुस्तान वायर्स लिमिटेड [प बं V, कलकत्ता]	1989-90 से 1991-92	143(3)	मुजरा/अग्रेनयन अनियमित रूप से अनुमत किया गया हालांकि मुजरा के लिए आय उपलब्ध थी	12.34 45.29 (पी)
8.	मैसर्ज इनेर्स लिमिटेड [सिटी I, मुम्बई]	1995-96	143(3)	यद्यपि अनवशोषित निवेश मोक का पूर्व वर्ष में मुजरा किया गया तथापि मुजरा अनुमत किया गया	52.77
9.	मैसर्ज के ए पी स्टील लिमिटेड [कर्नाटक II, बेंगलूर]	1995-96	143(3)	निवेश मोक का अग्रेनयन आठ वर्षों के बाद अनुमत किया गया	51.11 (पी)

केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश प्रभागों में 17 मामलों में ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 197.54 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1,2,5, और 7 से 9 तथा अन्य मामलों के 11 में लेखा-परीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

**पूंजीगत
अभिलाभों की
गलत संगणना**

4.29 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पूर्व वर्ष में प्रभावी हुए एक पूंजीगत परिसम्पत्ति के अंतरण से उद्भूत किसी लाभों या अभिलाभों को शीर्ष 'पूंजीगत अभिलाभ' के अन्तर्गत आयकर को प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके अंतरण की तारीख से तत्काल पूर्व 36 महीनों से अनधिक के लिए एक निर्धारिती द्वारा रखी गयी एक पूंजीगत परिसम्पत्ति को अल्पावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति के रूप में माना जाएगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि (निर्धारण वर्ष 1994-95 तक) 36 महीने से अनधिक के लिए रखी गयी इकाईयां अल्पावधि पूंजीगत परिसम्पत्तियां होती हैं। अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की संगणना प्राप्त प्रतिफल के पूरे मूल्य से ऐसे अंतरण के सम्बन्ध में पूर्णतया तथा एकमात्र रूप से किए गए व्यय तथा परिसम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत तथा उसमें किसी सुधार की लागत को कम करके की जाती है। तथापि दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों के मामले में अधिग्रहण की इंडेक्स की गयी लागत, सुधार की इंडेक्स की गयी लागत और अंतरण के लिए व्यय की लागत को प्रतिफल के पूरे मूल्य से घटा दिया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू करने में विफलता के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज ई.आई.डी. पारी (इंडिया) लिमिटेड [त ना I, चेन्नई]	1993-94 1994-95	143(3) 143(3)	हालांकि इकाईयां 36 महीने से कम के लिए रखी गयीं तथापि उन्हें दीर्घावधि परिसम्पत्तियां माना गया	117.22
2.	मैसर्ज ओबराय होटलस (प्रा) लिमिटेड [प बं III, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	अप्रवासी कम्पनियों के शेयरों के अधिग्रहण की लागत की गलत संगणना की गयी	77.90

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रभारों में 6 मामलों में पूंजीगत अभिलाभों की संगणना में ऐसी तथा अन्य गलतियों जैसेकि अधिग्रहण की इंडेक्स की गयी दर के अपनाने में गलती, भूमि के पट्टे पर प्राप्त प्रीमियम को पूंजीगत अभिलाभों के रूप में मानने की चूक आदि के परिणामस्वरूप 120.44 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 पर और अन्य मामलों के 3 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

**निर्धारण से छूट
गयी आय**

4.30 (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से अर्जित की गयी वह सब आय शामिल होती है जो ऐसे पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है या उपचित होती है या उद्भूत होती है या उपचित या उद्भूत हुई मानी जाती है जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कर से विशेष रूप में छूट प्रदान न की जाए। यह न्यायिक रूप से निर्णीत है * कि राजस्व की विशेषता वाली कोई राशि, जो प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य नहीं है, जब अपनी विशेषता में परिवर्तन लाती है जबकि राशि सीमांकन के कारण या किसी अन्य सांविधिक या संविदागत अधिकार द्वारा निर्धारिती का अपना धन बन जाता है और राशि को निर्धारिती की आय के रूप में माना जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है** अंग्रेजी कि निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त आवधिक जमाओं पर ब्याज अन्य स्रोतों से आय के रूप में निर्धार्य था तथा परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत के प्रति समायोजित नहीं किया जा सका।

मामले जहाँ आय निर्धारण से छूट गई, सोदाहरण नीचे दिये गये हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज ईस्सर स्टील्स लिमिटेड [त ना]	1993-94 1994-95	143(3) 143(3)	बैंक के पास फारवर्ड कवर कांट्रेक्ट के रद्दीकरण पर लाभों को विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की बजाय पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में गलत माना गया	4050.73
2.	मैसर्ज नार्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन [पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग]	1994-95	143(3)	निर्माण अवधि के दौरान ठेकेदारों/आपूर्तिकारों को अग्रिम पर ब्याज का पूंजीगत व्यय के प्रति समंजित किया जाना अनियमित रूप से अनुमत किया गया	137.11
3.	मैसर्ज डाई इची करकरिया [सिटी III, मुम्बई]	1995-96	143(1)	शुल्क फिरती को आय के रूप में नहीं माना गया हालांकि निर्धारिती उसका लेखांकन उपचित आधार पर कर रहा था	90.36
4.	मैसर्ज सी.के.जी. पिठवाला (प्रा) लिमिटेड [सूरत, गुजरात]	143 (3)	143(3)	कुल प्राप्ति, जिसके लिए कर क्रेडिट अनुमत किया गया, की बजाय मात्र एक भाग को कर के लिए लिया गया	55.04

* आयकर आयुक्त बनाम टी.वी. सुंदरम येंगार एंड सन्स लिमिटेड : 222 आई टी आर 344 (एस सी)

** आयकर आयुक्त बनाम हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाईट लिमिटेड (1989); 177 आई टी आर (एम पी)

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 18 मामलों में ऐसे ही स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप 255.81 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 18 मामलों में से 8 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

क्रम सं. 1 से 4 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मंत्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के प्रयोजनार्थ किये गये किसी व्यय या व्यापार देयता को कारबार आय की संगणना में एक कटौती के रूप में अनुमत किया जाता है। जहां एक बाद वाली तारीख में निर्धारिती माफी या इसके रोकने पर पूर्व अनुमत ऐसे व्यय या व्यापार देयता के सम्बन्ध में कोई लाभ प्राप्त करता है तब लाभ, जो उससे उद्भूत होता है, को पूर्व वर्ष, जिसमें माफी या रोका जाना होता है, की आय के रूप में कर को प्रभारित किए जाने वाले कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों का होना माना जाएगा।

पश्चिम बंगाल V, कलकत्ता प्रभाग में निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए **मैसर्स क्रैबस एंड सिल (इंडिया) लिमिटेड** का निर्धारण जून 1997 में संवीक्षा के बाद 299.33 लाख रूपए की हानि पर पूरा किया गया जिसे अग्रणीत किया जाना अनुमत किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक तथा एक राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से अपने द्वारा उधार लिए गए कर्जों पर 54.31 लाख रूपए के ब्याज का माफ किया जाना प्राप्त किया। चूंकि ब्याज के लिए देयता, जिसका पूर्व वर्षों में प्रावधान किया गया, माफ कर दी गयी इसलिए प्रतिलेखित तथा लेखाओं को क्रेडिट किए गए ब्याज की राशि, आय के रूप में माने जाने तथा कर को निर्धारित किए जाने के लिए अपेक्षित थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप 54.31 लाख रूपए की आय को छोड़ दिया गया जिसमें 24.98 लाख रूपए के कर का संभाव्य कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

(ग) यह न्यायिक रूप से निर्णीत है* कि ठेका कारबार के मामले में आय को अभिनिश्चित करने के लिए चालू कार्य के आधार पर लाभ का अनुमान लगाने का राजस्व को अधिकार होता है यद्यपि कार्य पूरा न हुआ हो।

* तीर्थ राम आहूजा (प्रा) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 103 आई टी आर 15

गुजरात प्रभार में तीन मामलों में चालू कार्य के आधार पर लाभों का अनुमान लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप 29.73 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

हानियों का गलत अग्रेनीत/मुजरा करना

4.31 (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जहां शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम हानि होता है और ऐसी हानि का सुसंगत वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूर्णतया मुजरा नहीं किया जा सकता वहां उतनी हानियां, जिनका मुजरा नहीं किया गया है, निर्धारण वर्ष, जिसमें ऐसी हानि को पहले अवधारित किया गया, के अनुवर्ती अधिकतम आठ निर्धारण वर्षों तक उन वर्षों के कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के प्रति मुजरा किए जाने वाले आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेनीत की जाएंगी। यह प्रावधान किया गया है कि शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत हानि, यदि कोई हो, का अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आय के प्रति मुजरा नहीं किया जाएगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित संवीक्षा निर्धारण अथवा सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण अथवा पुनरीक्षण, सुधार अथवा निपटान और किसी तत्पश्चात्, वर्ष के लिए संक्षिप्त निर्धारण योजना के अन्तर्गत संसाधित आय की विवरणी दाखिल करने के पश्चात्, पारित एक आदेश के परिणामस्वरूप विवरणी में दावा की गयी हानि, कटौती, मोक अथवा राहत के अग्रेनयन में कोई अन्तर आया है और उसके परिणामस्वरूप कोई कर अथवा ब्याज प्राप्य पाया जाता है तो निर्धारिती को इस प्रकार से देय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी और ऐसी सूचना मांग नोटिस मानी जायेगी और अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे और यदि कोई प्रतिदाय देय है तो इसे निर्धारिती को मंजूर किया जाएगा। हानि के मामले में अनवशोषित हानि के आंकड़ों के अग्रेनयन का सुधार करने में चूक में गलत आंकड़ों का अन्तर्निहित जोखिम होता है जिससे उनका न पता चल पाता है और न सुधार हो पाता है।

हानि के गलत अग्रेनयन/मुजरा किए मामले नमूना जांच के दौरान ध्यान में आए।

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड [प बं I, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	यद्यपि पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए हानि को संशोधित करके घनात्मक आय कर दिया गया और पूर्व वर्षों की लायी गयी हानियों के प्रति समायोजित कर दिया गया तथापि 1996-97 के लिए निर्धारण में संशोधन नहीं किया गया	3233.39 (पी)

2.	मैसर्ज राष्ट्रीय बीमा कं. लिमिटेड [प बं V, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	--वही--	984.19
3.	मैसर्ज पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड [प बं I, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	अनवशोषित हानि/ मूल्यहास का मुजरा मुजरा की जाने वाली वास्तविक राशि से अधिक अनुमत किया गया	667.40 (पी)
4.	मैसर्ज महेन्द्रा यूजिन स्टील कं. लिमिटेड [सिटी IV, मुम्बई]	1995-96	143(3)	लायी गयी कारबार हानि का दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ से आय के प्रति अनियमित रूप से मुजरा किया गया	166.95
5.	आर बी एल लिमिटेड [प बं I, कलकत्ता]	1995-96	143(1) (क)	निर्धारण में अधिक अग्रेनीत हानि को वापस करने के लिए संशोधित नहीं किया गया हालांकि पूर्व वर्षों की लाई गई हानि कम कर दी गयी	165.73 (पी)
6.	मैसर्ज जे.सी.टी. लिमिटेड [प बं II, कलकत्ता]	1995-96	143(3)	अधिक राशि का मुजरा किया गया	156.12
7.	मैसर्ज तमिलनाडु मेग्नेसाईट लिमिटेड [कोयम्बटूर, तमिलनाडु]	1991-92 1993-94	143(3)	इस कमी के फलस्वरूप अधिक अग्रेनीत हानियों आदि को वापस लेने के लिए निर्धारण संशोधित नहीं किए गए	156.09
8.	दि कोल्हापुर शूगर मिल्स लिमिटेड [कोल्हापुर, महाराष्ट्र]	1995-96	143(3)	अधिक मुजरा अनुमत किया गया	112.19 (पी)
9.	मैसर्ज टेलरामा इंडिया लिमिटेड [प बं I, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	पूर्व वर्ष के लिए संवीक्षा निर्धारण के अन्तर्गत कमी के फलस्वरूप मूल रूप में दिए गए अधिक मुजरे को वापस करने के लिए निर्धारण में संशोधन नहीं किया गया	86.21 (पी)
10.	मैसर्ज मेलायड रसल लिमिटेड [प बं II, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	--वही--	83.62
11.	मैसर्ज दि नडिया मिल्स कं. लिमिटेड [केन्द्रीय I, कलकत्ता]	1995-96	143(1) (क)	--वही--	81.58
12.	मैसर्ज एस.के.जी. कंसालिडेटेड लिमिटेड [प बं III, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	अनवशोषित हानि/ मूल्यहास का मुजरा उस राशि से अधिक राशि के लिए अनुमत किया गया जो मुजरे के लिए उपलब्ध थी	76.49

13.	मैसर्ज भारत पम्प एंड कम्प्रेसर [इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश]	1994- 95	143(3)	यद्यपि अग्रेनीत हानि की राशि पूर्व वर्ष के संवीक्षा निर्धारण के कारण कम की गयी तथापि निर्धारण मूल रूप में मुजरा की गयी राशि तक संशोधित नहीं किया गया	69.05 (पी)
14.	लिली बिस्कुट कम्पनी प्रा. लिमिटेड [प बं III, कलकत्ता]	1996- 97	143(1) (क)	निर्धारण में मूल रूप में मुजरा की गयी अधिक अग्रेनीत हानि को वापस लेने के लिए संशोधन नहीं किया गया हालांकि राशि पूर्व वर्ष के लिए संवीक्षा निर्धारण के कारण कम कर दी गयी	63.02 (पी)
15.	मैसर्ज केंद्रीडस प्रा. लिमिटेड [कर्नाटक केन्द्रीय, बेंगलूर]	1996- 97	143(3)	अनवशोषित हानि का मुजरा आठ वर्ष के बाद दिया गया। इसके अतिरिक्त अनुमत किए गए अधिक मुजरे को वापस लेने के लिए निर्धारण में संशोधन नहीं किया गया हालांकि लाई गई हानि की राशि में पिछले निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में बाद में कमी की गयी	60.26 (पी)
16.	मैसर्ज टाटा इंडस्ट्रीज़ [सिटी I, मुम्बई]	1995- 96	143(3)	मुजरा अनुमत किया गया हालांकि ऐसी कोई लाई गई राशि मुजरे के लिए उपलब्ध नहीं थी	58.04
17.	मैसर्ज पार्क होटल (प्रा) लिमिटेड [केन्द्रीय I, कलकत्ता]	1994- 95	143(3)	'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत हानि कारबार और 'अन्य स्रोतों' से आय के प्रति गलत ढंग से मुजरा की गयी	57.83
18.	मैसर्ज न्यूमेश एम्बलेज लिमिटेड [सिटी V, मुम्बई]	1995- 96	143(3)	हानि उपलब्ध राशि से अधिक अग्रेनीत किए जाने के लिए अनुमत की गयी	53.29

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र), कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 29 मामलों में हानियों के अनियमित/गलत मुजरे की ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 536.44 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 4,8,12 तथा 15 से 17 तक तथा मामलों के 11 में लेखा- परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

मन्त्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह अवलोकन करते हुए स्वीकार नहीं किया है कि निर्धारण अधिकारी अधिनियम द्वारा अनुमत समय सीमा के अन्दर संशोधित सूचना भेजेगा। इस प्रकार कोई गलती या चूक नहीं हुई है।

उत्तर मान्य नहीं है चूंकि संशोधन के लिए कार्रवाई फरवरी 2000 में लम्बित पाई गई थी।

मन्त्रालय ने विवरण के क्रम सं. 2 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भी यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया है कि निर्धारण के संशोधन के लिए समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी और कोई राजस्व अन्तर्ग्रस्त नहीं था चूंकि धारा 143 (1) (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर प्रभारित नहीं किया जा सकता।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उठाए जाने तक कोई उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई/नहीं की गई यदि पूर्व वर्ष के संवीक्षा निर्धारण के पूरा होने के तुरन्त बाद धारा 143 (1) (ख) के अन्तर्गत प्रावधान शामिल किया गया होता तो 9.84 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग जिसे लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया को पहले उठाया/संगृहीत किया जा सकता था।

(ख) शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत कोई हानि मुजरे के लिए अग्रेनीत किए जाने के लिए तब तक अनुमत नहीं की जाती जब तक निर्धारिती नियत तारीख के अन्दर स्वैच्छिक रूप से हानि की विवरणी दाखिल न करें। यदि किसी व्यक्ति को धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तर्गत या धारा 142 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किए गए एक नोटिस के अनुपालन में एक विवरणी प्रस्तुत करते हुए किसी चूक या किसी गलत विवरण का उसमें पता चलता है तब वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले या निर्धारण के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी समय एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

पश्चिम बंगाल प्रभार में 2 मामलों में हानि का अनियमित रूप से अग्रेनीत किया जाना अनुमत किया गया हालांकि निर्धारिती ने नियत तारीख के बाद विवरणी प्रस्तुत की जिसके परिणामस्वरूप 24.27 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मन्त्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

**अपीलीय
आदेशों को
लागू करते
समय निर्धारणों
में गलतियां**

4.32 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, ऐसा निर्धारिती जो निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के आदेश से परेशान हो तो वह उसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है और निर्धारण अधिकारी अपीलीय आदेश में दिए गए निदेश का अनुपालन करेगा। आय की संगणना में अनुवर्ती निर्धारण वर्षों के निर्धारणों का परिणामी संशोधन करने की चूक के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण होगा।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रभागों में 13 मामलों में अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए निर्धारणों में की गयी गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 197.23 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने 11 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

**अध्याय VI ए
के अधीन
कटौती अनुमत
करने में गलती**

4.33 आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI ए के उपबन्धों के अधीन किसी निर्धारिती की कर के लिए प्रभार्य निवल आय परिकलित करने में सकल कुल आय से कतिपय कटौतियां ग्राह्य हैं। अभिभावी शर्त यह है कि कुल कटौती निर्धारिती की सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। सकल कुल आय अधिनियम में अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियां करने से पहले अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संगणित कुल आय के रूप में परिभाषित की गई है। जहां पूर्व वर्षों की अनवशोषित हानि, मूल्यहास, निवेश मोक आदि के मुजरा करने से कुल आय घटकर शून्य अथवा हानि में परिणत हो जाती है वहां अध्याय VI-क के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में कटौतियों के अनियमित/गलत अनुमति के दृष्टान्त नीचे सोदाहरण दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज एपीजे सुरेन्द्रा पार्क होटल लिमिटेड [केन्द्रीय I, कलकत्ता]	1996-97	143(1) (क)	अनवशोषित लायी गयी हानि और मूल्यहास कटौती अनुमत करने से पहले कुल आय के प्रति समायोजित नहीं किए गए	180.50 (पी) 36.10 (ए टी)

हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 5 मामलों में उपरोक्त प्रावधानों के अननुपालन के कारण कुल 68.74 लाख रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने विवरण के क्रम सं. 1 तथा अन्य मामलों के क्रम सं. 3 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त लाभों की कटौती की अनुमति में गलती

4.34 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन निर्धारण वर्ष 1989-90 से एक निर्धारिती के मामले में जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होटल या पर्यटन कारोबार में लगी कोई भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी अन्य व्यक्ति है तो निर्धारिती की कुल आय की गणना में विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से प्राप्त लाभ के 50 प्रतिशत तथा शेष लाभ में से उस राशि के कुल योग के बराबर राशि अनुमत की जाएगी जो अधिनियम में विहित शर्तों के अधीन निर्धारिती द्वारा उसके कारबार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त लाभ-हानि लेखे में डेबिट की जाती है तथा आरक्षित लेखे में क्रेडिट की जाती है। इस प्रयोजन के लिए विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से प्राप्त लाभ वह राशि होगी जिसका कारबार लाभ "कारोबार अथवा वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन यथासंगणित से वही अनुपात होता है जो विदेशी पर्यटकों को सेवाओं के सम्बन्ध में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त प्राप्तियों का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार से प्राप्त कुल प्राप्तियों से होता है।

दो मामलों के विवरण जहां उपरोक्त प्रावधान सही प्रकार से लागू नहीं किए गए थे, नीचे दर्शाए गए हैं:

(रूपे लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड [प बं III, कलकत्ता]	1994-95	143(3)	कटौती निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित लाभों की बजाय लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित आय पर अनुमत की गयी	102.22
2.	मैसर्ज होटल लीला वेंचर लिमिटेड [सिटी VI, मुम्बई]	1995-96	143(3)	अनवशोषित अग्रणीत मूल्यहास आदि कटौती की संगणना करने से पहले लाभों से कम नहीं किया गया	95.42

मन्त्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

कतिपय मामलों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में कटौती की गलत अनुमति

4.35 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 से वित्त अधिनियम, 1980 द्वारा इसके संशोधन से पहले जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में एक नये स्थापित औद्योगिक उपक्रम, जिसने 1 अप्रैल 1981 से पहले उत्पादन शुरू किया, से हुए कोई लाभ और अभिलाभ शामिल थे वहां निर्धारिती पूर्व वर्ष, जिसमें उपक्रम ने वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारम्भ किया, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में और चार तत्काल अनुवर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में उपक्रम में नियोजित पूंजी के प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत तक ऐसे लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में कर राहत का हकदार हो जाता है। तथापि जहां ऐसे लाभ और अभिलाभ में पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी की सुसंगत राशि से कमी रहती है वहां ऐसी कमी या

अभाव की राशि को अग्रेनीत और मूल निर्धारण वर्ष की समाप्ति से गिने गए सात निर्धारण वर्ष तक भावी लाभों के प्रति उसका मुजरा किया जाना होता है।

कोची, केरल प्रभार में **मैसर्ज एशियन टेकस लिमिटेड** का निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए संक्षिप्त रीति से मई 1997 में 'शून्य' आय पर निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1 अप्रैल 1981 से पहले आरंभ हुई यूनिटों में नियोजित पूंजी के सम्बन्ध में राहत होने के कारण 29.85 लाख रूपए की कटौती अनुमत की गयी जो सात वर्ष से बाद की अवधि से सम्बन्धित थी और इसीलिए निर्धारण वर्ष 1996-97 की आय के प्रति अग्रेनयन और मुजरा किए जाने की पात्र नहीं थीं। चूंकि यह सूचना कि कटौती का दावा निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक सम्बन्धित था, विवरणी/संलग्न दस्तावेजों में उपलब्ध थी अतः दावा प्रथमदृष्टया समायोजन के रूप में अननुमत किया जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप 19.97 लाख रूपए की आय का अवनिर्धारण हुआ जो 12.57 लाख रूपए (अतिरिक्त आयकर और प्रतिदाय पर अधिक ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उदग्रहण के साथ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

धारा-80झ के अन्तर्गत लाभों की गलत संगणना

4.36 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जहां एक निर्धारिती की समग्र कुल आय में एक नवस्थापित औद्योगिक उपक्रम, जिसने 31 मार्च 1981 के बाद उत्पादन शुरू किया है, से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ शामिल हों वहां निर्धारिती ऐसे लाभों के पच्चीस प्रतिशत की कटौती का हकदार होता है बशर्ते कि औद्योगिक उपक्रम ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज़ का विनिर्माण या उत्पादन नहीं करता। यह न्यायिक रूप से निर्णीत है* कि अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों में "से प्राप्त" शब्द का उपयोग कारबार करने से सीधे उद्भूत मात्र लाभों और अभिलाभों को शामिल करने के लिए विधानमंडल द्वारा दिए गए सीमित अर्थ का सूचक है।

उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गलत संगणना के मामले जिनके कारण कर का कम उदग्रहण हुआ सोदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज एम.एस.एल. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड [प बं II, कलकत्ता]	1995-96 1996-97	143(3) 143(1) (क)	लाभांश आय और ब्याज आय कटौती की संगणना के लिए लाभों से काटी नहीं गयी थी	80.12

* काम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय इंडस्ट्रियल कं. लि. बनाम आ.आ. गुजरात II-13 आई टी आर -84 (एस सी)

2.	मैसर्ज एम यू एल हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड [सिटी V, मुम्बई]	1994-95 1995-96	143(3) 143(3)	यद्यपि निर्धारिती एक लघु उद्योग नहीं था तथापि कटौती अनुमत की गयी जैसीकि एक लघु उद्योग को लागू थी	68.28
----	--	--------------------	------------------	--	-------

17 मामलों में उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत कटौती अनुमत करने में की गयी ऐसी तथा अन्य स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र प्रभागों में 244.16 लाख रुपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने 17 में से 4 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

विवरणी के क्रम सं. 1 तथा 2 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मन्त्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

निर्यात लाभ के सम्बन्ध में कटौती की गलत अनुमति

4.37(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, वित्त अधिनियम 1988 द्वारा यथा संशोधित 1 अप्रैल 1989 से निर्यात कारबार में लगा एक निर्धारिती, जो एक भारतीय कम्पनी हो या भारत में निवासी अन्य निर्धारिती हो, छूट प्राप्त मदों से इतर माल या पण्य के निर्यात से अर्जित लाभ के बराबर एक कटौती का हकदार होता है यदि इसकी बिक्री प्राप्तियां परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती हैं। पहली अप्रैल 1992 से कटौती के प्रयोजनार्थ 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' का अर्थ है अधिनियम में निर्दिष्ट कतिपय प्राप्तियों के नब्बे प्रतिशत तक कम किया गया शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत यथा संगणित कारबार के लाभ। जब आंशिक लाभ डिस्कलेमर सर्टिफिकेट के माध्यम से सहायक विनिर्माता को दे दिया जाता है तब उपयुक्त लाभों को कुल टर्नओवर के प्रति सहायक विनिर्माता के कारण टर्नओवर के प्रति अनुपात में और कम कर दिया जाएगा।

नमूना जांच किए गए निम्नलिखित मामलों में उपरोक्त प्रावधानों के गलत लागू करने के कारण कर की कम उद्ग्रहण की पर्याप्त राशि पाई गई।

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज कर्मचंद थापर एंड ब्रदर्स (कोल सेल्स) [प बं II]	1995-96	143(1) (क)	कर्जों पर ब्याज और जमाओं पर रिबेट, कमीशन आदि जैसी कतिपय प्राप्तियों का 90 प्रतिशत कटौती की संगणना के लिए लाभों में से काटा नहीं गया था	128.12

2.	मैसर्ज नैशनल आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड [सिटी II, मुम्बई]	1995-96	143(3)	हालांकि निर्धारिती व्यापारी और विनिर्माता था तथापि एक निर्यात गृह के रूप में दावा अनुमत किया गया	84.67
3.	मैसर्ज रेल इंडिया टेकनीकल इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड [दिल्ली I,]	1995-96	143(3)	ब्याज और विविध आय के प्रति प्राप्तियों का 90 प्रतिशत कटौती की संगणना के लिए लाभों में से काटा नहीं गया था	53.18

मन्त्रालय ने विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि अन्तर्ग्रस्त मुद्दा विवादास्पद था और प्रत्यक्षतः समायोजन के अन्तर्गत कवर नहीं होता। उन्होने आगे बताया कि उपरोक्त प्राप्तियां कारोबार प्राप्तियों का भाग बनी।

तथापि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऊपर सन्दर्भित प्राप्तियों का निर्यात के कारबार के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था और इस प्रकार अधिनियम की धारा 80 ज ज ग (4 क) के नीचे स्पष्टीकरण (बी ए ए) में दिए गए विशेष प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्षतः समायोजन के रूप में लाभों में से इसका 90 प्रतिशत कम किया जाना चाहिए।

(ख) जहां निर्धारिती द्वारा विनिर्मित या संसाधित माल या पण्य और व्यापार के माल का भी भारत से बाहर निर्यात किया जाता है वहां ऐसे निर्यात से प्राप्त लाभ माल के विनिर्माण/ संसाधन के सम्बन्ध में निर्यात टर्नओवर के अनुपात में समायोजित लाभों का पूर्णयोग होगा और व्यापार कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यकलाप के निर्यात टर्नओवर से व्यापार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को घटाने के बाद प्राप्त राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त हुए लाभ में लाइसेंसों की बिक्री और कुल टर्नओवर के प्रति निर्यात टर्नओवर के अनुपात में लाइसेंसों की बिक्री और निर्यात प्रोत्साहनों पर नब्बे प्रतिशत लाभ तक और बढ़ोतरी की जाएगी।

केन्द्रीय I, मुम्बई प्रभार में मैसर्ज इपका लेबोरेटरीज़ लिमिटेड का निर्धारण निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए मार्च 1998 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया और निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मार्च 1998 में एक संक्षिप्त तरीके से पूरा किया गया जो अन्य बातों के साथ-साथ कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर निर्यात लाभ के प्रति कुल 766.06 लाख रूपए की कटौती अनुमत करते हुए पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि उपरोक्त कटौती अनुमत करते हुए निर्धारण अधिकारी ने विनिर्मित माल के निर्यात से प्राप्त 524.96 लाख रूपए के लाभ मात्र को ध्यान में रखा था परन्तु दो निर्धारण वर्षों के दौरान व्यापार माल के निर्यात से निर्धारिती द्वारा उठायी गयी 1229.17 लाख रूपए की हानि को ध्यान में रखने में चूक की। यदि हानि जो अभिलेखों से सुस्पष्ट थी, को ध्यान में रखा गया होता तो परिणामी राशि ऋणात्मक रहेगी और इस प्रकार कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। व्यापार माल के निर्यात से हानि को ध्यान में रखने की

चूक के परिणामस्वरूप 537.12 लाख रुपए (26.53 लाख रुपए के अतिरिक्त कर और ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 766.06 लाख रुपए की आय का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) निर्धारण वर्ष 1992-93 से व्यापार माल के निर्यात से प्राप्त लाभ ऐसे व्यापार माल के सम्बन्ध में निर्यात टर्नओवर होंगे जो ऐसे व्यापार माल के निर्यात के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों तक कम किया गया हो। अप्रत्यक्ष लागत ऐसी लागत के रूप में परिभाषित की गयी है जो प्रत्यक्ष लागत न हो पर कुल टर्नओवर के प्रति व्यापार माल के सम्बन्ध में निर्यात टर्नओवर के अनुपात में आवंटित की गयी हो।

पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग प्रभार में **मैसर्ज किटप्लाई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड** के 1995-96 और 1996-97 निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण क्रमशः 575 लाख रुपए और 171 लाख रुपए के निर्यात लाभों के प्रति कटौती अनुमत करते हुए अगस्त 1997 और जनवरी 1998 (फरवरी 1998 में परिशोधित) के बीच संवीक्षा के बाद पूरे किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्यातित व्यापार माल के कारण अप्रत्यक्ष लागत क्रमशः 449 लाख रुपए और 504 लाख रुपए बनती थी जो लाभ और हानि लेखे को डेबिट किए गए खर्चों और विवरणी के साथ भेजे गए लेखाकार के प्रमाण-पत्रों में दर्शाए गए 210 लाख रुपए और 173 लाख रुपए के प्रति कुल टर्नओवर के प्रति व्यापार माल के सम्बन्ध में निर्यात टर्नओवर के अनुपात में आवंटित के आधार पर थी। फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1995-96 में व्यापार माल के निर्यात लाभों के प्रति कटौती 239 लाख रुपए तक अधिक परिकलित की गयी और विनिर्मित माल के लिए 4 लाख रुपए तक कम परिकलित की गयी जबकि व्यापार माल के निर्यात लाभों के प्रति 171 लाख रुपए की कटौती निर्धारण वर्ष 1996-97 में गलत अनुमत की गयी हालांकि कोई कटौती स्वीकार्य नहीं थी चूंकि व्यापार माल के निर्यात में हानि हुई। अप्रत्यक्ष लागत के गलत अपनाने के परिणामस्वरूप 264.82 लाख रुपए (ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ कुल 406 लाख रुपए की आय का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) 1 अप्रैल 1989 से वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक निर्धारिती, जो एक भारतीय कम्पनी हो या भारत में निवासी और निर्यात कारबार में लगा हुआ अन्य निर्धारिती हो, छूट प्राप्त मदों से इतर माल या पण्य के निर्यात से प्राप्त राशि के बराबर एक कटौती का हकदार होता है यदि इसकी बिक्री प्राप्तियां परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती हैं। जहां निर्धारिती के कारबार में माल/पण्य का निर्यात एकमात्र रूप से शामिल नहीं होता वहां निर्यात से प्राप्त लाभ वह राशि होगी जिसका शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत यथा संगणित निर्धारिती के लाभ के लिए वही अनुपात होता है जो कुल

टर्नओवर के लिए निर्यात टर्नओवर का होता है। 1 अप्रैल 1992 से कटौती के प्रयोजनार्थ कारबार के लाभों का अर्थ शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत यथासंगणित कारबार के लाभ होते हैं जिन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट कतिपय प्राप्तिओं के नब्बे प्रतिशत तक कम किया गया हो। निर्यात से इस प्रकार प्राप्त लाभों में उतनी राशि तक वृद्धि की जाएगी जो निर्यात प्रोत्साहनों के 90 प्रतिशत के लिए उतना अनुपात बनता है जितना कि कुल टर्नओवर के लिए निर्यात टर्नओवर का बनता है।

सिटी I, मुम्बई प्रभार में मैसर्ज हिन्दुस्तान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारण विनिर्मित माल के सम्बन्ध में निर्यात लाभों के प्रति 74.59 लाख रूपए की एक कटौती अनुमत करते हुए मार्च 1998 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 500 लाख रूपए की सम्पत्ति विकास से प्राप्त आय कारबार के लाभों की संगणना में काटी नहीं गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 59.01 लाख रूपए के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ 74.59 लाख रूपए तक कटौती की अधिक अनुमति हुई तथा आय का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड.) 35 मामलों में निर्यात लाभों के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति में ऐसी तथा अन्य स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, तथा पश्चिम बंगाल प्रभारों में 667.13 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने 12 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

नए औद्योगिक
उपक्रम, जिसने
1 अप्रैल 1991
के बाद कार्य
शुरू किया, से
लाभों के
सम्बन्ध में
गलत कटौती

4.38 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जहां एक निर्धारिती की समग्र कुल आय में एक नवस्थापित औद्योगिक उपक्रम, जिसने 1 अप्रैल 1991 के बाद उत्पादन शुरू किया हो, से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ शामिल होते हैं वहां निर्धारिती ऐसे लाभ की 30 प्रतिशत की कटौती का इन शर्तों के पूरा करने के अध्यक्षीन हकदार होता है कि इसका पहले से मौजूद अभिलाभ शामिल होते हैं वहां निर्धारिती ऐसे लाभ की 30 प्रतिशत की कटौती का इन शर्तों के पूरा करने के अध्यक्षीन हकदार होता है कि इसका पहले से मौजूद एक कारबार को फँलाकर या पुनः गठन करके प्रतिपादन नहीं किया गया है और इसका किसी प्रयोजन के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के एक नए कारबार को अंतरित करके गठन नहीं किया गया है। औद्योगिक उपक्रम को एक ऐसे उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जो बिजली या किसी अन्य प्रकार की विद्युत के उत्पादन या वितरण के कारबार में या पोत के निर्माण में या माल के विनिर्माण या संसाधन या खनन में लगा हो।

उपरोक्त प्रावधानों के गलत लागू किए जाने के मामले नीचे दिए गए हैं :

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज सी. एम. पी. डी. आई. लिमिटेड [रांची, बिहार]	1993-94 1994-95	143(3) 143(1)(क)	कटौती अनियमित रूप से अनुमत की गयी हालांकि निर्धारिती खनन कारबार में नहीं लगा था बल्कि केवल अन्वेषण कार्यकलापों में लगा था	85.55

गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 10 अन्य मामलों में उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कटौतियां अनुमत करने में गलतियों के कारण 162.59 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने 10 में से 3 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कारबार आय की गलत संगणना

4.39 आयकर अधिनियम, 1961 के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत बिजली के उत्पादन के कारबार में लगी एक कम्पनी से इतर किसी कम्पनी, जिसकी कुल आय जो अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित की जाती है, की कर को प्रभार्य आय किसी पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में इसके खाता लाभ के 30 प्रतिशत से कम है तब लाभ ऐसे खाता लाभ के 30 प्रतिशत के बराबर राशि का होना माना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए खाता लाभ का अर्थ है प्रावधानों में यथा उल्लिखित कतिपय वर्धनों/कटौतियों के अध्यक्षीन कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया निवल लाभ।

मामले जिनमें उपरोक्त प्रावधानों को सही प्रकार से लागू नहीं किया गया को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज प्रोक्टर एंड गेबल होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड [सिटी V, मुम्बई]	1997-98	143(1) (क)	खाता लाभों का 30 प्रतिशत कर के लिए नहीं लाया गया हालांकि वह सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत लाभ से अधिक था	162.55
2.	मैसर्ज लारसन एंड टुब्रो लिमिटेड [सिटी III, मुम्बई]	1990-91	143(3)	खाता लाभों की संगणना करते समय जाब वर्कस और उपदान के प्रति किए गए प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया	114.00

विशेष प्रावधानों के लागू करने में ऐसे ही स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 4 मामलों में कुल 78.77 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मन्त्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

कतिपय
अन्तर्निगमित
लाभांशों के
सम्बन्ध में
कटौती की
गलत अनुमति

4.40 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन एक देशी कम्पनी के मामले में जहां सकल कुल आय में किसी अन्य देशी कम्पनी से लाभांश के रूप में कोई आय शामिल होती है वहां दूसरी देशी कम्पनी से लाभांश के रूप में आय की उतनी राशि के बराबर राशि की कटौती कुल आय संगणित करने में अनुमत की जाएगी जो नियत तिथि को या उससे पहले पहली कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश की राशि से अधिक नहीं होती है। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 के माध्यम से अप्रैल 1968 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियम में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि अन्तर्निगमित लाभांशों के कारण कटौती अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा संगणित निवल लाभांश आय के संदर्भ में अनुमत की जानी होती है न कि लाभांशों की सकल राशि पर। यह न्यायिक रूप से निर्णीत है* कि कटौती के प्रयोजनार्थ समानुपातिक प्रबन्धन खर्चें सकल लाभांश से घटाए जाने चाहिए। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि जहां कोई देशी कम्पनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों से लाभांश के रूप में कोई आय प्राप्त करती है वहां ऐसा लाभांश निर्धारण वर्ष 1994-95 से सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में ऐसी आय के 4/5 और निर्धारण वर्ष 1995-96 से सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में ऐसी आय के 2/5 की सीमा तक कटौती का पात्र होगा।

नमूना जांच में पाए गए कटौती के गलत अनुमत किए जाने के मामले नीचे दिए गए हैं
(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्स साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड और पारी एग्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड [कोचीन, केरल]	1994-95 और 1995-96	143(3) 143(3)	आनुपातिक प्रबन्धन खर्चों को हिसाब में लिए बिना सकल लाभांशों पर कटौतियां अनुमत की गयीं	284.82
2.	मैसर्स आई. टी. सी. क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड [प बं III, कलकत्ता]	1994-95 1995-96	143(3)	आनुपातिक प्रबन्धन खर्चों को कम किए बिना कटौती अनुमत की गयी और भा यू ट्र से लाभांशों के सम्बन्ध में उपयुक्त कटौती निर्धारित सीमाओं तक सीमित नहीं थी	207.96

* आ.आ. बनाम यूनाइटेड जनरल ट्रस्ट लि. 200 आई टी आर - 488

3.	मैसर्ज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड [कर्नाटक II, बेंगलूर]	1992-93 1993-94	143(3)	कटौती निवल लाभांश पर अनुमत करने की बजाय सकल लाभांश पर अनुमत की गयी	85.45
----	---	--------------------	--------	--	-------

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 3 मामलों में उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत कटौती के अनुमत करने में गलतियों के परिणामस्वरूप 44.82 लाख रूपए के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने 3 में से 2 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

विवरणी के क्रम सं. 1 से 3 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मन्त्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

**विवरणी
दाखिल करने
में विलम्ब के
लिए ब्याज का
अनुद्ग्रहण**

4.41 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी विनिर्दिष्ट नियत तारीख के बाद प्रस्तुत की जाती है वहाँ निर्धारित विनिर्दिष्ट नियत तारीख की तत्काल अनुवर्ती तारीख से विवरणी दाखिल करने की तारीख तक अथवा जहाँ कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है वहाँ नियमित निर्धारण पूरा करने की तारीख तक प्रदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, तथा स्रोत पर काटे गए किसी कर को घटाने के बाद नियमित निर्धारण पर अवधारित कर की राशि पर प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक प्रभागों में 4 मामलों में यद्यपि निर्धारितियों द्वारा नियत तारीखों के अन्दर विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गयीं तथापि कुल 32.98 लाख रूपए के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

मन्त्रालय ने 1 मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

**अग्रिम कर के
कम भुगतान के
लिए ब्याज का
कम उद्ग्रहण**

4.42 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जैसाकि निर्धारण वर्ष 1989-90 के बाद से लागू है, जहां एक निर्धारित, जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायी है, किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहता है या ऐसे निर्धारित द्वारा प्रदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम हो वहां निर्धारित ऐसे वित्तीय वर्ष के अगले अनुवर्ती 1 अप्रैल से आय की विवरणी की प्रोसेसिंग करके कुल आय के अवधारण की तारीख तक और जहां एक नियमित निर्धारण किया जाता है, वहां निर्धारित कर के बराबर राशि पर ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक संगणित या जैसा भी मामला हो, उस राशि पर जितना प्रदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम बनता है, प्रतिमाह या उसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

नमूना जांच के दौरान ध्यान में आए ब्याज के कम उदग्रहण/अनुदग्रहण के मामले नीचे दिए गए हैं-

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज आयल इंडिया लिमिटेड [असम, शिलांग]	1995-96	143(3)	अग्रिम कर के कम भुगतान के लिए ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया	437.00
2.	एस.बी. पेट्रोलियम लिमिटेड [लखनऊ, उत्तर प्रदेश]	1994-95	143(3)	--वही--	341.88
3.	मैसर्ज ओटिस एलीवेटर्स कं. (आई) लिमिटेड [सिटी IV, मुम्बई]	1995-96	143(3)	--वही--	61.10

गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 21 मामलों में अग्रिम कर के भुगतान में विलम्ब/कम भुगतान/ भुगतान न करने के लिए ब्याज के कम उद्ग्रहण या अनुदग्रहण की ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 281.34 लाख रूपए के ब्याज का कुल कम उद्ग्रहण/अनुदग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने विवरणी के क्रम संख्या 1से 3 और अन्य मामलों के क्रम सं. 12 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

कर मांग के भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज का अनुदग्रहण

4.43 1 अप्रैल 1989 से यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर की कोई मांग निर्धारिती द्वारा सुसंगत मांग के नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर अदा की जानी चाहिए तथा ऐसा करने में विफलता पर व्यतिक्रम की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत पर साधारण ब्याज लगाया जाएगा।

नमूना जांच के दौरान देखे गए ब्याज के अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण के मामले नीचे दर्शाये गए हैं :-

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज पीयरलैस जनरल फाईनेंस एंड इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड [प बं III, कलकत्ता]	1993-94	143(3)	ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया हालांकि अनुबद्ध नियत तारीख के अन्दर कर अदा नहीं किया गया	512.94
2.	मैसर्ज फिपसन एंड कं. लिमिटेड [प बं V, कलकत्ता]	1985-86, 1990-91		ब्याज कम उद्गृहीत किया गया/अनुदग्रहीत रहा हालांकि कर अनुबद्ध नियत तारीखों के बाद अदा किया गया	130.53

हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 8 मामलों में वैसे ही स्वरूप की गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 113.16 लाख रुपए के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने विवरणी के क्रम सं.1 तथा अन्य मामलों के क्रम सं. 7 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

सरकार द्वारा निर्धारिती को ब्याज का अनियमित प्रदान करना

4.44 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए या संगृहीत कर के अधिक भुगतान और कोई अन्य कर या शास्ति जो प्रतिदाय योग्य बनती हो, पर सुसंगत निर्धारण वर्ष की पहली अप्रैल से तारीख, जिसको प्रतिदाय दिया जाता है, तक की अवधि के लिए प्रतिमाह और महीने के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया जाएगा। यदि प्रतिदाय की राशि संक्षिप्त रीति के अन्तर्गत या नियमित निर्धारण पर अवधारित कर के दस प्रतिशत से कम हो तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

नमूना जांच में ध्यान में आए ब्याज के अनियमित/गलत दिए जाने के दृष्टान्त नीचे सोदाहरण दिए गए हैं :-

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्स नार्दन कोल्फील्ड्स लिमिटेड [जबलपुर, मध्यप्रदेश]	1997-98	143(1) (क)	ब्याज अनुमत किया गया हालांकि प्रतिदाय की राशि अवधारित कर के 10 प्रतिशत से कम थी	230.37

राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में 7 अन्य मामलों में गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 122.24 लाख रुपए के ब्याज का भुगतान हुआ।

मन्त्रालय ने 7 में से 3 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

विवरणी के क्रम सं. 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिक/अनियमित प्रतिदाय

4.45 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जहाँ निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई में पारित किसी आदेश के फलस्वरूप निर्धारिती को किसी राशि का प्रतिदाय देय होता है वहाँ निर्धारण अधिकारी प्रतिदाय की नकद मंजूरी दे सकता है या प्रतिदाय को किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के बकाया देयों के प्रति समायोजित या मुजरा कर सकता है।

नमूना जांच में ध्यान में आए अनियमित/अधिक प्रतिदाय के मामलों के विवरण सोदाहरण नीचे दिए गए हैं :-

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और आयकर आयुक्त का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज गुजरात मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड [गुजरात I, अहमदाबाद]	1995-96	143(3)	संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, संक्षिप्त निर्धारण अवरथा पर प्रदान किये गए प्रतिदाय को हिसाब में नहीं लिया गया	394.97

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में दो अन्य मामलों में अधिक प्रतिदाय का जोड़ 37.85 लाख रूपए बनता था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति मन्त्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

ध्यान देने योग्य
अन्य विषय -
कर का कम
उद्ग्रहण

4.46 (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जब कोई कर, ब्याज, शारि, जुर्माना या अन्य राशि अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के फलस्वरूप देय है तब निर्धारण अधिकारी इस प्रकार देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित फार्म में एक मांग नोटिस की निर्धारिती को तामील करेगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जहां एक नियमित निर्धारण किया जाता है वहां विवरणी की प्रोसेसिंग द्वारा किए गए निर्धारण पर निर्धारिती द्वारा अदा किए गए किसी कर या ब्याज को ऐसे नियमित निर्धारण के प्रति अदा किया गया माना जाएगा और यदि नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है या विवरणी की प्रोसेसिंग के समय प्रतिदाय की गयी राशि नियमित निर्धारण पर प्रतिदाय योग्य राशि से अधिक हो जाती है तब इस प्रकार प्रतिदाय की गयी पूरी या अधिक राशि को निर्धारिती द्वारा कर देय होने वाली माना जाएगा और अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

शिलांग, असम प्रभार में मैसर्ज ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारण, जो मूल रूप में जनवरी 1996 में एक संक्षिप्त रीति में पूरा किया गया, में बाद में अगस्त 1996, नवम्बर 1997 और मार्च 1998 में परिशोधन किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि संक्षिप्त निर्धारण के परिशोधन आदेश में 358 लाख रूपए का एक प्रतिदाय निर्धारिती को देय के रूप में अवधारित किया गया जिसका संवीक्षा निर्धारण में अवधारित 514 लाख रूपए की कर मांग के प्रति समायोजन किया गया तथा फलस्वरूप 156 लाख रूपए की एक निवल मांग की गयी। चूंकि संवीक्षा निर्धारण उसी दिन पूरा किया गया जिस दिन संक्षिप्त निर्धारण का परिशोधन किया गया और 514 लाख रूपए के कर की राशि प्राप्त हुई इसलिए संवीक्षा निर्धारण के प्रति 358

लाख रूपए का समायोजन सही नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप 358 लाख रूपए के कर की कम मांग की गयी।

मन्त्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

अतिरिक्त
आयकर का
अनुद्ग्रहण

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि एक निर्धारिती सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष पूरा होने से पहले या निर्धारण के पूरा होने से पहले, जो भी जल्दी हो, किसी भी समय एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों, जो कि 1 अप्रैल 1989 से लागू होते हैं, के अन्तर्गत जहां समायोजन के परिणामस्वरूप एक निर्धारिती की विवरणी में दर्शायी गयी आय किसी राशि से बढ़ायी जाती है या हानि घटायी जाती है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि ऐसी अधिक राशि पर देय कर के बीस प्रतिशत की दर पर संगणित अतिरिक्त कर की राशि तक बढ़ा देगा।

पश्चिम बंगाल XI कलकत्ता प्रभार में **मैसर्ज ईस्टर्न कोल्फील्डस लिमिटेड** ने निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए मूल विवरणी दिसम्बर 1992 में और संशोधित विवरणी नवम्बर 1994 में दाखिल की। जनवरी 1995 में एक संक्षिप्त रीति में पूरा किया गया प्रारम्भ का निर्धारण बाद में 'शून्य' आय पर मार्च 1995 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि संशोधित विवरणी अनुबद्ध समय के अन्दर दाखिल नहीं की गयी थी और उसी हैसियत से उसकी प्रोसेसिंग कानून के अनुसार नियमित नहीं थी। इसके अतिरिक्त 4207.53 लाख रूपए के अस्वीकार्य व्यय के वर्धन में से 2942.93 लाख रूपए की राशि लेखाओं तथा विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या अस्वीकार्य थी जिसपर 304.59 लाख रूपए के अतिरिक्त आयकर का उद्ग्रहण हुआ। मूल विवरणी में प्रथमदृष्ट्या समायोजन करने की विफलता के कारण संशोधित विवरणी के अवैध होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आयकर का अनुद्ग्रहण हुआ जिसके कारण 304.59 लाख रूपए के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्धारण में
संशोधन करने
की चूक

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी गलती, जो अभिलेखों से सुस्पष्ट हो, में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन करके परिशोधन किया जा सकता है।

तमिलनाडु II, चेन्नई प्रभार में **मैसर्ज पॉडस (इंडिया) लिमिटेड** का निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारण 2,772.44 लाख रूपए की आय पर मार्च 1997 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया और नवम्बर 1996 में किए गए संशोधन में की गयी 92.82 लाख रूपए की मांग को घटाने के बाद 283.68 लाख रूपए की अतिरिक्त मांग की गयी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि संवीक्षा निर्धारण के बाद अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के परिणामस्वरूप मार्च 1997 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप 92.82 लाख

रूपए की मांग को कम करके 3.41 लाख रूपए कर दिया गया। चूँकि नवम्बर 1996 में की गयी मांग आगामी देय मांग के परिकलन के लिए संवीक्षा निर्धारण आदेश में हिसाब में ली गयी 92.82 लाख रूपए के प्रति मात्र 3.41 लाख रूपए बनी रही इसलिए देय मांग में 89.41 लाख रूपए की शेष मांग को शामिल करने के लिए संवीक्षा निर्धारण आदेश का आवश्यक परिशोधन किया जाना था। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप संग्रहण के बिना 89.41 लाख रूपए की मांग में कमी हुई।

मन्त्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

**स्रोत पर काटे
गए कर के
लिए क्रेडिट की
गलत मंजूरी**

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्रोत पर काटा गया कोई कर उस व्यक्ति की ओर से कर के भुगतान के रूप में माना जाएगा जिसकी आय से कटौती की गयी और निर्धारण वर्ष, जिसके लिए ऐसी आय निर्धार्य थी, के सम्बन्ध में इस प्रकार काटी गयी राशि के लिए उसे क्रेडिट दिया जाएगा। काटे गए कर की सम्बन्धित प्राप्ति को निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय ध्यान में रखा जाना होता है।

सिटी III, मुम्बई प्रभार में **मैसर्ज माशरक बैंक** का निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारण 1798 लाख रूपए की कुल आय पर दिसम्बर 1997 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि देय कर की प्रमात्रा अवधारित करते हुए 418.57 लाख रूपए की सही राशि, जैसाकि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया, के प्रति स्रोत पर काटे गए कर के प्रति 454.87 लाख रूपए की राशि के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 36.30 लाख रूपए का अधिक क्रेडिट रहा जिसमें ब्याज सहित 63.89 लाख रूपए के कर की कम वसूली अन्तर्ग्रस्त थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति मन्त्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ.) अन्य गलतियों जैसे अतिरिक्त कर का अनुद्ग्रहण, संशोधित सूचना जारी करने की चूक, बिक्री कर अभिलेखों के साथ अभिलेखों का सहसम्बद्ध न होने, स्रोत पर काटे गए कर की अनियमित मंजूरी और स्रोत पर काटे गए कर को जमा करने की विफलता के लिए ब्याज के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप असम, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र), कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 9 मामलों में कर का कम उद्ग्रहण, ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण आदि हुआ जो कुल 171.86 लाख रूपए बनता था।

मन्त्रालय ने 3 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

सामान्य

4.47 आय और कर की संगणना, कटौतियों की अनुमति आदि में अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप विभिन्न आयकर आयुक्त प्रभारों के अधीन 16 मामलों में कुल 228.49 लाख रूपए के कर/शास्ति का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने 2 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है।

अतिकर

अतिकर का
निर्धारण करने
में चूक

4.48 कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के अधीन अतिकर निर्धारण पूरा करने के लिए कोई सांविधिक समय सीमा नहीं है। लोक लेखा समिति की 128वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 6.7 में उनकी सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अक्टूबर 1974 में अनुदेश जारी किए कि अतिकर निर्धारण कार्यवाहियाँ आयकर निर्धारणों के साथ शुरू की जानी चाहिए। बोर्ड ने आगे निर्धारित किया कि अतिकर निर्धारण को इस आधार पर लम्बित नहीं रखा जाना चाहिए कि आयकर निर्धारणों में की गई वृद्धियाँ अपील में विवादग्रस्त थीं और आयकर और अतिकर निर्धारणों को पूरे करने की तारीख के बीच समयांतराल सामान्यतः एक महीने से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक की विलम्ब को उचित ठहराने के लिए विशेष कारण न हों।

रांची, बिहार प्रभार में **मैसर्स बिहार मर्चेन्डाईज (प्रा.) लिमिटेड** के निर्धारण वर्षों 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए निर्धारण क्रमशः 112.28 लाख रूपए, 21.12 लाख रूपए और 11.94 लाख रूपए पर दिसम्बर 1993 में पूरे किए गए। कम्पनी के प्रभार्य लाभ थे जिसमें अतिकर की विवरणी को दाखिल करना इसके लिए अपेक्षित था जो न तो किया गया न ही विभाग ने उसकी मांग के लिए कोई कार्रवाई की। अतिकर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाईयाँ प्रारम्भ करने की चूक के परिणामस्वरूप 38.39 लाख रूपए (ब्याज सहित) के अतिकर का अनुद्ग्रहण हुआ।

मन्त्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

अध्याय 5 : आयकर

सामान्य

5.1 कम्पनियों के अलावा व्यक्तियों से संगृहीत आयकर मुख्यशीर्ष '0021-आय पर निगम कर से भिन्न कर' के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस कर की निवल प्राप्तियों का 77.5 प्रतिशत उन प्राप्तियों को छोड़कर जहाँ तक उनका संबंध संघीय परिलब्धियों, संघ राज्य क्षेत्रों और संघ अधिभार से है, राज्यों को समनुदेशित किया जाता है।

आयकर से
प्राप्तियाँ

5.2 आय कर प्राप्तियाँ 1997-98 में 17,100.59 करोड़ रुपये की तुलना में 1998-99 के दौरान 20,240.15 करोड़ रुपये थी; ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.3(i) को देखें।

निर्धारितियों
की संख्या

5.3 पिछले दो वर्षों के (1998 और 1999) 31 मार्च को आयकर विभाग की बहियों में दर्ज निर्धारितियों (कम्पनियों के अलावा) की संख्या इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुबंध-I में दी गई है।

निर्धारणों की
प्रास्थिति

5.4 निपटान के लिए बकाया निर्धारणों, पूर्ण किए गए और बकाया निर्धारणों के ब्यौरे पैरा 2.9.1 के अनुबंध VII में दिये गये हैं। 31 मार्च 1999 की समाप्ति पर पिछले तीन वर्षों के दौरान शेष बची हुई असंगृहीत माँगों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.10(i)(ख) में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा
के परिणाम

5.5 36.12 करोड़ रुपये के कर के कम प्रभार वाली कुल 163 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ और 1.51 करोड़ रुपये के कर के अधिक प्रभार वाली 9 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय को भेजी गई थीं।

इन मामलों में से 28.78 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 159 मामले अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाये गये हैं। मंत्रालय ने 6.99 करोड़ रुपये के कर प्रभाव वाले 67 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया है। 86 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं।

आय एवं कर की
संगणना में परिहार्य
गलतियाँ

5.6 निर्धारण अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण हुई परिहार्य गलतियों के कारण पर्याप्त राशियों के कर के अवनियमन और अधिक प्रभारित करने का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में बार-बार उल्लेख किया गया है। इसके और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद ऐसी गलतियाँ निरन्तर हो रही हैं, जो अच्छे पर्यवेक्षण और नियंत्रण की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं।

नमूना जाँच में पाये गये प्रत्येक प्रकार के मामले नीचे दिये गये हैं :

(क) आय एवं कर का अधिक निर्धारण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ.का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	श्री गोतम-भाई ए.परमार [व्यक्ति]	गुजरात I, अहमदाबाद	1990-91, 1992-93 1993-94	143(3)	अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज गलती से अधिक उद्ग्रहीत किया गया था।	84.90

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र प्रभारों में 8 मामलों में ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 66.51 लाख रुपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 8 मामलों में से 5में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

(ख) कर का अवनिर्धारण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ.का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	श्री प्रमोद कुमार जायसवाल [व्यक्ति]	पटना, बिहार	1995-96	143(3)	आय की गलत संगणना	135.33
2.	मैसर्ज शेख कन्सल्टिंग [आर.एफ.]	सिटी XII, मुम्बई	1985-86 से 1992-93	144	कर की गलत दर का लागू करना	101.87
3.	श्री सुरेन्द्रा एन. खन्धार [व्यक्ति]	सिटी II, मुम्बई	1993-94	143(3)	कर योग्य आय गणितीय गलती के कारण कम संगणित की गई थी	52.42
4.	श्री एस.श्रीनिवासन [व्यक्ति]	टी एन V, चेन्नई	1990-91 से 1994-95	144	उद्ग्रह्य कर और ब्याज में जोड़ की गलती पाई गई थी	25.62
5.	दि नागपुर विकार सहकारी सूत गिरनी लिमिटेड [सहकारी समिति]	नागपुर, महाराष्ट्र	1996-97	143(1)(ए)	हानि पिछली अननुमत राशि के जमा करने की विफलता के कारण अधिकता में संगणित की गई थी	17.30 (पी)

आँकड़ों के गलत अपनाने अधिभार लगाने/पिछली नगण्य राशियों को जोड़ने/प्रतिदाय पर विचार करने में चूक, गणितीय गलतियों, अपनाई गई गलत दरों/प्रास्थिति जैसी गलतियों और विभिन्न आ.आ. के प्रभारों में 21 मामलों में पाई गई अन्य गलतियों के कारण कर के अवनिर्धारण के कारण कुल 131.60 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 4 और 5 पर और अन्य मामलों में से 13 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

कारबार आय
की संगणना
में गलतियाँ

5.7 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ' के अन्तर्गत आय की संगणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखाकरण पद्धति के अनुसार की जाती है। जहाँ निर्धारिती लेखाकरण की व्यापारिक प्रणाली का अनुसरण करता है वहाँ लाभ वास्तविक रसीद या किसी राशि के भुगतान पर ध्यान दिये बिना देय या उपचय आधार पर निकाले जाते हैं। देयता के संबंध में अधिनियम में प्रावधान है कि केवल उद्भूत अथवा ज्ञात देयता के लिए किया गया कोई प्रावधान ही स्वीकार्य कटौती होती है और न कि भविष्य में होने वाली प्रत्याशित देयता के लिए। इसके अतिरिक्त, कोई व्यय जो पूँजीगत स्वरूप का व्यय न हो अथवा निर्धारिती का व्यक्तिगत खर्च नहीं है कारबार के प्रयोजन के लिए पूर्णतः या अनन्य रूप से व्यय किया गया है अथवा उपयोग किया गया है, आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञेय होता है। न्यायिक रूप से यह निर्णय लिया गया* है कि मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान करने के विचार से अपने भागीदारों के जीवन पर फर्म द्वारा ली गई पालिसियों पर अदा किया गया बीमा प्रीमियम एक अनुज्ञेय व्यय नहीं है।

मामले, जहाँ उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, नीचे दर्शाये गये हैं :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	फतेहगढ़ साहिब सेन्द्रल कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड [सहकारी समिति]	पटियाला, पंजाब	1997-98	143(1)(ए)	नान-परफारमिंग परिसम्पत्तियों और उपदान के लिए प्रत्याशित प्रावधानों को कटौती के रूप में गलत ढंग से अनुमत किया गया	17.91 57.87(पी)
2.	श्रीमती अनीनदिता दास वेंकटारमन (व्यष्टि)	त.ना. III, चेन्नई	1995-96	143(3)	एक व्यष्टि को किये गये भुगतान की कटौती के रूप में अनियमित रूप से अनुमत किया गया	6.07 9.92(पी)

विभिन्न आ.आ.के प्रभारों में 7 मामलों में समान गलतियों के कारण 42.81 लाख रूपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 1 और अन्य मामलों में से 1 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

* आ.आ. बनाम खोदीदास मोतीराम पंचाल : 161 आई टी आर 98(गुज.)

देयता की गलत अनुमति

5.8 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारण वर्ष 1984-85 से यथा लागू कतिपय कटौतियाँ अधिनियम की धारा 43 बी के अधीन निर्दिष्ट व्यय के प्रकारों पर वास्तविक भुगतान पर अनुज्ञेय है। 1 अप्रैल 1988 से, आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती के मामले में लागू देय तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा वास्तव में प्रदत्त कर या शुल्क भी कटौती के रूप में अनुमत किया जायेगा। 1 अप्रैल 1989 से, किसी भविष्य निधि, अधिवर्ष निधि या उपदान निधि इत्यादि को अंशदान के रूप में एक निर्धारिती द्वारा नियोक्ता के रूप में देय उपकर, फीस अथवा कोई राशि वास्तविक भुगतान आधार पर भी कटौती योग्य है। तथापि, उपर्युक्त निधि के प्रति अंशदान के संबंध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि ऐसी राशि का निधि को शासित करने वाली सुसंगत संविधि के तहत यथा निर्दिष्ट अनुबद्ध नियत तारीख से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि में वास्तविक रूप से भुगतान न कर दिया गया हो।

नमूना जाँच में पाये गये देयता की गलत अनुमति के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	कटौती के रूप में अनुमत देयता का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	छोटानगर कटलफूड सप्लाय कम्पनी और 3 अन्य [फर्म:2, ब्यष्टि : 2]	राँची, बिहार	1993-94 1994-95 1995-96	143(3) 143(3) 143(1)(ए)	बकाया बिक्री कर देयताएं	80.98
2.	मैसर्ज दि वेस्टगोदावरी कोओपरेटिव शुगर्स लिमिटेड (सहकारी समिति)	विशाखापतनम, आन्ध्र प्रदेश	1995-96	143(1)(ए)	सरकार को देय 'गन्ना क्रय कर' के प्रति बकाया देयता	24.07

ऐसे ही स्वरूप की गलतियाँ 4 मामलों में पाई गई थीं जिसके कारण 27.69 लाख रुपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्त स्टॉक के मूल्यांकन में गलतियाँ

5.9 न्यायिक रूप से यह निर्णीत है कि लेखांकन की किसी भी प्रणाली जिसमें भंडार माल के मूल्यांकन के लिए कच्ची सामग्री की लागत के अलावा सभी लागतें शामिल नहीं है, से इसकी प्रभार्य आय की संगणना के प्रयोजन के लिए कारबार की सही स्थिति के विकृत रूप परिणत होने की आशंका है। बोर्ड ने 1981 में स्पष्ट किया

≡ सी आई टी बनाम ब्रिटिश पेंटस इण्डिया लिमिटेड 188 आई टी आर 44 (एस सी)

कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क, यदि कोई हो, जो विनिर्माता/व्यापारी द्वारा देय है, को उत्पादन लागत की संगणना में लिया जाना चाहिए और अन्य मालसूची में ऐसी लागत को दर्शाने वाले ऐसे शुल्क के घटक को शामिल करना चाहिए। न्यायिक रूप से यह[#] निर्णीत है और बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिसकी पुष्टि की गयी कि जहाँ कारबार समाप्त होने पर आ गया है, वहाँ धारित स्टॉक को कारबार की समापन की तारीख को कारबार के वास्तविक लाभों का अवधारण करने के लिए बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाएगा। न्यायिक रूप से यह भी निर्णीत⁵ है कि बैंक को बताये गये स्टॉक और लेखा बहियों में मूल्यांकित स्टॉक के बीच अन्तर को न बताये गये स्रोतों से आय के रूप में माना जाना चाहिए और निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए।

नमूना जाँच में पाये गये अन्य स्टॉक के गलत मूल्यांकन के मामले नीचे दिये गये हैं :
(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गलती का स्वरूप	मामलों की संख्या	आ.आ. का प्रभार	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	कर प्रभाव
1.	अन्त स्टॉक पर सीमा शुल्क शामिल किये बिना अन्त स्टॉक का मूल्यांकन	1	लुधियाना पंजाब	143(3)	4.21
2.	कारबार के समाप्त होने पर बाजार दर पर मूल्यांकित न किया गया धारित स्टॉक	1	सिटी X, मुम्बई	143(3)	4.87
3	बैंक को बताये गये और लेखा बहियों में वापिस न जोड़े गए स्टॉक के बीच अन्तर	2	दिल्ली VII, दिल्ली VIII	143(3)	25.62

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मूल्यहास की गलत दर का लागू करना

5.10 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया था (जून 1993) कि मूल्यहास के 40 प्रतिशत की उच्च दर स्वीकार्य नहीं होगी यदि मोटर वाहनों का भाड़े पर न दिये जाने वाले कारबार में प्रयोग किया गया है।

गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रभागों में 5 मामलों में मूल्यहास की गलत दर के लागू करने, उच्च दरों के मूल्यहास के अनुमत करने हालांकि मोटर वाहनों का भाड़े पर न दिये गये कारबार में प्रयोग किया गया था और स्वीकार्य दर के 50 प्रतिशत तक उन मामलों में अप्रतिबंधित करने जहाँ परिसम्पत्तियाँ एक वर्ष में 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग में लाई गई थीं, के कारण 28.27 लाख रुपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने दो मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

[#] ए एल ए फर्मस बनाम सी आई टी : 189 आई टी आर 285(एस सी)

⁵ स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम सी आई टी : 180 आई टी आर 651 (इलाहाबाद)

अनवशोषित मूल्यहास
का गलत समंजन

5.11 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए, शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ' के अन्तर्गत अनवशोषित मूल्यहास का सुसंगत वर्ष में किसी अन्य आय के प्रति समंजन नहीं किया जा सकता वहाँ ऐसे अनवशोषित मूल्यहास को उस वर्ष के 'कारबार या वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ' के प्रति समंजन करने के लिए अनुवर्ती निर्धारण वर्ष में अग्रेनीत किया जायेगा और यदि उस वर्ष में भी कोई सकारात्मक आय नहीं हुई है तो इसे समंजन करने के लिए आगामी वर्ष में अग्रेनीत किया जा सकता है।

कोल्हापुर, महाराष्ट्र प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए **कुम्भी केसरी सहकारी शखर कारखाना लिमिटेड** (व्यक्तियों का एक संघ) का निर्धारण पूर्व वर्षों से सम्बन्धित 139.54 लाख रुपये के अनवशोषित मूल्यहास और निवेश मोक के समंजन को अनुमत करते हुए फरवरी 1998 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने 88.35 लाख रुपये की सही राशि के प्रति निर्धारण वर्ष 1994-95 से संबंधित 114.01 लाख रुपये के आगे ले जाये गये मूल्यहास का समंजन किया था और गलती को बाद में सही किया गया था। निर्धारण वर्ष 1992-93 से संबंधित आगे ले जाये गये मूल्यहास की यथार्थता का सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि हालांकि किसी भी मूल्यहास को अनुवर्ती निर्धारण वर्षों में अग्रेनीत करने के लिए नहीं छोड़ा गया था फिर भी निर्धारण अधिकारी ने 44.43 लाख रुपये की राशि को अग्रेनीत करने और निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 से संबंधित 10.09 लाख रुपये के छोड़े गए अनवशोषित निवेश मोक को ध्यान में रखे बिना निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1995-96 में क्रमशः 23.54 लाख रुपये और 20.89 लाख रुपये की राशियों का समंजन अनुमत किया। 10.09 लाख रुपये के अनवशोषित निवेश मोक का पूरा समंजन अनुमत करने के पश्चात निर्धारण वर्ष 1993-94 में 13.45 लाख रुपये और निर्धारण वर्ष 1995-96 में 25.44 लाख रुपये के मूल्यहास का अधिक समंजन हुआ था। गलती के परिणामस्वरूप 23.34 लाख रुपये (ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित कुल 38.89 लाख रुपये के मूल्यहास का गलत समंजन और आय का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

निवेश मोक का
गलत अनुमत
करना

5.12 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारिती के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा किये गये कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग की गयी मशीनरी के संबंध में निर्धारिती को मशीनरी की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत (1 अप्रैल 1989 से 20 प्रतिशत) के बराबर राशि की कटौती पूर्व वर्ष जिस में यह प्रतिष्ठापित की गई थी अथवा प्रथम बार प्रयोग में लाई गई थी अनुमत की जाएगी।

बड़ौदा, गुजरात प्रभार में निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए **मैसर्ज पैट्रोफिल्स को-ओप-लिमिटेड** (सहकारी समिति) का निर्धारण 973.53 लाख रुपये का निवेश मोक अनुमत

करते हुए मार्च 1993 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निवेश मोक की कटौती के लिए मानी गयी संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में विद्युत संचरण लाइन के लिए गुजरात विद्युत बोर्ड को किये गये अंशदान के संबंध में 234.50 लाख रुपये की राशि शामिल थी। चूंकि गुजरात विद्युत बोर्ड को किया गया अंशदान निर्धारिती को स्वामित्व का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता था इसलिए उनपर कोई भी निवेश मोक स्वीकार्य नहीं था। 46.90 लाख रुपये के (234.50 लाख रुपये का 20 प्रतिशत) अधिक निवेश मोक के परिणामस्वरूप 29.63 लाख रुपये (ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 18.25 लाख रुपये (धारा 80-1 के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की शेष राशि 28.65 लाख रुपये को अवशोषित करने के पश्चात) की आय का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

पूँजीगत अभिलाभों की संगणना में गलत छूटें

5.13 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन पूँजीगत परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से उद्भूत कोई भी लाभ या अभिलाभ शीर्ष 'पूँजीगत अभिलाभों' के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य होंगे। एक व्यक्ति के मामले में एक रिहायशी गृह के अलावा एक दीर्घकालिक पूँजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से उद्भूत पूँजीगत अभिलाभों को ऐसे हस्तान्तरण से प्राप्त हुए निवल प्रतिफल की राशि की सीमा तक कर से छूट है, यदि ऐसी राशि का एक रिहायशी गृह के क्रय या निर्माण निवेश किया गया है बशर्ते कि निर्धारिती के पास पूँजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण की तारीख को कोई अन्य रिहायशी गृह नहीं हो। जिससे आय नई परिसम्पत्ति के अलावा शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत निर्धार्य है। इसके अतिरिक्त निवल प्रतिफल की राशि जिसका प्रयोग निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर नये गृह के क्रय या निर्माण के प्रति नहीं किया जाता है, को पूँजीगत अभिलाभ कर से छूट होगी बशर्ते कि ऐसी राशि को विवरणी के प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व पूँजीगत अभिलाभ लेखा योजना के अनुसार किसी बैंक या संस्था में जमा किया गया है और ऐसी विवरणी के साथ ऐसे जमा का प्रमाण संलग्न होगा।

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभागों में, 5 मामलों में, पूँजीगत अभिलाभों की अनियमित रूप से छूट अनुमत की गई थी हालांकि उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। गलतियों के परिणामस्वरूप 40.10 लाख रुपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 1 मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

फर्मों और भागीदारों के निर्धारण में गलतियाँ

5.14 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यदि फर्म का निर्धारण पूरा नहीं हुआ है तो फर्म से शेयर आय अन्तिम आधार पर भागीदारों के निर्धारण में शामिल की जानी होती है और बाद में फर्म के निर्धारण के पूरा होने पर अन्तिम शेयर आय को शामिल करने के लिए संशोधित की जानी होती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मार्च

1973 में अनुदेश दिये कि निर्धारण अधिकारी को अनन्तिम शेयर आय के मामलों का एक रजिस्टर रखना चाहिए ताकि ये मामले सुधार करने के लिए छूट न जायें। तथापि, वित्तीय वर्ष, जिसमें फर्म के मामले में अन्तिम आदेश पारित किया गया, के समाप्त होने से चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात अधिनियम के अधीन भागीदार के निर्धारण का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

निम्नलिखित मामलों में भागीदारों के निर्धारण में फर्म के निर्धारण के पूरा होने के पश्चात संशोधन नहीं किया गया था हालांकि भागीदारों का निर्धारण उसी वार्ड में किया गया था अथवा वार्डों जहाँ भागीदार की सही शेयर आय निकालने के लिए कर हेतु भागीदारों का निर्धारण किया गया था, को अपेक्षित सूचनायें नहीं भेजी गई थीं।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज इन्टरनेशनल स्टील कारपोरेशन और अन्य 3 [पंजीकृत फर्म]	राजकोट, गुजरात	1992-93	143(3)	72.09
2.	मैसर्ज गंगा डिवलपर्स [पंजीकृत फर्म]	केन्द्रीय I मुम्बई	1990-91	143(3)	28.35
3	मैसर्ज जी एच रेड्डी एण्ड एसोसिएट्स [पंजीकृत फर्म]	त.ना. IV चेन्नई	1992-93	143(3)	23.40

गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रभागों में 5 अन्य मामलों में कुल 31.78 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण पाया गया था।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 3 और अन्य मामलों में से 1 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

भागीदारों की आय के निर्धारण में गलती

5.15 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन एक पंजीकृत फर्म के मामले में निर्धारण वर्ष 1992-93 तक यथा लागू फर्म द्वारा स्वयं देय आय कर का इसकी कुल आय के निर्धारण के पश्चात अवधारण किया जायेगा और फर्म की आय में प्रत्येक भागीदार का शेयर उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जायेगा और तदनुसार कर के लिए निर्धारित किया जायेगा।

केन्द्रीय II, मुम्बई प्रभाग में, निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए मैसर्ज गंगा डिवलपर्स (पंजीकृत फर्म) का निर्धारण 52.92 लाख रुपये की विभाज्य आय पर मार्च 1998 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। यह विभाज्य आय तीन भागीदारों के बीच क्रमशः तीस प्रतिशत, चालीस प्रतिशत और तीस प्रतिशत पर आबंटित की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि लाभ के तीस प्रतिशत शेयर वाले भागीदारों के मामले में शेयर आय प्रत्येक 15.88 लाख रुपये की सही शेयर आय के प्रति प्रत्येक की 1.59 लाख रुपये पर संगणित की गई थी। इस प्रकार आय का शेयर 14.29 लाख रुपये तक कम

आबंटित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दोनों भागीदारों के संबंध में कुल 28.58 लाख रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके कारण 15.43 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

निर्धारण से बचे हुए
पूँजीगत अभिलाभ

5.16 न्यायिक रूप से यह निर्णीत* था कि ऐसे अधिकार के लिए निर्मित एक कम्पनी को एक फर्म द्वारा चालू प्रतिष्ठान के रूप में सम्पूर्ण कारबार की बिक्री के मामले में परिसम्पत्तियों की हस्तान्तरण कीमत और अवलेखित मूल्य के बीच का अन्तर पूँजीगत अभिलाभों के अन्तर्गत कर को निर्धार्य है।

तमिलनाडु V चेन्नई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए मैसर्ज ईस्ट कोस्ट कन्सट्रक्शन एंड इन्डस्ट्रीज (फर्म) का निर्धारण जो मूल रूप से अप्रैल 1996 में संवीक्षा के पश्चात पूर्ण हुआ, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश पर दिसम्बर 1996 में संशोधित किया गया था और कुल आय 119.58 लाख रुपये अवधारित की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि फर्म का कारबार शेयरहोल्डरों के रूप में फर्म के सभी साझीदारों सहित एक नव गठित कम्पनी द्वारा अप्रैल 1995 में एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में लिया गया था। फर्म की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था और दायित्वों सहित कम्पनी द्वारा ली गयीं। 31 मार्च 1995 को पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात कुल 550.33 लाख रुपये की पूरी परिसम्पत्तियों (मूल्यहास योग्य और गैर-मूल्यहास योग्य दोनों परिसम्पत्तियों) का और कुल 149.71 लाख रुपये के अवलेखित मूल्य/मूल लागत के बीच 400.62 लाख रुपये का अन्तर पूँजीगत अभिलाभों के रूप में कर को निर्धार्य था। तथापि, न तो निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए पूँजीगत अभिलाभों से आय घोषित करते हुए निर्धारिती ने आयकर विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने इसके लिए निर्धारिती के प्रति कोई कार्रवाई प्रारम्भ की। चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण से छूट गए 248.73 लाख रुपये के अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ और 151.88 लाख रुपये के दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ हुए जिसमें निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए ब्याज सहित कुल 298.82 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अनिर्धारित आय

5.17(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में वह आय जो किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न हो, शामिल होती है, जो ऐसे पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त हुई हो या प्राप्त हुई मानी गई हो या जो उद्भूत होती है या उत्पन्न होती है जब तक कि निर्दिष्ट रूप से अधिनियम के प्रावधान द्वारा कर से छूट प्रदान न की गयी हो। 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अन्तर्गत

* मैसर्ज आर्टेकस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी बनाम सी आई टी (227 आई टी आर 260)

आय की संगणना लेखाकरण की विधियों के अनुसार की जाती है, जो निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाये जाते हैं।

जहाँ आय निर्धारित नहीं की गई थी के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	निर्धारण से छूट गई राशि का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	श्री करीम एम. मेरिडिया [ब्यष्टि]	केन्द्रीय I, मुम्बई	1994-95	143(3)	कर्ज के लिए गारन्टर के रूप में रहने के लिए प्राप्त हुए कुल 250 लाख रूपये की राशि	112.00
2.	गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (को - ओपरेटिव बैंक)	गुजरात, II अहमदाबाद	1995-96 1996-97	143(3) 143(1)(ए)	अधिक प्रदत्त कर पर विभाग द्वारा प्रदत्त ब्याज	56.36

गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र प्रभागों में 4 मामलों में ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 20.68 लाख रूपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 4 मामलों में से 2 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

(ख) स्रोत पर काटा गया कोड कर उस व्यक्ति जिसकी आय से कटौती की गई थी, की ओर से कर के भुगतान के रूप में माना जायेगा और निर्धारण वर्ष जिसके लिए ऐसी आय निर्धार्य है के संबंध में ऐसी कटौती की गई राशि के लिए उसको क्रेडिट दिया जायेगा। संबंधित प्राप्ति जिससे कर की कटौती की गई थी, को निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय हिसाब में लिया जाना होता है।

उपर्युक्त प्रावधानों को जहाँ सही रूप से लागू नहीं किया गया था के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज मित्रा गुहा बिल्डरस (इण्डिया) [फर्म]	प.बं. IV, कलकत्ता	1995-96	143(3)	507.74 लाख रुपये, जिसपर कर के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया, के प्रति मात्र 437.09 लाख रुपये कर के लिए प्रस्तावित थे	49.05
2.	मैसर्ज हरदेव सिंह [फर्म]	प.बं. VIII कलकत्ता	1990-91	143(3)	120.50 लाख रुपये की कुल ठेका प्राप्तियों से जिसके लिए कर क्रेडिट अनुमत किया गया, में से मात्र 70.99 लाख रुपये कर के लिए प्रस्तावित थे	24.64

गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रभारों में 2 मामलों में ऐसी ही गलतियों के कारण 11.17 लाख रुपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

हानियों का गलत अग्रेनीत और समंजन

5.18 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जहाँ शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत संगणना में निवल परिणाम निर्धारिती को हानि है और ऐसी हानि को सुसंगत वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजित नहीं किया जा सकता तब उतनी हानि, जिसका समंजन नहीं किया गया है, को उन वर्षों के कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के प्रति समंजन किए जाने वाले अनुवर्ती निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेनीत किया जायेगा। शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत किसी हानि को 1 अप्रैल 1985 से समंजन करने के लिए अग्रेनीत करने के लिए अनुमत किया जाता है, जब तक कि निर्धारिती द्वारा नियत तारीख के अन्दर या ऐसे अतिरिक्त समय, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत किया जाए, के अन्दर स्वेच्छा से हानि की विवरणी दाखिल न कर दे। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा किये गये सट्टा कारबार के संबंध में किसी हानि को दूसरे सट्टा कारबार के लाभों और अभिलाभों यदि कोई हों, के प्रति समंजन को छोड़कर समंजन नहीं किया जायेगा।

नमूना जाँच में पाये गये हानियों का गलत अग्रेनीत और समंजन के मामले नीचे दिये गये हैं:

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज ए.पी.डेरी डिवलपमेंट को-ओपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड [सहकारी समिति]	आ.प्र. I हैदराबाद	1993-94	143(3)	यद्यपि निर्धारिती ने नियत तारीख के पश्चात संशोधित विवरणी दाखिल की थी फिर भी हानि को अग्रेनीत करने की अनुमति दी गई थी	100.54 (पी)

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभारों में, हानियों को गलत अग्रेनीत और समंजन करने के 4 मामलों में जब हानि पूर्व वर्षों से अग्रेनीत नहीं की गई थी, हानि को अग्रेनीत करने को अनुमत किया गया यद्यपि विवरणी नियत तारीख को प्रस्तुत नहीं की गयीं या सट्टा हानि के अनियमित समंजन होने के परिणामस्वरूप कुल 29.25 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने सभी 4 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विवरण के क्रम संख्या 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते हुए निर्धारण में गलती

5.19 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन एक निर्धारिती जो असन्तुष्ट है निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये निर्धारण के आदेश के प्रति आयकर आयुक्त (अपील)को अपील कर सकता है और निर्धारण अधिकारी अपीलीय आदेश में दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगा।

कोल्हापुर, महाराष्ट्र प्रभार में निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए मैसर्ज देशभक्त रत्नाप्पा कुम्भर पंचगंगा सेतकरी एस एस के लिमिटेड (सहकारी समिति) का निर्धारण, दिसम्बर 1997 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1887-88 तक पूर्व वर्षों के मूल्यहास का समंजन अनुमत करते हुए निरन्क आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मार्च 1987 में संवीक्षा के पश्चात पूरे किए गए वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारण में आय 101.52 लाख रूपये संगणित की गई थी जिसे निर्धारण वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए आगे ले जाये गये अनवशोषित मूल्यहास के प्रति समायोजित किया गया था। निर्धारण विकास निधियों की वजह से 98.97 लाख रूपये की राहत अनुमत करते हुए अपीलीय आदेश को प्रभावी बनाने के लिए नवम्बर 1995 में संशोधित किया गया था। तथापि, अपीलीय आदेश को प्रभावी बनाते हुए मूल निर्धारण में पहले से अनुमत 42.40 लाख रूपये की कटौती निर्धारिती को प्रदान की गई राहत में से काटी नहीं गई थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप अनुवर्ती वर्षों में उस सीमा

2000 की प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर)

तक मूल्यहास अधिक अग्रणीत हुआ जिसका निर्धारण वर्ष 1995-96 में समंजन किया गया जिसमें 14.84 लाख रुपये का संभाव्य कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

अध्याय VI ए के
अन्तर्गत कटौती की
गलत अनुमति

5.20 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कतिपय कटौतियाँ कर को प्रभार्य कुल आय को निकाल कर एक निर्धारिती की सकल कुल आय से स्वीकार्य हैं। अभिभावी शर्त यह है कि कुल कटौतियाँ अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियाँ अनुमत करने से पूर्व लेकिन पूर्व वर्षों से संबंधित किसी अनवशोषित हानि, मूल्यहास, निवेश मोक इत्यादि का समंजन करने के पश्चात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगणित सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ पूर्व वर्षों की अनवशोषित हानि, मूल्यहास, निवेश मोक इत्यादि के समंजन करने के परिणामस्वरूप कुल आय कम हो कर निरंक आय या हानि बन जाती है तब अध्याय VI ए के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कटौती की गलत अनुमति के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा, जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड [सहकारी समिति]	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1994-95	143(3)	कटौतियाँ अनवशोषित मूल्यहास और निवेश मोक के समंजन किये बिना संगणित की गई थी	34.20 (पी)
2.	मैसर्ज गैलोरम गौरीशंकर [फर्म]	पटना, बिहार	1991-92 1992-93	143(3) 143(3)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रतिदायों की स्वीकार्य कटौतियों की संगणना करने के लिए कुल आय से कटौती नहीं की गई थी	22.54
3.	मैसर्ज भारूच जिला सहकारी बैंक लिमिटेड [सहकारी समिति]	बड़ौदा, गुजरात	1995-96	143(3)	पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों का कटौतियों की संगणना करते समय समंजन नहीं किया गया था	18.78 (पी)

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 3 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

निर्यात लाभों के
संबंध में कटौती की
गलत अनुमति

5.21 वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1989 से एक भारतीय कम्पनी या भारत में निवासी अन्य निर्धारिती, जो निर्यात कारबार में लगा है, छूट प्राप्त मर्दों, यदि उनकी बिक्री परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई हैं, के अलावा माल या वाणिज्य वस्तु के निर्यात से प्राप्त हुए लाभ के बराबर कटौती का हकदार होता है। जहाँ निर्धारिती के कारबार में माल/वाणिज्य वस्तुओं

के निर्यात को एक मात्र रूप में शामिल नहीं किया जाता है वहाँ निर्यात से प्राप्त लाभ वह राशि होगी जो शीर्ष 'कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों' के अन्तर्गत यथा संगणित निर्धारिती का लाभ, उस अनुपात में होता है जो अनुपात कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री का होता है। 1 अप्रैल 1992 से कटौती के प्रयोजन के लिए कारबार के लाभों का तात्पर्य अधिनियम में विनिर्दिष्ट कतिपय प्राप्तिओं के नब्बे प्रतिशत तक कम करके शीर्ष कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के अन्तर्गत यथा संगणित कारबार का लाभ है।

नमूना जाँच में पाये गये उपर्युक्त प्रावधानों के तहत कटौतियों के गलत/अनियमित अनुमति के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	श्री आर प्रकाश [ब्यक्ति]	त्रिवेन्द्रम, केरल	1994-95	143(3)	अन्य आय के नब्बे प्रतिशत के उपयुक्त लाभों की संगणना करते समय लाभ में से काटा नहीं गया था	50.93
2.	मैसर्ज मानिकलाल वाडी लाल एण्ड कम्पनी [फर्म]	सिटीXIV, मुम्बई	1995-96	143(3)	विदेशी मुद्रा निर्धारित तारीख से पूर्व प्राप्त नहीं हुई थी और अन्य प्राप्तिओं के 90 प्रतिशत की लाभों में से कटौती नहीं की गई थी	21.88
3.	मैसर्ज नेफेड [सहकारी समिति]	दिल्ली I	1995-96	143(3)	ब्याज आय और लाभांश के नब्बे प्रतिशत की लाभों में से कटौती नहीं की गई थी	18.44

गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु प्रभागों में 6 मामलों में ऐसी ही चूकें ध्यान में आई थीं जिसके परिणामस्वरूप 52.61 लाख रुपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 6 मामलों में से 1 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

विवरण के क्रम संख्या 1 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय ने सूचित किया कि उपचारी कार्रवाई संसाधन प्रभागों के 90 प्रतिशत को छोड़ते हुए जिसे बाद की तारीखों में सी आई टी (अपील) के निर्णय के आधार पर निवल संसाधन प्रभागों के 90 प्रतिशत तक सीमित की गई थीं के द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार की गई थी।

31 मार्च 1981 के पश्चात स्थापित नये औद्योगिक उपक्रमों को कटौती की गलत अनुमति

5.22 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जहाँ एक निर्धारिती की सकल कुल आय में 31 मार्च 1981 के पश्चात स्थापित एक औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त हुए किन्हीं लाभों और अभिलाभों को शामिल किया जाता है, वहाँ निर्धारिती ऐसे लाभों और अभिलाभों के पच्चीस प्रतिशत की कटौती का हकदार होता है।

सिटी XII, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए **मैसर्स विम्को पेन कम्पनी** (फर्म) का निर्धारण 31 मार्च 1981 के पश्चात स्थापित नये औद्योगिक उपक्रम के लाभों के संबंध में 215.96 लाख रुपये की राहत अनुमत करने के पश्चात दिसम्बर 1996 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकटन किया गया कि 1079.78 लाख रुपये के लाभ में लाइसेंस प्रीमियम के निर्यात एवं बिक्री के प्रति निर्यात लाभों और नकद प्रीमियम जैसी प्राप्तियों के कारण 1044.43 लाख रुपये शामिल थे। चूँकि कटौतियाँ केवल कारबार कार्य कलापों के लाभ से प्राप्त हुए लाभों और अभिलाभों के संबंध में स्वीकार्य थीं इसलिए अन्य आय के संबंध में अनुमत की गई कटौती ठीक नहीं थी। उपरोक्त राशि को निकालने के पश्चात कुल स्वीकार्य कटौती विभाग द्वारा अनुमत 215.96 लाख रुपये के प्रति 7.07 लाख रुपये बनेगी। गलती के परिणामस्वरूप 155.34 लाख रुपये (ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 208.89 लाख रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने यह बताते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि लाइसेंस प्रीमियम के निर्यात और बिक्री के प्रति निर्यात लाभ और नगद प्रीमियम कारबार से प्राप्त हुई आय के रूप में मानी जाती है, इसलिए कटौती की संगणना के लिए सही रूप से शामिल की गई।

उत्तर मान्य नहीं है चूँकि विधि में आय के संबंध में कटौती के लिए प्रावधान नहीं है लेकिन लाभ और अभिलाभ आयकर अधिनियम की धारा 80 I के अधीन औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त किये जाते हैं। उपर्युक्त उल्लिखित मदें औद्योगिक उपक्रम के कारबार के वास्तविक रूप से प्राप्त हुए लाभ और अभिलाभों के रूप में नहीं बताई जा सकती।

सहकारी समिति की आय के संबंध में कटौती की अनियमित अनुमति

5.23 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक सहकारी समिति की आय जो कतिपय विशिष्ट कार्यकलापों के कारण है, पर पूर्णतः छूट है। न्यायिक रूप से यह निर्णीत* है कि भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त हुई आय को निर्धारिती के बैंकिंग कार्यकलाप के एक आवश्यक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता था जहाँ तक कि यह इसके भंडार माल या कार्यचालन/प्रचलनशील पूँजी का भाग नहीं हो। इसलिए यह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट के योग्य नहीं हो सकता था।

* एम पी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आ.आ.-218 आई टी आर-438(एस सी)

गुजरात III, अहमदाबाद प्रभार में निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए कृषि उत्पाद के विपणन में लगे मैसर्ज उत्तर गुजरात रूवेचन संघ लिमिटेड सहकारी समिति (सहकारी समिति) का निर्धारण मार्च 1996 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि व्यापारियों और जमाकर्त्ताओं से ब्याज आय होने के नाते 24.68 लाख रूपये की राशि जो पूर्ण रूप से सहकारी उद्यम से नहीं है, को गलती से छूट के रूप में माना गया था। गलती के परिणामस्वरूप 17.02 लाख रूपये (ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 24.68 लाख रूपये तक आय का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ब्याज का कम उद्ग्रहण- विवरणी के प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत करने में विलम्ब

5.24(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी निर्दिष्ट तारीख के पश्चात प्रस्तुत की जाती है वहाँ निर्धारिती नियत निर्दिष्ट नियत तारीख की तत्काल अनुवर्ती तारीख से विवरणी दाखिल करने की तारीख तक अथवा जहाँ कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती वहाँ नियमित निर्धारण पूरा होने की तारीख तक प्रति माह अथवा उसके भाग पर (1 अप्रैल 1989 से) दो प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा। अधिनियम में आगे यह प्रावधान है कि जहाँ पुनर्निर्धारण की दृष्टि से नियमित निर्धारण के पूरा होने के पश्चात जारी किये गये एक नोटिस द्वारा अपेक्षित आय की विवरणी ऐसे नोटिस में अनुमत किये गये समय की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जाती है, वहाँ निर्धारिती प्रत्येक महीने या उस एक माह के भाग के लिए दो प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा जो अनुमत किये गये समय की समाप्ति के तत्काल अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली और विवरणी को प्रस्तुत करने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल हो और उतनी राशि पर होगा जितनी राशि तक ऐसे पुनर्निर्धारण के आधार पर कुल आय अवधारित पर कर नियमित निर्धारण के तहत अवधारित कुल, आय पर कर से अधिक हो जाता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के तहत ब्याज के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण के दृष्टांत नीचे दिये गये हैं :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा, जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	श्री गौतमभाई ए. परमार [व्यक्ति]	गुजरात I, अहमदाबाद	1990-91 1992-93 1993-94	143(3)	हालांकि नोटिस जारी किये गये थे तथापि विवरणियाँ नियम तारीखों के अन्दर दाखिल नहीं की गई थीं।	35.69
2.	श्री ए.डी नरोत्तम [व्यक्ति]	सेन्द्रल मुम्बई	1995-96	144	ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया था हालांकि विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई थी	26.85

3.	श्री मोनीलाल ठक्कर [व्यक्ति]	सेन्ट्रल II, कलकत्ता	1989-90 से 1992-93	143(1)(ए)	ब्याज कम उद्ग्रहीत किया गया था हालांकि विवरणियाँ नोटिसों में निर्दिष्ट तारीखों के बाद प्रस्तुत की गई थीं।	20.54
4.	श्री बाबूल भट्टाचार्यजी [व्यक्ति]	सेन्ट्रल I, कलकत्ता	1992-93 से 1994-95	143(3)	कर की कम संगणना की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अग्रिम कर के भुगतान न करने पर ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ और विवरणी के विलम्ब से प्रस्तुत करने में ब्याज कम संगणित हुआ/ उद्ग्रहीत नहीं किया गया था	20.23

2 मामलों में ऐसी ही गलती दिल्ली और महाराष्ट्र प्रभागों में पायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 9.63 लाख रुपये के कुल कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 1 से 4 पर और अन्य मामलों में से 1 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

अग्रिम कर का
कम
भुगतान/भुगतान न
करना।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में एक निर्धारिती, जो अग्रिम कर का भुगतान करने का दायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में विफल हो जाता है या जहाँ ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है, वहाँ निर्धारिती उस राशि जो निर्धारित कर से प्रदत्त अग्रिम कर कम है पर ऐसे अगले अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से आय की विवरणी तैयार करने तक कुल अगले निर्धारण की तारीख तक परिकलित निर्धारण प्रत्येक महीने के लिए या उसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर पर और जहाँ नियमित किया गया है, निर्धारण कर के बराबर राशि पर ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक अथवा जैसा भी मामला हो, साधारण ब्याज अदा करने के लिए दायी होगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के तहत ब्याज के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	लक्ष्मी नारायण टी. ठक्कर [एच यू एफ]	सेन्ट्रल, अहमदाबाद	1995-96	143(3)	ब्याज अग्रिम कर के कम भुगतान के लिए कम उद्ग्रहीत किया गया था	116.48
2.	मैसर्ज दीपचन्द मानिकचन्द रेनु बेले [फर्म]	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	1995-96	143(3)	ब्याज अग्रिम कर के भुगतान न करने के लिए कम उद्ग्रहीत किया गया था	26.21
3.	अरुना डी. मेरहोत्रा [ब्यट्टि]	सिटी VII मुम्बई	1995-96	143(3)	ब्याज की निर्धार्य राशि गलत निकाली गई थी	21.04

गुजरात और मध्य प्रदेश प्रभारों में 4 मामलों में ऐसी ही गलतियों के परिणामस्वरूप 18.40 लाख रूपये के कर का कुल कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 3 पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

कर माँग के
भुगतान में विलम्ब

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर की किसी माँग का निर्धारिती द्वारा संबंधित माँग के नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों के अन्दर भुगतान होना चाहिए। ऐसा करने की विफलता के कारण चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान तक प्रतिमाह या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत पर साधारण ब्याज उद्ग्रहण होगा। जहाँ निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल रूप से किये गये निर्धारण में या तो अन्तर रहता है या एक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी अपास्त किया जाता है लेकिन दोबारा अपील करने पर निर्धारण अधिकारी के मूल आदेश को या तो आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप में लागू किया जाता है, तब देय ब्याज की संगणना मूल माँग नोटिस से गणना की जाने वाली नियत तारीख के सन्दर्भ में की जायेगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के तहत ब्याज के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण के मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	धारा जिसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	स्पोर्ट्स [ए ओ पी]	कोची, केरल	1992-93 1993-94 1994-95	143(1)(ए) 143(1)(ए) 143(1)(ए)	हालांकि माँगों का नोटिसों में निर्दिष्ट तारीखों के अन्दर भुगतान नहीं किया गया था तथापि ब्याज 2 वर्षों के लिए कम उद्ग्रहीत किया गया था और 1 वर्ष के लिए उद्ग्रहित नहीं किया गया था	10.33
2.	कालाकुरुची कोओपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड [सहकारी समिति]	त.ना. V चेन्नई	1992-93 मार्च 1995	143(3)	हालांकि कर माँग का विलम्ब से भुगतान किया गया था तथापि कोई ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया था	10.24

विवरणी के दाखिल न करने/दाखिल करने में विलम्ब, अग्रिम कर/कर माँग का भुगतान न करने/कम भुगतान करने और अधिभार के अनुद्ग्रहण के संबंध में ऐसी ही गलतियाँ बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रभागों में 8 मामलों में पायी गई थीं जिसके परिणामस्वरूप कुल 34.26 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने विवरण के क्रम संख्या 1 और 2 पर और अन्य मामलों में से 6 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

चलचित्रण फिल्मों पर व्यय की गलत अनुमति

5.25 आयकर नियमावली, 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जहाँ एक निर्धारिती चित्रण फिल्म के वितरण अधिकारों को प्रस्तुत करता है/प्राप्त करता है और फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए निर्मुक्त नहीं की गई है या प्रदर्शन के अधिकारों को पूर्व वर्ष के दौरान बेचा नहीं गया है, वहाँ ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना में फिल्म के बनाने/अर्जन करने की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं की जायेगी और समस्त लागत पूर्व वर्ष से अगले अनुवर्ती को अग्रणीत की जायेगी और उस वर्ष में एक कटौती के रूप में अनुमत की जायेगी। यह भी प्रावधान है कि चित्रण फिल्मों के वितरण अधिकारों की उत्पादन/अर्जन लागत के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं की जायेगी जब तक कि फिल्म के प्रदर्शन द्वारा या प्रदर्शन के अधिकारों को बेचने के द्वारा उगाही गई राशि या ऐसी राशियों की कुल राशि उस वर्ष, जिसमें कटौती स्वीकार्य है के संबंध में निर्धारिती द्वारा रखी गयी लेखा बहियों में क्रेडिट न कर दी जाएँ।

तमिलनाडु III, चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए श्री नेसामनी मारन (व्यष्टि) का निर्धारण चलचित्रण फिल्मों पर 75.85 लाख रुपये की राशि का 100 प्रतिशत मूल्यहास अनुमत करते हुए फरवरी 1997 में एक संक्षिप्त रीति में किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपनी लेखाबहियों में फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा या फिल्मों के प्रदर्शन के लिए अधिकारों को बेचने के द्वारा उगाही की गयी राशियों, यदि कोई हों, को लेखाबद्ध नहीं किया था और उन्हें आयकर को प्रस्तुत किया। इसलिए 100 प्रतिशत मूल्यहास का दावा अननुमत करना अपेक्षित था। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप 43.08 लाख रुपये (अतिरिक्त कर और ब्याज सहित) के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए 75.85 लाख रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सामान्य

5.26 आय का अवधारण करने और कर, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि की संगणना करने में पाई गई अन्य गलतियाँ विभिन्न आ.आ. के प्रभारों में 31 मामलों में ध्यान में आई थीं जिसके परिणामस्वरूप 166.51 लाख रुपये के कर राजस्व की कुल हानि हुई।

मंत्रालय ने 14 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

अध्याय 6 : अन्य प्रत्यक्ष कर

क-धनकर

धनकर से राजस्व

6.1 निम्नलिखित तालिका में 1994-95 से 1998-99 के दौरान बजट अनुमानों के प्रति धनकर प्राप्तियों का कालानुक्रम विश्लेषण दिया गया है:

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अंतर	अंतर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपये में)				
1994-95	125.00	104.87	(-)20.13	(-)16.1
1995-96	90.00	74.16	(-)15.84	(-)17.6
1996-97	110.00	77.44	(-)32.56	(-)29.6
1997-98	130.00	113.03	(-)16.97	(-)13.0
1998-99	145.00	162.04	(+) 17.04	(+) 11.75

निर्धारितियों की संख्या

6.2 पिछले दो वर्षों (1998 और 1999) की 31 मार्च को आयकर विभाग की बहियों में दर्ज धनकर निर्धारितियों की संख्या इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा 2.1 के अनुबंध-I में दी गई है।

निर्धारणों की प्रास्थिति

6.3 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूरे किये गये निर्धारणों, लम्बित निर्धारणों और बकाया माँगों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.9.2 (i) और 2.10 (ii) में दिये गये हैं। बोर्ड द्वारा बकाया माँगों में कमी को प्राथमिकता देने सम्बन्धी निदेशों के बावजूद बकायों में निरन्तर वृद्धि होती रही।

लेखापरीक्षा के परिणाम

6.4 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 की अवधि के दौरान धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन पूरे किये गये निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 514 मामलों में 19.57 करोड़ रुपये के धनकर का कम उद्ग्रहण पाया गया था जो इस रिपोर्ट के अध्याय I के पैरा 1.5.1 (ii) में दिया गया है।

अगस्त 1999 से दिसम्बर 1999 के दौरान 230.96 लाख रुपये के कर प्रभाव वाली कुल 60 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ वित्त मंत्रालय को टिप्पणी हेतु ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में भेजी गई थीं। वित्त मंत्रालय ने 87.98 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 32 मामलों में अभ्युक्तियों को अब तक स्वीकार किया है। 27 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है। 49.51 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 6 मामलों की जाँच विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा की गई थी लेकिन गलतियों का पता उनके द्वारा नहीं लगाया गया था। वित्त मंत्रालय को भेजी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	मंत्रालय को भेजे गये ड्राफ्ट पैराग्राफ	
		संख्या	कर प्रभाव
1.	अनिर्धारित धन	39	161.88
2.	धनकर की संगणना में परिहार्य गलती	5	5.30
3.	निवल धन की गलत संगणना	3	2.20
4.	उद्धृत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन	3	5.43
5.	अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन	1	5.94
6.	छूट की गलत मंजूरी	1	4.31
7.	विवरणों को विलम्ब से दाखिल करने के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	6	39.29
8.	कर माँग के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण	2	6.61
	जोड़	60	230.96

अनिर्धारित धन

6.5 धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन, जहाँ किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अथवा कम्पनी का निवल धन 15 लाख रुपये से अधिक होता है, वहाँ उद्ग्रहण कर उस राशि का एक प्रतिशत होता है, जितनी राशि से निवल धन 15 लाख रुपये से अधिक होता है। निवल धन का तात्पर्य निर्धारिती से सम्बन्धित उन सभी परिसम्पत्तियों जहाँ कहीं भी स्थित हो, के सकल मूल्य से है, जो मूल्यांकन तारीख को उसके द्वारा लिये गये सभी स्वीकार्य ऋणों के सकल मूल्य को घटाकर प्राप्त होता है। अधिनियम के अधीन परिसम्पत्तियों में अन्य के साथ साथ, रिहायशी प्रयोजनों, मोटर कार (भाड़े पर या भंडार माल के रूप में उनके द्वारा चलाये जा रहे कारबार में निर्धारिती द्वारा उनके प्रयोग के अलावा) और वायुयानों (वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उनके प्रयोग के अलावा) के लिए उपयोग की जाने वाली सम्पत्तियाँ भी एक मात्र रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 1997-98 से परिसम्पत्तियों में वाणिज्यिक सम्पत्तियाँ भी शामिल हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर के अपवंचन की जाँच करने के लिए विभिन्न प्रत्यक्षकरों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के बीच उचित समन्वय के लिए निर्देश (नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984) जारी किये।

आयकर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारितियों ने रिहायशी और वाणिज्यिक सम्पत्तियों अथवा मोटर कार/वायुयानों जैसी स्वामित्व वाली विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियाँ जो धनकर को प्रभार्य थी से किराये की आय बताई थी। तथापि, न तो निर्धारितियों ने निवल धन की अपनी विवरणियाँ दाखिल की और न ही विभाग ने सी बी डी टी के निर्देशों के बावजूद धनकर के बारे में कार्रवाईयाँ प्रारम्भ कीं। इस गलती के परिणामस्वरूप धनकर के परिणामी अनुद्ग्रहण सहित धन निर्धारण का छिपाव हुआ। निदर्शी मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारित का नाम और प्रास्थिति	आ.आ.का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	निर्धारित न किया हुआ कर	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज टिवोली इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	मुम्बई सिटी IV एवं V	1997-98	निर्धारितियों द्वारा सम्पत्तियों को किराये पर देने से प्राप्त हुआ किराया जिसका मूल्य किराया पूँजीकरण तरीके से विचार करते हुए धनकर को प्रभार्य था लेकिन धन कर के परिणामी अनुद्ग्रहण सहित निर्धारण का छिपाव हुआ।	1318.19	13.03
2.	मैसर्ज न्यू इंडिया मेशी-टाईम एजेंसीज (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	त.ना. I, चेन्नई	1990-91 से 1992-93		460.52	9.21
3.	मैसर्ज लायल इन्जीनियरिंग लिमिटेड [कम्पनी]	त.ना. IV, चेन्नई	1991-92 1992-93		140.50	5.62
4.	मैसर्ज परमसुख प्रोपराईटर प्राइवेट लिमिटेड [कम्पनी]	डब्लू बी II, कलकत्ता	1989-90 से 1993-94		124.00	3.89
5.	मैसर्ज सुदेश एन्ट्रप्राइजेज (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	डब्लू बी II, कलकत्ता	1988-89 1989-90		174.00	3.58

इसी प्रकार की गलतियाँ ध्यान में आई जिनमें 12 मामलों में (5 कम्पनी, 6 व्यष्टि और 1 हि.अ.कु) 20.83 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसमें से मंत्रालय ने 8.29 लाख रुपये की राशि की 5 आपत्तियों को स्वीकार किया।

मंत्रालय ने क्रम संख्या 2 और 3 पर 14.83 लाख रुपये की दो आपत्तियों को स्वीकार किया।

6.	मैसर्ज बालाजी इन्डस्ट्रीज (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	चेन्नई त ना IV	1988-89 से 1991-92	कम्पनी मोटर कार और वायुयानों की विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों की मालिक थी जिसका मूल्य धनकर को प्रभार्य था लेकिन धन कर के परिणामी अनुद्ग्रहण सहित निर्धारण का छिपाव हुआ।	2049.12	41.18
7.	मैसर्ज ईस्टर्न क्ले एण्ड सिरेमिक्स लिमिटेड [कम्पनी]	केरल, कालीकट	1987-88 से 1992-93		271.24	11.60
8.	मैसर्ज कुमार होटल्स (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	महाराष्ट्र, नागपुर	1986-87 से 1991-92		272.00	5.39
9.	मैसर्ज एस्सार पावर लिमिटेड [कम्पनी]	मुम्बई सिटी III	1996-97		526.95	5.12
10.	मैसर्ज मद्रास रिफाईनरिज लिमिटेड [कम्पनी]	त ना II चेन्नई	1993-94		282.29	4.05

मंत्रालय ने क्रम संख्या 7, 8 और 10 पर 21.04 लाख रुपये की 3 आपत्तियों को स्वीकार किया। शेष आपत्तियों के बारे में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

5 कम्पनियों में इसीप्रकार की गलतियाँ ध्यान में आई जिनमें 12.30 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिनमें से मंत्रालय ने 8.94 लाख रुपये की राशि की 3 आपत्तियों को स्वीकार किया।

11.	श्रीमती विमल सी. खानविलकर [व्यक्ति]	एम पी, इन्दौर	1991-92 से 1993-94	निर्धारित अचल सम्पत्तियों का मालिक था जो धनकर को प्रभार्य थी लेकिन धनकर के परिणामी अनुद्ग्रहण सहित निर्धारण का छिपाव हुआ।	141.53	4.70
12.	श्री रमणीकलाल आर.शाह [कम्पनी]	ए पी, हैदराबाद	1995-96 से 1997-98		293.93	4.17
13.	श्री अमर नाथ वी भिडे [कम्पनी]	मुम्बई X	1995-96		278.40	3.62

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

9 मामलों (2 कम्पनी और 7 व्यक्ति) में इसी प्रकार की गलतियाँ ध्यान में आई जिनमें 13.59 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिनमें से मंत्रालय ने 6.8 लाख रुपये की राशि की 5 आपत्तियों को स्वीकार किया।

धनकर की
संगणना में
परिहार्य गलती

6.6 निर्धारण अधिकारियों की ओर से लापरवाही को आरोपीय परिहार्य गलतियों के कारण पर्याप्त राशि के कर के अधिक निर्धारण/अवनिर्धारण के मामलों का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बारम्बार उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद और सी बी डी टी द्वारा बार बार निदेशों के जारी किये जाने पर भी इस प्रकार की गलतियाँ निरन्तर होती रहती हैं और सघन पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करने की आवश्यकता का सुझाव दिया जाता है।

तमिलनाडु I चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए **मैसर्स साऊथ इण्डिया होटल्स (पी) लिमिटेड** कम्पनी का धनकर निर्धारण 136.92 लाख रुपये के निवल धन पर मार्च 1998 में संवीक्षा के पश्चात पूरा हुआ था और 2.74 लाख रुपये का धनकर उद्ग्रहीत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धनकर एक प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत किया गया था। उद्ग्रहीत 2.74 लाख रुपये के प्रति उद्ग्रहीत कर 1.22 लाख रुपये होगा। गलती के परिणामस्वरूप 1.52 लाख रुपये के धनकर का अधिक प्रभार हुआ।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया।

इसके अतिरिक्त कर के अवप्रभार के मामले भी पाये गये थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज स्वदेश मित्रन लिमिटेड [कम्पनी]	चेन्नई II	1988-89	अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	1.46
2.	श्री ललित सूरी [व्यष्टि]	दिल्ली III	1995-96	निवल धन गलत ढँग से निकाला गया था।	0.79
3.	मैसर्ज सीयेट लिमिटेड [कम्पनी]	मुम्बई सिटी IV	1995-96	संक्षिप्त कर-निर्धारण में अनुमत प्रतिदाय की संवीक्षा-कर निर्धारण पूरा करते समय लेखा में नहीं लिया गया था।	0.78
4.	श्री एस कमल हसन [व्यष्टि]	चेन्नई IV	1992-93	धन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए लागू वार्षिक दरों के बजाय निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए लागू दरों पर उद्ग्रहीत था। अतिरिक्त कर भी उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।	0.75

मंत्रालय ने क्र. सं. 1, 3 और 4 पर 2.99 लाख रुपये की 3 आपत्तियों को स्वीकार किया।

शेष आपत्ति के बारे में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

निवल धन की गलत संगणना

6.7 धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन रोकड़ के अलावा किसी परिसम्पत्ति का मूल्य अधिनियम की अनुसूची III में विहित तरीके से अवधारित मूल्यांकन तारीख को इसका मूल्य होगा। निर्धारण वर्ष 1992-93 से किसी परिसम्पत्ति का मूल्य या तो अधिनियम की अनुसूची III में विहित तरीकों में अवधारित इसका मूल्य होगा अथवा मूल्यांकन तारीख पर कम्पनी के तुलन-पत्र में बताया गया इसका मूल्य जो भी अधिक है, वह होगा।

(i) निम्नलिखित मामलों में सम्पत्ति का मूल्य अधिनियम की अनुसूची III में विहित अपनाई गई किराया पूँजीकरण पद्धति के बजाये पंजीकृत मूल्यांकक/तुलन पत्र में दर्शाये गये के द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर निकाला गया था।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	कम निर्धारित धन	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज ई.एल प्रोपर्टीज (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	डब्लू बी III कलकत्ता	1992-93	44.55	0.89
2.	मास्टर अभिषेक झुंझुनुवाला [व्यष्टि]	डब्लू बी V कलकत्ता	1992-93	36.00	0.69

मंत्रालय ने दोनों आपत्तियों में 1.58 लाख रुपये की राशि को स्वीकार किया। क्रम संख्या 2 पर आपत्ति के बारे में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) निम्नलिखित मामले में निर्धारिती को किरायेदार से किराया निक्षेप प्राप्त हुआ था लेकिन वार्षिक किराया कायम रखने योग्य किराया और अचल सम्पत्ति का मूल्य निकालने के लिए धनकर अधिनियम की अनुसूची III के अन्तर्गत यथाअपेक्षित निक्षेप राशि पर 15 प्रतिशत की दर पर परिकलित राशि तक बढ़ाया नहीं गया था। चूक के परिणामस्वरूप कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित धन का अवनिर्धारण हुआ जैसा कि नीचे दिये गया है :

3.	श्री सुरेश चन्द्रा मलिक [व्यक्ति]	ए पी II हैदराबाद	1991-92 और 1992-93	30.42	0.62
----	--------------------------------------	------------------	-----------------------	-------	------

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया।

उद्धृत इक्विटी
शेयरों का
गलत मूल्यांकन

6.8 धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन, 1 अप्रैल 1989 से रोकड़ के अलावा किसी परिसम्पत्ति का मूल्य अधिनियम की अनुसूची III में विहित तरीके से अवधारित मूल्यांकन तारीख को इसका मूल्य होगा। यह अनुसूची विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भी कम्पनी में एक इक्विटी शेयर का मूल्य जोकि एक उद्धृत शेयर है को मूल्यांकन तारीख पर ऐसे शेयर के संबंध में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत मूल्य के रूप में लिया जायेगा। इसके अलावा, ऐसे शेयर का मूल्य निर्धारिती के विकल्प पर निर्धारण वर्ष के तुरन्त अनुवर्ती 31 मार्च को उद्धृत मूल्य के और तुरन्त अनुवर्ती नौ निर्धारण वर्षों में प्रत्येक के संबंध में उक्त तारीख को ऐसे शेयर के संबंध में उद्धृत मूल्य के औसत के आधार पर लिये जाने हैं, बशर्ते कि जहाँ निर्धारिती इस प्रकार उद्धृत मूल्य के औसत के लिए विकल्प देता है, किसी एक लेखाकार द्वारा ऐसे मूल्य को प्रमाणित किया जायेगा और उसे धन की विवरणी के साथ लगाया जायेगा।

नमूना जाँच में निम्नलिखित मामले पाये गये :-

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	कम निर्धारित धन का मूल्य	कर प्रभाव
1.	श्री कुश नारायण सहगल [व्यक्ति]	डब्लू बी V कलकत्ता	1992-93	निर्धारिती ने विकल्प दिया और उद्धृत दरें जो मूल्यांकन प्रमाण-पत्र के लगाये बिना अपनाई गई औसत उद्धृत मूल्य की अपेक्षा अधिक थीं के बजाय औसत उद्धृत मूल्य के आधार पर उद्धृत इक्विटी शेयरों के मूल्य वापिस किये। निर्धारण अधिकारी ने इसे स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप धनकर के परिणामी अवप्रभार सहित धन का अवनिर्धारण हुआ।	192.99	4.13
2.	श्रीमती सुमित्रा देवी चौधरी [व्यक्ति]	डब्लू बी VIII कलकत्ता	1992-93		21.08	0.56
3.	श्रीमती गीता दत्ता [व्यक्ति]	डब्लू बी V कलकत्ता	1992-93		38.00	0.74

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अउद्धृत
इक्विटी शेयरों
का गलत
मूल्यांकन

6.9 धनकर अधिनियम 1957 के अधीन, एक निवेश कम्पनी के अलावा एक कम्पनी में एक अउद्धृत इक्विटी शेयर का मूल्य इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी की कुल राशि को तुलन-पत्र में दर्शाये गये रूप में सभी दायित्वों के आधिक्य में परिसम्पत्तियों के मूल्य को विभाज्य द्वारा और प्रत्येक इक्विटी शेयर के प्रदत्त मूल्य द्वारा निकाली गई राशि को गुणा करके अवधारित किया जायेगा और इस प्रकार निर्धारित किये गये संक्षिप्त मूल्य का अस्सी प्रतिशत इक्विटी शेयर का मूल्य होगा। इसके अतिरिक्त, एक निवेश कम्पनी, एक कम्पनी के रूप में परिभाषित वह कम्पनी है जिसकी सकल कुल आय मुख्य रूप से वह आय है जो “ गृह सम्पत्ति से आय” “पूँजीगत अभिलाभों” और “अन्य स्रोतों से आय” के शीर्षों के जो अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य है।

नमूना जाँच में निम्नलिखित मामले पाये गये थे:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1.	श्री अजीत कुमार कोरडिया [व्यष्टि]	तमिलनाडु I, चेन्नई	1990-91 से 1992-93	तुलन-पत्र में न दिखाये गये दायित्वों की परिसम्पत्तियों के मूल्य में से कटौती की गई थी।	2.25
2.	श्रीमती कान्ता देवी [व्यष्टि]	-वही-	1990-91 से 1992-93	इसके अतिरिक्त, शेयरों का मूल्य निवेश से भिन्न कम्पनी के लिए लागू 20 प्रतिशत की कटौती अनुमत करने के पश्चात निकाला गया था और	2.46
3.	श्री नवरत्ना मल कोरडिया एण्ड सन्स [एच यू एफ]	-वही-	1992-93	गृह सम्पत्ति का मूल्य किराया पूँजीकरण पद्धति के अन्तर्गत संगणित करने के बजाय तुलन-पत्र में दिखाये गए के अनुसार ली गई थी। शेयरों के मूल्य को गलत अपनाने के परिणामस्वरूप 246.33 लाख रुपये के धन का अवनिर्धारण हुआ।	1.23

मंत्रालय ने 5.94 लाख रुपये की आपत्तियों को स्वीकार किया।

छूट की
अनियमित मंजूरी

6.10 धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन वित्त अधिनियम 1993 द्वारा यथा संशोधित एक गृह अथवा गृह का एक अंश जो भी इसका मूल्य हो सकता है, 1 अप्रैल 1994 से एक व्यष्टि अथवा एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से संबंधित है के सम्बन्ध में धन कर से छूट है।

पश्चिम बंगाल III प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए मैसर्ज **विनय इन्टरनेशनल लिमिटेड कम्पनी** के धनकर निर्धारण की लेखापरीक्षा संवीक्षा जो कि फरवरी 1997 में संक्षिप्त तरीके से पूरी हुई से पता चला कि निर्धारिती कम्पनी ने अपनी विवरणी में प्रत्येक वर्ष में 119.60 लाख रुपये की राशि के गृह की छूट का दावा किया जिसकी अनुमति निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई थी। चूँकि निर्धारिती एक कम्पनी थी, इसलिए यह इस प्रकार की छूट के लिए हकदार नहीं थी। छूट प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य होने के कारण अस्वीकृत की जानी चाहिए थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप

4.31 लाख रुपये (अतिरिक्त कर सहित) के धनकर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ कुल 359 लाख रुपये के धन का छिपाव हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरणी के दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

6.11 धनकर अधिनियम 1957, के अधीन जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए निवल धन की विवरणी विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात प्रस्तुत की जाती है वहाँ निर्धारिती नियमित निर्धारण में अवधारित कर की राशि पर विनिर्दिष्ट नियत तारीख के तत्काल अनुवर्ती तारीख से विवरणी दाखिल करने की तारीख तक प्रत्येक महीने अथवा महीने के अंश के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नमूना जाँच किये गये निम्नलिखित मामलों में विवरणी को दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव
1.	मैसर्ज बालाजी इन्डस्ट्रीज (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	त.ना. IV चेन्नई	1990-91 से 1993-94	30.04

मंत्रालय ने इस आधार पर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि तथ्य मार्च 1997 तक सुसंगत थे और इसके पश्चात् धनकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा अवधारित सम्पत्ति के मूल्य की पुष्टि नहीं की और उनको धनकर अधिनियम की अनुसूची III के अनुसार इसे पुनः संगणना करने के निदेश दिये।

उत्तर मान्य नहीं है चूँकि तथ्य वही है कि निर्धारण करने पर निर्धारण अधिकारी धनकर अधिनियम की धारा 17 बी के अनुसार विवरणी को दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज चार्ज करने में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। बाद में धन कर आयुक्त (अपील) का दिया गया निर्णय सुसंगत नहीं है चूँकि ब्याज की पूरी राशि देयकर सहित उद्ग्रहित की जायेगी, यदि यह निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रभारित किया गया होता।

5 मामलों (एक कम्पनी, 3 व्यष्टि और 1 एच यू एफ) में इसी प्रकार की गलतियाँ पाई गईं जिनमें 9.25 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसमें से मंत्रालय ने 8.82 लाख रुपये की 4 आपत्तियों को स्वीकार किया।

6.12 धनकर अधिनियम 1957 के अधीन कर की माँग का माँग नोटिस भेजे जाने के तीस दिनों के अन्दर (निर्धारण वर्ष 1989-90 से पैंतीस दिन पहले) एक निर्धारिती द्वारा भुगतान करना चाहिए। ऐसा करने की विफलता में चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक प्रत्येक माह या उसके अंश के लिए (निर्धारण वर्ष 1989-90 से पहले पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष) डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज लगेगा।

कर माँग के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण

कर माँग के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज उद्ग्रहण की चूक नीचे उल्लिखित मामलों में पाई गई थी:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव
1.	श्रीमती विद्या सिंह [व्यष्टि]	त.ना. V चेन्नई	1982-83 से 1984-85	5.62
2.	श्री एस कमल हसन [व्यष्टि]	त.ना. IV चेन्नई	1989-90	0.99

मंत्रालय ने 6.61 लाख रुपये की राशि को उपर्युक्त दो आपत्तियों में स्वीकार किया।

ख – दानकर

दानकर से राजस्व

6.13 वित्तीय वर्ष 1994-95 से 1998-99 में दानकर प्राप्तियों की तुलना में बजट अनुमान निम्नवत् थे:

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अंतर	अंतर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपये में)				
1994-95	5.00	14.98	9.98	200
1995-96	10.00	11.40	1.40	14.00
1996-97	10.00	19.30	0.30	0.3
1997-98	10.00	9.08	(-)0.92	(-) 9.2
1998-99	10.00	9.96	(-) 0.04	(-) 0.4

निर्धारितियों की संख्या

6.14 विगत दो वर्षों (1998 और 1999) की 31 मार्च को आयकर विभाग की बहियों में दर्ज दानकर निर्धारितियों की संख्या इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा 2.1 के अनुबंध I में दी गई है।

निर्धारणों की प्रास्थिति

6.15 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के लिए पूरे किये गये निर्धारणों, लम्बित निर्धारणों और बकाया माँगों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.9 (i) एवं 2.10 (ii) में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा के परिणाम

6.16 1अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 की अवधि के दौरान दानकर अधिनियम, 1958 के अधीन पूरे किये गये निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान इस रिपोर्ट के अध्याय I के पैरा 1.5.1 (ii) में यथा दिये गये 128 मामलों में 11.97 करोड़ रुपये के दान कर का कम उद्ग्रहण देखा गया था।

अगस्त 1999 से दिसम्बर 1999 की अवधि के दौरान 151.45 लाख रुपये के कर प्रभाव वाली 22 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणी के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में भेजी गई थीं। वित्त मंत्रालय ने अब तक 41.57 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 8 मामले में आपत्ति को स्वीकार कर लिया है। 9 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है। 8.38 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 2 मामलों की जाँच विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा की गई थी लेकिन गलतियों का उनके द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

इनमें से 141.21 लाख रुपये के कर प्रभाव वाली 21 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ नीचे दी गई है :

माने गये दानकर का अवमूल्याकन

6.17 दानकर अधिनियम, 1958 के अधीन जहाँ सम्पत्ति बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित की जाती है, सम्पत्ति का बाजार मूल्य दान के रूप में माना जायेगा। अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि जहाँ सम्पत्ति पर्याप्त प्रतिफल के अलावा हस्तान्तरित कर दी गई है, दानकर अधिनियम की अनुसूची II में विहित पद्धति के

अनुसार यथा अवधारित हस्तान्तरण की तारीख को सम्पत्ति के बाजार मूल्य से जितनी राशि प्रतिफल के मूल्य से अधिक हो जाती है हस्तांतरक द्वारा दिये गये दान के रूप में मानी जायेगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सम्पत्ति का मूल्य उस कीमत के रूप में अनुमानित किया जायेगा जो दान दिए जाने की तारीख को खुले बाजार में बेचने पर मूल्य मिलता। दानकर अधिनियम 1958 की अनुसूची II में प्रावधान है कि 1 अप्रैल 1989 से नकद के अलावा किसी सम्पत्ति का मूल्य धनकर अधिनियम 1957 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार इसका अवधारित मूल्य होगा।

पश्चिम बंगाल I कलकता प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए एक कम्पनी **मैसर्स डा.सी. ओट्टो एण्ड कम्प.**, का दान कर निर्धारण 114.20 लाख रुपये के कर योग्य दानकर के रूप में फरवरी 1997 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 1,00,000 इक्विटी शेयर 4,70,000 डी एम के बिक्री प्रतिफल पर अप्रैल 1992 में दूसरी कम्पनी को हस्तान्तरित किये। बिक्री मूल्य 18.35 रुपये प्रति डी एम की दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया था और कुल बिक्री को लिया गया था एवं दान कर निर्धारण में 86.24 लाख रुपये पर माना गया था और 200.47 लाख रुपये पर 1,00,000 इक्विटी शेयर का ब्यौरा मूल्य लेने पर माना गया दान 114.20 लाख रुपये पर निर्धारित किया गया था। लेकिन निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारिती कम्पनी का आयकर निर्धारण का सत्यापन करने पर यह ध्यान में आया था कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर निर्धारण में दाखिल की गई और स्वीकार किये गये के रूप में परिवर्तन की दर 16.25 लाख रुपये प्रति डी एम थी। बिक्री प्रतिफल के परिवर्तन की गलत दर को अपनाने के परिणामस्वरूप 5.17 लाख रुपये (ब्याज सहित) के कर के परिणामी अवप्रभार सहित 9.69 लाख रुपये तक माने गये दान का अवमूल्यांकन हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

दान/माने गये दान पर कर का अनुद्ग्रहण

6.18 निम्नलिखित मामलों में आयकर अभिलेखों से पता चला कि निर्धारितियों ने बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के सम्पत्तियों को हस्तान्तरित कर दिया था जो कि दान/माने गये दान थे लेकिन न तो निर्धारितियों ने दानकर के लिए विवरणियाँ दाखिल की और न ही विभाग ने दानकर कार्रवाईयों के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ की जिसके परिणामस्वरूप दानकर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	कर योग्य दान का मूल्य	कर प्रभाव
(i)	मैसर्स थिरेपियूटिक्स इन्वे.(पी) लिमिटेड [कम्पनी]	मुम्बई सिटी V	1988-89	142.69	42.75
(ii)	योगेश कुमार [व्यष्टि]	हरियाणा पंचकुला	1997-98	41.84	16.32

मंत्रालय ने क्रम संख्या (ii) के संबंध में इस आधार पर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है कि नगर समिति ने पूरे भवन का वार्षिक मूल्य 1991-92 में 4.30 लाख रुपये निर्धारित किया था जो 1996-97 तक अपरिवर्तित रहा जिसके आधार पर बेचे गये हिस्से का उचित बाजार मूल्य 3.15 लाख रुपये निकाला गया जबकि निर्धारिती ने इस हिस्से को 61 लाख रुपये में बेचा। उन्होंने सी जी टी बनाम कावज जहाँगीर कम्पनी (पी) लिमिटेड [1977] 106 आई टी आर 390 में दिये गये मुम्बई उच्च न्यायालय का भी सन्दर्भ दिया जिसके अनुसार अधिक पर्याप्त प्रतिफल व्यापक अर्थ में माना जाना है और स्थानान्तरण और स्थानान्तरित सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य के प्रतिफल के बीच कुछ अन्तर धनकर अधिनियम की धारा 4(1)(ए) की प्रयोज्यता लागू नहीं होगी।

तथापि, उत्तर धनकर अधिनियम की अनुसूची III के नियम 20 के अधीन मुख्यतः मान्य नहीं है जो धनकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपनाया गया है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 31.3.1993 को 47.95 लाख रुपये सांविधिक रूप से निकाला गया और बेचे गये हिस्से का मूल्य 103.14 लाख रुपये निकाला गया। अनुसूची III के नियम 5(ii) के मद्देनजर मंत्रालय के उत्तर में यथा सूचित पूर्व नगर समिति द्वारा वार्षिक मूल्य का मूल्यांकन सुसंगत नहीं था।

अनुसूची III (103.14 लाख रुपये) के नियम 20 के अनुसार सांविधिक मूल्यांकन और प्राप्त किये गये प्रतिफल (61 लाख रुपये) के बीच पर्याप्त अन्तर के दृष्टिगत उपर्युक्त उच्च न्यायालय निर्णय का औसत लागू नहीं है और यह उत्कृष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जहाँ दानकर अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के प्रावधान पूर्णतः लागू होने चाहिए।

क्रम संख्या 1 पर आपत्ति के बारे में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी प्रकार की गलतियाँ 14 मामलों (8 व्यष्टि, 4 कम्पनी, 1 फर्म और 1 एच यू एफ) में ध्यान में आई जिनमें 51.90 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसमें से मंत्रालय ने 12.11 लाख रुपये की 4 आपत्तियों को स्वीकार किया।

ब्याज का
अनुद्ग्रहण/कम
उद्ग्रहण

6.19 जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए दान की विवरणी उसी वर्ष के 30 जून के पश्चात् प्रस्तुत की गई है वहाँ निर्धारिती नियमित निर्धारण पर अवधारित कर योग्य दान पर देय कर की राशि को निर्धारण वर्ष की 1 जुलाई से आरंभ हो कर और विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक महीने अथवा उसके अंश के लिए दो प्रतिशत की दर पर सामान्य ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। दान के छिपाव के सम्बन्ध में पहली बार किये गये निर्धारण को ब्याज प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए नियमित निर्धारण के रूप में माना जायेगा।

नीचे दिये गये मामलों में, दान की विवरणी को दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज या तो उद्ग्रहीत नहीं किया या कम उद्ग्रहीत किया गया था।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव
(i)	सन्तोष कुमार साहा [व्यष्टि]	पश्चिम बंगाल III	1991-92	0.58
(ii)	श्रीमती एस. वलीयामाई [व्यष्टि]	चेन्नई III	1995-96	1.11

मंत्रालय ने दोनों आपत्तियों में 1.69 लाख रुपये की राशि को स्वीकार किया।

कर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण

6.20 दानकर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ माँग के नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी राशि की माँग के नोटिस को भेजने के तीस दिनों के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है, वहाँ निर्धारिती नियत तारीख के तत्काल अनुवर्ती दिन से प्रारंभ होने और जिस दिन जिसको राशि का भुगतान किया गया है, से समाप्त होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक माह या माह के अंश के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। दिनांक 3 अप्रैल 1982 के बोर्ड परिपत्र के अनुसार, जहाँ एक निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल रूप से किया गया निर्धारण एक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है लेकिन दोबारा अपील करने पर, मूल आदेश का आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा लिया गया है, तो कर के विलंबित भुगतान के लिए देय ब्याज की संगणना मूल माँग से गणना की जाने वाली नियत तारीख के सन्दर्भ में और अनन्तिम रूप से कर को अवधारित करने के सन्दर्भ में की जायेगी।

तमिलनाडु III चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए **मैसर्ज करस्तूरी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड** कम्पनी का दानकर निर्धारण 31.98 लाख रुपये के कर योग्य दान पर मार्च 1979 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था और 7.75 लाख रुपये के लिए माँग का एक नोटिस 23 मार्च 1979 को भेजा गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आई टी ए टी के आदेश के फलस्वरूप उपर्युक्त निर्धारण दिसम्बर 1981 में निरस्त कर दिया गया था और उसी माँग को उद्भूत करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नवम्बर 1997 में सहारा लिया था। निर्धारिती ने 8 जनवरी 1998 को माँग का भुगतान किया। तथापि, मई 1979 से जनवरी 1998 की अवधि के लिए कर के विलम्बित भुगतान के लिए देय ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप 22.60 लाख रुपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

दान का गलत मूल्यांकन

6.21 दानकर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अधीन जहाँ एक व्यक्ति दान करता है, जो विनिर्दिष्ट अवधि में वसूली योग्य नहीं है, इस प्रकार दान की गई सम्पत्ति का मूल्य उस अवधि के दौरान जिसमें दान वसूली योग्य नहीं है ऐसी सम्पत्ति से आय का पूँजीगत मूल्य होगा। आय का पूँजीगत मूल्य अवधि में शामिल किए गए पूर्ण वर्षों की संख्या की आय (प्रोडेक्ट) होना माना जायेगा जिसमें दान वसूली योग्य नहीं है और तीन वर्षों के अथवा पूर्ण वर्षों की ऐसी निम्नतर अवधि जिसमें ऐसी सम्पत्ति चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की

दर पर इसे छूट देने के बाद निर्धारण वर्ष के अनुवर्ती पूर्व वर्ष में विद्यमान थी, के दौरान सम्पत्ति से प्राप्त आय के औसत की अवधि शामिल थी।

महाराष्ट्र, नागपुर प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए दो व्यक्तियों (श्री अमोलचन्द हीराचन्द मुनोट और श्री हरीश कुमार ए.मुनोट) का दानकर निर्धारण क्रमशः 2.28 लाख रुपये और 2.40 लाख रुपये के कर योग्य दान पर अक्टूबर 1996 में संवीक्षा के पश्चात पूरा हुआ था। निर्धारितियों के पास पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिवार के सदस्यों के पक्ष में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का वसूली योग्य दान था। दानकर प्रयोजनों के लिए निर्धारितियों ने 24 रुपये प्रति शेयर पर मूल्यांकन किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी द्वारा 1 : 1 के अनुपात पर बोनस शेयरों को जारी किया गया था। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर था। चूँकि इन बोनस शेयरों से कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश के अतिरिक्त निर्धारितियों की आय बनती थी, निकाला गया प्रति शेयर पूँजीगत मूल्य विभाग द्वारा निकाले गये 24 रुपये प्रति शेयर के बजाय 37.34 रुपये होगा। विभाग द्वारा संगणित गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 0.78 लाख रुपये के दान कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 2.60 लाख रुपये के दान का अवमूल्यांकन हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ग – ब्याज कर

ब्याज कर से
राजस्व

6.22 वित्तीय वर्ष 1994-95 से 1998-99 में बजट अनुमानों की तुलना में ब्याज कर प्राप्तियाँ निम्नवत थीं :

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
(करोड़ रुपये में)				
1994-95	1,044.00	801.40	(-) 242.60	(-) 23.20
1995-96	1,000.00	1,170.05	(+) 170.05	(+) 17.00
1996-97	1,250.00	1,712.39	(+) 462.39	(+) 37.00
1997-98	2,400.00	1,205.18	(-) 194.82	(-) 49.70
1998-99	920.00	1,263.82	(+) 343.82	(+) 27.20

बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी अन्तर यथार्थता आधार पर बजट अनुमानों को तैयार करने की आवश्यकता दर्शाता है।

निर्धारितियों की
संख्या

6.23 विगत दो वर्षों (1998 और 1999) की 31 मार्च को आयकर विभाग की बहियों में दर्ज ब्याज कर निर्धारितियों की संख्या इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा 2.1 के अनुबंध I में दी गई है।

निर्धारणों की
प्रासथिति

6.24 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के लिए पूरे किये गये निर्धारणों, लम्बित निर्धारणों और बकाया माँगों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा संख्या 2.9 (i) और 2.10 (ii) में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा के
परिणाम

6.25 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 की अवधि के दौरान ब्याजकर अधिनियम 1974 के अधीन पूरे किये गये निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 107 मामलों में 8.52 करोड़ रुपये के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण ध्यान में आया था, जोकि इस रिपोर्ट के अध्याय I के पैरा 1.51(ii) में दिया गया है।

अगस्त 1999 से दिसम्बर 1999 के दौरान वित्त मंत्रालय को 371.31 लाख रुपये के कर प्रभाव वाली कुल 27 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने 299.66 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 18 मामलों में आपत्तियों को अब तक स्वीकार किया है। 9 मामलों के बारे में उत्तर प्रतीक्षित है। 113.59 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 3 मामलों की विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा जाँच की गई थी लेकिन गलतियों का उनके द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

मामले नीचे दिये गये हैं :

ब्याज आय
निर्धारित नहीं
की गई

6.26 वित्त (सं.2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1 अक्टूबर 1991 से यथा पुनर्लागू ब्याजकर अधिनियम, 1974 के अधीन ब्याज कर 'क्रेडिट संस्थाओं' की प्रभार्य ब्याज आय पर उद्ग्राह्य है। ऐसी क्रेडिट संस्थाओं में अन्य के साथ बैंकिंग कारबार में लगी सहकारी समितियाँ जो ऐसी सहकारी समितियाँ नहीं हैं जो किसानों या ग्रामीण दस्तकारों को क्रेडिट सुविधाएं मुहैया कराती हैं, निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए शामिल थीं। कर के लिए प्रभार्य ब्याज आय में कर्जों और अग्रिमों पर ब्याज, किसी संस्वीकृत क्रेडिट के अप्रयुक्त अंश पर वायदा प्रभार, वचन पत्रों ओर विनिमय बिलों पर बट्टा शामिल होता है। प्रभार्य ब्याज की विवरणियाँ सुसंगत निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर तक दाखिल की जानी अपेक्षित हैं।

नमूना जाँच में निम्नलिखित मामले ध्यान में आये थे :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	प्रभार्य ब्याज	कर प्रभाव
(i)	दि हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, शिमला [कम्पनी]	शिमला	1992-93	आय कर अभिलेखों से पता चला कि निर्धारितियों को ब्याज और बट्टा आय प्राप्त हुई थी। तथापि, ब्याज कर विवरणी दायर नहीं की गई थी, न ही विभाग द्वारा उनको मंगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज को छिपाते हुए निर्धारण हुआ।	3998.96	70.39
(ii)	मैसर्ज कनोई इण्डस्ट्रीज (पी) लिमिटेड [कम्पनी]	पश्चिम बंगाल I कलकत्ता	1993-94 से 1995-96		370.21	30.70

मंत्रालय ने क्रम संख्या (i) और (ii) पर 101.09 लाख रुपये की आपत्ति को स्वीकार किया

16 मामलों में इसी प्रकार की गलतियाँ ध्यान में आईं जिनमें 120.58 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिनमें से मंत्रालय ने कुल 64.63 लाख रुपये के कर प्रभाव वाले 8 मामले स्वीकार किये।

ब्याज का अनुद्ग्रहण

6.27 ब्याज कर अधिनियम, 1974 के अधीन जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात प्रस्तुत की गई है वहाँ निर्धारिती तत्काल अनुवर्ती विनिर्दिष्ट नियत तारीख से विवरणी को दाखिल करने की तारीख तक अथवा जहाँ विवरणी दाखिल नहीं की गई है, से अवधारित कर की राशि जो कि अग्रिम कर यदि किसी कर का भुगतान किया है द्वारा कम करके ब्याज कर निर्धारण के पूरा होने की तारीख तक प्रति माह अथवा उसके अंश पर दो प्रतिशत पर ब्याज के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जहाँ एक निर्धारिती जो किसी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम कर का भुगतान करने का दायी है ऐसे कर का भुगतान करने में विफल हो

जाता है अथवा जहाँ ऐसा प्रदत्त अग्रिम कर ब्याज कर निर्धारण पर अवधारित कर का नब्बे प्रतिशत कम पड़ जाता है तो प्रत्येक माह अथवा माह के अंश के लिए दो प्रतिशत की दर पर ब्याज निर्धारिती द्वारा उस राशि पर देय है जिस पर प्रदत्त अग्रिम कर अगले वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से प्रभार्य ब्याज के अवधारण की तारीख तक निर्धारित ब्याजकर कम पड़ा था।

निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	कर का कम उद्ग्रहण
मैसर्ज इण्ड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड [कम्पनी]	आ.आ. IV चेन्नई	1994-95	ब्याज कर निर्धारण को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने अग्रिम कर के भुगतान न करने/ कम भुगतान करने के लिए उद्ग्रहीत ब्याज को छोड़ दिया।	22.79

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया।

6 मामलों में इसी प्रकार की गलतियाँ ध्यान में आईं जिनमें 25.06 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिनमें से मंत्रालय ने 25.06 लाख रुपये की 6 आपत्तियों को स्वीकार किया।

ब्याज का गलत भुगतान

6.28 आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारण वर्ष 1989-90 से यथा लागू जहाँ कोई प्रतिदाय किसी अग्रिम कर में से (स्रोत पर कटौती किये गये कर सहित) एक निर्धारिती को देय है, वह निर्धारण वर्ष के अप्रैल की पहली तारीख से उस तारीख तक जिस पर प्रतिदाय मंजूर किया गया है, से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिए अक्टूबर 1991 से एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर (30 सितम्बर 1991 तक डेढ़ प्रतिशत) उस पर साधारण ब्याज, उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त प्राप्त करने का हकदार होगा। किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा यदि प्रतिदाय की राशि संक्षिप्त अथवा नियमित निर्धारण के तहत अवधारित कर के दस प्रतिशत से कम है। यह प्रावधान ब्याज कर अधिनियम के अधीन प्रतिदायों को भी लागू है।

कर्नाटक III बेंगलूर प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक **मैसर्ज केनरा बैंक** का ब्याज कर निर्धारण फरवरी 1996 में संवीक्षा के पश्चात् मूल रूप से पूर्ण हुआ जिसमें जुलाई 1996 में परिशोधन किया गया और अपीलीय आदेशों (दिसम्बर 1996) और अधिकरण के आदेशों (सितम्बर 1997) को प्रभावी करने के लिए जनवरी 1997 और नवम्बर 1997 में संशोधित किया गया और प्रभार्य ब्याज आय और कर क्रमशः 90,914.38 लाख रुपये और 2727.43 लाख रुपये अन्तिम रूप से अवधारित किया गया था। निर्धारिती जिसने 2940 लाख रुपये के कर का अग्रिम में पहले ही भुगतान कर दिया था को अधिक भुगतान किये गये 212.57 लाख रुपये के कर का प्रतिदाय अप्रैल 1994 से नवम्बर 1997 तक संगणित 86.09 लाख रुपये के कुल ब्याज सहित मई 1997 (124.08 लाख रुपये) और नवम्बर 1997 (88.49 लाख रुपये) में किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चूँकि प्रतिदाय किया गया कर अवधारित कर के 10 प्रतिशत से कम था इसलिए निर्धारिती प्रतिदाय पर ब्याज का

हकदार नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप निर्धारिती को 86.09 लाख रुपये के ब्याज का गलत भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया।

आन्तरिक
लेखापरीक्षा आपत्ति
पर कार्रवाई करने
में चूक

6.29 बोर्ड द्वारा 1977 में जारी कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा सूचित की गई गलतियों का अधिकारियों द्वारा तुरन्त सुधार किया जाना चाहिए। उपचारी कार्रवाई एक महीने के भीतर आरंभ तथा जहाँ तक संभव हो, आन्तरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

तमिलनाडु, त्रिची प्रभार में, मैसर्ज काररु वैश्य बैंक के मामले में, निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए ब्याज कर निर्धारण मार्च 1996 में पूरा हुआ था जो 3097.13 लाख रुपये के प्रभार्य ब्याज पर अगस्त 1996 में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वाणिज्यिक पेपरों से 304.24 लाख रुपये की बट्टा आय जो कि मार्च 1993 में बोर्ड द्वारा अनुदेशों के अनुसार वचन-पत्र के स्वरूप में परक्राम्य प्रपत्र है को उपर्युक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा ब्याज कर को प्रस्तावित नहीं किया गया था। यद्यपि यह चूक विभाग के विशेष लेखापरीक्षा दल द्वारा अक्टूबर 1996 में पहले ही बताई गई थी लेकिन निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारण को संशोधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 304.24 लाख रुपये की राशि के प्रभार्य ब्याज का 15.70 लाख रुपये (ब्याज सहित) के ब्याज कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित निर्धारण का छिपाव हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बारे में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

घ - व्यय कर

प्रभार्य व्यय की
संगणना में गलती

6.30 व्यय कर अधिनियम, 1987 में 1 जून 1992 से पूर्व रेस्टोरेंट में खर्च किये गये व्यय पर 15 प्रतिशत पर और होटल जहाँ ऐसा व्यय करते समय किसी भी रिहायशी आवास के लिए कमरे का प्रभार प्रति दिन प्रति व्यक्ति 400 रुपये से अधिक हो जाता है (1 जून 1992 से 1200 रुपये अथवा इससे अधिक) किये गये व्यय पर 1 जून 1992 से 20 प्रतिशत और 1 जून 1994 से 10 प्रतिशत पर कर के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है। अधिनियम के अधीन, निर्धारिती को किसी कलेण्डर माह के दौरान संग्रहीत कर अनुवर्ती माह की 10वीं तारीख तक केन्द्र सरकार के क्रेडिट में जमा करना है और यदि कोई व्यक्ति जो ऐसा कर संग्रहीत करने के लिए उत्तरदायी है इसे संग्रहीत करने में विफल हो जाता है, तब वह इस विफलता के बावजूद बताई गई अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के क्रेडिट में कर का भुगतान करने का दायी होगा ऐसा करने में विफल होने पर वह निरन्तर चूक की अवधि के दौरान प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

नमूना जाँच में निम्नलिखित मामले ध्यान में आये थे :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	आ.आ. का प्रभार	निर्धारण वर्ष	गलती का स्वरूप	प्रभार्य व्यय निर्धारित नहीं किया गया	कर प्रभाव
(i)	मैसर्ज होटल बंजारा लिमिटेड	ए पी II हैदराबाद	1993-94	आयकर निर्धारण अभिलेखों से पता चला कि निर्धारिती ने आय खाद्य और सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री से प्राप्त की लेकिन उस पर व्यय कर संग्रहीत नहीं किया गया था और न ही विभाग ने प्रभार्य व्यय को कर तक लाने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ की।	9.94	2.51
(ii)	मैसर्ज आई.टी सी. लिमिटेड	डब्लू बी II कलकत्ता	1992-93	व्यय कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने प्रभार्य व्यय पर कर की गलत दर उद्ग्रहीत की।	4138.05	12.69

मंत्रालय ने क्रम संख्या (ii) पर 12.69 लाख रुपये की आपत्ति को स्वीकार किया।

इसी प्रकार की गलतियाँ 3 मामलों में ध्यान में आई जिनमें 24.79 लाख रुपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिनमें से मंत्रालय ने 14.03 लाख रुपये की 2 आपत्तियों को स्वीकार किया।



(मुकेश आर्य)

प्रधान निदेशक प्राप्ति लेखापरीक्षा

(प्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली

दिनांक: 26 जुलाई 2000

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजय कृष्ण शंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 26 जुलाई 2000

